राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सोलहवां दिवस |संख्या: 11

मंगलवार,

20 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम, साहब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राम राम।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी को, आपको नमस्कार। प्रश्नकाल, श्री नंदकिशोर। यह वही स्थगित प्रश्न है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद में आप अपनी बात कहिए। श्री नंदकिशोर।

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न (गुरुवार, 8 फरवरी 2018)

प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना

54. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में किसानों का ऋण माफ करने के लिए सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त कमेटी द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के किसानों की सम्पूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(4) क्या समर्थन मूल्य पर खरीद होने वाली फसलों में मोठ, मेहंदी, चौला, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा व अरण्डी को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली फसलों में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में दिये जाने वाले निर्णय के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 10.10.2017 से किया गया था।

(2) कमेटी स्तर पर किसानों की कर्ज माफी से संबंधित मांग पर विचारण/विश्लेषण के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने बजट भाषण में दिनांक 12.02.18 को निम्न घोषणाएं की गई हैं-

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर, 2017 को ओवरड्यू ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी।
2. सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टैण्डिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से रुपये 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा की गई है। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मैरिट के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

(3) किसानों की समस्त फसलों की सम्पूर्ण उपज की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने का प्रावधान नहीं है। जिन फसलों का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, उनकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(4) जी नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में मेहंदी, चौला, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबग़ोल, ग्वारपाठा व अरण्डी आदि को शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमश: दिनांक 14.10.14, 22.04.15 एवं 04.07.17 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कमेटी की अब तक की कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखें। प्रश्न का उत्तर आया है उसके साथ कमेटी के किसी प्रकार के कोई मिनट्स, कोई कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न नहीं है, जो कि सदन को गुमराह करने वाली है। रही कर्ज की माफी की बात, प्रदेश में 68 लाख के करीब जोत है, 8 हजार करोड़ कर्ज माफी की बात की है उसमें भी करीब 3 हजार करोड़ शास्ति, पैनल्टी, ब्याज वगैरह होंगे, तो मात्र 5 हजार करोड़ की यह कर्ज माफी होगी। राजस्थान की संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें प्रति किसान परिवार 70 हजार 500 का कर्ज है। इसके अनुसार 11 हजार 764 ब्याज मूल सहित मिलाकर किसान के हिसाब से 7 हजार रुपये प्रति किसान परिवार माफ होंगे जो कि कर्ज का मात्र 11 प्रतिशत है। किसानों का मूल कितना कर्ज आप माफ करेंगे, कितना ब्याज पैनल्टी अलग-अलग माफ करेंगे? यह जो राइडर लगाए हैं कि सहकारी बैंक से लिए गए किसान का ही कर्ज माफ होगा, फसली अल्पकालीन ऋण ही माफ होगा और लघु एवं सीमान्त का ही माफ होगा यह राइडर हटाकर आप किसान की पूर्ण कर्जा माफी करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, रिपोर्ट की प्रति है मैं आपको दिलवा दूंगा। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट कमेटी ने दी है, उसी के आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर्ज माफी की घोषणा 12 तारीख को बजट सत्र में की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि कितने हजार का, तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 8 हजार करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए, राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने इतने बड़े दायरे पर किसानों के कर्ज को माफ किया है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। दूसरा सवाल पूछे तब ...(व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, राजस्थान के किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ ...(व्यवधान) आपका कहना है, कितने

(श्री अजय सिंह)

किसानों को लाभ होगा, इससे राजस्थान के 20 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस सरकार ने खुद ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वे किस तरह से हमारे ऊपर अंगुली उठा सकते हैं? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से चार लाइनें कहना चाहूंगा सरकार के बारे में।

मैं तो दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है,
यह हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सम्पूर्ण कर्ज माफी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मंत्रीजी कह रहे हैं ...(व्यवधान) रुक जाओ, मंत्रीजी सक्षम हैं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप सुन लीजिए ...(व्यवधान) यह क्या तमाशा लगा रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय महरिया साहब।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मैं कह रहा हूं, सम्पूर्ण कर्ज माफी करेंगे या नहीं, पहली बात। जिस व्यक्ति ने बैंक आफ बड़ौदा से, अरबन बैंक से या किसी और बैंक से ऋण ले लिया, उस किसान ने प्रदेश में क्या दोष कर दिया? केसीसी ले लिया उसने क्या दोष कर दिया? आप कह रहे हैं कि 20 लाख को लाभ होगा, 20-21 लाख तो कुल ऋण ही सहकारी में दिए हुए हैं, फिर जो यह राइडर लघु, सीमांत के हैं यह आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? आप कम से कम सहकारी के तो पूरे ऋण माफ करने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अगर वह नहीं करें, हमारी मांग तो सम्पूर्ण कर्ज माफी की है। सहकारी में भी अभी कलक्टर्स की मीटिंग थी उसमें फिर नये राइडर लग गए। उसमें यह कह दिया गया कि सारे बैंक वाले तहसीलदारों से रिपोर्ट लेंगे, किसकी कितनी जमीन है। जब नाबार्ड कह रहा है कि बंटाईदार को भी लोन दे सकते हो, नोशनल लोन भी दे सकते हो तो आप किसान को तंग क्यों कर रहे हैं। बार-बार क्यों उनसे मांग रहे हैं। सम्पूर्ण कर्ज माफी का मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): दूसरा पूरक बाद में करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, किसी तरह का किसानों में रोष नहीं है। जिनकी कर्ज माफी हुई है सभी किसान खुश हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और आपने घोषणा की थी कि अंतर विभागीय अधिकारीगण की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, उस कमेटी का गठन कर दिया गया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उस कमेटी में जो आप बता रहे हैं उसको ले लिया गया है। तीन बातों को लिया गया है। उक्त कमेटी निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी :-

1. राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के दायरे में आने वाले कृषकों की श्रेणियों का वर्गीकरण और निर्धारण।

2. प्रदान की जाने वाली राहत की सीमा, प्रकार व प्रक्रिया का निर्धारण।

3. अगर गैर सहकारी बैंक अथवा अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है तो उनको शामिल किए जाने की शर्तों का निर्धारण।

आप बता रहे हैं अन्य बैंकों के बारे में, इसके बारे में भी कमेटी निर्धारित करेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार इतना साहसिक कदम उठाया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): दूसरा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, दूसरा, समर्थन मूल्य का तो किया ही नहीं ...(व्यवधान) समर्थन मूल्य का आप देखिए। समर्थन मूल्य पर...

श्री अध्यक्ष: बस हो गया। नहीं, नहीं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका जवाब आ गया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): समर्थन मूल्य पर सभी फ़सलें..., इन्होंने सुराज संकल्प यात्रा में कहा था

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब नहीं आएगा।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): और इस प्रश्न में भी कहा था, शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि लोन लिया और लोनी एक्सपायर हो गया, बेटे लघु सीमांत में आते हैं, पहले वह नहीं थे। जिस वक्त लोन लिया उस वक्त वह नहीं थे। आज की तारीख में उनके दो बेटे हैं, वह लघु सीमांत में आते हैं, आप उनका कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? नम्बर दो, नोशनल शेयर के हिसाब से लोन सोसायटी में लेते हैं। दादा, बेटा और पोता लोन ले रहा है तो वह लघु सीमांत में है, परन्तु दादा नहीं है इसलिए ऐसे लोन आप माफ करोगे या नहीं करोगे इस पर आप खुलासा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अभी मैंने आपको बताया, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमेटी गठित की है, वह इन सभी प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी किसान को, व्यक्तिशः किसी तरह की द्वेषता की भावना नहीं रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, महाराज रणधीर सिंह।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न समर्थन मूल्य के बारे में है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान और केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू कर दी। (व्यवधान) टिकट नहीं चाहिए मुझे, आप शांति से बैठ जाइये।

लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित करने की बात जो स्वामीनाथन कमेटी में थी, वह उन्होंने लागू कर दी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि उसमें दो बातें, जिनका मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो यह कि उसमें उन्होंने लिखा खराबे के लिये, कम से कम 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से खराबे का मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है? दूसरा, क्या खरीद केन्द्र बढ़ेंगे? जैसा कि खरीद केन्द्र आप एक

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

तहसील में एक या दो ही करते हैं, तो खरीद केन्द्र बढ़ेंगे, जिससे कि एम.एस.पी. पर खरीद हो सके?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी फसल खराबे के बारे में बताया, यह कृषि विभाग से सम्बन्धित है। इसके लिये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा पूरे प्रदेश में मिल रहा है, जो कभी नहीं मिला, उतना मुआवजा मिला है।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): एक बात आपने पूछी खरीद केन्द्रों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि गत सरकार के समय केवल 131 केन्द्र ही हुआ करते थे। उनको बढ़ाकर हमने 232 केन्द्र स्थापित किये हैं। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी माननीय सदस्य, कहीं से भी अगर इस तरह का हमें आवेदन दिया जायेगा कि वहां पर केन्द्र खोलना चाहिए, तो बिलकुल आपके भी खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह, तीसरा सवाल।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सी.एम. साहिबा को धन्यवाद दूं, ऋण माफी के लिये।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): पर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले ऋण माफी कब-कब हुई, कौन-कौनसे राज में हुई और कौन-कौनसे सन् में हुई, यह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। विराजिये आप।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): कौनसे राज में, एक बार बता दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अलावा कभी ऋण माफी नहीं हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय का गुमराह करने वाला जवाब है। 72 हजार करोड़ की माफी यू.पी.ए. गवर्नमेंट में हुई थी और सब किसानों को लाभ मिला था। (व्यवधान) 72 हजार करोड़ की माफी हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): 72 हजार करोड़ में से राजस्थान को क्या मिला?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 50-50 साल के राज में राजस्थान का एक रुपया माफ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 72 हजार करोड़ रुपये यू.पी.ए. सरकार ने काश्तकारों की ऋण माफी की थी। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): सचेतक महोदय, राजस्थान को क्या मिला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लम्बी-लम्बी बातें कर रहे हैं। 72 हजार करोड़ में राजस्थान का हिस्सा क्या था? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य वाहवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान को 72 हजार करोड़ में से 186 करोड़ रुपये मिले। (व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): एक रुपये की कर्ज माफी नहीं की आपने। (व्यवधान) एक रुपये की कर्ज माफी नहीं की, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पूरे देश का कर्जा माफ किया भारत सरकार ने, जब कांग्रेस पार्टी की भारत सरकार थी। (व्यवधान) भारत सरकार ने पूरे देश का कर्जा माफ किया। (व्यवधान) भारत सरकार ने पूरे देश का कर्जा माफ करने का काम किया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने एक रुपये का कर्जा माफ नहीं किया। पहले आदरणीय भैरोंसिंहजी की सरकार ने 10 हजार रुपये, फिर अभी आदरणीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी की सरकार में 50 हजार रुपये किसानों का कर्जा माफ हुआ है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल असत्य वादे कर रहे हैं। (व्यवधान) असत्य वाहवाही लूटने के लिये असत्य घोषणाएं की जा रही हैं। (व्यवधान) सरकार किसानों की हितैषी नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कांग्रेस पार्टी के राज में एक रुपया माफ नहीं हुआ। (व्यवधान) आप किस आधार पर बोल रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पचास हजार का ऋण माफ करके एहसान कर रहे हैं किसान के ऊपर। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हमेशा किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती रही है कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान को गुमराह करने का षड्यंत्र है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): घड़ियाली आंसू बहाओ आप तो। (व्यवधान) करने वाले कुछ नहीं हो। जो कुछ भी किया, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पी.एम. तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां बजा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफी की। वह भी आप लोगों से सहन नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने जो कर्जा माफ किया है 8 हजार करोड़ का, उसके विरोध में हैं? राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हुआ है, क्या आप उसके विरोध में हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें, बैठें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार की अच्छी बातों को पचाओ। क्यों घबरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। अगला सवाल, श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): प्रश्न संख्या 188 ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कर्जा माफी के विरोध में हैं क्या? खुल कर कहो न कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पूरा कर्जा माफ हो। (व्यवधान) आपको क्या प्रोब्लम है। आप किताब लेकर ऐसे दिखाते हो। जब कानून की बात आती है ...(व्यवधान) क्या कर दिया।

श्री अध्यक्ष: श्रवणजी, श्रवणजी। (व्यवधान) बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): कर्जा हमने माफ किया। (व्यवधान) चाहे देवीलालजी हों या भैरोंसिंहजी हों, या वसुंधराजी हों।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नवम्बर में जाओगे तब मालूम होगा। वाह-वाही लूट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिये। श्रवणजी, कृपया बैठिये। मिस्टर श्रवण कुमार, बैठिये। हो गया, हो गया। (व्यवधान) आप जवाब दीजिये, अलका सिंह का। (व्यवधान) बैठ जाइये, बैठ जाइये। बैठिये मिस्टर। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। नो मिस्टर डोटासरा, नो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेजें थप-थपा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं ये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके 72 हजार करोड़ में से राजस्थान को क्या मिला, को-आपरेटिव सैक्टर को क्या मिला? को-आपरेटिव सैक्टर को 500 करोड़ रुपये मिले हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान के किसान को ही मिले थे वो। (व्यवधान) किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप मेजें थप-थपा रहे हैं, चुनाव के आखिरी साल में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहां पांच सौ करोड़, कहां आठ हजार करोड़। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 8 हजार करोड़ कर ही दिये, दो हजार करोड़ और कर दें न, सभी का हो जाएगा। (व्यवधान) दो हजार करोड़ और कर दें, सब किसानों का हो जाएगा। करें न। (व्यवधान) आपने 8 हजार करोड़ रुपये दिये हैं तो दो हजार करोड़ और कर दें, सबका हो जाएगा।

प्रदेश में निजी वाहनों पर नियम विरुद्ध लिखावट पर कार्यवाही

188. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) क्या यह सही है कि कुछ निजी वाहनों पर राजस्थान सरकार/ भारत सरकार की प्लेट या लिखावट होती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा समय-समय इसकी रोकथाम के लिये कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। यह सही है कि कुछ निजी वाहनों पर राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्लेट या लिखावट होती है। वाहन की रजिस्ट्रीकृत प्लेट पर उक्त लिखावट प्रदर्शित कर वाहन संचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 एवं विभागीय आदेश संख्या 28/95 (संलग्न) का उल्लंघन है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है। संबंधित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राइवेट/निजी वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 व धारा 177 एम.वी. एक्ट के तहत 262192 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। परन्तु ऐसे चालानों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार लिखे होने का अलग से कोई विवरण अंकित नहीं किया जाता है। इसलिए यह उल्लेख नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में गत 4 वर्षों में किए गए चालानों में से भारत सरकार/राजस्थान सरकार लिखे होने के कुल कितने चालान किए गए हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी, पहले लाल बत्ती का मिसयूज होकर हूटर चलाते हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोग वारदात कर जाते थे। अब यह मोडस ओपरेंडी उन लोगों ने अपनाया है कि वे 'राजस्थान सरकार', 'केन्द्र सरकार' इस तरह की प्लेट लगा लेते हैं। पुलिस और आर.टी.ओ. को भी असमंजस की स्थिति

(श्रीमती अलका सिंह)

रहती है। वे टोल से भी निकल जाते हैं, जिससे राजस्व की हानि होती है तो, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई एप डवलप करने का विचार रखती है, ताकि इस तरह के जो वाहन हैं, उनकी डिटेल उसके अन्दर हो। आम जनता भी कभी चाहे तो उस डिटेल को देख सके, ताकि जागरुक जनता बता सके कि अमुक वाहन पर गलत तरीके से इस तरह से लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस तरह के जो अपराधी हैं, वे भी पकड़ में आ सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को इससे मदद हो सकती है तो क्या सरकार ऐसा एप डवलप करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिंता व्यक्त की है, वह सही है। कुछ लोग अपने वाहन पर जो प्रेस्क्राइब्ड नम्बर प्लेट है, उसके अलावा भी, या तो उस नम्बर प्लेट पर ही, या उस नम्बर प्लेट के अलावा अपनी गाड़ी पर कुछ न कुछ ऐसा लिख लेते हैं, जो अनधिकृत है, नियम विरुद्ध है। उनके खिलाफ तो समय-समय पर कार्यवाही होती भी है।

लेकिन चूंकि आपका दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस तरीके के कानून बनाने का विचार रखती है? चूंकि हमारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ है। उसमें अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं। कुछ अमेंडमेंट लोक सभा में पारित हो गये, यह बिल पारित हो गया, लेकिन राज्य सभा में लम्बित है। उसके बाद कुछ अधिकार राज्य सरकारों को और मिलेंगे और कुछ भारत सरकार उसमें परिवर्तन करेगी, उसके पश्चात् निश्चित रूप से इस तरीके के वाहनों को जो नियम विरुद्ध संचालन करते हैं, उस पर कार्यवाही हम करेंगे।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो शंका है उसका निवारण करते हुए मैं यह बताऊंगा कि पूरे भारत में इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है कि लोग इस तरीके के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने अभी 01.05.2017 को नीली बत्ती, लाल बत्ती और मल्टी कलर की बत्तियां हैं, उन सबको बंद करके नए निर्देश जारी किये हैं तो माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके अनुसार हम निश्चित रूप से भारत सरकार को यह सुझाव देंगे कि इस तरीके के अनधिकृत रूप से अंकित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाहियां हों।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी, यह जो वाहन चलते हैं इनमें कई वाहनों पर प्लेट लगी हुई होती है और ऐसे काल्पनिक बोर्ड और निगमों के चेयरमैन...., अभी मैं आ रही थी तो देखा कि एक अध्यक्ष, अपराध नियंत्रक बोर्ड, यह गवर्नमेंट का तो कोई बोर्ड है नहीं और बड़ी-बड़ी पट्टियां लगाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई लोग इस तरह की प्लेट लगाकर चलते हैं जो कि एक अनधिकृत रूप से गलत कार्यवाही करके भी जाते हैं और लोग डर के मारे, प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता है तो क्या इन प्लेट्स के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? क्योंकि, मुझे आन्सर में यह बताया गया है कि चालान कर देते हैं। फर्स्ट ओफेन्डर का 100 रुपये और उसके बाद करता है तो 300 रुपये, तो यह बहुत कम है। क्या सरकार इसके बारे में, यह जो पैनल्टी है, इसको बढ़ाने का और इस तरह की प्लेट्स जो उपयोग हो रही हैं, उनको रोकने के बारे में कोई विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह बार-बार सरकार के भी संज्ञान में आई है और अखबारों के माध्यम से भी कई बार छपती भी है कि कुछ लोग अधिकृत भी नहीं होते, वैसे भी लिखने का प्रावधान भी नहीं है कि कोई यह लिखे राजस्थान सरकार या कोई लिखे प्रधान या विधायक या सांसद या कोई भी समाज का अध्यक्ष है, तो यह लिखने का कानून के अन्दर प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी लिखते हैं। लेकिन इसको रोकने का भी अभी प्रावधान नहीं है इसलिए जो आपने यह बहुत गम्भीर मुद्दा उठाया है, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 है और उन्हीं के जो अन्य नियम बने हुए हैं, उनमें कैसे संशोधन हो सकता है और मैंने आपके इस प्रश्न के बाद में भारत सरकार के उच्चाधिकारियों से भी बात की है और हम भी इसमें सुझाव देंगे क्योंकि राजस्थान जो ग्रुप आफ मिनिस्टर्स है, उसको हैड करता है और हम लोग अन्य राज्यों से सुझाव लेकर भारत सरकार को देंगे और आपकी इस शंका का समाधान अवश्य ही करेंगे।

जहां तक अभी जो यह इश्यु ताजा है, हमारा 1995 का एक सर्कुलर, उसमें संशोधन करके और किस तरीके से कौन अपनी नम्बर प्लेट का यूज ले सकता है क्योंकि एक्ट में यह प्रोविजन है 1988 की धारा-39 के अन्तर्गत,

(श्री युनुस खान)

वाहन पंजीयन की जो प्लेट है, सर, उसके ऊपर आप कुछ भी, किसी भी तरीके की लाल पट्टी, हरी पट्टी या कोई नाम अंकित नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ जो आपको राज्य सरकार द्वारा आबंटित नम्बर हैं, उन्हीं का लेखन कर सकते हैं, तो यही प्रावधान है। एक बार हम दिशा-निर्देश जारी कर देंगे कि कोई अनुपयोगी रूप से कुछ वाहन पर कुछ नहीं लिखे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री ओमप्रकाश हुडला।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): हो गया।

श्री अध्यक्ष: नहीं करना? ठीक है। अगला पूरक प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैंने तो दबाया ही नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सर, इनका तो किसानों वाले पर था, पहले वाले में, किसानों वाले पर था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमने तो किसानों वालों पर दबाया था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अभी तक दबा हुआ है, अभी तक दबा हुआ है। बैठिये, चलो।

श्री भागीरथ चौधरी, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो किसानों के लिए दबाया था, कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने एक रुपया कभी कर्जा माफी नहीं की, उसके लिए दबाया था यह, हमने इसके लिए नहीं दबाया।

श्री अध्यक्ष: चलो, अगला प्रश्न: अगला प्रश्न। श्रीमती द्रोपती।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यह हमारे पूरक प्रश्न हैं। आपने गलत दबा दिया। यह हमारे पूरक प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। आप करेंगे पूरक प्रश्न? श्री जोगाराम पटेल, पूरक प्रश्न। यह तीसरा हो गया। अगली बार करो आप, मैं अलाउ करूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां माननीय अध्यक्ष महोदय, आभार आपका। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, उनकी लाल-बत्ती हट गयी, पट्टी

(श्री जोगाराम पटेल)

वह कुछ लगा नहीं सकते तो टोल-नाकों पर व अन्यत्र भीड़ में जाने में उनको बहुत दुविधा होती है तो ऐसी कोई सुविधा आप उपलब्ध करवाएंगे जो कानून सम्मत हो ताकि टोल नाकों, भीड़ में, पुलिस की कार्यवाहियों में, जन-सैलाब में या मीटिंग्स में निकलने पर वह अपनी गाड़ी आराम से निकाल सकें, एक तो यह।

दूसरा, अनेक गाड़ियों पर जो हार्न है तेज बोलने वाला, वह तेज बोलने वाला हार्न भी लगा देते हैं और कई लोग आज भी लाल बत्ती लगाकर धड़ल्ले से घूम रहे हैं, सबके संज्ञान में घूम रहे हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है और क्या हमारे मंत्रीगण और जन-प्रतिनिधियों को ऐसी कोई सुविधा देने का विचार रखती है ताकि वह भीड़ में, टोल नाके पर आराम से निकल सकें?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। जवाब देने दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, सबको ज्ञात है और चारों तरफ से आवाज भी आ रही है कि यह जो वी.आई.पी. कल्चर है, इसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है कि न कोई लाल बत्ती लगाएगा, न कोई नीली बत्ती लगाएगा और न प्रायोरिटी से वाहन चलाएगा। यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, सब एक समान हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी और उसका पालन भी ....(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: डोटासरा का बोला हुआ शब्द अंकित नहीं हो। ये मेरी बिना परमिशन के बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने इतना बड़ा दर्शन दे दिया लोकतंत्र का, इससे बड़ा और क्या होगा? लोकतंत्र का दर्शन दे दिया आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप प्रभावित हुए कि नहीं? आप प्रभावित हुए कि नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो प्रभावित पहले से ही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, बस।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मतलब, प्रभावित हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला सवाल।

प्रश्न संख्या 189

श्रीमती द्रोपती। नहीं हैं?

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला सवाल, श्री बनवारीलाल सिंघल।

प्रदेश में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्रों की स्थापना

190. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संयंत्रों में से वर्तमान में कितने संयंत्र चालू अवस्था में हैं व कितने खराब हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में उक्त संयंत्रों से कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है व उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार के संयंत्र और स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी नहीं। प्रदेश में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र किसी भी नगरीय निकाय में स्थापित नहीं है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(4) जी हां। प्रदेश के बडे शहरों यथा- जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में कचरे से बिजली (Waste to Energy) बनाने के संयंत्र (Plant) प्रस्तावित हैं। जयपुर (600 TPD 7 MW) एवं जोधपुर (400 TPD 3 MW) कचरे से बिजली बनाये जाने के संयंत्र हेतु खुली निविदा आमंत्रित कर फर्म का चयन किया जा चुका है। फर्म द्वारा बिजली की दरों (Tariff) के निर्धारण हेतु राज्य ऊर्जा विनियामक आयोग (RERC) में पिटीशन लगाई हुई है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रति यूनिट की दर निर्धारित होने पर फर्म द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में कचरे

(स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)

से बिजली बनाये जाने का प्लांट लगाने की कार्यवाही की जाएगी। प्लांट का कार्य शुरु होने की तिथि के 18 महीने में प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। कोटा में कचरे से बिजली बनाये जाने के प्लांट हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी के द्वारा 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' अभियान के अन्तर्गत सभी शहरों को स्वच्छ रखने का आह्वान किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, हम सब कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, आम जनता भी काम कर रही है। पूरक प्रश्न संख्या एक में माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जो डम्पिंग यार्ड्स हैं जिनको हम टंचिंग ग्राउंड भी बोलते हैं, उन पर पूरे शहरों के, पूरी पंचायतों के या नगरपालिकाओं के क्षेत्रों के कचरे को उठाकर ले जाकर डाल दिया जाता है, उसके निस्तारण की आज की दिनांक तक राजस्थान में कोई व्यवस्था है क्या? उस कचरे को ले जाकर डाल दिया और डालने के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा-सा शुष्क हुआ और वह कचरा उड़कर इधर-उधर वापस अपने स्थान पर पहुंच जाने की स्थिति आती है तो इसके निस्तारण की अभी तक कोई व्यवस्था है क्या? आप एक तो यह बता दें। फिर मैं दूसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की पालना में शहरों में उत्पन्न हो रहे ठोस कचरे के निस्तारण हेतु पूरे राजस्थान में हमने घर से घर कचरा, डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्यक्रम चला रखा है। कचरे का सुरक्षित परिवहन, कचरे का पृथक्करण एवं कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण निस्तारण करना अनिवार्य है। यह इस तरह का कानून बना हुआ है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में राजस्थान में अधिकतर नगरपालिकाओं में, नगर परिषदों में हमने इस कार्य में सफलता प्राप्त की है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं, और भी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कहीं रह गया, आपको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से इस कार्य को वहां पर स्वीकृत करके कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। हमने इसकी सभी जगह निश्चित की हुई है और जहां-जहां हमें निश्चित की गयी जगह मिलती जा रही है, हम उसमें करते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। सवाल नम्बर दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पहले सप्लीमेंट्री की कप्लीमेंट्री तो पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, आप तो सवाल कीजिये दूसरा। दूसरा पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने यह कहा है, मैं यह पूछ रहा हूं जब आप ठोस कचरे का निस्तारण नहीं कर रहे, तो उस कचरे को उठाकर अपन एक जगह ले जा रहे हैं तो वह कभी भी किसी बड़ी महामारी का कारण नहीं बन जाये तो पहले तो दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं, उससे पहले यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, पहले का ही उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: इसमें आप पूछ लीजिये, उसमें यह जवाब दे देंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आपने इस प्रश्न के खण्ड संख्या 4 में यह बताया है कि प्रदेश के बड़े शहरों- जयपुर, जोधपुर, कोटा में संयंत्र बनाना प्रस्तावित है और इसके बाद प्लांट बिजली विभाग के लिये विद्युत विनियामक आयोग से पिटीशन आपने लगा रखी है तो कोई ऐसी कट आफ डेट, जिसमें यह शामिल करते हुए, कि अलवर शहर में भी आप इस तरह कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित करेंगे। एक बात तो यह, और दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कोई ऐसी कट आफ डेट आप बता दें कि कितनी तारीख तक आपका कोई ऐसा तो विभाग होगा जो योजनापूर्वक काम करा सके इतने दिन तक ऊर्जा विनियामक आयोग से आपको इस पिटीशन पर परमिशन मिल जाएगी और इस कचरे के निस्तारण के लिये आप प्लांट बनाना शुरु कर देंगे। आपने कहा प्लांट का कार्य शुरू होने की तिथि के 18 महीने, तो वह तिथि कौनसी होगी,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कि प्लांट बनाने का काम शुरु कर देंगे? 18 महीने तो उसके बाद गिन लेंगे, लेकिन वह तिथि प्रस्तावित कौनसी है और अलवर शहर को भी क्या आप इसमें शामिल करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ऊर्जा विनियामक आयोग में जो हमारी पिटीशन लगी हुई है, उससे बहुत जल्दी दरें तय हो जाएंगी, उसका तो हम कर ही देंगे। आज मैं सरकार की तरफ से इनको इस बात का आश्वासन देता हूं कि राजस्थान के सभी जिलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, जिसमें अलवर भी शामिल है, उनमें जल्दी ही प्लांट लगाने के लिये जहां-जहां से प्रस्ताव आयेंगे, स्वीकृत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती शकुंतला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया कि अभी तो बड़े जिलों- कोटा, जयपुर, जोधपुर जैसे जिलों में लगाया जाएगा। क्या अलवर जिला इतना बड़ा नहीं है? और जहां पर नगरपालिका नहीं है, वहां पर स्वच्छता अभियान में नियम बनाकर आप वहां की साफ-सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। नगरपालिका से बाहर गयीं आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, नगरपालिका नहीं है तो वहां पर भी स्वच्छ भारत की व्यवस्था कर रहे हैं क्या, तो फिर किस बात का स्वच्छ भारत हुआ? नगरपालिका बनाने नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, अलवर में संयंत्र लगाने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बात का बड़ा दु:ख है कि आजादी के 70 साल के बाद पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री ने और हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। इन्होंने 55 साल में...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह तो 'निर्मल भारत' का पर्यायवाची शब्द 'स्वच्छ भारत' रख दिया। बाकी कुछ और लेना-देना नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पूरे देश को गंदा इन्होंने किया। पूरे देश में कभी अभियान नहीं चलाया। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जिस हेलिकाप्टर में घूम रहे हैं आपके प्रधान मंत्री महोदय, वहां तक पहुंचाना कांग्रेस की ही देन है। आपका कुछ भी नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं राजस्थान की 191 नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी राजस्थान देश में प्रथम आयेगा। लेकिन 55 साल में कभी कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ यह भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, सफाई नहीं हुई चार वर्ष में।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अवसर देते हैं, आप बार-बार खड़ी हो जाती हैं। नो, श्री रामहेत सिंहजी। (व्यवधान) यह गलती हो गयी आपको पुकारने की। आइन्दा पुकारूंगा नहीं। (व्यवधान) नहीं, अब मैं नहीं पुकारूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पूरक प्रश्न अलवर जिले का ही था। मैं मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने अलवर जिले को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा नगरपालिका, नगर परिषद के अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको भी इसके साथ जोड़ दें, वहां सबसे ज्यादा जो कचरा है, उसका भी निस्तारण हो सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जहां-जहां से भी प्रस्ताव आयेंगे, निश्चित रूप से वे शामिल किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी, इन्होंने जोधपुर का प्रस्तावित तो कर दिया, मगर यह बतायें कि कब तक कर देंगे? समय तो देवें न, समय दिये बगैर तो क्या मालूम पड़ता है कि यह कब लगेगी, कब सफाई होगी, कब कचरा संग्रहण होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 18 महीने का हमारा टाइम है और 18 महीने में पूरा होकर निश्चित रूप से प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री अमृतलाल।

पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों का सर्वे

191. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्र व्यक्तियों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रंमाक 8378, दिनांक 8.11.2017 के आदेशानुसार जन कल्याण शिविर दिनांक 20.11.2017 से 20.12.2017 तक सर्वे कार्य करवाया गया, जिसके तहत 375 नवीन पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी तथा 432 अपात्र पेंशनरों के पेंशन स्वीकृति आदेश निरस्त किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि 432 व्यक्तियों को किन मापदण्डों के आधार पर अपात्र घोषित किया गया? जबकि मेरे विधान सभा में चार पंचायत समितियां हैं, तीन तहसीलें हैं, तीन उप-तहसीलें हैं। करीब पांच लाख की जनसंख्या है और मात्र 375 व्यक्तियों का चयन हुआ। मंत्रीजी, यह बताने की कृपा करें कि सर्वे सही तरीके से मापदण्डों की पालना करके नहीं किया गया है तो क्या पुन: सर्वे कराने की फरमायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, पहली बात तो यह सर्वे वहां के डिविजनल कमिश्नर के द्वारा कराया गया और उस सर्वे में केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि कुछ और चीजों को उसमें लिया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लिया गया था। जहां तक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का विषय है, उसमें नियमित रूप से एक क्लाज 12 है, उसमें वैरीफिकेशन का क्लाज है कि हर साल व्यक्ति जीवित होने का प्रमाण पत्र देगा और उसका वैरीफिकेशन कराकर पेंशन उसकी चलती रहेगी। चूंकि पेंशन में हमने कई चीज नई जोड़ी और यह करने के बाद इसको जुलाई से ई-मित्र पर आनलाइन भी किया और आफलाइन भी किया और बाद में अक्टूबर से इसको पूरा का पूरा आनलाइन हमने कर दिया। लेकिन इस वैरीफिकेशन के कारण से किसी की पेंशन नहीं रुके, इसलिये दिसम्बर, 2013 से अब तक अगस्त, 2017 तक हमने 20 बार इसमें रिलेक्सेशन दिये कि इसके कारण किसी की पेंशन नहीं रुकनी चाहिये और सबको लगातार पेंशन मिलती रहे क्योंकि आफलाइन में एक दिक्कत आती थी कि जो व्यक्ति एप्लाई करता, वह स्टेजेज में उसमें कुछ चीजें रह जाती थीं और उसको वहां तक पहुंचने में समय लगता था इसलिये आनलाइन किया। अब इस आनलाइन पोर्टल का एक लाभ यह है कि किसी भी स्टेज पर अगर पेंशन रुकेगी, जैसे मान लीजिये नगरपालिका का शहरी क्षेत्र है तो नगर निगम या नगरपालिका से वैरीफिकेशन होता है, देहात का क्षेत्र है तो तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार वह वैरीफिकेशन करके देते हैं। अगर किसी स्टेज पर रुकती है तो हमें पता चल जाएगा और वहां तुरन्त परश्यु, करके हम आगे लेकर आ जाएंगे और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सैंक्शन होकर पूरी पेंशन मिल जाए, इसको सुनिश्चित किया है।

दूसरा, आपका एक प्रश्न था कि किन-किन कारणों से रुकी है। आपके यहां एक तो सीमारी ब्लाक है, सीमारी ब्लाक में ज्यादातर जिनकी रुकी है, वह मृत्यु के कारणों से हुई है। तीन-चार केस ऐसे हैं जो कहीं या तो री-मैरिड हो गये, या सरकारी नौकरी हो गयी, इस तरह के या गवर्नमेंट एम्प्लायड हैं। इसी तरह बाकी मंडलों में भी ब्लाक में अगर देखें तो सलूम्बर ब्लाक में जो कुल केसेज हैं, उनमें केवल पांच को छोड़कर बाकी सब मृत्यु होने के कारण से हैं, उनको रोके गये हैं।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आपने कहा है कि केवल इतने ही लोगों को क्यों जोड़ा, यह नियमित प्रक्रिया है। आनलाइन पर जिनके भी केस आयेंगे, जो भी एप्लाई करेगा, अगर देहात का क्षेत्र है, तो ग्राम सेवक से और वहां से रिपोर्ट आने के बाद उसकी पेंशन चालू हो जाएगी और अगर शहरी क्षेत्र है तो नगरपालिका या नगर परिषद से रिपोर्ट आने के बाद, उनका वैरीफिकेशन करने के बाद देते हैं तो उसको चालू कर सकेंगे।

इसमें हमने एक और किया कि पहले अगर किसी की भी पेंशन रुक जाती थी किसी कारण से तो उसको 11 महीने तक ही भुगतान कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, इसको भी बढ़ाकर हमने दो साल कर दिया।

तीसरा हमने यह किया कि ई-मित्र पर आने के बाद या कहीं आनलाइन करने के बाद एक दिक्कत आती थी कि कई बार फिंगर प्रिंट किसी का नहीं लगा, ओल्ड एज में होने के कारण से यह दिक्कत आयी तो उसको भी सही कर दिया कि जो सैंक्शन आथोरिटी होगा, उसके पास उस व्यक्ति के फोटो के साथ अप्रमाणित डाटा को अपलोड कर देते हैं तो पेंशनर के स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होने पर उसकी भी यह जो फिंगर प्रिंट के कारण पेंशन रुक रही थी, उसको भी चालू कर दिया जाता है। हमने यह निकाल दिया कि इसको भी हम चालू करेंगे और लगातार देते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): मंत्रीजी, यह बताने की कृपा करें कि जनजाति एरिये में काफी दूर-दराज इलाके हैं, पंचायतें बिखरी हुई हैं और वहां उम्रशुदा ज्यादा लोग हैं, उनको पेंशन लेने में काफी दिक्कतें आती हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि सही तरीके से उनके घर तक पेंशन पहुंच जाए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में दिक्कत थी और दिक्कत को देखते हुए ही, दिसम्बर में जब हम आये तब एक शिकायत जगह-जगह आती थी कि तीन महीने में पेंशन मिलती है और पेंशन भी पूरी नहीं मिलती। डाकिये के माध्यम से जाती थी। उसमें एक और था कि लगभग 125 करोड़ हम कमीशन के पोस्टल डिपार्टमेंट को दिया करते थे। बाद में हमने जो भामाशाह योजना स्टार्ट की, भामाशाह योजना के साथ इसको लिंक किया। सबको सीडिंग पूरी कर दी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

और बैंक अकाउन्ट के साथ जोड़ दिया। ये आपके यहां का ही है। उदयपुर का जो आंकड़ा है, सीडिंग पूरी होने के बाद जो वैरीफिकेशन हो चुका, वह 98.58 परसेंट लोगों का वैरीफिकेशन पूरा हो चुका है। मतलब उनके बैंक अकाउन्ट हैं और बैंक अकाउन्ट के माध्यम से पूरी पेंशन जा रही है। उसमें भी हमने यह प्रावधान कर दिया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बैंक तक नहीं आ सकता और वह लिखकर देगा तो मनीआर्डर और ई-मित्र के माध्यम से पेमेन्ट का भी उसका प्रोवीजन इसमें किया है तो कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, आदमी को बैंक अकाउन्ट के माध्यम से मिल जाए और अपने पैसे को पोस मशीन के माध्यम से वह निकाल भी सके, इसकी पूरी व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नानालाल अहारी। यह तो सलूम्बर से संबंधित है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): संबंधित ही है सर, सेमारी मेरे ही क्षेत्र में पड़ती है।

श्री अध्यक्ष: सलूम्बर में ही आती है?

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): हां।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। कीजिए। कीजिए आप।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे कि कई व्यक्ति अपंग हैं और जिनके फिंगर नहीं आते हैं, फिंगर घिस गये हैं, जो खाट में पड़े हैं, क्या उन व्यक्तियों की पेंशन घर पर भिजवा सकेंगे? दूसरा, जो हमारी बालिकाएं हैं, जिनको छात्रवृत्ति मिलती हैं, उनको समय पर छात्रवृत्ति मिलने का निर्धारित है? उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है, जो अपंग है और वह बैंक तक नहीं पहुंच सकता और पोस मशीन तथा ई-मित्र तक भी नहीं पहुंच सकता, ऐसे व्यक्ति को मनीआर्डर तक पहुंचाने का प्रावधान है। यदि लिखकर देंगे तो मनीआर्डर के माध्यम से उनके पास पहुंच जाएं, ऐसा है। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे।

छात्रवृत्ति का जहां तक विषय है, क्योंकि यह क्वेश्चन छात्रवृत्ति का

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

नहीं है, फिर भी छात्रवृत्ति को नियमित हमने ई-मित्र पर आनलाइन करके उसके डिस्बर्समेंट की, एप्लीकेशन की व्यवस्था हम पूरी कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि बैंक की ओर से जो बीसी लगा रखा है, वह बराबर टाइम पर नहीं जा रहे हैं। जो अपंग हैं, बुजुर्ग हैं, जो बैंक में आ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बीसी पैसे लेकर दे रहा है या ऐसा उल्टा-सीधा काम कर रहा है। उनकी आम जनता शिकायत करती है और उसको घर जाकर देना चाहिए। उसमें थोड़ी सख्ती करने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): निश्चित रूप से ऐसा कोई मामला नहीं है क्योंकि सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है कि हम बैंक अकाउन्ट के माध्यम के माध्यम से, बीसी के माध्यम से और कोई चाहेगा तो मनीआर्डर से भी, जिसकी ऐसी स्थिति है कि वह बैंक तक नहीं पहुंच सकता है, ऐसा कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत आप बतायेंगे तो निश्चित रूप से, कोई बैंकिंग कोरेस्पोंडेन्ट नहीं जा रहा है या किसी प्रकार के लेन-देन का मामला कर रहा है, ऐसी कोई शिकायत होगी तो पूरी सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, श्री गोतम लाल मीणा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो बीसी लगाये हैं, वह लोगों को अंगूठा लगवाकर कह देते हैं कि आपके पैसे खाते में आये नहीं। फिर वह बैंक में जाता है तो बैंक वाले उनको टरका देते हैं कि आपके पैसे बीसी देगा तो बीसी और बैंक के बीच में आप कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि एक बार में ही पेंशन को पंचायत मुख्यालय पर पहुंचाकर उनको पेमेन्ट हो जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है उसी बात को। एक तो बैंक अकाउन्ट से सारा पैसा भेज रहे हैं। कोई भी ले सकता है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेन्ट बैंक का ही प्रतिनिधि होता

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

है जो कोई नहीं आ सकता तो वह उसके घर जाकर उसको पेमेन्ट लेने का और देने का करता है। कोई भी शिकायत किसी बैंकिंग कोरेस्पोंडेन्ट की आती है तो निश्चित रूप से उसको वहां तक पहुंचाकर, उसके खिलाफ कार्यवाही हो और किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो। सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि पेंशन जिस भाव से शुरु की गयी थी, उस भाव से उस पात्र व्यक्ति तक पूरी पेंशन पहुंचनी चाहिए। समय पर पहुंचनी चाहिए। भामाशाह से जोड़ने के बाद ये शिकायतें समाप्त हुई हैं। एक तो समय पर पहुंच रही हैं और पूरी पेंशन पहुंच रही है। जहां 125 करोड़ रुपये का कमीशन बचा रहे हैं, वहीं समय-समय पर सरकार का विशेष ध्यान है। पिछली बार भी मुख्य मंत्रीजी ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की बात की। जितनी भी हमारी विधवा बहिनें हैं, उनकी 75 साल तक की उम्र पर एक हजार रुपया और उसके अधिक पर डेढ़ हजार रुपये और दिव्यांग जितने हैं, वह किसी भी उम्र के हों, उसको पांच सौ से बढ़ा कर साढे सात सौ रुपये किये। यह पूरी राशि उन तक पहुंचे, सुनिश्चित पहुंचे, समय पर पहुंचे, यह मंशा सरकार की है, मुख्य मंत्रीजी की है। हम भी उसको पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोई व्यवधान हो, कोई जानकारी आयेगी तो कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री कैलाश चौधरी।

मरुस्थलीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के नियमों में शिथिलता

192. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों की कमी होने के कारण योजना का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है?

(2) क्या सरकार बाड़मेर-जैसलमेर की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर नियमों में शिथिलता प्रदान कर प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक आंगनबाड़ी केन्द्र व अतिरिक्त मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) जी नहीं। राज्य के मरुस्थलीय जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

एवं पाली जिलों में कुल 9962 आंगनबाड़ी केन्द्र, 1111 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनसे योजना का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है।

(2) बाड़मेर, जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के मापदण्डों में शिथिलता प्रदान की गई है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र/ मिनी केन्द्र स्वीकृति के मापदण्ड परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। उसी मापदण्ड अर्थात् जनसंख्या के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में बाड़मेर में 3069 आंगनबाड़ी केन्द्र व 489 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं जैसलमेर में 663 आंगनबाड़ी केन्द्र व 169 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति का आधार जनसंख्या है न कि राजस्व ग्राम। अत: जनसंख्या के आधार पर ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आंगनबाड़ी में जैसा आदिवासी क्षेत्र, तटवर्ती, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र के दुर्गम स्थानों के लिए जो राइडर रखा है, उसमें से 300 से 800 की आबादी का रखा है और मिनी आंगनबाड़ी में 150 से 300 रखा है। क्योंकि यह रेगिस्तान क्षेत्र है और वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आंगनबाड़ी केन्द्र आज खोले जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से छोटे बच्चे, तीन साल के, चार साल के बच्चे होते हैं, वही आते हैं और उनकी वजह से, बहुत दूर होने की वजह से छोटे बच्चे उस आंगनबाड़ी केन्द्र पर नहीं पहुंच पाते। जिस उद्देश्य के लिए हमने आंगनबाड़ी केन्द्र सभी जगह खोले हैं, इनकी सीमा आपने रखी है जनसंख्या की, 300 से 800 के बीच में, क्या उसको 200 से 500 के बीच में रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए करने का विचार रखते हैं? साथ ही जो मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उसके लिए 150 की जगह 100 और 200 के बीच में, यह नया करने का विचार रखते हैं या राजस्थान सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखते हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मैंने सवाल के

(श्रीमती अनिता भदेल)

जवाब में ही बताया है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए शिथिलता प्रदान की हुई है पहले से ही। ढाणियों में जनसंख्या के लिए और आपने ही सवाल करते समय यह बात कही है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए 300 से 800 रखा गया है। क्या आप इसको 250 से 500 कर सकते हैं? तो आपका प्रस्ताव जो है, ये सारे नियम भारत सरकार द्वारा बनाये गये हैं तो अगर आप प्रस्ताव देंगे, जो आपने बात उठायी है, तो यह प्रस्ताव बनाकर हम राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजेंगे। यदि वह शिथिलता देते हैं इससे नीचे और जनसंख्या में तो, निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र पश्चिमी राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्र या रेगिस्तान में हैं, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर, जैसाकि पहले सुविधाएं पूर्व सरकार के समय नहीं थीं, अव्यवस्थाएं थीं। आंगनबाड़ी केन्द्र कागजों में चलते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को कि अभी जो आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, वह वास्तव में धरातल पर चल रहे हैं। उनका फोटो खींच कर, उसको अपलोड करके प्रदेश में भेजा जाता है जिसकी वजह से धरातल पर मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी यहां चलने लगी हैं जिनकी वजह से लोगों के अन्दर उत्साह आया है। वह चाहते हैं कि हमारे गांव के अन्दर भी आंगनबाड़ी केन्द्र खुले। मंत्री महोदय, आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान के अन्दर और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखते हैं? हम जब भी क्षेत्र के अन्दर जाते हैं तो वहां पर एक प्रश्न आता है कि हमारे यहां पर आंगनबाड़ी होनी चाहिए। इस महत्ती मांग को देखते हुए आप भारत सरकार से बात करके राजस्थान के अन्दर रेगिस्तानी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्र, जहां आवश्यकता है वहां पर और आंगनबाड़ी खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहूंगी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र को वास्तव में धरातल पर लाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति को सुधारने के लिए विभाग को बहुत सारा बजट दिया और उसी के कारण से आज आंगनबाड़ी केन्द्र आदर्श और नन्द घर के रूप में विकसित हो रहे हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं बाड़मेर जिले के बारे में बात करूंगी कि केयर्न एनर्जी कम्पनी द्वारा बाड़मेर में 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों को नन्द घर के रूप में बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): भारत सरकार का भी यही फोकस है कि सबसे पहले जितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं उन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती हैं, वो सेवाएं सुनिश्चित हों। वहां पर बच्चे आएं और जितनी सेवाएं हम मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से और आईसीडीएस के माध्यम से देना चाहेंगे, चाहे जननी सुरक्षा योजना को लेकर है, चाहे शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए है, तो सरकार का फोकस यह है कि हम सबसे पहले जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनकी सेवाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने की सुनिश्चितता करें कि वो सेवाएं 100 परसेंट पहुंचे और हम जो बच्चों की जन्म दर सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम जीवित जन्म जो सुनिश्चित करना चाहते हैं वो सुनिश्चित हो और उसी नाते से मैं सदन को भी ध्यान में लाना चाहूंगी कि भारत सरकार के इस्निप (ISSNIP) प्रोजेक्ट के द्वारा यह सारी चीजें हम सुनिश्चित कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए हमें बजट दिया है जिसमें प्रत्येक परियोजना स्तर पर हम आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बना रहे हैं।

आपने लास्ट में जो नये आंगनबाड़ी केन्द्र की बात कही है, उसके लिए मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि यदि भारत सरकार हमें स्वीकृति देती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री मेवाराम जैन। चन्द्रभान सिंह 'आक्या', इधर देखिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अतिरिक्त मिनी आंगनबाड़ी जो कई सालों से चल रही हैं, उनको क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं? जो राजस्व गांव हैं, कई ऐसे जो नये राजस्व गांव बन चुके, उनमें आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खुले हैं तो उनमें आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो क्षेत्र है, जब पंचायतों का पुनर्गठन हो गया तो आईसीडीएस का उसी पंचायत समिति के आधार से खण्डों को आप क्यों नहीं गठित करना चाह रहे हो और करोगे तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है उसका मैंने मूल प्रश्न में ही जवाब दे दिया है आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने वाली बात का।

दूसरी, आपने जो मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमोन्नत करने की बात कही है तो मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र उनकी जनसंख्या के अनुरूप ही खुले हैं इसीलिए वो मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, नहीं तो वहां मूल आंगनबाड़ी केन्द्र खुलते।

तीसरी बात आपने पुनर्गठन की कही है, जिस तरह से पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ है, यदि उस तरह से आप परियोजनाओं का पुनर्गठन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यह बात मान्य है और हमने पहले से ही दो साल से लगातार इस पर काम करते हुए पूरे पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं और उनको आने वाले समय में हम लागू करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार, पूरक प्रश्न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी, आपने पांच दिन पहले आंगनबाड़ी केन्द्रों की महिलाओं को बुलाकर यहां स्वागत कराया, यह कानूनी बात है या अपराध है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या प्रश्न हुआ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने पूरे राजस्थान से महिलाओं को बुलाकर यहां स्वागत करवाया। ये सरकारी खर्चे पर आयीं। (व्यवधान)

श्री धनसिंह रावत (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष जी, यह कौनसा प्रश्न है? यह जानबूझ कर व्यवधान पहुंचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने पूरे राजस्थान की महिलाओं को बुलाकर स्वागत करवाया, यह कानूनी अपराध है, जो कभी भी कानून में नहीं आता है। (व्यवधान) बीस-तीस हजार महिलाओं को लेकर आये, क्या है ये, ये क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पहली बार महिलाओं का मानदेय बढ़ाया गया है और यह महिला समर्थित सरकार है, आप लोगों की तरह नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पहली बार इतिहास में ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह महिलाओं के मान-सम्मान की बात है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): इस प्रकार का कार्यक्रम करके मुख्य मंत्री को धन्यवाद के लिए बुलाया ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने कानून का उल्लंघन किया है ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आंगनबाड़ी केन्द्र की महिलाओं का मानदेय बढ़ाया, वो अपनी इच्छा से धन्यवाद देने आयी थीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रवण कुमार जी, बैठिये। आ जायेगा, आपका जवाब आ जायेगा। सब महिलाएं आपकी तरफ आक्रामक हो रही हैं। जरा आराम से बैठ जाओ।

श्रीमती कमसा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मुख्य मंत्रीजी ने मानदेय बढ़ाया तो वो धन्यवाद देने अपनी इच्छा से आयी थीं, बुलाने से कोई नहीं आता है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब सुन लो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उनको नियमित करो न। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मानदेय से नहीं होगा, आपका घोषणा-पत्र यह कह रहा है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियमित करेंगे। आपने नियमित किया नहीं ...(व्यवधान) मानदेय बढ़ाकर आप कह रहे हो। नियमित करो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नियमित किया क्या? (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): घोषणा पत्र में नियमित करने का कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): मैं साथियों को यह बात स्पष्ट रूप से कह सकती हूं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने नहीं किया, हमने इसका भुगता। हमने नहीं किया तो हमने भुगता न। आप लोगों ने क्या किया?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रही हैं, उनको चुप कराओ। यह क्या बात है? (व्यवधान) यह चुप होते ही नहीं हैं। श्रवण जी, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने कहा था कि परमानेंट करेंगे, नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष: श्रवण कुमार जी, बैठिये। बहुत हो गया, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनसे नहीं बैठा जायेगा। साहब, यह महिला विरोधी हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह बात पची नहीं कि किस तरह से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने सरकार को धन्यवाद दिया इसलिए यहां पर यह प्रश्न खड़ा किया। चूंकि आपने इस तरह से इतनी संख्या में कभी मानदेय नहीं बढ़ाया। कभी नहीं बढ़ाया, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। यदि पिछले 15 सालों का बजट उठाकर देखें और जब आपका कार्यकाल था, अशोक जी गहलोत दो बार मुख्य मंत्री रहे, आप उनके दोनों टर्म के पांचों सालों के बजट उठाकर देखिये और फिर तुलना करिये, तब आपको खुद को महसूस हो जायेगा कि किस तरह से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने यह धन्यवाद दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार उनके इन्श्योरेंस की सारी राशि, प्रीमियम की जितनी राशि है वो भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार के ऊपर ली है कि इन्श्योरेंस की जितनी भी प्रीमियम की राशि है सरकार उसको लेगी और सरकार उसको जमा करायेगी तो यह पहली बार हुआ है। पहली बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए यह बात कही जा रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कांग्रेस सरकार के टाइम में आंगनबाड़ी केन्द्र शुरु हुआ था। यह आंगनबाड़ी केन्द्र कांग्रेस के टाइम में शुरु हुआ था ... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सुनने की क्षमता रखो, सुनने का माद्दा होना चाहिए आपके अन्दर। अब आप कुछ करते नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने 15 साल में देखा, हमने 40 साल में देखा है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पिछले साल जब आप यहां बैठे थे तब आपने क्या किया था? तब पूछते न, तब आप मुख्य मंत्रीजी से पूछते कि क्या कर रहे हो आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए? उनके भवन के निर्माण के लिए क्या कर रहे हो, उनके बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको 15 साल ही हुए, हमें 38 साल हो गये। कांग्रेस ने खोला था। कांग्रेस के द्वारा आंगनबाड़ी का जन्म हुआ था, हमारे द्वारा जन्म हुआ है। कांग्रेस के टाइम में ही जन्म हुआ था आंगनबाड़ी का। आपको मालूम तो नहीं था ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): इस धन्यवाद को आप नहीं पचा पा रहे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सुनो, धन्यवाद दो। धन्यवाद दो राजस्थान की सरकार को कि इतना बड़ा काम किया है। धन्यवाद दो।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हां।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कांग्रेस के टाइम में जन्म हुआ था आंगनबाड़ी का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कांग्रेस के टाइम कुछ भी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर श्रवण कुमार, मुझे आपको नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। यह तरीका नहीं है, आप दस बार खड़े हो गये। (व्यवधान) नो, सिट डाउन। मिस्टर गोविन्द सिंह डोटासरा।

प्रदेश में संचालित मेजर व माइनर खानें

193. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मेजर और माइनर खानें कितनी हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अवैध खनन और अन्य अनियमितताओं के लिए वर्ष 2015 से 2017 के मध्य कितनी पैनल्टी लगाई गई एवं अब तक उसमें से कितनी राशि वसूल हो चुकी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या सरकार द्वारा अवैध खनन और अनियमितता करने वाले खान मालिकों को पैनल्टी व ब्याज में छूट देना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) प्रदेश में प्रधान खनिज के 186 खनन पट्टे तथा अप्रधान खनिज के 15055 खनन पट्टे व 17899 क्वारी लाइसेंस स्वीकृत होकर धृत है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2015 से 2017 के मध्य अवैध खनन, निर्गमन व स्टाक से 605.36 करोड़ रुपये व पट्टेधारियों द्वारा अनियमितता करने पर 66.29 करोड़, कुल 671.65 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई एवं 82.75 करोड़ रुपये की कुल वसूली की गई। जिलेवार लगाई गई पैनल्टी व वसूल की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) अवैध खननकर्ताओं को पैनल्टी व ब्याज में छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खनन पट्टाधारियों, रायल्टी वसूली ठेकेदारों आदि के लिए पुरानी बकाया वसूली हेतु विभागीय बकाया एवं बकाया पर ब्याज माफी योजना वर्ष 2017-18 लागू की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 08 जनवरी, 2018 को विभागीय बकाया एवं बकाया पर ऋण माफी योजना 2017-18 का परिपत्र निकाला। इसमें स्पष्ट रूप से आखिरी में यह लिखा कि यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या इतने-इतने, दिनांक 03 जनवरी, 2018 को जारी किया गया है। उक्त आदेश अलवर एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र एवं माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लागू नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: पूछ लो, पूछ लो, समय खतम हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरक प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि क्या इन तीनों उप चुनावों में लाभ लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से यह योजना लायी गयी? आज की तारीख में क्या सरकार इन तीनों को भी इस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

योजना में शामिल करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? अगर नहीं रखती है तो क्यों? और अगर रखती है तो क्या उप चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह का लाभ देने की कुचेष्टा आपकी सरकार के द्वारा की गई, जो निंदनीय है। दोनों बात बता दो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्याज माफी की योजना थी यह प्रोसेस में थी। जब 08.01.2018 को यह आदेश लागू हुआ तो उस समय आचार संहिता थी इसलिए उन जिलों को छोड़ दिया गया और दूसरे जिले थे, उनके अन्दर लागू हुई है। जब आचार संहिता के बाद में, इलेक्शन खतम हो गया तो सबके ऊपर ही लागू हो जायेगी। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही तो मैं कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उप चुनावों में लाभ लेने के लिए इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से तीनों जगह, तीनों उप चुनावों में लाभ लेने के लिए आपने बनाया था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आप विराज जाइए।

आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोलें, आपने नाम पुकारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी यह कहा था कि कौनसे रूल्स में बोल रहे हैं ये? किस बात पर बोल रहे हैं? कल भी पूरे दिन व्यवधान रहा। अगर ये रूल 276 में बोल रहे हैं...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको प्रस्ताव पेश किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो, अध्यक्ष महोदय, फिर हमें भी अधिकार मिलेगा, हम भी इनसे सवाल कर पाएंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप अध्यक्षजी से ऊपर हो क्या? अध्यक्ष महोदय ने इनका नाम पुकार लिया, आप बड़े हो क्या इनसे? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप इनसे बड़े हो क्या?

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री मदन राठौड़, सरकारी उप मुख्य सचेतक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी, 2018 को संसदीय कार्य मंत्री, श्री राजेन्द्र राठौड़जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक, श्री मदन राठौड़जी ने बिना किसी नोटिस व पूर्व सूचना के एक अख़बार की कटिंग और कांट-छांट कर बनाए गए वीडियो के आधार पर मेरे ऊपर तीन करोड़ रुपए का सट्टा लगाने के असत्य और मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोप लगाये।

राजेन्द्र राठौड़जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ का सट्टा है और ये जीते हैं बीस करोड़ का सट्टा। ईडी कल छापे मारेगा, ईडी कल इनके खिलाफ छापे मारेगा और फिर यह आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया इसलिए मैं चाहूंगा कि ये स्पष्ट कर दें और पैसा जमा कराना चाहिए।

सरकारी उप मुख्य सचेतक, श्री मदन राठौड़जी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं सट्टा करते हो। यह बड़ा विचारणीय विषय है, आपको सट्टा नहीं करना चाहिए। काला धन कैसे सट्टे में लगा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष, काला धन है तो आप उजागर कर दो, जमा करवा दो, बात यहीं खतम हो जाएगी। जबकि सट्टे से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वीडियो 30 जनवरी, 2018 को नोखा में हुई एक पत्रकार वार्ता का है जिसे तोड़-मरोड़कर वायरल किया गया, मेरा सट्टे से कोई लेना-देना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई सट्टा नहीं किया। (व्यवधान)

एक मिनट रुको। यह प्रस्ताव है, प्रस्ताव है। मैं पढ़कर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यह बार-बार फरमाया था कि आप बिना नोटिस दिए बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको कहा था कि मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसके उपरांत भी संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक, श्री मदन राठौड़जी ने आसन के आदेश और विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 273 की अवहेलना करते हुए मुझ पर व्यक्तिगत लांछन लगाना जारी रखा और आसन के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् भी मुझे आपने बोलने नहीं दिया। इससे मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं अपने दल के दस विधायकों के समर्थन के साथ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 157 के तहत संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़जी के विरुद्ध यह विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं जिस पर आप द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम समर्थन करते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आपने रख दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं है। इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: न मैं इनको किसी को बोलने की परमीशन दूंगा, न अब आपको दूंगा। अब आप विराज जाइए।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 162 के अन्तर्गत विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को प्रथमदृष्ट्या जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु निर्देशित कर रहा हूं। 162 पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जवाब नहीं दे रहा।

श्री अध्यक्ष: दूसरे विषय पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने आसन से विशेषाधिकार समिति को मेरा और सरकारी उप मुख्य सचेतक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव सौंपा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा, मुझे वह आशंका पहले से थी। मैंने पहले दिन ही यह कहा था कि इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है। अब इन्होंने कहा, सट्टा इन्होंने लगाया नहीं, 45 मिनट की वीडियो को ...(व्यवधान) एक मिनट, ...(व्यवधान) तोड़-मरोड़कर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) इसके बावजूद स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आपने कहा कि कोई स्पष्टीकरण नहीं इसके ऊपर, यह मामला यहीं खतम हो गया। आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्रीजी, बार-बार कर रहे हैं। (व्यवधान) 16 तारीख को भी की है, आज भी कर रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन के अधिकार पर कुचेष्टा की जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने गृह मंत्रीजी को कहा है ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिए हैं कि इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोलेंगे उसके बावजूद बोल रहे हैं। आपके, अध्यक्ष के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी स्वयं पालना नहीं कर रहे हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सदन का क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है उसकी ...(व्यवधान) दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी बात को कोई मान नहीं रहा है। (व्यवधान) आपने कह दिया तो फिर डिस्कस किस बात की? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी इसके बाद ये इस तरह से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस पर एक बार व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान) अब इस पर वाद-विवाद की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपने स्वयं ने फरमाया, आसन ने फरमाया कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ...(व्यवधान) आपने नेता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रतिपक्ष को बोलने से मना कर दिया, आपको भी मना कर दिया, ये इस व्यवस्था को ही नहीं मान रहे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना की कद्र करते हैं ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस आसन का आदर करते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) आपने आदेश दिया कि कोई नहीं बोलेगा फिर किस बात की डिस्कस हो रही है?

श्री अध्यक्ष: बैठ जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सट्टा होता है क्या? राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में सट्टा होता है क्या? चूंकि सट्टे की बात आई है तो राजस्थान में क्या सट्टा होता है क्या? माननीय गृह मंत्रीजी, इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह डूब मरने वाली बात है कि आपकी सरकार में सट्टा होता है। आप ही स्वयं कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से आपके माध्यम से निवेदन है क्योंकि यह एक ऐसा संवेदनशील विषय है, प्रतिपक्ष के नेता ने अपने पर लगे आरोप का स्पष्टीकरण दिया। मैं यह कहता हूं कि वीडियो क्लिप गलत बन गई, टैम्परिंग हो गया या कुछ भी हुआ, इसका निर्णय कोई भी, आप और मैं बैठकर फैसला नहीं करूंगा, इसको एफएसएल को देने के लिए यहां हाउस में ले करवा दो। (व्यवधान) हाउस में ले के बाद इसकी जांच हो जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी कि समिति जांच करेगी, यह गृह मंत्रीजी कौन होते हैं जांच करने वाले? (व्यवधान) यह जब आसन की व्यवस्था हो गई कि कमेटी जांच करेगी, जब कमेटी को भेजा जा चुका है, ...(व्यवधान) आप अध्यक्षीय व्यवस्था को भी नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप स्वयं कह रहे हैं कि टैम्परिंग हुई है। (व्यवधान) इसकी एफएसएल से जांच हो जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं मान रहे हैं, आप अध्यक्ष पर लांछन लगा रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) आप यह भी कह रहे हो कि टैम्परिंग हुई है, आप यह भी कह रहे हो कि सही है ...(व्यवधान) इसकी जांच हो जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको आसन की व्यवस्था का आदर करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे साबित होगा कि नेता प्रतिपक्ष ने सट्टा लगाया था। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष ने सट्टा लगाया कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बिना कैसे साबित होगा? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वास्तव में सीडी की टैम्परिंग हुई या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, आसन की व्यवस्था का आदर करना चाहिए। आप तो वरिष्ठ सदस्य हो। आसन जांच के लिए भेजेगा तो जो होगा सो हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) आप एफएसएल से जांच क्यों नहीं कराना चाहते हो? ...(व्यवधान) गलती हुई है तो स्वीकार करो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब तक जांच नहीं होगी तब तक साबित नहीं होगा इसलिए जांच कराओ। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप आसन की व्यवस्था ... (व्यवधान) सदन की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 273 का नोटिस ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक अंबेडकर का वंशज देश की कुर्सी पर विराजमान है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हमने 288 के तहत नोटिस दिया था। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारों में कटौती करने का प्रयास कर रहा है सत्ता पक्ष। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अवैधानिक है, यह अवैधानिक है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें। मैं यह सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था का अनादर है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) मैं यह सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आप अनुमति दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बावजूद...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) हमने नोटिस दिया था। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को सत्ता पक्ष नहीं मान रहा है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इतना घबराते क्यों हो, जरा जांच कराओ न। एफएसएल की जांच कराओ न। घबराते क्यों हो? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच कराओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) हम टेबल करना चाहते हैं। हम टेबल करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को नहीं मान रहा सत्ता पक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष आसन की व्यवस्था को, आसन की गरिमा को तार-तार करने का काम कर रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, ये लोग आसन का अपमान कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष की कुचेष्टा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप न्याय करें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की सत्ता पक्ष अवहेलना कर रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 288- उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना:- यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के द्वारा आपके आदेश के बावजूद...(व्यवधान) आपके पद की गरिमा को खण्डित करने की चेष्टा कर रहे हैं ये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इस नियम के अन्तर्गत मैं इस सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, न्याय करिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। कृपया शांत रहें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर आक्या, बैठ जाओ आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नो, अभी बैठ जाओ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है आपके पास में है जो। पहले यह सारी व्यवस्था देख लीजिए। इसमें जो है, उसको पढ़ लीजिए, 162, 162 पढ़ लीजिए। सब पढ़ लीजिए 162.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक कहा आपने अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यह मेरा अधिकार है कि मेरे पास विशेषाधिकार प्रस्ताव आए, उसको मैं किस रूप में लूं और क्या आदेश दूं। इसमें जो आपने कहा गृह मंत्रीजी, वह भी आ जाएगा और जांच होगी विशेषाधिकार में, वह सब आ जाएगा। यह मेरा अधिकार है। मैंने एक रूलिंग दी है, इस रूलिंग पर आप सबको कायम रहना होगा। इसमें हो-हल्ले की जरूरत क्या है? 162 पढ़ लीजिए। यह आप विशेषाधिकार में देना। जांच होगी। जांच होगी विशेषाधिकार में। उसको पढ़ लीजिए पूरी तरह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया। एफएसएल की जांच की घोषणा कर दें आप। एफएसएल की जांच की घोषणा कर दें, बस इतना-सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विशेषाधिकार समिति इस पर प्रतिवेदन देगी, मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एफएसएल जांच के तो निर्देश दें आप। एफएसएल जांच कराने की।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एफएसएल जांच का बोल दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 162, शब्दावली समझ लीजिए। "अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना- इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच के लिए, अनुसंधान के लिए या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।" मैंने क्या अपराध कर लिया इसमें, दे दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: बस तो अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। कोई बहस नहीं होगी। अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं होगी बहस, बैठ जाइए। यह क्या मतलब हुआ? मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। इसमें जांच हो जाएगी, विशेषाधिकार समिति को भेज दिया मैंने। जांच हो जाएगी। या दे देना विशेषाधिकार समिति को, यहां पर नहीं। आप में बहुत उतावली है तो विशेषाधिकार समिति को दे देना यह। यहां पर नहीं। यह व्यवस्था है। नियम के अनुसार चलाना है मुझे हाउस को। मैं न इस पक्ष में हूं, न उस पक्ष में हूं। ये नियम हैं मेरे पास।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए। नो। विशेषाधिकार प्रस्ताव मूव करने का इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है। उस अधिकार का प्रतिपक्ष के नेता ने भी उपयोग किया है। आप भी किसी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहें तो ला सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब शांति से अगली कार्यवाही चालू करता हूं। इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए, बार-बार में खड़े हो जाते हैं। क्या होता है यह?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने मना कर दिया आपको। बड़ा ही उतावला हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं सदन को चलाऊं? अगर नहीं चाहते हैं तो मैं एडजर्न करने को तैयार हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सबके सहयोग से चलता है सदन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए आप भी। बार-बार आप जो है...नो। यह कोई

(श्री अध्यक्ष)

तरीका है? आप धमकी दे रहे हैं कि आपको पछताना पड़ेगा। आप वापस लें यह। मेरे सामने कैसे दे रहे हैं आप यह धमकी? बैठिए।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.18 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.18 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार नमस्कार। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बोलना चाहूंगी। मैं पाइंट आफ आर्डर पर बोलना चाहती हूं। मुझे आप दो मिनट का ही समय दो।

श्री उपाध्यक्ष: मैं स्थगन प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था दे दूं, स्थगन प्रस्ताव पर ये जब बोल लें, तब आपके पाइंट आफ आर्डर को मैं अनुमति दे दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गाड़ौलिया लौहारों को भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में।

(2) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में घग्घर नदी पर पुलियाओं का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े पदों को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा, 2016 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से न भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जन सहभागिता से संचालित गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में एम.बी.सी. वर्ग के

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त पानी दिये जाने के संबंध में।

(7) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से लोकायुक्त के 29वें प्रतिवेदन (2014-15) के पृष्ठ संख्या 116 से 144 तक में उल्लेखित दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में चक 17 एमएल की भूमि को भट्टा से निरस्त कर ग्राम पंचायत 11 एलएनपी को आबादी हेतु आबंटित किये जाने के संबंध में।

(9) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषक परमार राजपूतों के ओबीसी आरक्षण को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री रमेश, सदस्य की ओर से करौली जिले में बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कामिनी जिन्दल, श्री गिर्राज सिंह एवं श्री रमेश को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन था, बोलना था उस पर। एक बार देख लें, उपाध्यक्ष महोदय मेरा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीगंगानगर में चक 17 एमएल भूमि का आबंटन

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मेरे द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की अनुमति प्रदान की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में मेरी ग्राम पंचायत ख्यालीवाला में चक 17 एम.एल. का मैं विषय रख रही हूं। इस चक 17 एम. एल. में मुरब्बा नम्बर 5 और 6 के अन्दर ये आबादी जो है भट्टा कालोनी के नाम से जानी जाती है। करीबन 40 वर्षों से यहां पर लोग रह रहे हैं। घनी आबादी का यह क्षेत्र है। सुविधाएं बिजली, पानी की है, परन्तु यहां जो समस्या है, वह यह है कि अब तक यहां के लोगों को आवासीय पट्टे नहीं दिये गये है और जब भी पूछो तो कारण यह बताया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में इसको भट्टा बताया गया है, जबकि 1980 के अन्दर जमाबन्दी में यह राजरकबा भी था और आबादी इसमें दर्ज थी।

यहां पर इस कारण से किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं का चाहे केन्द्र की हों, चाहे स्टेट की हों, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पट्टा अभियान में भी यहां पर लोगों के पट्टे नहीं बन पाए हैं। इस कारण से चाहे हम स्वच्छता अभियान की बात करें तो ओ.डी.एफ. समस्त जिला भी हो गया है, हमारी विधान सभा भी हो गई है, पंचायत भी हो गई है, लेकिन इस उक्त कालोनी के एक भी घर के अन्दर शौचालय नहीं बन पाया है और लगातार तीन साल से हम पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का जो काम है, वह कछुए की चाल चल रहा है। कभी पटवारी के पास फाइल जा रही है, कभी तहसीलदार के पास जा रही है, और अब जब विधान सभा में लगाया है तो यह फाइल फाइनली तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर के पास पड़ी हुई है, परन्तु अब तक भी इस पर कोई कार्यवाही न करते हुए, इस भट्टा को निरस्त नहीं किया गया है, तो मेरी आपसे यही मांग है कि यहां के हमारे लोगों को जैसे कि सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त योजनाओं का लाभ मिल सके तो इस भट्टा को निरस्त किया जाए और साथ ही इसको ग्राम पंचायत के पास भूमि विस्तार के लिए आबंटित की जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाली माननीय सदस्या ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ख्यालीवाला, उसमें 17 एम.एल. एक चक है। उसमें मुरब्बा नम्बर 5, उसकी जमाबन्दी जो 1978 में हुई थी, उसमें राज रकबे में अंकित था और मुरब्बा नम्बर 6, जिसका उल्लेख माननीय सदस्या ने किया, वो रकबा गैर मुमकिन आबादी में था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, 23.08.1977 को मौके पर आबादी नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्समय ग्राम पंचायत और जिला कलेक्टर महोदय के यहां से जारी हुआ और उसके पश्चात् इस भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन प्रोजेक्ट एरिये में ब्रिक क्लिनिंग डिजेज कंडीशन 1966 की शर्त संख्या 6 के तहत जिमींदारा ईंट भट्टा सहकारी समिति लिमिटेड को श्रीगंगानगर में 10 वर्ष के लिए लीज पर आबंटित किया गया था, जिसका इन्तकाल भी अमल दराज हो रखा है। यह सही है कि अब वहां घनी आबादी बस चुकी है। वहां ग्रामीणों ने पानी और बिजली के कनेक्शन भी लिए हुए हैं। इसमें आवास बने हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान की सरकार ने एक दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान चलाया था। उसके तहत पूरे राजस्थान में साढ़े आठ लाख पट्टे जारी किये गये थे। उसमें 30.11.2017 को जो आदेश पूरे राजस्थान में लागू हुआ था पट्टा अभियान में पट्टे देने में, उसी के अनुसार अब इस चक में भी ग्राम सेवक और पटवारी की एक संयुक्त सर्वे कमेटी बनाकर, उसका सर्वे भी करेंगे और चूंकि आबादी मौके पर बस गई है, सर्वे की रिपोर्ट आने के पश्चात्, नियमानुसार जितने भी पात्रताधारी होंगे उनको पट्टा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह जी।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, जिला कलक्टर महोदय के पास है, सिर्फ जारी करना ही बाकी है आदेश।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट आ चुकी है तो मैं मंगवा कर देख लूंगा। आपने जो कहा, उसके अनुसार हम पट्टे जारी करेंगे।

कृषक एवं परमार राजपूतों को ओबीसी में आरक्षण

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने परमार राजपूतों को, कृषक राजपूतों को ओ.बी.सी में आरक्षण दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोग सर्विस में भी लग गये, काफी लोगों को सरपंची में, प्रधानी में भी मौका मिला, वे लोग पंच ही बन गये, कोई सरपंच बन गया, कोई वार्ड पंच बन गया और उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चैन्ज होने के बाद में पता नहीं किसके कहने से क्या हुआ? इन्होंने तत्काल प्रभाव से जो ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट बने थे, उनको निरस्त किया।

(श्री गिर्राज सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, काफी सरपंच हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ कि सरकार द्वारा सर्वे कराया जाकर, परमार एवं कृषक राजपूतों को आरक्षण दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने न तो आज तक कोई सर्वे कराया और जो जीते हुए सरपंच लोग थे, उनके चुनाव और निरस्त करवा दिये। उसके बाद में हम काफी बार मंत्रीजी से मिले, संसदीय कार्य मंत्रीजी से भी मिले, सिर्फ आश्वासन के अलावा अब तक हमको कुछ भी नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या चाहती है? चक्का जाम करने से ही सुनवाई होती है या गोली चलाने के बाद में सुनवाई होती है या शांतिपूर्ण तरीके से आपका कोई कालम नहीं है बी.जी.पी में। किसान पानी मांगते हैं तो आप गोली देते हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने आपसे रिजर्वेशन मांगा तो आपने उनको गोली दी। अब हमसे भी आप यही उम्मीद करते हैं क्या? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संग भेदभाव किया जा रहा है।

मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सवर्णों को 14 परसेन्ट आरक्षण दिया जाएगा। आज तक वह 14 परसेन्ट का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों तो इस सदन में घोषणा की जाती है और घोषणा की जाती है तो क्यों नहीं उसकी पालना की जाती है? माननीय मंत्री महोदय, आपने भी काफी बार चक्कर लगवाये हैं। काफी बार आपने आश्वासन दिया सिर्फ मीठी गोली देने के अलावा आज तक आपने, हमको कोई तसल्लीपूर्वक जवाब नहीं दिया, न अभी आपने कोई सर्वे कराया। क्या आप सर्वे कराने का विचार रखते हैं? हां तो कब तक सर्वे कराएंगे? और कब तक सर्वे करवा कर, आप लोग रिजर्वेशन को कब तक रखेंगे या नहीं रखेंगे? या आप उसको निरस्त करना चाहते हैं? तो आप कहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जवाब लेना चाहता हूं कि आप कब तक सर्वे करेंगे? या रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे? क्या करेंगे, मंत्रीजी जवाब दें?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों से बंधे होने के कारण मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। बाकी बहुत चीजें मिलाकर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें, सोरी-सोरी, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई चीज कई लोगों को देने की कोशिश की है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आरक्षण दोगे या नहीं दोगे, इनका स्थान मत बदलो आप।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, वो तय कर दिया बाड़ी में ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय जब चला, उसके बाद हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट का आदेश और उस हाई कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी एस.एल.पी. पैंडिंग है और इस कारण नियम 32 (2) सब-क्लाज 7 के तहत सबजुडिस होने के कारण से, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। बाकी खुद बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य लगातार मिल रहे हैं हमको अपडेटेड इस पूरे सब विषय को लेकर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो हाई कोर्ट ने आदेश किये हैं, वो यह किये हैं कि आप सर्वे कराकर अगर दुबारा से रिजर्वेशन दें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का बहाना मत लो मंत्री महोदय, हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में आप गये हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में यह नहीं लिखा है कि आप इनको रिजर्वेशन नहीं दें। मैं तो मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप उनका सर्वे कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप इस पाइंट पर आयें। आप भागने की कोशिश मत करो। आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करो। आप सर्वे कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और कराना चाहते हैं तो कितने दिन में सर्वे करायेंगे? यह बतायें। यह घोषणा करें कि इतने दिन में, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, कितना पीरियड लेंगे? आप यह बतायें। यह मत कहें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य, सिर्फ यह जवाब दो हमें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले ही इसके ऊपर इंटरिम आर्डर किया है और इंटरिम आर्डर के माध्यम से इसमें आगे इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ऐसा करके कोई इंटरिम आर्डर है। उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आयी है इसलिए मैंने कहा कि मैं केवल नियम की परिधि से बंधा होने के कारण, क्योंकि विधान सभा के नियम हम सबने पारित किये हैं इस कारण, नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका अगर मलिंगा जी चाहेंगे तो मेरे कमरे में आ जाएं, मैं सारी इनको, अभी भी घंटे भर पहले बात हुई है, कल भी बात हुई है, सारी चीजें बताई हैं। फिर भी आयेंगें तो सारी चीजें बता देंगें। यह राजनीतिक परिधि में लपेट करके सारे विषय को जिस प्रकार से...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय मंत्री महोदय, आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप इसका जवाब दें कि आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं और चाहते हो तो कब तक? मैं एक ही जवाब मांग रहा हूं आपसे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये सारे विषय को जिस प्रकार से राजनीतिक चश्मे में लपेट करके रख रहे हैं, आपकी जानकारी में है कि ओबीसी कमेटी में इस विषय को सरकार ने रखा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मुझे कोई लेना-देना नहीं है राजनीति से।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी जानकारी में यह भी है कि ओबीसी कमीशन ने स्वयं ने समाज के लोगों को भी नोटिस दिया है कि आप अपने पक्ष को रखें, तो ओबीसी कमीशन इस दिशा में...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय, आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं मात्र आपसे एक ही जवाब मांग रहा हूं। मैं दूसरा जवाब नहीं मांग रहा हूं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...और बिना ओबीसी कमीशन की रिकमंडेशन के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती और पिछली कांग्रेस सरकार ने किस तरह से इस सारे मामले को किया और कैसे उसको पूरा उलझाने का काम किया। कभी मौका मिला और बात होगी, आज केवल नियम की परिधि में नहीं होता तो मैं उनका भी जवाब आपको दे देता कि पिछली कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, जिसके कारण से ये सम्पूर्ण समाज आज वो चाहते तो इसकी पूरी जांच कर सकते थे सारे राजस्थान की। केवल एक राजसमन्द जिले का...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्री महोदय, आपसे एक ही जवाब मांग रहा हूं कि आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप सर्वे का जवाब दें कि आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मलिंगा साहब, आप सुनें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक ही जवाब पूछना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं जवाब दिला सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप जवाब चाहते हो वैसे नहीं दिला सकता।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि उन राजनीतिक विषयों को उछालूंगा तो कई चीजें बाहर निकलकर आयेंगी इसलिए इस चीज को वहीं ढंके रहने दीजिये कि उस सरकार के समय आपने किस प्रकार से सम्पूर्ण समाज को भ्रमित करने के लिए केवल एक जिले का सर्वे करा करके और भागती हुई सरकार में आपने सितम्बर-अक्टूबर के महीने में आदेश निकालकर यह कह दिया कि...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी तो भाग रहे हो। आपका भी तो पाटिया साफ हो रहा है। आप भी कह दो भागते हुए। हमने तो भागते हुए किया था आप भी भागते हुए कर दो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमने पूरा इसको ओबीसी कमीशन को दिया है कि सम्पूर्ण राज्य की रिपोर्ट बनाकर दे, केवल राजसमन्द जिले की जांच नहीं करायी। राजसमन्द जिले के लिए ही नहीं दिया और राजसमन्द जिले का जो था, उसका आदेश राजस्थान सरकार निकाल चुकी है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1999 से पैंडिंग है। 1999 से आज तक कलेक्टर सर्वे नहीं कर पाये हैं। सरकार का जवाब है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिलवाया। आप उन्हें जवाब के लिए बोलें। आप जवाब दिलवायें, सर्वे कब तक करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब सम्पूर्ण है यह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सर्वे का जवाब दिलवा दें माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सम्पूर्ण जवाब दे दिया न आपने।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लगभग, मैंने तो केवल राजनीतिक विषयों का, बाकी अगर सदन अनुमति दे तो पूरा वो विषय भी रखने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला सबजुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष: चूंकि यह विषय उच्चतम न्यायालय के यहां विचाराधीन है। एक सीमित परिधि में रहकर ही सम्माननीय मंत्री इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई संशय और है तो आप सम्माननीय मंत्रीजी से मिल लें और अपने संशय को दूर कर लें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं सिर्फ सर्वे की...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। एज ए मैटर आफ रिकार्ड इससे ज्यादा चीज मैं अब अंकित नहीं करवा सकता। श्री रमेश।

करौली में महिला उत्पीड़न की घटनाएं

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि करौली जिले में कुछ समय से महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लापरवाह है और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में पूर्णत: विफल रही है। अपराधी सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं, सभाओं में भाषण दे रहे हैं। पीड़िता और पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है। पुलिस थाना सपोटरा में 2 फरवरी, 2018 को एक दुष्कर्म की घटना हुई। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर नं.39/18 है। उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल भी हुआ, जो सबूत हैं वो भी पुलिस ने जब्त किये। 6 फरवरी को सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज हुए। पीड़िता ने बयानों में स्पष्ट रूप से आरोपी का उल्लेख किया। पुलिस ने अपना अनुसंधान भी करीब पूरा कर लिया है, लेकिन आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और अपराधी खुले आम सभाओं में भाषण दे रहा है। 11 फरवरी को सपोटरा के पास एक सभा में भाषण दे रहा है और कह रहा है कि सरकार और सरकार के सहयोगियों का मेरे ऊपर हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। परिवार मूकदर्शक बना हुआ है डराया धमकाया जा रहा है और उस सभा में कुछ पुलिस वाले भी मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं तो इस तरह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ रही है। यह किसके दबाव में नहीं पकड़ रही है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 फरवरी का केस है आज 20 फरवरी हो गयी, 18 दिन हो गये। खुलेआम अपराधी घूम रहा है। सरेआम भाषण दे रहा

(श्री रमेश)

है, उस भाषण की आप क्लिप चाहें तो मैं आपको सबूत के तौर पर टेबल कर दूं और खुलेआम कुछ सहयोगी लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो आपसे स्पष्ट अनुरोध है कि जो अपराधी है उसको तुरन्त गिरफ्तार किया जाए यह मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि करौली में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एज ए करौली जिले के रूप में अगर आप लें तो 2015 में हमारे यहां 505 दर्ज हुए और 2016 में...

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट मंत्रीजी, आप लम्बी-चौड़ी बात न बताएं। मैं एक एफआईआर 39/18 की बात कर रहा हूं कि अपराधी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा कौनसा दबाव है जो अपराधी खुले में सभाओं में भाषण दे रहा है? आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मेरा ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं इसलिए बता रहा था कि आपने विषय की शुरुआत करौली से की कि अपराध बढ़ रहा है। अगर आप यह नहीं पूछते और सीधा ही एफआईआर पर आते तो मैं सीधा ही आपका जवाब वहीं से शुरु कर देता। तो यह सच है कि अपराध निरन्तर घट रहा है और 9 परसेंट आपके यहां अपराध घटा है। जिस एफआईआर के बारे में आपने चर्चा की है, यह बात सही है कि 39/18 अन्तर्गत धारा 376, 456 आईपीसी में यह मुकदमा 2.2.2018 को दर्ज हुआ। दौराने अनुसंधान 164 के बयान महिला के हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट। आपका जो विषय स्थगन पर था वह तो महिला उत्पीड़न पर बढ़ते हुए अपराधों के संबंध में था। किसी एक व्यक्तिगत एफआईआर के संबंध में आपने स्थगन नहीं दिया था। आपने सम्पूर्ण महिलाओं पर उत्पीड़न की स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन दिया था।

श्री रमेश (सपोटरा): सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, चाहें तो और बता दूं मैं। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है यह।

श्री उपाध्यक्ष: मैं मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करूंगा कि पहले तो करौली में महिलाओं के उत्पीड़न की क्या स्थिति है वो आप पहले स्पष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वहां तक ही सीमित है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रस्ताव देखेंगे तो प्रस्ताव सिर्फ करौली में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न पर था।

श्री रमेश (सपोटरा): आप अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं यह ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह आसन किसी अपराधी को बचने नहीं देगा। एक मिनट। पहले आप एक बात को स्पष्ट कर लें कि जो आपने स्थगन पेश किया है आप उस स्थगन के माध्यम से और कोई बात उठाते हैं तो उसमें आसन अपने विवेक से उस पर भी निर्णय ले लेगा, लेकिन आप..., एक मिनट आप विराज जाएं। आपने जो स्थगन दिया था उसमें आपने महिला उत्पीड़न के संबंध में प्रथमदृष्ट्या यह बात कही थी, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, उसका भी स्पष्टीकरण दें कि वहां की आपराधिक परिस्थितियां क्या हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आप उत्पीड़न की परिभाषा बता दें अगर मैं कम समझ रहा हूं तो, मुझे बता दें, डिफाइन कर दें उत्पीड़न क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मैं आपको बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूं, न यह आसन आपसे अपेक्षा रखता है कि आप आसन से यह बात पूछे कि किसकी क्या परिभाषा है। आसन आपके वक्तव्य के लिये आपको अनुमति प्रदान करता है। आसन आपसे यह भी अपेक्षा करता है कि आपके वैचारिक कोई भी विषय है, उस विषय से संबंधित जो आचरण है उसकी परिपक्वता को स्पष्ट करने का उत्तरदायित्व मंत्री का है। लेकिन अगर आप यह सोचें कि आसन आपकी भावनाओं से केंद्रित होकर मंत्री से वह कुछ बात उच्चारण करा देगा जिसकी आप अपने अनुरूप अपेक्षा रखते हैं, यह आसन उतना नहीं बंधा हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनका प्रस्ताव ...

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय संसदीय मंत्रीजी, मैं गृह मंत्रीजी से जवाब जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप विराज जायें। संसदीय कार्य मंत्री ने अगर आसन से कोई अनुमति मांगी है तो यह आसन पर आप छोड़ दें।

श्री रमेश (सपोटरा): ये चौबीसों घंटे जो हरी किताब को लेकर खड़े रहते हैं, हमारे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, इनका काम ही यही है। यह व्यवधान पैदा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जायें। यह तो समय ने ही चौबीस घंटे दिया है, अगर समय 36 घंटे का होता ना तो यह हरी किताब ही लेकर खड़े होते क्योंकि इस हरी किताब से ही सदन चलता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय रमेश जी, आपको हरी किताब से एलर्जी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 50 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 50 में जो इन्होंने प्रस्ताव दिया और नियम 52 में उस प्रस्ताव को किस रीति से उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा है। उसमें अगर आप देखेंगे, नियम 52 का (3), "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।" यानी इन्होंने करौली जिले में महिला उत्पीड़न की बात की है, इसका पूरा फोकस महिला उत्पीड़न तक रहेगा। अब इस विषय में यह अन्य विषयों को उठायें, इसका स्कोप इतना विस्तृत कर लें कि उसकी आड़ में यह कुछ भी कहते जायें, कोई भी राजनीतिक निशाना साधने लग जायें, मैं समझता हूं कि एक तरह से यह सदन के समय के नुकसान होने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नियम 50 और 52 (3) को पढ़कर आप फरमायें।

श्री रमेश (सपोटरा): आपका अपराधी से संबंध है क्या इसलिए जवाब नहीं दिलवा रहे, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह बता दो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आसन किसी भी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की उत्तेजित भाषा से प्रभावित होकर कोई निर्णय दे दे। सम्माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं तो आपके दिये हुए स्थगन को भी मैं पढ़ दूं? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं जिस अंदाज में, जिस तरीके से आप आसन को संबोधित कर रहे हैं, इस प्रकार के किसी भी आचरण को आसन संरक्षण प्रदान नहीं करता।

श्री रमेश (सपोटरा): आप मेरे सवाल का जवाब दिलवा दें, दिलवाना है तो।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आप अपने दल के उप मुखिया भी हैं, आपके आचरण से आपके सम्माननीय सदस्य भी

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभावित होते हैं। अगर आप आसन से यह अपेक्षा करते हैं कि आपकी गरिमा को और आपकी मर्यादा को संरक्षण प्रदान करे तो आसन भी आपसे अपेक्षा करता है कि आप आसन की भी मर्यादा को संरक्षण प्रदान करें। मंत्री महोदय, 50 के स्थगन को सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न तक, सार तक आप सीमित रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिले में बढ़ रही महिला उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में स्थगन प्रस्ताव था। उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिले के महिला उत्पीड़न के वर्ष 2015 में 505 मुकदमे दर्ज हुए, 204 चालान हुए, 296 एफआर लगी और चार अभी पैंडिंग हैं। उसके बाद 2016 में 482, यानी 505 से 482 हुए, लगभग 4.5 परसेंट अपराध में कमी आई है। उसके बाद 2017 में 403 हुए जो लगभग 16.3 प्रतिशत अपराध में कमी आई। यही नहीं, महिला उत्पीड़न के जितने भी सैक्शन हैं, उन सभी सैक्शन में, 498 में, 201, 205, 142 एकदम डिडेक्शन है। 376 में भी 56, 80 और उसके बाद सीधे ही 68 है। 354 में 98, 73 और 54 डिडेक्शन है। 363, 366 में भी 94, 98 और 76, अर्थात् अपराध में निरन्तर तीन वर्षों से करौली जिले में हर वर्ष गिरावट आ रही है। अपराध हो रहे हैं, यह मैं न नहीं कह रहा हूं कि अपराध नहीं है पर जो आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर वह बढ़ नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार इस बात का भी प्रयास किया कि यह जो झूठे प्रकरण दर्ज कराते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये ताकि झूठे प्रकरण दर्ज कराकर लोगों को परेशान करने का जो कारण है उसमें भी, 2015 में हमने 26 प्रकरण ऐसे ढूंढे और उसमें से 5 में 182, 211 के तहत कोर्ट में कार्यवाही डाली है। 2016 में भी हमने 8 प्रकरण इसी प्रकार के डाले हैं जो झूठे हैं। इनमें भी हम प्रयासरत हैं। 2017 के मुकदमों में भी, संगीन धाराओं में तो मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में जाकर एफआर लग गई ताकि भविष्य में यह झूठे मुकदमे दर्ज करा किसी प्रकार से लोगों को परेशान न करे, उस कार्यवाही को हम कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे का उत्तर देने के लिये भी तैयार हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा उत्तर दिलवा दें। सवाल किया है, उसका जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको एक निवेदन करूं, आपका जो स्थगन था वह महिला उत्पीड़न के सार पर था। अगर आपने किसी एक व्यक्तिगत एफआईआर का उल्लेख कर दिया, आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि मंत्री महोदय तुरंत उस एफआईआर की जानकारी यहां बैठे-बैठे दे दें। आप अगर अपने स्थगन में उस एफआईआर का उल्लेख कर देते, किसी विषय वृत्तांत का उल्लेख कर देते तो उसकी जानकारी, फिर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं, आपके आचरण से तो मैं प्रभावित नहीं हूं और अगर आप इसका निरन्तर अनुसरण करते रहेंगे तो फिर इस शासन के कुछ ऐसे आचरण हैं उससे आपको प्रभावित होना पड़ेगा। मंत्री महोदय, अगर आपके पास यह जानकारी है तो आप फरमा दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम इस पुलिस विभाग में आदमी की भावना समझ जाते हैं कि वह चोट कहां करना चाहता है तो मैं उसका इंतजाम करके आया हूं। कोई चीज छिपाना नहीं चाहता हूं। अपराध हुआ है, अगर अपराधी है तो कार्यवाही सौ परसेंट करूंगा, यह मैं आपको सदन में आश्वस्त करता हूं। 39/18 मुकदमा दर्ज हुआ, 2.2.2018 को हुआ। इसमें 161 का बयान हो गया, कोर्ट में 164 के बयान हो गये। एफएसएल की जांच के लिये सैम्पल चला गया, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। निश्चित रूप से मेरा विभाग उसको अभियुक्त मानता है और उसको पकड़ने की कार्यवाही जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगी, निश्चित रूप से करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी, एक मिनट आप विराजें। आन ए पाइंट आफ आर्डर, आप फरमाओ। पाइंट आफ आर्डर है या पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है?

सूचना

जोधपुर में आरटीआई कार्यकर्ता नन्दलाल व्यास की गिरफ्तारी का तरीका अनुचित

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को जोधपुर की एक सूचना देना चाहती हूं। 17 तारीख को मिस्टर नंदलाल व्यास को पुलिस ने किस तरीके से गिरफ्तार किया और उसके घर गई। ऐसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करना पुलिस का कर्तव्य है, करें, कोई आपत्ति नहीं है, मैं पुलिस की कोई निंदा नहीं करती हूं, मगर गिरफ्तार करने का एक तरीका होना चाहिये। कितनी आरएसी ले गये वहां, कितनी पुलिस ने वहां घेराबंदी की। क्या वह कोई डकैत था, या कोई मर्डर किया हुआ था, कहीं डाका डाला था, कहीं चोरी की थी, कोई भ्रष्ट था क्या? उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसके घर का दरवाजा बंद था तो उसको तोड़ा और अन्दर गये। अन्दर जाने पर उसकी मिसेज बाहर आई कि आप किसलिये आये हो, क्यों आये हो? उसको धक्का मार दिया, एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार करना कतई उचित नहीं था। उसकी बच्ची के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया, यह तरीका उनका अच्छा नहीं था। मैं उसकी बहुत भर्त्सना करती हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं मंडोर थाने का जो अधिकारी है, उसको सस्पैंड करें, उसको लाइन हाजिर करें, उसको वहां से हटायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत बड़ी भारी पीड़ा है। आरटीआई में अगर उसने कोई पूछताछ की है तो क्या गलत काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी पीड़ा सुनो। उस महिला के साथ जो हुआ उसका मुझे बड़ा भारी दु:ख है। मैं यह नहीं कहती कि उसको गिरफ्तार क्यों किया, गिरफ्तार करने का जो तरीका था वह गलत था। किस तरीके से उसको गिरफ्तार करना चाहिए? दो आदमी भी उसको जाकर ले आते। वह कोई चोर नहीं था। उसने क्या किया? उसके ऊपर कोई ऐसा लांछन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावनाओं से मंत्रीजी अवगत हो गये। एक मिनट आप विराज जाओ। मैं कोई निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जिस विषय को आपने जिस रूल के माध्यम से उठाया, वह सिर्फ सूचना देने का रूल है, जिससे कि उसके माध्यम से मंत्री के ध्यान में कोई विषय आ जाये। अगर आपको इस पर कोई चर्चा करनी है या आप इस पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो कोई दूसरे नियम से आप पधारें, आसन आपको इस बात की अनुमति प्रदान करेगा, लेकिन पाइंट आफ इन्फोर्मेशन का बहुत ही सीमित

(श्री उपाध्यक्ष)

दायरा होता है। वह विषय आप मंत्री के ध्यान में ला सकते हैं। अगर हम इस पर विवेचना करके पूरा वक्तव्य देने लग गये तो यह विषय ही अपने आपमें, यह पूरा का पूरा जो विषय है और जिस प्रकार का नियम है, उसका उल्लंघन हो जायेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरी पीड़ा तो सुनेंगे। इस तरह से अगर वारदात हुई तो कैसे काम चलेगा? मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से यह कहना चाहूंगी कि वे अपना वक्तव्य दें और उच्च अधिकारियों से इसकी इनक्वायरी करायें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें और मुझे विश्वास दिलायें कि आगे क्या कार्यवाही होगी?

एक और बात, मैं अभी भूल जाती। आप तो टोक देते हो, मैं मेरी बात कहना भूल जाती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों ने और क्या किया? उस महिला के ऊपर पुलिस वालों ने राज कार्य में बाधा डालने का केस लगा दिया, जबकि कोई बात ही नहीं है। कोई घर के अन्दर जायेगा तो वह रोकेगी तो सही ना कि आप क्यों आये हो? इतने लोग कैसे आ गये? अपनी गलती छिपाने के लिये उसके ऊपर राज कार्य में बाधा डालने का केस लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगी कि सदन में आज कोई आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं this incident, this particular issue will not be taken as a precedent. एक एक्सेप्शनल केस में मैंने इस प्रकार के वक्तव्य की अनुमति दी है। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से इसका अनुसरण न तो बाद में होगा, न ही इसको उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया जायेगा। एक एक्सेप्शनल केस के अन्दर मैंने अनुमति दी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को कल पर्ची के माध्यम से कैलाश जी भंसाली ने उठाने का नोटिस दिया था। वे किसी कारण से बाहर थे। यह हाउस में नहीं आ पाया। मैंने केस को समझा, पढ़ा और मैंने जो जानकारी की। जो सूरसागर से आने वाली माननीया सदस्या कह रही हैं, उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। आपके बिना पूछे और बिना हाउस में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डिस्कशन हुए मैंने सैक्रेटरी (होम) को जांच अधिकारी नियुक्त करके आदेश जारी कर दिया है कि इस तरह से ताबड़तोड़ एवं इतना जल्दी-जल्दी करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी थी, इसके बारे में पूरा। इस केस में तफ्तीश कब चेंज हुई? मेरे यहां से वापस सी.आई.डी. में कब गयी? उसकी सूचना कब पहुंची? पहुंची तो कहां गयी, कहां नहीं गयी? क्योंकि वह केस मैंने यहां से 1 तारीख को ही ट्रांसफर कर दिया था। इस कारण से कि वहां कुछ लग रहा था कि इसको न्याय नहीं मिलेगा। मेरी उस सूचना का हमारे यहां सी.आई.डी. में इन्द्राज मिल गया कि 2 तारीख को पहुंच गया, लेकिन मैंने वहां के एस.पी. को भी और पाली के एस.पी. को भी, क्योंकि उसमें तीन केस थे, उन दोनों को भी सूचना दी थी कि मैंने उस केस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वे अपने रिकार्ड से नहीं बता पा रहे कि हमारे यहां रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। मेरे यहां से जो डाक से डाला है, डाक टिकट उस पर लगा हुआ है। प्रत्येक में पांच रुपया डाक टिकट लगा हुआ रिकार्ड मेरे पास है। इसलिये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें जहां भी जिस प्रकार की भी, जाने अनजाने नहीं, समझकर, जो गलती की है और जिस ढंग से उसके साथ व्यवहार किया है, उसके लिये मैंने आपके बिना कहे, बिना हाउस में उठे हुए, मैंने सैक्रेटरी को लगा दिया। वे जांच करके रिपोर्ट देंगे और जिसके खिलाफ भी दोष बनेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, इतने असहाय हैं। क्या इसलिए आपको 160-163 का बहुमत दिया था?

श्री उपाध्यक्ष: आपको यह बात कहने का साहस कहां से मिल गया?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं जो काम करता हूं, वह मन से करता हूं। आपके दबाव से नहीं करता हूं। आप चाहो तब खड़े हो जाओ, मेरे को किसी बात के लिये तैयार नहीं कर सकते हो। मैं जो सच समझूंगा वह मैं निश्चित रूप से करूंगा। चाहे आपकी तरफ से आये, गलती है, वह दंड भुगतेगा। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका मन कब बने, हमको क्या मालूम? इसके लिये क्या करना पड़ेगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज से ही डिमांड शुरु हो रही है और डिमांड पर काफी लोग बोलने वाले हैं। टाइम लगेगा, चूंकि बीच में सदन में

(श्री कालू लाल गुर्जर)

ब्रेकअप आ गया था, उसको बीच में सस्पैंड भी कर दिया था। इसलिये मैं आपको निवेदन करता हूं कि 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सबसे पहले तो मुझे यह सूचित करना है कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न सदस्यों के विषय प्राप्त हुए हैं:-

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के बावलड़ा बांध की खालियों को पक्का करने के संबंध में।

(2) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर को गडरा रोड तक पहुंचाने के संबंध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में झण्डा एवं मूर्ति खरीद प्रक्रिया में हुए गम्भीर भ्रष्टाचार के संबंध में।

(5) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जवाई पाइप परियोजना से पानी पहुंचाने में हो रही देरी के संबंध में।

(6) श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध की मुख्य नहर/माइनर का सुदृढ़ीकरण किये जाने के संबंध में।

(7) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता सिटी के बाहर रिंग रोड का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्कूल शिक्षा के व्याख्याताओं की वेतन विसंगति का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(9) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की पीपलू ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड, द्वारा संचालित चारा डिपो का बकाया अनुदान नहीं दिये जाने के संबंध में।

(10) श्री रामपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू

(श्री उपाध्यक्ष)

उपखण्ड मुख्यालय सहित समीपवर्ती गांवों में शेरगढ़ पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी स्थित मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व में बसे वनवासी ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के संबंध में।

(12) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आर.टी.आई. कार्यकर्ता श्री नन्दलाल व्यास से मारपीट किये जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मैं सदन से इस बात की आज्ञा चाहता हूं क्योंकि आज सड़क व पुल की मांगें भी हैं और बोलने वालों की सूची भी बहुत लम्बी है। अगर सदन की अनुमति हो तो इन 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(स्वीकृत)

295 को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी हुई मानी गयीं सूचनाओं के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 20 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 49 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण पार्टीबाजी के आधार पर होने से शिक्षकों में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।
श्री नन्द किशोर महरिया	प्रदेश में ग्राम पंचायतों पर लगे चौकीदारों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री अर्जुन लाल जीनगर	सर्वे सूची से वंचित व्यक्तियों द्वारा शौचालय बनाये जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री नानालाल अहारी	स्टेट हाइवे संख्या-53 के बीरवी चौकी, भीण्डर, सलूम्बर, कल्याणपुर ऋषभदेव के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, इसी मामले में शुक्रवार को स्थगन लगा था, जो आज स्थगन मैंने लगाया है। शुक्रवार को जब यहां से व्यवस्था दी थी तो हमारा स्थगन शुक्रवार को भी था। फिर कल हाउस नहीं चला और आज भी स्थगन था। यह महत्वपूर्ण मामला था।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बार निवेदन कर दूं। जो स्थगन अध्यक्ष जी की अनुमति से विचार पर लिये जाने थे। चूंकि आसन अध्यक्षीय अनुशंसा और उनके निर्णय से बंधा हुआ है। इस विषय पर आपको अगर कोई चर्चा करनी है तो आप अध्यक्ष जी से चर्चा कर लें। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा।

श्री उपाध्यक्ष: I will come to you.

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो कि आज सरकार में है, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान यह बात बड़े जोर-शोर से कही थी कि हम शिक्षकों की स्थानान्तरण की नीति बनायेंगे, पारदर्शिता के आधार पर उनका स्थानान्तरण करेंगे और सुराज संकल्प-पत्र में भी यह अंकित किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं, जो प्रतिबंधित जिलों के अन्दर कार्यरत हैं। किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल हो गये। कई असाध्य रोग से ग्रसित हैं। एकल महिलाएं हैं। बहुत ऐसे प्रकरण हैं जो कि सवा चार साल से आपसे स्थानान्तरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा दुःख हुआ कि जब हमारे पास 16 तारीख का एक इस प्रकार का आदेश आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षकों के लिए एक बहुत ही शानदार स्थानान्तरण नीति बनायी है।

(14.00 बजे)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नीति यह बनाई है कि मंत्री महोदय के यहां से एक आदेश निकलता है कि कोई भी पार्टी के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक अपने रिश्तेदार, अपना स्वयं का, अपने किसी पूर्व पदाधिकारी का स्थानांतरण अगर चाहते हैं तो वह हमें इस प्रोफार्मा में दें। बड़े शर्म की बात है कि सरकार सबकी होती है, सवा सात करोड़ जनता की है। सारा शिक्षक समुदाय आपकी तरफ देख रहा था। आपने जो वादे किए थे, जो लोलीपाप दी थी, असत्य वादे आपने किए थे कि हम प्रतिबंधित जिलों से स्थानांतरण का हटाएंगे, असाध्य रोग के पीड़ितों का स्थानांतरण हम पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। आज आप असाध्य रोग का बहाना लेकर बैक-डोर से स्थानांतरण कर रहे हो मंत्री महोदय। लेकिन उसमें भी केवल पार्टी के पदाधिकारी या विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का कहता है तो उसी का स्थानांतरण होगा। वह किस आधार पर कहता है, यह भी जांच का विषय है। उसी का स्थानांतरण होता है। आज सारा शिक्षक समुदाय आक्रोशित हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी बात कि मुख्य मंत्री कार्यालय से +++ कोई जन अभाव अभियोग के क्या हैं? वह भी यह कह रहे हैं कि सीएम साहब के, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर की पार्टी के पदाधिकारी अपने रिश्तेदारों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का.... तो यह नीति क्या उप चुनाव में दुर्गति होने के बाद में बनाई है। या पहले ही आपने जब सुराज संकल्प यात्रा प्रारम्भ की थी तभी यह बेइमानी आपके मन में थी? यह कम से कम इस तरह तो आप मत कीजिए कि प्रदेश की जनता आपको देख रही है। आपने सवा चार साल शिक्षकों को कोई न्याय दिया नहीं, असाध्य रोग से ग्रसित जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके हजारों की संख्या में आवेदन आपके पास में पड़े हैं। आप भेजते हैं सीएमओ को, सीएमओ वहां से छंटनी करता है। फिर पार्टी का पदाधिकारी +++ करता है या कैसे करता है, भगवान जाने। उस तरीके से करके और स्थानांतरण हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से बात को कहते-कहते पार्टी के पदाधिकारियों पर किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। एक्सपंज कराओ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके मंत्री महोदय ने और सीएमओ से आदेश निकले हैं कि केवल पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी के एमएलए अपने रिश्तेदारों का स्थानांतरण कराएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किस आधार पर आप कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या यही भारतीय जनता पार्टी की स्थानांतरण की शिक्षकों के लिए पारदर्शी नीति है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): भगवान भरोसे है। भगवान जाने, हम थोड़ी जानते हैं। भगवान का कहा है इन्होंने। भगवान का कहा है न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। यह सब पीड़ित हैं सर। इस भाजपा की स्थानांतरण नीति से सब पीड़ित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सब विराज जाओ एक बार। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं और प्रतिपक्ष के और पक्ष के दोनों सचेतक महोदय, आपसे कह चुका हूं। इस पर्ची के आप नियम बना दीजिए। आसन आपसे बार-बार आग्रह कर रहा है जिस कारण से पर्ची के माध्यम को स्वीकार किया गया था आसन द्वारा, उसकी गरिमा के अनुरूप, मतलब कोई भी चीज को हम उतने तक सीमित रखे। आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया। ऐसी संस्थाएं या ऐसे लोग जिनका इस सदन की सदस्यता से दूर-दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है, कम से कम अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनका उच्चारण या उनकी बात को हम यहां अभिव्यक्त क्यों करें? मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा, इसका जो सार है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया-अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से इन्होंने विषय उठाया है। मेरा स्पष्ट कहना है हमारी सरकार और शिक्षा विभाग ने सदैव तीन वर्षों में पारदर्शिता के साथ काम किया है। हमारे आने के बाद 1 लाख 9 हजार लोगों को हमने पदोन्नति दी और लगभग 40 हजार से अधिक लोग नए नियुक्त हुए। इस तरह 1 लाख 49 हजार अध्यापकों का आज तक के इतिहास में काउंसलिंग के माध्यम से हमने पदस्थापन किया। न कांग्रेस देखी, न बीजेपी देखी, न किसी का कोई विचार देखा। इसको देश भर में सराहा गया है और देश भर में कहा गया है कि काउंसलिंग के माध्यम से इसको आप करें। जब स्कूल खोलने की बात आई तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं देखा कि कौनसी विधान सभा है, किस दल की विधान सभा से जुड़ी हुई है। हमने सारी ग्राम पंचायतों में एक साथ स्कूल क्रमोन्नत किए। यह एक इतिहास बना है जो हमारी सरकार के

(श्री वासुदेव देवनानी)

समय हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ो आप, जब हमने तय किया असाध्य रोगों का करेंगे। उसमें भी हमने पूर्णतया दृष्टिहीन से लेकर अधिक दिव्यांग, असाध्य रोग कैंसर, उसमें किसी से नहीं पूछा कि कौन किस पार्टी का है। जिसके भी आवेदन आए, आप और हमने उसके किए हैं क्योंकि आप और हम जन-प्रतिनिधि हैं। रोजाना जन-सुनवाई करते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। आपके पास भी आवेदन आते हैं, मेरे पास भी आवेदन आते हैं। जितने लोग बैठे हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, सभी लोग मेरे से सम्पर्क करते हैं और जहां भी आवश्यक होता है विधि सम्मत वहां मैंने मदद करने का प्रयत्न किया है। मैं इससे ज्यादा किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। चूंकि उपाध्यक्ष जी ने कहा है, लेकिन एक चीज कहूंगा कि अभी बैन लगा हुआ है एक का भी ट्रांसफर किसी भी आधार पर नहीं किया है।

दूसरा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि परिवेदनाएं आपके पास में भी आती हैं। यदि आपके पास में आएं तो आप भी भिजवा दें। मैं उनको भी देखूंगा। लेकिन सारी की सारी विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आज भी आपने यदि अख़बार पढ़ा हो तो मैंने स्पष्ट कहा है कि बिना किसी भेदभाव के इन सारी परिवेदनाओं पर नियमानुसार विधि सम्मत मैं कार्यवाही करूंगा। आज तक किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण राजनीतिक व पार्टी के आधार पर नहीं किया है, न करूंगा। यह तो आप देखो अपने गिरहबान में, जब आपके मंत्री थे, उन्होंने, जब भी शासन आया हमारी पार्टी के लोगों को, या तो संघ के नाम से या पार्टी के नाम से उनको दूर-दराज क्षेत्रों में भेजा। यह मैं चुनौती देता हूं। राजनीतिक द्वेषता आपने की है। मैं चुनौती देता हूं मेरे आने के बाद राजनीतिक आधार पर एक भी ट्रांसफर न किया है, न आगे करूंगा। पीड़ित लोगों की परिवेदनाओं के आधार पर सबकी सुनूंगा, सबकी करूंगा। जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसका भी जवाब देने को तैयार हूँ। वह केवल आपसे अनुशंसाएं, आप भी दें, वह भी दें या किसी प्रोफार्मा पर दें। मैं सारी परिवेदनाओं पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। इसमें न पार्टीबाजी आई है, न पार्टीबाजी आएगी। इसका मैं सदन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय आपकी ओर से आश्वस्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इतना बड़ा आश्वासन आपको सदन के पटल पर मिल गया। अब उसके बाद क्या रह गया? कइयो को आपने नियम में बांध दिया। यहां 200 के 200 सदस्यों को आपने नियम में बांध दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा दिया है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो आपने आदेश पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मांगा गया, उसको विड्रा कर रहे हैं क्या? सबके लिए निकाल रहे हैं क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आदेश नहीं दिया है। आदेश बता दो। एक भी आदेश मेरे कार्यालय से जारी नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, अपनी कल्पनाओं को आप पंख क्यों दे देते हैं?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: श्री नंदकिशोर जी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के तहत मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: I will come back to you.

ग्राम पंचायत में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों को न्यूनतम से भी कम पारिश्रमिक

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुरक्षा रख-रखाव का कार्य जाब आउटसोर्सिंग के बेसिस पर करवाया जा रहा है। उक्त व्यक्तियों को 3822 रुपए वेतन पारिश्रमिक के तौर पर प्रतिमाह दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने, श्रम विभाग ने 16.01.2018 को एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के मुताबिक नई न्यूनतम मजदूरी की दरें अकुशल श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए 5538 रुपए प्रतिमाह है।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में आप बात न करें। मंत्री महोदय को सारा विषय अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में पैरा नंबर 39 में बताया है कि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 1 जनवरी, 2017 से 207 रुपए कर दी गई। इस हिसाब से इनका मानदेय 6210 रुपए होता है। इसके बाद भी इनको राशि कम दी जा रही है। सरकार के द्वारा ये काम लिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा ही वेतन दिया जा रहा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। फिर भी सरकार के जो सर्कुलर हैं या जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है, उसकी पालना नहीं हो पा रही है। यह बहुत ही अल्पवेतन भोगी कामगार हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से इनको पूरी राशि मिलना शुरु हो जाए। अभी दो तिहाई से भी कम मिल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के द्वारा जाब आउटसोर्सिंग के बेसिस पर जिन कार्मिकों को लगाया गया है, उनके वेतन के बारे में मामला उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, 12 नवम्बर, 2012 को जाब बेसिस पर सारी ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कार्मिकों को नियुक्त किया गया था। उसमें जो न्यूनतम मजदूरी थी, वह 147 रुपए थी। उसके अनुसार 25 दिनों के 3822 रुपए प्रति माह उनको मानदेय भुगतान करने का निर्णय हुआ था। यह सही है कि उसके पश्चात न्यूनतम मजदूरी बढ़ी और मानदेय में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, उसके अनुसार मानदेय में बढ़ोत्तरी के लिए हमने वित्त विभाग को पहले प्रस्ताव भेजे थे, उसमें वित्त विभाग ने कुछ क्वेरीज की है। हम उन सारी बातों को करके, विभाग की तरफ से एक बार परीक्षण कराकर, इनको न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 6210 रुपये मिले, इसके लिए अपना प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग बनाकर वित्त विभाग को भेजेगा। अगर उनसे हमें स्वीकृति मिल गई तो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई राशि हम उनको देंगे। इसमें कुछ लोगों की राशि बकाया भी है।

एक हाई कोर्ट का निर्णय भी है रिट संख्या 17668/2015, उसमें सेवा प्रदत्त कम्पनियों को यह कहा गया था आरटीजीएस से इनका भुगतान हो। पुन: इस निर्देश को मैं जारी कर रहा हूं कि सेवा कम्पनियां माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरटीजीएस से इनका भुगतान करे। जो बकाया भुगतान है उनको भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। हम एक बार प्रस्ताव बनाकर न्यूनतम मजदूरी के आधार पर, चूंकि 2012 को इनका वेतन, मानदेय फिक्स किया गया था, अब न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई, उसके अनुसार संशोधित करके इनको पुन: प्रेषित करने की, वित्त विभाग को भेजने का काम करेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय..

कपासन में शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी भुगतान में विलम्ब

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शौचालयों का भुगतान नहीं हो रहा है। पूरा चित्तौड़ जिला ओडीएफ हो गया। चित्तौड़ जिले का शौचालय बनाने का 2 लाख 64 हजार 519 का टारगेट था और 2 लाख 64 हजार 519 शौचालय बन गए। कपासन विधान सभा क्षेत्र में शौचालय की स्वीकृति जारी हुई थी वह भुगतान होना है लेकिन वह भुगतान नहीं हो रहा। हमारे तत्कालीन विकास अधिकारी जो भी रहे हैं उन्होंने अपनी फर्जी वाहवाही लेने के चक्कर में, 6 हजार 500 शौचालय नहीं बने, इसके बावजूद उन्होंने कम्प्यूटर के अन्दर आनलाइन प्रोग्रेस दर्ज करा दी। इस कारण से साढ़े छह हजार शौचालय बनने के बाद भी इन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। बार-बार यह पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में चक्कर लगा रहे हैं। हम भी गांवों में जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे शौचालयों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। 12-12 हजार रुपये का भुगतान तीन-चार साल से लोगों को नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से चलेगा।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। जल्दी से जल्दी इन लोगों को भुगतान करवाया जाए ताकि हम क्षेत्र में जाकर बातचीत करें तो लोग हमारे सामने यह समस्या नहीं लाएं। इसलिए मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि शौचालय आपके द्वारा, जिला कलक्टर के द्वारा बनाए गए हैं, बनवाने के लिए आग्रह किया, वह सब बन गए हैं। उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा इसका क्या कारण है, आप कब तक इस भुगतान को करवा देंगे? यह मेरा आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में एक बेस लाइन सर्वे हुआ था। पूरे प्रदेश में ऐसे परिवारों को चिह्नित किया गया था जिनके पास शौचालय नहीं है। उसके बाद शौचालय निर्माण के काम को आगे बढ़ाया गया था। 2012 के सर्वे के अनुसार राजस्थान में 79 लाख 83 हजार शौचालय का निर्माण होना था, अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

23.1-2018 तक उनमें से 77 लाख 27 हजार का निर्माण हो चुका है। यानी राजस्थान में मात्र 2 लाख 56 हजार परिवार ऐसे बचे हैं जिनके शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान में 43 हजार 519 गांव में से 38 हजार 654 गांव आज ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। 9 हजार 891 कुल हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 8 हजार 908 ग्राम पंचायतें भी ओडीएफ घोषित हो चुकी हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि कपासन के अन्दर, कपासन के अन्दर 2012 का सर्वे था उसके अनुसार 21 हजार 258 शौचालय बनने थे उनका निर्माण पूरा हो गया है। इन 21 हजार 258 शौचालयों में यह 6500 शौचालय ऐसे हैं जिनका भुगतान निर्माण होने के बाद नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी भुगतान करवाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है 21 हजार 258 के अलावा 6 हजार 500 शौचालय ऐसे हैं जिनका बेस लाइन सर्वे में नाम नहीं था, इसलिए इनका भुगतान होने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा भी कई जिलों में इस प्रकार की समस्या आई। हर ज़िले में उस बेस लाइन सर्वे के आधार पर जो शौचालय विहीन परिवार थे उनकी संख्या तो उतनी रहेगी पर कई जगह नाम डबल आ गए, या कई जगह नाम त्रुटि के कारण, कुछ लोगों के शौचालय पहले बने हुए थे उनके नाम आ गए। एडिटिंग करने का काम मैंने पूरे राजस्थान में प्रारम्भ किया है। एडिटिंग के आधार पर पूरे कैग के अन्दर, कोई संख्या में, कोई जगह मिलेगी तो निश्चित तौर पर भुगतान करवाएंगे। अगर 21 हजार 258 के इतर यह बने हैं तो थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर भी मैं दिखवाकर इसमें जो कुछ बन पड़ेगा, निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

राज्य राजमार्ग संख्या 53 की मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा स्टेट हाइवे संख्या 53 जो बीरवी चौकी, भीण्डर, सलूम्बर, कल्याणपुर और ऋषभदेव को जोड़ता है, यह 136 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बीरवी चौकी से सलूम्बर तक का रोड हो चुका है। सलूम्बर से लेकर इड़ालीखेड़ा लांदीदावड़ी तक

(श्री नाना लाल अहारी)

भी इसका निर्माण हो चुका है। 104 किलोमीटर सड़क यहां बन चुकी है। नेशनल हाइवे 89 और नेशनल हाइवे 8 को जोड़ती है, शेष सड़क 32 किलोमीटर बाकी रह गई है जो सलूम्बर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा को जोड़ती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह सड़क कब तक जुड़ जाएगी? इससे करीब-करीब चार विधान सभा का क्षेत्र भी जुड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी जोड़ने का आदेश कराएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही इस बात को रख दिया कि यह 136 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर तो एनएचएआई इसको संधारित करता है, वह 14 मीटर चौड़ी है। 73 किलोमीटर आरएसआरडीसी करता है वह सात मीटर चौड़ी है। इडालीखेड़ा से रजौल यह 17 किलोमीटर है जो अभी 3 मीटर चौड़ी है। दूसरी रजौल से ऋषभदेव एनएच आठ तक है जो 15 किलोमीटर है वह भी 3 मीटर चौड़ी है। 17 किलोमीटर इडालीखैड़ा से रजौल और रजौल से ऋषभदेव बताई है, यह हमने सीआरएफ में भेज रखी है, स्वीकृति आते ही उसका काम शुरु कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री गोपाल कृष्ण।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' 2017-18 (क्र. सं. 9)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 2017-18 के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या. You are on point of information.

सूचना

सोजत कृषि उपज मण्डी समिति यार्ड से मेहंदी के बोरे हटाने से किसानों का आर्थिक नुकसान

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इनफोर्मेशन के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि कृषि उपज मण्डी सोजत में निर्मित यार्ड में नीलामी चबूतरे से कृषि जिंस मेहंदी के बोरे, संबंधित विभाग द्वारा हटाये जाने को लेकर काश्तकारों, मजदूरों, दलाल

(श्रीमती संजना आगरी)

वर्ग के अन्दर रोष है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत विश्वस्तरीय मेहँदी के नाम से विख्यात रहा है। कृषि मण्डी में निर्मित यार्ड में काश्तकारों द्वारा लाए गए मेहंदी के बोरों को रखा जाता है जिनकी बिकवाली नहीं होने तक यार्ड में पड़े रहते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेहंदी की नीलामी व बिकवाली होने तक प्लेटफार्म यार्ड में मेहंदी के बोरे रखने का आदेश प्रदान करवाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: वैसे यह पाइंट आफ इनफोर्मेशन के माध्यम से आ नहीं सकता था लेकिन आसन ने अनुमति दे दी। आज बहुत-सी ऐसी अनुमति दी जा रही हैं जो नियम में तो नहीं है। मंत्री महोदय, अगर आप इसमें कुछ...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक सप्ताह से पूरी मण्डी खाली पड़ी है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सदस्या को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कृषि मंत्रीजी नहीं हैं, उनसे बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार चार याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास एवं जोधपुर तिंवरी से इन्द्रोका-माणकलाव तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास स्थित सड़क आर डी कि.मी. 190 से 204 आरजीएलसी एवं जोधपुर तिंवरी सड़क से इन्द्रोका-माणकलाव तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किए जाने बाबत।

(श्री जोगाराम पटेल)

लूणी के ग्राम बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में बस स्टैण्ड व यात्री विश्राम गृह बनाना

2. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम बोरानाड़ा मेन चौराहा एवं बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र झंवर फांटा पर बस स्टैण्ड, यात्री विश्राम गृह बनाने बाबत।

लूणी के राजस्व गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की मांग

3. विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजस्व गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने बाबत।

औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, पाल शिल्प ग्राम, दईजर मण्डोर में रीको द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना

4. विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, पाल शिल्प ग्राम, दईजर एवं मण्डोर में रीको द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दर्शनसिंहजी।

कोलायत जिला बीकानेर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र कोलायत, जिला बीकानेर में कतिपय स्थानों पर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

सूरसागर के चांदणा भाखर राजीव गांधी नगर कच्ची बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि आबंटन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चांदणा भाखर और राजीव गांधी नगर कच्ची बस्ती में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
आबंटन के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीपजी शर्मा।

कोटा शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ चिकित्सालय

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र कोटा (दक्षिण) में कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ चिकित्सालय खुलवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ताजी मेघवाल।

रामगंजमण्डी के मण्डाना की ग्राम पंचायतों में चम्बल नदी की सिंचाई परियोजना से किसानों का लाभान्वयन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मण्डाना एरिया की कतिपय ग्राम पंचायतों में चम्बल नदी की सिंचाई परियोजना बनाकर किसानों को लाभान्वित किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलालजी।

बिलाड़ा के ग्रामों के रा.उ.प्र. विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम बीनावास, बीरावास, सोवणिया, जसपाली, हर्ष, आदर्शनगरी बिलाड़ा, वार्ड नम्बर 10, पीपाड़ शहर, जालखा, जेलवा, रावर गांव, मुरकासनी, बड़ी कलां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव, जिस विभाग की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिये प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है।

जब मांग मतदान के लिये आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव, जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे। उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सकें, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक। प्रवर समिति को निर्दिष्ट 'दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017', श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट। मैं मेरी सीट से बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन इसको विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति दे रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने अनुमति ली है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष: आज बहुत विशेष कारण है, इसलिये आसन भी ज्यादा उदार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। (व्यवधान) आप सब विराज जाएं। आसन ने सिर्फ मंत्री महोदय को बोलने की इजाजत दी है। बाकी जो भी सदस्य बगैर अनुमति से बोले हैं, वह अंकित नहीं होगा।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रवर समिति को निर्दिष्ट 'दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017' को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट 'दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017' को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक सैकण्ड।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप जिस बिल को वापस ले रहे हैं, आप काइण्डली गौर फरमाएंगे, बिल वापस कोई और लिया जा रहा है और नाम दूसरे का दिया जा रहा है। आप देखें, 'दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017' को वापस लिया जा रहा है। और, नीचे क्या लिख रहे हैं, 'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।'

यह बहुत बड़ी एरर है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार आप विराज जाएं। मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रवर समिति को निर्दिष्ट 'दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017' को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री युनुस खान।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वापस लिया कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: ले लिया, पूरा ही ले लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आपने अनुमति, 'हां-ना' नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो गया था।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,20,71,08,000/- (पन्द्रह अरब बीस करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,55,44,10,000/- (इकसठ अरब पचपन करोड़ चवालीस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है। ये दोनों मांगें ऐसी हैं, जो प्रदेश के विकास को परिलक्षित करती हैं। अगर किसी राज्य की विकास की गति को देखना है तो पहली नजर पड़ती है सड़क पर कि वहां की सड़कें कैसी हैं। चाहे बाहर के प्रदेश से कोई भी व्यक्ति आता है और ज्योंही अपने वाहन से राज्य में प्रवेश करता है, सड़कें अच्छी होती हैं तो वहीं से प्रशंसा चालू हो जाती है कि राजस्थान की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अगर वहां खड्डे हों, सड़कें क्षतिग्रस्त हों तो जो पहली छवि बनती है, वह नकारात्मक बन जाती है। हमारे प्रदेश में सड़कों की क्या हालत थी। गुजरात की तुलना में हम सड़कों के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े जाने जाते थे। बस से कोई व्यक्ति अहमदाबाद से पाली आता था तो ज्योंही राजस्थान की सीमा चालू हुई, वह सीमा पर कोई साइन बोर्ड नहीं देखता था, न नाम पढ़ता था। पर बस में बैठा है, सड़क जब हिचकोले लेती थी तो उस समय कह देता था कि राजस्थान आ गया है। ऐसी छवि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उस समय बना रखी थी। लेकिन ज्यों ही हमको शासन का मौका मिला, हमने बहुत ज्यादा काम इस क्षेत्र में किये। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रदेश में पहली बार भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में यहां बी.जे.पी. की सरकार बनी और उस समय सड़क मंत्री थे माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी। पहली बार योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण हमारे गांव-गांव तक हो जाए, उसके लिए नीति बनाई। उसके पहले जब-जब भी कांग्रेस शासन रहा, सड़कें नहीं के बराबर थीं और सड़कें यदि कहीं थीं, कहीं कोई प्रभावशाली मंत्री होगा, प्रभावशाली नेता होगा या कोई बड़ा वोट बैंक होगा, उसको प्रभावित करने के लिए कहीं सड़कों का

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निर्माण करवाया होगा लेकिन बी.जे.पी. की सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने नीति लागू की राजस्थान में कि हम प्रदेश के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय तक डामर की सड़क बनाएंगे और उसमें कोई भेद-भाव नहीं है कि किसको वहां पर कितने वोट मिले या वहां कौन प्रभावशाली नेता रहता है या नहीं रहता है, इस बात की परवाह नहीं की। प्रदेश का प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़ना चाहिए और उस शुरुआत ने प्रदेश को सड़कों के मामले में काफी आगे बढ़ाया और उसमें कितनी सड़कें बनीं, कोई कल्पना नहीं कर सकते।

उसके बाद में जब दिल्ली में पहली बार हमको शासन का मौका मिला माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के नेतृत्व में, सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि पहला काम किया कि यदि देश को एक करना है, देश को जोड़ना है, देश की छवि पूरे विश्व में ठीक करनी है तो हमारी सड़कें ठीक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना दबाव था सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर, आवश्यकता थी कहीं सिक्स लेन की, कहीं फोर लेन की लेकिन टू लेन के बूते राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहे थे। अगर पाली से जयपुर आना होता था तो सात-आठ घंटे लगते थे और उसमें भी यदि सुरक्षित पहुंच जाए तो भगवान का शुक्रिया मनाते थे। मात्र राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने जो सड़कों का जाल बिछाया, चाहे सिक्स लेन हो, चाहे फोर लेन हो और कहीं-कहीं एट लेन भी हो, यह सारे हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है जिन्होंने पूरे देश को जोड़ दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सिक्स लेन बनी, यह फोर लेन बनी, यह एट लेन बनी इससे मात्र आवाजाही में ही सुविधा नहीं हुई बल्कि हजारों व्यक्ति जो टू लेन सड़कों पर चलते थे और उसमें इतनी दुर्घटनाएं होती थीं कि उनको जान गंवानी पड़ती थी और बाद में जब यह सिलसिला चालू हुआ सिक्स लेन का, फोर लेन का तो हजारों की संख्या घटकर वह दसियों में आ गयी, इतना अंतर हो गया, कई जानें भी इन सड़कों के माध्यम से बची हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की क्वालिटी, प्रधान मंत्री सड़क योजना में जो भी सड़कें बनीं या चाहे उसके पहले हमारे ललित किशोरजी चतुर्वेदी के कार्यकाल में जो भी सड़कें बनीं, क्वालिटी पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि एक बार सड़क बन जाए तो दस साल तक तो वह आसानी से चल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जाए। ज्यादा पैसा लगा उसकी परवाह नहीं की पर बेहतर गुणवत्ता की सड़क हमारे प्रदेश को उन्होंने दी, हमारे देश को उन्होंने दी।

यह सड़कों का सिलसिला जो हमारे काल में चला, अगर यही सिलसिला कांग्रेस लगातार बनाये रखती तो शायद एक भी गांव ऐसा नहीं होता जो सड़कों से नहीं जुड़ा होता। हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया पर कांग्रेस का जब-जब राज आया तो जो काम उनके हिस्से में आया था, वह नहीं कर पाए और इसीलिए आज भी यह मांग रहती है कि यह गांव सड़क से जुड़ना चाहिए, वह गांव सड़क से जुड़ना चाहिए।

मैं पुन: याद दिलाना चाहूंगा, मैं पहली बार 1998 में विधायक बना था, सरकार कांग्रेस की बनी थी। एक बार नहीं, अनेक बार मांग करते थे इस सदन के माध्यम से कि यह हमारी सड़कें चलने योग्य नहीं रही हैं, यह बहुत क्षतिग्रस्त हो गयीं, नान-पेचेबल से भी गयी-बीती हो गयी हैं लेकिन पांच साल तक एक ही जवाब कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। यह पांच साल तक हमने लगातार सुना और उन पाँच सालों में राजस्थान की सड़कों का जो बेड़ा-गर्क हुआ, उस समय सब लोग जानते थे कि कितनी हालत खराब हुई थी और उसके बाद देखिए, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने 2003 में शासन संभाला और 2003 में शासन संभालते ही जब लगा, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके पहले परिवर्तन यात्रा के कारण प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में वह खुद घूमी थीं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सड़कों की कितनी दुर्गति कांग्रेस ने बना रखी थी और उस समय परिवर्तन यात्रा के दौरान ही उन्होंने यह कह दिया था, वादा कर दिया था कि यदि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम सड़कों को ठीक करेंगे, उनको सुंदर और चलने योग्य बनाएंगे और ज्यों ही 2003 में हमारा शासन आया तो हमने पहला काम अपने हाथ में लिया सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का, उस दिशा में बहुत तेजी से काम किया। जितनी भी नान -पेचेबल सड़कें थीं, उन सारी सड़कों का नवीनीकरण करके हमने बिलकुल नई सड़क का रूप दिया। मुझे याद है, जब मैं गांव के दौरे पर जाता था तो जिस गांव में मुझे सड़कों की वजह से पहुंचने में कांग्रेस शासन में एक घंटा लगता था, हमारा शासन आया सड़कें बनीं तो उतनी ही दूरी हमने तीस मिनट में तय कर ली थी। वाहन भी खराब नहीं हुआ और समय भी बचा और उस दौरान

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जो नई सड़कों का सिलसिला हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने दिया, वह भी अपने आपमें एक रिकार्ड है। उतनी सड़कें 2003 से लेकर 2008 तक मिलीं।

मैं आंकड़े नहीं बताना चाहूंगा पर धरातल में जो देखा है शायद ऐसा स्वर्णिम काल पहले कभी नहीं आया जितना हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के काल में 2003 से 2008 में आया सड़कों के मामले में और प्रदेश को कितने मेगा हाइवे उस समय दिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने। जहां पर यातायात का दबाव ज्यादा है, परिवहन का दबाव ज्यादा है, भारत सरकार से पैसा नहीं मिल सकता तो हमने मेगा हाइवे अपने बजट के प्रावधान से करके वहां टू लेन या फोर लेन सड़कों का निर्माण करवाया जिसकी सुविधा आज भी आने-जाने वाले लोग ले रहे हैं। पर वापस वह ही हालत, हमारी सरकार गयी तो बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई थी 2008 में तो वही सड़कों की अनदेखी, सड़कों की ओर ध्यान नहीं। ज्यादातर योजना वह लेकर आए जिससे वोटर को लुभा सके। हमारा विकास दिख सके इस ओर चिंता नहीं की, उस ओर ध्यान नहीं दिया। वोटर को लुभाया कैसे जाए? मैं उन योजनाओं की बुराई नहीं करता, वह योजनाएं भी अच्छी थीं लेकिन जो सड़क-तंत्र हमारा महत्वपूर्ण अंग है, उसके साथ भी इनको न्याय करना था पर कांग्रेस शासन में नहीं हुआ और पांच साल के कांग्रेस काल में नवीनीकरण के नाम से जो बजट आबंटन किया गया, हमारी सरकार की तुलना में वह आधे से कम था। मिसिंग लिंक जो हमको दी गयी, उसका बजट भी आधे से कम था और उसी का परिणाम था कि वापस ज्योंही हमने शासन संभाला, तो हमको वापस वही क्षतिग्रस्त सड़कें मिलीं। जिनको हमने नया तैयार कराया था, वापस नया बनाने की जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आ गयी।

2003 से लेकर 2008 तक जो सड़कें हमने बनायी थीं, हमारी सरकार ने बनायी थीं, 2008 से 2013 तक वहां एक खड्ढ़े भरने का काम भी कांग्रेस के शासन में नहीं किया और 2013 में हमको वापस वही बदहाल सड़कें मिलीं और वापस हमने हमारी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और मांग की और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, कि वापस इन्होंने सड़कों की सुध लेनी चालू की और जितनी डिमांड हमने की, पूरी वह नहीं कर सके लेकिन अधिकांश काम उन्होंने हमारे कहने पर करने का प्रयास किया। पर इस बार बजट में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अब हमको क्षतिग्रस्त सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं कि कौनसी सड़क का नाम लिखकर दें। इतनी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्रों में सड़कें दी हैं।

मैं वहां ए.ईएन. को भी बार-बार कहता हूं कि आप देख लो कोई टूटी-फूटी हुई सड़क हो तो बता दो। अभी तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत उदारता से इस काम को हाथ में लिया है, कोई बाकी मत छोड़ना। इस बार जो इन्होंने हमको सड़कें दी हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे इसी काल में यह सारी सड़कें, जो क्षतिग्रस्त थीं, नोन पेचेबल थीं, उन सबका नवीनीकरण हो जाएगा और वही चमाचम क्षेत्र, वही चमाचम राजस्थान वापस दिखने लग जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और प्रगति की भी यहां बात आ जाती है। जब-जब कांग्रेस का शासन रहता है, अकाल पड़ता है। बरसात कम होती है और बरसात कम होती है तो सड़कें भी क्षतिग्रस्त तुलनात्मक कम होती हैं और वापस जब बरसात ज्यादा होती है और मैंने पहले भी कहा था कि पता नहीं हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इन्द्र भगवान पर क्या जादू कर रखा है कि जब-जब वह सत्ता में होती है, वह पूरी मेहरबानी हमारे प्रदेश पर करते हैं। मात्र वर्षा तक सीमित नहीं, अतिवृष्टि की नौबत भी पिछले तीन साल से लगातार हमारे क्षेत्र में आयी है और जहां अतिवृष्टि होगी, निश्चित रूप से उसका खामियाजा सड़कों को भुगतना पड़ता है। पानी बहता है, सड़क पर चलता है, डामर-पानी का बैर होता है और सड़कें टूटती हैं।

मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे आपदा मंत्रीजी को भी, कि अतिवृष्टि की वजह से जो-जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं और इनके नोर्म्स के हिसाब से जो-जो प्रस्ताव हमने भिजवाये थे, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कटौती नहीं की और समय पर राशि आ गयी और काम भी इतनी तेज गति से हुआ कि जो अतिवृष्टि से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, उनको बहुत कम समय में वापस दुरुस्त करके जनता को पूरी सुविधा देने का काम हमने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर कई बार देखने को आता है डामर की सड़क पूरी गांव को जोड़ रही है, कोई पेच भी नहीं है, खड्ढा भी नहीं है, जहां पानी का बहाव है, वहां रपट भी है, पर जब वर्षा की अधिकता होती है और बीच में कोई नदी-नाला होता है तो वहां रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय से, कि आप इन मार्गों को चिह्नित करवाओ कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जहां-जहां पानी की वजह से कोई मार्ग बाधित या अवरुद्ध हुआ है, वहां पुलिया नीचे है तो उसको ऊंचा करवा दो ताकि उस गांव का रास्ता बंद नहीं हो। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। मैं कुछ आपको कहना भी चाहूंगा।

एक बार हमारे माननीय प्रभारी मंत्री खुद बाढ़ के समय हमारे क्षेत्र में पांच दिन रहे थे। इन्होंने कई गांवों का दौरा भी किया। मेरे क्षेत्र का एक गांव है बागीर। वहां लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये मैं, हमारे प्रभारी महोदय और अधिकारी भी गये थे। पक्की डामर की सड़क बनी हुई है, पुलिया भी पक्की है पर पुलिया पर पानी इतना था कि गांव वाले एक तरफ और प्रभारी मंत्री और हम एक तरफ थे। गांव वालों ने हिम्मत करके हमारे पास आकर सहायता ले ली, वह अलग बात है, पर हम वहां नहीं पहुंच सके। आप ऐसे गांव चिह्नित कराओ, ऐसे मार्ग चिह्नित कराओ, ऐसी सड़कें चिह्नित कराओ, जहां आपकी अपनी सड़क बनी हुई है, जहां अपनी पुलिया बनी हुई है, रपट बनी हुई है। मेरा एक गांव और है लाम्बरा, वहां तीन महीने रास्ता बंद रह गया था, लोगों को घूमकर आना पड़ा था। रोहिट खांडी वाला गांव भी दस दिन बंद रह गया। बहुत प्रमुख मार्ग है, रोहिट डूंगरपुर है, वह भी बंद रह गया। विंजा जैतपुर है, वह भी बंद रह गया। मैं आपको इन सबके नाम दे दूंगा। यह ऐसे कुछ गांव हैं जहां सड़क पर ज्यादा पानी आने की वजह से आवागमन बाधित हुआ, आवागमन अवरुद्ध हो गया और गांव वालों को लम्बी दूरी तय करके अपने गांव तक पहुंचना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में भी काफी तकलीफ आती है। पहली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने शहरों में शहरी गौरव पथ दिये। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारी मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा कि ढाई करोड़ की राशि से गौरव पथ एक शहर में जहां नगरपालिका है, नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, पर शहर में आने के कई सारे मार्ग होते हैं। कम से कम तीन-चार मार्ग तो होते ही हैं, जो हाइवे को जोड़ते हैं।

पिछले बजट में एक शहरी गौरव पथ दिया था। जिस प्रकार आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौरव पथ देकर प्रदेश के गांव को विकास की दृष्टि से एक ऊंचाई देने का काम किया तो शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, उन मुख्य मार्गों को भी जो हाइवे से शहर को जोड़ते हैं, मैं उन मार्गों की बात कर रहा हूं, शहर के अन्दर की सड़कों की बात मैं बिलकुल नहीं कर रहा, जो मुख्य

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मार्ग हैं, जो हाइवे से शहर को जोड़ते हैं, वहां भी यदि कोई राशि का प्रावधान आप कर देंगे न, तो जितने भी शहरी एंट्रेस हैं, वह सुंदर बन जाएंगे।

मैंने बात की थी ग्रामीण गौरव पथ की। कैसी कल्पना हमारी मुख्य मंत्रीजी की थी कि ग्रामीण क्षेत्र जहां के मुख्य मार्गों पर हमेशा कीचड़ रहता है, वहां की सड़क टूटी हुई होती है और शहरों की सड़कें चमाचम होती हैं, अच्छी होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम होना चाहिये कि जिससे महसूस हो कि सरकार भी हमारे लिये पूरी तरह से चिंतित रहती है और जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उन पर 60 लाख की राशि का एक ग्रामीण गौरव पथ, शायद देश में कहीं भी ऐसी योजना लागू नहीं हुई होगी जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहां लागू की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे क्षेत्र में बाढ़ आयी थी, अतिवृष्टि हुई थी तो माननीय मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में पधारे थे। आपने हालात भी देखे थे। आपने एक बार पेश करा दी, मोटरें उपलब्ध करवा दीं, उसके लिये आपको धन्यवाद पर जो गम्भीर समस्या आपकी जानकारी में वहां आयी थी, मेरा निवेदन रहेगा उस गम्भीर समस्या को आप गम्भीरता से लेना, और जब आज आप रिप्लाई दो तो मुझे मेजें थपथपाने का पूरा मौका आप देना, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आपने वहां जो प्रेस के सामने टी.वी. में इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के दौरान आपने जो-जो घोषणा वहां की थी, उनकी स्वीकृति की भी आज यहां अनाउंस करके कल मुझे लैटर पकड़ा देना ताकि मैं पाली जाऊं तो वहां कह सकूं कि नहीं, वह सारे के सारे काम आपके हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाकई में जो काम हमारी सरकार ने किया है, राजस्थान की जनता इसको याद रखेगी कि सड़कों के मामले में ऐसा काम पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे 2003 से 2008 तक हो और 2013 के बाद के हमारे चार साल। मैं बार-बार आभारी हूं। धन्यवाद दूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे सड़क मंत्रीजी को, कि जिन्होंने हमारे यहां की सड़कों की मात्र हालत ही नहीं सुधारी, गुणवत्ता वाली सड़क बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भी सड़क सुविधा का पूरा लाभ लेने का काम किया है, उसके लिए आपका आभारी हूं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अनुरोध एवं मांग

नेता, प्रतिपक्ष पर लगाये गये आरोपों के संगत पत्रों को सदन पटल पर रखने की अनुमति

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 288 व 289 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। मैं साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप 288 पढ़ो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, 288 में यह है कि :

'**उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना**- यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा:

उपाध्यक्ष महोदय, इसके आगे भी है,

'परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित में प्रतिकूल होगा;

परन्तु यह भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत-पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।'

उपाध्यक्ष महोदय, 289 में है कि:-

'**सदन की मेज पर रखे गये पत्रों व अन्य वस्तुओं के साथ व्यवहार:-** (1) मेज पर रखा जाने वाला पत्र या दस्तावेज उसे मेज पर रखने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।

(2) मेज पर रखे गये सभी पत्र, दस्तावेज या अन्य दूसरी वस्तुएं सार्वजनिक समझे जायेंगे और अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना न वापस लिये जाएंगे और न ही लौटाये जायेंगे।' यह है मेरा तो।

श्री उपाध्यक्ष: 288 का मोशन कौन मूव कर रहा है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मूव कर रहे हैं या उप सचेतक महोदय मूव कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम दोनों कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह लगन का गुड़ है क्या जो दोनों बांटोगे?

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपका संयुक्त है तो मंत्रीजी, He will take the initiative because he is senior in this. मूव करो। (व्यवधान) आप विराज जाओ। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप कुछ फरमाना चाहते तो आप फरमाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस आधार पर बोल रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा, जो नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के ऊपर अपनी व्यवस्था दे दी गयी और इसी आसन ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह अंकित किया है कि अब कोई इस पर चर्चा और विवाद कुछ भी नहीं होगा। जब माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था आ गयी। उसके बाद माननीय उप सचेतक महोदय और संसदीय कार्य मंत्री महोदय किस बात को, प्रकरण ही नहीं है, एक अध्यक्षीय व्यवस्था आने के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं विद्वान हैं, अध्यक्षीय व्यवस्था को उपाध्यक्ष चेंज नहीं करता कभी भी, और आप तो कभी नहीं करते क्योंकि आप तो स्वयं जानते हैं नियमों को। इस प्रकार से व्यवस्था और परम्परा गलत नहीं डाली जाए जिससे सदन की गरिमा गिरने में संसदीय कार्य मंत्री का कभी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, न अध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती है, न दूसरी कोई बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं में 289 (क), अगर इसको आप पढ़ेंगे, 'प्रक्रिया जब कोई मंत्री उसे दी गई सलाह अथवा राय का स्रोत प्रकट करे', उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास स्रोत है। उस स्रोत के अन्दर मेरे पास वह सीडी है, जिस सीडी के ऊपर विधान सभा दो दिन तक बाधित रही, उसका सारा प्रकटीकरण है। 289 (क) में मेरे को यह अधिकार है। अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं?

'यदि किसी प्रश्न के उत्तर में अथवा वाद-विवाद के दौरान कोई मंत्री किसी सरकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसे दी गयी सलाह अथवा राय को प्रकट करता है तो साधारणतया सम्बद्ध दस्तावेज अथवा दस्तावेज के वे भाग जिनमें सलाह अथवा राय समाविष्ट हो अथवा विवरण सदन की मेज पर रख सकेगा।'

मेरे पास दस्तावेज, डाक्यूमेंट, सब चीजें उपस्थित हैं इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैंने विधिवत रूप से 288 read with 289, मैंने और उप मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव रखा है। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एक हमारे पास जो डाक्यूमेंट है, जिसके अन्दर दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा और हमेशा के लिए राजस्थान की जनता को मालूम पड़ जायेगा कि प्रतिपक्ष के नेता का इस सट्टेबाजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर वह फेब्रिकेटेड है तो वह एफएसएल में चली जायेगी और एफएसएल जांच करके सारी बात कह देगा। अगर दोषी होंगे, विशेषाधिकार समिति नहीं, माननीय सदस्य को यह अधिकार भी देता हूं मैं, हालांकि सदन में कही हुई बात पर मानहानि नहीं हो सकती, अगर आप चाहें तो बाहर जाकर वक्तव्य भी दूंगा, उस पर मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दें। कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने और उप मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है, हमें अनुमति प्रदान करें कि हम उसको टेबल कर दें। अगर आप अभी निर्णय नहीं दें तो निर्णय सुरक्षित रख लें। कल आप निर्णय दे दें लेकिन अभी तो हमें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Let him finish. I will give you time. आप विराज जाओ। कोई भी बात हो तो मैं आपको समय दे दूंगा। Let him finish.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी-सी है कि जो प्रस्ताव आसन के सम्मुख हमने प्रस्तुत किया है और जिसके अन्दर हमने दो रूल कोट किये हैं, इसके साथ-साथ जो चीज हम टेबल करना चाहते हैं, सिर्फ इसकी अनुमति दे दें। उसके बाद अपनी व्यवस्था आप चाहें कल दे दें, परसों दे दें। आसन के सामने हम क्या हैं उपाध्यक्ष महोदय? आसन जो भी व्यवस्था देगा, वह शिरोधार्य है। अगर आप इसको भी विशेषाधिकार समिति को भेज देंगे तो विशेषाधिकार समिति साक्ष्य के तौर पर इसका भी इस्तेमाल कर लेगी। कोई दिक्कत नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में आपकी कृपा से मैं भी पिछले तीस साल से आ रहा हूं। यह पहली बार है, चलते सत्र के अन्दर विशेषाधिकार प्रस्ताव आया हो, हम इसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि नियमों में विशेषाधिकार का प्रस्ताव जो हमारे विरुद्ध आया है विशेषाधिकार हनन का, उसको स्वीकार करते हैं। समिति यदि सम्मन करेगी, समिति के अध्यक्ष महोदय के सामने अपना प्रस्तुतीकरण देंगे, पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह छोटी बात नहीं है। यह राजस्थान की विधान सभा की कार्यवाही में सब चीज अंकित हो रही है। राजस्थान की विधान सभा के संसदीय इतिहास के अन्दर इन बातों को आने वाले लोग पढ़ेंगे। जो प्रस्ताव हमने रखा है, अगर नियमों के अनुकूल नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है। अगर हमारा प्रस्ताव नियमों के अनुकूल नहीं है तो आप उस पर अपनी व्यवस्था फरमा दें परन्तु हमारा यह अधिकार तो था कि हम आपके सामने नियमों के अन्दर, जो हमारे पास एक दस्तावेज है, मेरी चुनौती है, हमारे पास वह पेन ड्राइव है, जिसके अन्दर सारी चीज अपने श्रीमुख से बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता की स्वीकारोक्ति है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अनुमति प्रदान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुबह जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी थी, आप वरबेटम निकाल कर देख लें, उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने यही मांग उठायी थी तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि आप विशेषाधिकार समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से माननीय रमेशजी के विरुद्ध में जो विशेषाधिकार है, उसमें माननीय भंवर सिंहजी भाटी हमारे सदस्य से यह पूछा गया समिति के द्वारा, कि आपके पास कोई साक्ष्य हों तो प्रस्तुत करें। रमेशजी को पूछा गया कि आपके पास में कोई संबंधित कोई साक्ष्य हों तो प्रस्तुत करें। अध्यक्षजी ने अभी सुबह ही फरमाया, अपने श्रीमुख से व्यवस्था दी है अध्यक्षीय आसन से, कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है, क्योंकि उप मुख्य सचेतक महोदय, मोबाइल जो सदन में प्रतिबंधित है लाना, वह लाकर पेश कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया आसन की व्यवस्था हुई है कि आप जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह समिति में प्रस्तुत करें और समिति उसकी जांच करेगी। यहां टेबल करने का कोई प्रावधान नहीं है, आप स्वयं जानते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस माहौल को वापस गरमाने के लिए, अपने दामन को बचाने के लिए जो कुकृत्य आपने किया है तो उसका खामियाजा तो आपको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुकृत्य किया है। एक सीधे-साधे इन्सान को बदनाम करने का काम किया है। अध्यक्षजी ने आपसे नाराज होकर एक घंटे के लिए सदन को स्थगित किया है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है संसदीय कार्य मंत्री के लिए, एक सरकार के लिए। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे कृपया। आप पर तो आरोप है। इसलिए जो अध्यक्षीय व्यवस्था दी है सुबह, आप निकालकर देख लें। अध्यक्षजी ने यह फरमाया है, इन्होंने यह मांग वहां भी की थी। उन्होंने डिनाई करते हुए यह कहा है कि यह जो साक्ष्य आप कह रहे हो, मैंने व्यवस्था दे दी, आप समिति के समक्ष प्रस्तुत करो। तो अब इसके बाद दूसरी व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इतने विद्वान हैं कि आप दे ही नहीं सकते इस तरह की, क्योंकि परम्पराएं आप तो नई बनाते हैं, अच्छी, जन हित के लिए। आप तोड़ने का काम नहीं करते। हम विपक्ष को पूर्ण विश्वास है, आपकी विद्वता और आपके निर्णयों पर। इसलिए हम तो इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद ही नहीं करते थे। हम तो राठौड़ साहब, आपसे कुछ सीखने की उम्मीद करते हैं और आप इस तरीके से बौखला गये कि पूरी संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करने पर उतारू हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कभी भी मंजूर नहीं किया जा सकता।

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है, सदन के अन्दर जब यह चर्चा चल रही थी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट चालू हो गयी, उसके बाद कहां से लेकर आये हैं?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाओ। मंत्री महोदय अपनी बात को स्पष्ट करने में सक्षम हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब डिबेट चालू हो गयी...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ I will give you a chance. मैं आपको मना नहीं कर रहा। The question is open to the House, I will give them in case of anyone wants to speak एक बार मंत्री महोदय को प्रिसीडेंस है इसलिए है कि he will be allowed actually to speak

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण विषय नहीं है। इसी विषय को लेकर कल पहली बार इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में सदन की नेता बजट का रिप्लाई करे और यह सारे माननीय सदस्य वैल में आकर और उनको बोलने नहीं दे, यह इतने उत्तेजित थे।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जब आज यह मामला सदन में आया उसमें जब इन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो मैंने यह मांग की थी कि इसकी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट कराओ, पर उस समय आसन की तरफ से यह व्यवस्था थी कि आप किन नियमों के तहत यह कह रहे हो, वो नियम बताओ। और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, उसी समय रिकार्ड पर है, 273 का नोटिस हमने दिया था। मैंने उस वक्त भी कहा था अगर माननीय सदस्य रूल 276 के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इन्होंने अपनी बात को कहने की आड़ में सदन का दुरुपयोग करके अचानक प्रस्ताव लेकर आ गये।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव छोटा प्रस्ताव नहीं है, इस प्रस्ताव में सज़ा का प्रावधान भी है। इसलिए मुझे मेरे बचाव करने का मौका, आप आसन पर विराज रहे हैं, मेरे पास कोई डोक्युमेंट है, मैं साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इतनी ही तो अनुमति मांगी है और उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की अध्यक्षीय व्यवस्था है, अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्था हैं। इसी सदन के अन्दर कई चीज सदन की टेबल पर रखी गयी हैं, कई डाक्युमेंट सदन की टेबल पर रखे गये हैं। कई बार फसल खराब होती थी तो माननीय सदस्य फसल के कुछ अंश को लेकर आते थे और यहीं टेबल करते थे।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कोई नई परम्परा नहीं डाल रहा हूं, यह पुरानी परम्परा है, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में है, रूल्स में है इसलिए हमें अनुमति दी जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अब कोई विषय ही नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने श्रीमुख से यह व्यवस्था दी है कि आप जो कुछ भी पेश करना चाह रहे हैं, समिति के समक्ष प्रस्तुत कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मंत्रीजी ने नहीं कहा था उस समय, उस समय तो मैंने कहा था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, मंत्रीजी तो बोले ही नहीं इस इश्यु पर, वो तो अभी बोल रहे हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली बात ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी ने कहा था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या बात करते हो, मंत्रीजी को नहीं कहा कि बैठ जाओ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप वाद-विवाद मत करो, मैं तो मेरी बात रख रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं तो आप चर्चा करना क्यों चाहते हैं? हम तो चर्चा कराना ही नहीं चाहते, हम तो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत मत करो, ऐसे मत करो। आप इन व्यवस्थाओं को, मर्यादाओं को तार-तार मत करो। आपकी तरफ सवा सात करोड़ जनता देख रही है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी कि समिति में सौंप दिया गया है और मामला वहां है, जो भी साक्ष्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप डर क्यों रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह विषय ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप डर क्यों रहे हो? आप अगर पाक-साफ हो, आपका दामन पाक-साफ है तो आप डर क्यों रहे हो? हमारे साक्ष्य को झुठला देना न। हम साक्ष्य रखें, आप झुठला देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा दामन 100 प्रतिशत पाक-साफ है लेकिन आपने बिना नियमों के आरोप लगा दिये और आपको सज़ा हो सकती है इसलिए आप बौखलाये हुए हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट आप विराज जाओ।

आप इस विषय पर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना-सा पूछना चाह रहा हूं अगर आप अपनी अभिव्यक्ति वहां तक सीमित रखें कि 288 और 289 के माध्यम से मंत्री महोदय कोई बात सदन के पटल पर रखना चाह रहे हैं। अब उधर से यह है। इससे सम्बन्धित आपने अपनी बात कह दी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

आदरणीय सदस्य, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो I will allow you. आप फर्माओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी एक बात कह रहे हैं कि हमें भी 30 साल हो गये, 30 साल सभी को हो गये, 35 साल से भी लोग यहां हैं लेकिन बात वो नहीं है। जब अध्यक्ष महोदय ने सुबह यह कह दिया कि इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं होगी तो अध्यक्ष महोदय आज तक अपने श्रीमुख से जो भी बोलते हैं तो वो मान्य होती है। उसके बाद में डिबेट चालू हो गयी। उसके बाद में बीच में कहां से लेकर आये हो, आपमें कहां से जागृति आती है? इनको यह पूछो, यह क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सदन को चलाना चाहते हैं? पक्ष की ड्यूटी होती है कि सदन चले। हमारी ड्यूटी कुछ भी हो सकती है पर कम से कम इनकी ड्यूटी तो चलाने की है। ये क्या कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्रीजी, इतने सीनियर आदमी हैं। यह कोई नई बात है क्या इसमें?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं।

विषय यह है कि मोशन अण्डर 160 आया था अध्यक्ष जी की मौजूदगी में। वो विषय रैफर कर दिया गया प्रिविलेज कमेटी को। अब विषय यह है कि प्रिविलेज कमेटी को रैफर किये हुए मोशन पर या विषय पर अगर 288 या 289 के माध्यम से कोई साक्ष्य सदन के पटल पर मंत्री महोदय रखना चाहें तो क्या आसन उसकी अनुमति प्रदान करे या ना करे, यही विषय है।

मैं आप सबको यह सूचित करना चाहता हूं whether 288 and 289 can be read parallel with 160, We will need to look into that. I am not giving immediate decision on it. I am keeping it pending till I go through it and I will come back to the House later.

श्री अजीत सिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री अजीत सिंह (टोंक): मांग संख्या 19 व 21 पर चर्चा के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं।

2003 में इस राजस्थान के विकास की गाथा को लिखने की शुरुआत हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने की थी। जिस तरह के हालात राजस्थान के अन्दर थे, चाहे सड़कों के अन्दर हो, हर क्षेत्र के अन्दर राजस्थान को यदि प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है वो हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री ने 2003 में इस रोड मैप को बनाने का काम किया था।

आज मुझे इस गर्व के साथ, इस खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सड़क और परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस विभाग को सम्मानित करने का काम किया है और राजस्थान पूरे देश में नम्बर एक पर रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री को और सड़क मंत्री सम्माननीय युनुस साहब को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।

मैं आज इस बात से भी गर्व और खुशी महसूस करता हूं, हमने राजस्थान के अन्दर वो समय देखा है जब एक हैण्डपम्प लग जाया करता था, हमारे वहां पर एक ट्रांसफार्मर लग जाया करता था तो गांव के अन्दर कांग्रेस के लोग माला पहनने चले जाया करते थे।

(15.06 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

आज मैं कहना चाहता हूं कि यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के अन्दर जिस तरह से सड़क का काम हुआ है, आज हमें गांव में जाने का अवसर मिलता है, ग्रामीण गौरव पथ की कल्पना किसी ने की थी, किसान की सरकार को कहने का हक किसी को कह सकते हैं तो यशस्वी मुख्य मंत्री को कह सकते हैं। उन्होंने गांव की चिंता की है, गांव के विकास को, गांव के क्षेत्र को भी शहरों के जैसा बनाने के काम अगर किसी ने कल्पना की है तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है। आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ग्रामीण गौरव पथ, यह कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारी यशस्वी

(श्री अजीत सिंह)

मुख्य मंत्री ने की है। ग्रामीण गौरव पथ के रूप में गांव के अन्दर जिस तरह पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ बनाकर और उसके साथ नालियां बनाकर गांव को भी शहरों की तरह खूबसूरत बनाने का काम करा है तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने किया है। उससे एक कदम आगे बढ़कर शहरों के अन्दर भी शहरी गौरव पथ बनाने का काम किया है।

आज मैं इस बात से गर्व और खुशी महसूस करता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। राजस्थान के अन्दर हमारे युनुस खान साहब ने, जो स्वयं मंत्री हैं, उनको एक बात की और बधाई देना चाहता हूं कि हमने गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने का काम किया है और मैं कह सकता हूं 200 विधान सभाओं में से अधिकतम विधान सभाओं में जाकर आपने उस काम को भी चैक किया है और उसकी गुणवत्ता को भी चैक किया है। आज ग्रामीण गौरव पथ की अपने आपमें ऐतिहासिक गौरव पथ के रूप में पहचान हुई है।

आज गांव के लोग कहते हैं, कल मुझे मेरी पंचायत देवली में जाने का अवसर मिला, जब देवली गांव में जाकर देखा तो पूरे गांव के लोग वहां पर थे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी सड़कें आज तक नहीं देखीं, ऐसी नाली हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी सड़कें बनायी हैं, ऐसा लगता है इस गांव में 20-25 साल तक सड़क की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कल्पना, ऐसे विकास का आयाम हमारी मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश के अन्दर शुरु किया है। आज मैं इस बात के लिए भी गौरवान्वित महसूस करता हूं।

चाहे हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ की बात हो, प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात हो, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करने से नहीं भूल सकते। इस देश में सड़क से सड़क जोड़ने का काम किसी ने किया है तो इस देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। आज उस योजना का इतना लाभ हो रहा है कि गांव से गांव को जोड़ने का काम हुआ है। वो कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया किसी सरपंच की सड़क बना दी, किसी प्रधान की सड़क बना दी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सड़क बना दी। हमने सारी की सारी पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ देकर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री का आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं।

(श्री अजीत सिंह)

आपने प्रदेश में विकास के जो आयाम खड़े किए हैं, जो आपने राजस्थान को सम्मानित करने का काम किया है, विकास के लिए आप कहीं से पैसा लेकर आये, कहीं से भी बजट लेकर आये लेकिन राजस्थान के अन्दर जिस तरह का सड़कों का जाल फैला है, निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं। आज गांव में जाकर देखिये, गांव में जिस तरह की सीसी रोड़ बन रही हैं, जिस तरह की आज पंचायत के द्वारा सीसी रोड बन रही है, निश्चित ही आज वो ऐतिहासिक रूप से काम हो रहा है। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, माननीय युनुस खान साहब को भी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं।

हमें आज इस बात का भी गर्व है कि हमारे क्षेत्र के, चाहे नेशनल हाइवे बना है, हमारे क्षेत्र के अन्दर दूदू से छान तक मेगा हाइवे 104 किलोमीटर का बना है, उसमें 302 करोड़ रुपये की लागत आयी है। आप देखिये कि हमारे यहां पर दूदू-छान का जो 104 किलोमीटर का मेगा हाइवे बन रहा है वो अजमेर क्षेत्र से लेकर पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा।

आज आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में जाकर देखिये, जिस तरह का सड़कों का जाल फैल रहा है, जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं तो हमारी मुख्य मंत्रीजी, आज हम यह जानते हैं कि केन्द्र से पैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। सड़क के बिना इस राज्य का विकास नहीं हो सकता और हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गांव को जोड़ने का काम किया है, गांव के विकास को पहली पंक्ति में लेने का काम किया है, इसके लिए उनका मैं आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी इस सदन में नहीं हैं, मैं अपनी बात, अपने क्षेत्र के बारे में उनसे कहना चाहता हूं। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे माननीय मंत्रीजी ने बहुत सहृदयता से, विकास के लिए एवं सड़कों के लिए पैसा दिया है। मैं यह बात कह सकता हूं कि 52 सालों में कांग्रेस ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाई थीं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने इन सड़कों के लिए पैसा देकर एक नया आयाम खड़ा करने का काम किया है।

मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहली बार जीतने के बाद जाकर देखा तो ऐसा लगता था कि गांव बीहड़ों की तरह थे, गांव में सड़कें नहीं थीं। एक

(श्री अजीत सिंह)

गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सह्रदय मुख्य मंत्रीजी ने विकास के अन्दर कोई भेदभाव नहीं किया और जब भी हम उनके पास गए तो हम उनसे लेकर ही आए और गांव में हमने विकास के लिए जो सड़कें बनाई हैं, चाहे ग्रामीण गौरव पथ हों, चाहे गांव के अन्दर छोटे नाले हों, चाहे छोटी पुलियाएं हों, उनके लिए बहुत पैसा हमारे को दिया है, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विकास की जो गाथा आपने लिखी है उसको राजस्थान की जनता कभी भूल नहीं सकती, चाहे 2008 से 2013 के चुनाव हों, आने वाले इस 2018 के चुनाव में भी आप देखेंगे। हो सकता है कि हमारे विकास की कुछ बात क्षेत्र तक ले जाने में कहीं कमी रही होगी लेकिन मैं कह सकता हूं अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस बात का संकल्प ले लिया कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की जनता के लिए गरीब के आंसू पोंछने के लिए जो काम हमने किया है उसको अगर हम जमीन पर ले जाकर अपनी बात कहने का काम किया तो कांग्रेस के लोग इससे ज्यादा संख्या में इस विधान सभा में कभी नहीं आ सकते। ऐसा नेतृत्व, ऐसा मजबूत नेतृत्व हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का मिला है। हर क्षेत्र में विकास का काम किया है। गांव और गरीब को, किसान को मजदूर को काम देने का काम किया है। यह बजट हमारा इस बात का इतिहास लिखता है कि पहली बार इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किसान के आधार पर ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार किसान के हित की सरकार है, किसान की चिंता करने वाली सरकार है। हमें शहरों की पार्टी कहने वाले लोग हमारे को आज यह कह सकते हैं कि किसान की बात करने वाले लोग हैं, किसान की चिन्ता करने वाले लोग हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि बजट में जिस तरह के प्रावधान आपने किसानों के लिए किए हैं, ऐतिहासिक प्रावधान किए हैं, लोग उसे लोक लुभावन बजट कहते हैं, आप लोक लुभावना कहें, इससे हमें चिन्ता नहीं है। आपने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा बजट अच्छा है। बजट राजस्थान को नए आयाम देने का काम करेगा, यह आपने हमारे बजट में चिन्ता की है।

आज मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार और अभिनंदन करता हूं कि इस बजट में आपने जो प्रावधान किए हैं इसके लिए वे निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। आपने बजट में हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 15

(श्री अजीत सिंह)

किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़क देने का काम किया है, यह अपने आपमें एक ऐतिहासिक निर्णय आपने किया है। गांव से गांव की सड़क को जोड़ने का काम आपने जो किया है इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक-दो सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सदन में माननीय मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन कोई न कोई हमारी बात को नोट कर रहा होगा। निश्चित ही मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लेन पालड़ा सड़क है, जो कम से कम बीस-पच्चीस पंचायतों को टोंक से जोड़ने का काम करती है। टोंक के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसी पर है। बजरी के अवैध खनन की वजह से वह पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। वह पहले तीन मीटर की सड़क थी, हम चाहते हैं कि उसको सात मीटर की सड़क बनाकर, चौड़ी करें। माननीय मंत्रीजी से मैंने बार-बार निवेदन भी किया था और मुझे विश्वास है कि इस बार वह मेरी इस बात के बाद, इस डिमांड के जवाब देने में इस बात की स्वीकृति प्रदान करेंगे और मेरे बहुत बड़े क्षेत्र को इससे लाभांवित करने का काम निश्चित रूप से आज वह करेंगे। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था। हम तो यह जानते हैं कि हम जब भी कभी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गए हैं, मैं तो मेरी बात कर सकता हूं, मैं कभी निराश होकर उनके पास से नहीं आया।

मेरे टोंक विधान सभा क्षेत्र में पांच सालों में जो विकास नहीं हुआ उस विकास को करने के काम का अगर किसी को श्रेय दे सकते हैं तो हमारी नेता, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी को दे सकते हैं।

आज मैं इस अवसर पर मेरे क्षेत्र में मेगा हाइवे बन रहा है जो दूदू से छान को जोड़ने का काम कर रहा है, वह छान के अन्दर आकर रुकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इतना उस पर ट्रैफिक आएगा, वहां पर अगर अंडर पास नहीं होगा, आज भी जब अंडर पास नहीं है, वह दूदू छान का रोड चालू नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वह एक्सीडेंटल पाइंट हो गया है। वहां उस चौराहे पर बार-बार एक्सीडेंट होकर, कम से कम 57-58 लोग मर चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दूदू-छान का मेगा हाइवे जब छान तक आगे आए तो वहां पर कम से कम एक अंडरपास का प्रावधान किया जाए। अगर अंडरपास नहीं बनेगा तो वह निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का केन्द्र होगा। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे प्रदेश के माननीय मंत्रीजी, युनुस खानजी ने

(श्री अजीत सिंह)

राजस्थान में दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाई जाए, इस बात की चिन्ता की है। इस चिन्ता के आधार पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे टोंक के अन्दर नेशनल हाइवे बना हुआ है, उस पर बहुत सारे एक्सीडेंटल कट्स छूटे हुए हैं, उनके लिए आप विशेष रूप से सूची मंगवाएं कि इन कट्स पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, उन एक्सीडेंटों से कैसे बचा जा सकता है। बार-बार इस बात की चिन्ता की जाती है कि उन कटों के ऊपर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अगर इस तरह से एक्सीडेंटल कटों को चिन्हित किया जाएगा और सख्ती से उनको बंद करने का काम हम करेंगे तो जो हम लोगों की जान बचाने की बात करते हैं, राजस्थान को दुर्घटना से बचाने की बात करते हैं, राजस्थान में दुर्घटनाओं में कमी कैसे आए, इसकी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी चिन्ता करती हैं, इसको पूरा करने का काम हम करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंटल कट, जयपुर से लेकर देवली तक इस तरह के एक्सीडेंटल कट जो बने हुए हैं उनको कैसे हम चिन्हित करें, कैसे और कितने लोग वहां मर चुके हैं, ऐसे एक्सीडेंटल कट्स को बंद करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे नेशनल हाइवे पर जो टोल रोड शुरु हुआ, उस टोल रोड पर हमारी भरनी पंचायत के अन्दर, महुवा के अन्दर, इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा। हाइवे बनने के बाद, भरनी पंचायत में और महुवा के अन्दर, गांव का बारिश का पानी, गांव के अन्दर भर जाता है, उससे एक हजार बीघा कम से कम सिंचाई, खेती करने से वंचित हो जाती है। बार-बार कहने के बावजूद नेशनल हाइवे वालों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि अगर टोल लेते हैं, सुविधा लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो हमारे गांव के लोगों को सुविधा कैसे हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। उनको पाबंद किया जाए कि भरनी और महुवा के अन्दर जो एक हजार बीघा खेती से वंचित होती है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम कराया जाए और उस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से उस पानी को निकाला जाए। इससे गांव के किसान की जमीन खराब न हो, इस बात की भी चिंता आपको और हमको करनी होगी।

आज मेरे क्षेत्र टोंक के अन्दर बजरी खनन की वजह से बहुत ज्यादा सड़कें खराब हैं। माननीय मंत्रीजी ने बहुत सारी सड़कें हमें दी हैं। मैं यह नहीं कहता अधिक के लिए लेकिन हमारे एक सड़क टोंक के अन्दर बीच में और है

(श्री अजीत सिंह)

उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मंडावा रोड, माइनिंग रोड स्वीकृत कराया जाए। उसके अन्दर ग्यारह किलोमीटर का वह रोड है। आप मानेंगे नहीं कि उस रोड पर, वह जस्ट नदी के किनारे पर है, बजरी माइनिंग की वजह से वह पूरा रोड खराब हो चुका है। उस रोड का चार-पांच किलोमीटर का तो अभी उसका दिया है, अगर उसको छह-सात किलोमीटर और देकर ग्यारह किलोमीटर का कर दिया जाए तो मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि यह दो ही रोड, मेरे लेन पालड़ा और मंडावा वाला रोड, यही दो रोड मेरे क्षेत्र के मुख्य रूप से खराब हैं। बाकी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय मंत्रीजी ने मेरे पूरे क्षेत्र के अन्दर सड़कों का जिस तरह का जाल बिछाया है, वह अपने आपमें ऐतिहासिक है, उसके लिए मैं उनका सदन की तरफ से, अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लांबा पंचायत में माननीय मंत्रीजी उद्घाटन के लिए गए थे। मुझे वह चीज आज भी ध्यान है कि कांग्रेस के लोग बोर्ड लगाकर चले गए थे कि भीलवासिया गांव की सड़क स्वीकृत, वह बोर्ड वहां लगा हुआ था। माननीय मंत्रीजी को गांव के लोगों ने रोका और कहा कि यह बोर्ड लगा हुआ है लेकिन हमें सड़क नहीं मिली। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि यह बोर्ड कांग्रेस के लोग लगाकर गए हैं लेकिन सड़क हम बनाएंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि एक-डेढ़ महीने में आपके यहां सड़क बना देंगे। उस लांबा से भीलवासिया की सड़क को देने का काम किसी ने किया है तो हमारे माननीय मंत्रीजी, युनुस खानजी ने किया है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं, हमने विकास की कोई बात की है, जनता में की है, समाज में की है तो उसको पूरा करने का हमने काम किया है।

आज परिवहन क्षेत्र की बात करें, परिवहन क्षेत्र में आज हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी जनों को रोडवेज के अन्दर फ्री टिकट की बात की है। उसके साथ जाने वाले व्यक्ति को पचास प्रतिशत की छूट देने की बात की है। यह चिन्ता हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। आप सोच कर देखें, एक आम व्यक्ति को कितना लाभ देने का काम हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

(श्री अजीत सिंह)

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जयपुर में दस करोड़ रुपए से राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की भी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। हर वर्ग को, हर चीज का इतना बारीकी से चिंतन करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। बस स्टैंडों पर तीस प्रतिशत बस स्टैंड ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर टॉयलेट नहीं थे। वहां पर टॉयलेट बनाने के काम की घोषणा हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

हर छोटी-छोटी बातों में, हर चीज में ध्यान रखकर पूरे प्रदेश की चिन्ता करने का जो रोड मैप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाया है वह निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे व्हीकल का हो, रजिस्ट्रेशन का काम हो, उसको पेपरलैस करने की बात की है। आम आदमी को कष्ट नहीं हो, गांव से आने वाले को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसे रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, पेपरलैस करने का काम भी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। निश्चित रूप से और सारी घोषणाएं प्रदेश के लिए, प्रदेश के आम आदमी के लिए की हैं। प्रदेश के आखिरी छोर पर बैठे आम आदमी को कैसे लाभांवित कर सकें, इस बात की चिन्ता हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

आज इस अवसर पर दो-तीन-चार डिमांड मेरे क्षेत्र की हैं। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन कोई न कोई नोट कर रहा होगा तो एक-दो सड़कों की बात जो मैंने कही है, निश्चित ही डाक्टर रामप्रतापजी वहां विराजमान हैं, वे डाक्टर साहब भी हैं, आप हमारी सड़क का इलाज भी करेंगे। (व्यवधान) डॉक्टर साहब की कलम में ऐसी क्षमता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है इसलिए मेरी बात को आप लिख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय के आप बराबर में बैठे रहेंगे और मेरी दो-एक डिमांड हैं छोटी-सी, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। इसके लिए आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, निश्चित ही मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य देवेन्द्र जी कटारा। माननीय सदस्य गोविंद जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सही नाम है डोटासरा।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 लोक निर्माण कार्य, सड़कें और पुल के ऊपर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज इसके ऊपर बोलने का अवसर दिया और मैं बहुत ही सार्थक चर्चा करना चाहता हूं। मैं समझता हूं आप शांति से सुनेंगे, क्योंकि आखिरी बजट है और निश्चित रूप से चार-सवा चार साल में आपने क्या किया, हमने क्या पाया और क्या खोया, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपको भी अगर यह नॉलेज रहेगा तो ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, 1949 में हमारे प्रदेश में मात्र 13 हजार 553 किलोमीटर सड़कें ही थीं। आज 31 मार्च, 2017 को 226853.86 किलोमीटर सड़कें हो गईं। जो ये कहते हैं न, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, यह इसका जवाब है कि 1949 में जहां से लेकर ज्यादातर हम शासन में रहे हैं, 13 हजार 500 किलोमीटर समथिंग सड़कें थीं, उसको हमने सवा 2 लाख किलोमीटर से भी ऊपर तक पहुंचाया है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि वक्तव्यों के समय कृपया व्यवधान न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अबकी बार जो अनुदान मांगों पर बजट चाहा गया है, वह बजट जैसा मंत्रीजी द्वारा मुझे बताया गया है, 61 अरब 55 करोड़ 44 लाख 10 हजार रुपए का है। 2017-18 का पिछला जो बजट था, उसमें कॉलम नम्बर 28 है, जिसमें 66 अरब 57 करोड़ 32 लाख रुपए का बजट था यानी इस बार का बजट आखिरी चुनावी बजट होने के बावजूद भी घटा है, बढ़ा नहीं है, यह मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं, आपने सड़कों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, मुख्य मंत्रीजी ने कीं और इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एकमात्र आप ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो सड़कों की घोषणा मुख्य मंत्री के पैरेलल सदन में और बाहर करते हैं। यह आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं कि आपको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह अधिकार मिला हुआ है। इसके लिए भी आपको बधाई वरना किसी मंत्री ने सवा चार साल में कोई घोषणा करने का साहस यहां नहीं दिखाया। कम से कम आप वह मंत्री तो हैं। जिस भी मंत्री ने खड़े होकर यहां घोषणांए की, वे पूरी हुईं कि नहीं हुईं, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 की सड़कों और पुलों की वार्षिक योजना 6040.78 करोड़ की थी। दिसम्बर, 2017 तक आपका व्यय मात्र 2932.59 करोड़ का हुआ। आपने गत वर्ष एवं इस वर्ष आरओबी, उपमार्ग, आरयूबी पर 133 करोड़ के विरुद्ध केवल मात्र 18.63 करोड़ रुपए का दिसम्बर, 2017 तक खर्चा किया है। भूमि अवाप्ति सड़क निर्माण के लिए 229.96 करोड़ का 2017-18 का आपका बजट प्रावधान था, मात्र 84 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। पीपीपी आधार पर राजमार्ग, बीजीएफ, एनवीटी, एडीबी, ईपीसी, एडीबी, कुल 1108.74 किलोमीटर का आपका लक्ष्य था। आपने लागत रखी थी 2109.17, आपका व्यय मात्र 319.73 लाख रुपए हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय हर बार यह कहते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी यह कहती हैं हम पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं सड़कों में, जाल बिछा रहे हैं, गडकरी जी भी खूब आए राजस्थान। बहुत अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि 39 हजार 753 गांव हमारे प्रदेश में हैं, जिनमें 3 हजार 403 बिना सड़क से जुड़े हुए गांव हैं और डामर के बिना जुड़े हुए गांव अभी भी 4 हजार 305 हैं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण, 2016-17 में 1518 कार्य आपने हाथ में लिए, 5039.32 करोड़ रुपए में से आपका व्यय मात्र 524 करोड़ रुपए दिसम्बर, 2017 तक है और 2017-18 में आपने 1614 कार्य हाथ में लिए। 5335.64 करोड़ में से तो आपका व्यय मात्र 46.52 करोड़ रुपए हुआ। यह आपने प्रगति प्रतिवेदन जो इस वर्ष का भेजा है, उसके आंकड़े हैं। मेरा कोई आंकड़ा इसमें नहीं है। आप कहेंगे तो मैं पेज सहित बता दूंगा। ग्रामीण सड़क मद में स्वीकृत किए गए 316 कार्य आपने हाथ में लिए। 1295.04 करोड़ रुपए आपने बजटरी प्रावधान रखा। आपका कार्य Zero और व्यय Double zero. यानी आप एक रुपए का भी व्यय नहीं कर पाए।

ग्रामीण गौरव पथ में 2014-15 से 2017-18 में 6593 कार्य आपने हाथ में लिए, 3744.52 करोड़ रुपए आपने बजटरी प्रावधान रखा, 6569.65

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किलोमीटर लम्बाई के आप केवल 3713 कार्य पूर्ण कर सके और बजट आपका 1589.96, यानी 40 प्रतिशत से भी कम बजट इस काम में ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत हुआ। माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ, जिसके लिए बड़ी वाहवाही की गई, उसकी यह स्थिति है। ये आंकड़े प्रगति प्रतिवेदन में है। एक भी झूठ हो तो इस सदन में मंत्री महोदय रिप्लाई में बता दें। ये जो सज़ा कहेंगे, मैं भुगतने को तैयार हूं।

पीपीपी परियोजना, जिसका बहुत बड़ा जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया था, 20 हजार किलोमीटर बनाएंगे... तीन साल तक तो हमें हमारे कानों में रुई डालकर आना पड़ा, क्योंकि माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य और माननीय मंत्री महोदय ऐसी मेजें थपथपाते थे कि 20 हजार किलोमीटर सड़क पीपीपी मोड पर बना देंगे और कायाकल्प हो जाएगा। हमारे मंत्रीजी ने दे दी, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दे दी। उस पीपीपी परियोजना का हाल है, 2014-15 में 250 करोड़ का लक्ष्य, 0.6 करोड़ खर्च। 2015-16 में 20 करोड़ का लक्ष्य, 2016-17 में 20 करोड़ का लक्ष्य और 2017-18 में आते-आते आपका 9.50 करोड़ का लक्ष्य। आज की तारीख में आप 50 किलोमीटर भी सड़क नहीं बना पाए। यह आपकी पीपीपी परियोजना का हाल है। 24-25 हजार सड़कें आज भी रिन्युअल के लिए पड़ी हैं। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं।

जो अच्छा कर रहे हो, उसके लिए अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं करोगे, हम उसके लिए आपसे मांग भी करेंगे, आपको उलाहना भी देंगे, आपकी कमियां भी गिनाएंगे, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य एक ही है। हमारी मुख्य मंत्रीजी तो बार-बार यह कहती हैं कि ये 200 विधायक हमारी टीम राजस्थान है। जब टीम राजस्थान है और अगर हम सब माननीय सदस्य उस टीम राजस्थान के भागीदार हैं तो मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी, आप बताइए कि 15-15 किलोमीटर की लम्बाई की सड़कें देने की आप बात कर रहे हैं, उन 15-15 किलोमीटर में आप जन प्रतिनिधियों को पूछ नहीं रहे हैं। ग्रामीण गौरव पथ जो आपने बनाए, अपनी मर्जी के हिसाब से बना लिए और शहर में आपने जो ग्रामीण गौरव पथ दिए हैं, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी बना दी, जिसमें विधायक को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में रख दिया और जो सभापति नगर परिषद् का मैंबर होगा, आज तक किसी भी कलक्टर ने हमारे प्रतिपक्ष के किसी माननीय सदस्य से कभी भी राय-मशविरा नहीं किया, कभी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसके साइन नहीं लिए, कभी उस कमेटी में बुलाया नहीं तो आप समझ सकते हैं कि यह टीम राजस्थान किस प्रकार की है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आप स्वयं मेरे लक्ष्मणगढ़ पधारे थे। आपकी जन्म-स्थली है लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र। आपने आज से ढाई साल पहले एक शादी समारोह में 60 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि यहां 60 करोड़ की सड़कें बनेंगी। आज हमारे लक्ष्मणगढ़ में जो गौरव पथ बना है, वह अधूरा पड़ा है। बड़ के बालाजी से लेकर जो आपका मोदी स्कूल है, वहां तक ऐसे हालात हैं...सभापति महोदय, नींद मत लीजिए, मैं बहुत अच्छी बात करूंगा।

श्री सभापति: नींद नहीं ले रहे हैं, आप आराम से बोलिए। एक मिनट, मैं जो मनन कर रहा हूं आपके तथ्यों पर, आप उसे नींद मान रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माफी चाहता हूं। अगर ऐसी बात थी तो फिर ऐसा मनन करते रहें।

हमारे कार्यकाल में माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अशोकजी गहलोत के कार्यकाल में हर विधायक, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी अभिशंसा पर सड़कें मिलती थीं। यह पहली बार राजनैतिक भेदभाव हुआ है...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सिर्फ पांच किलोमीटर। सिर्फ पांच किलोमीटर, पांच किलोमीटर से ज्यादा नहीं मिली और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 15 किलोमीटर दी है। मैं भी था, आप भी थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छी बात है अगर आप खुश हो तो। मैं तो एक ही बात माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा साहब कि जो-जो घोषणाएं मुख्य मंत्रीजी ने, आपने, सदन में और सदन के बाहर की हैं, उन घोषणाओं का एक श्वेत-पत्र जारी कर दें या एक स्पष्टीकरण दे दें कि हमने ये-ये घोषणाएं की थीं, ये-ये घोषणाएं पूरी हो गईं और ये-ये घोषणाएं बाकी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सदन की और सदन के बाहर की घोषणाओं में 20 परसेंट से भी ज्यादा सड़कों की घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई है और इस बार तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण पढ़ा है। अब पता नहीं, आपसे वैसे के वैसे ही राज़ी हैं या नाराज हो गये, यह हमें पता नहीं चला। केवल दो पन्नों में ही इस बजट को निपटा दिया वरना पिछली दफा छह पन्नों में सड़कों का उल्लेख हुआ था। पता नहीं, कितनी सड़कों की बात हुई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थी और उनमें से एक का भी उल्लेख इसलिए नहीं किया गया कि वह एक भी सड़क पूरी हो नहीं पाई है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सुराज संकल्प यात्रा में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, आपका सीकर जिला है। नवलगढ़ रोड की पुलिया हम चौड़ी करेंगे, किया हो तो बता दो।

एक और विशेष बात हो रही है, जो माननीय मंत्री महोदय, आपके लिए भी गम्भीर है, पूरे सदन के लिए गम्भीर है। जैसा मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, आप कहते हैं, हम किसानों के, सबके हितैषी हैं। आपने जो सड़क पास की, चाहे नावां वाली सड़क वहां से लेकर डीडवाना वाली हो, चाहे मुकन्दगढ़ वाली हो, चाहे गनेड़ी वाले बाईपास की बात हो, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने क्षेत्र के विकास में जो सड़कें सीकर जिले में दीं, वह अच्छी सड़कें दीं, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं लेकिन एक काम जो खराब हो रहा है, जो गड़बड़ हो रहा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो मुकुन्दगढ़ वाली सड़क स्वीकृत की है, उसमें जो सिंगोदड़ा से लेकर बाईपास आप बना रहे हो, उस बाईपास पर टोल माफिया, सड़क माफिया जान बूझकर किसानों की जमीनें बिना लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की पालना किये, ले रहा है, उनको धमका-धमका कर ले रहा है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान 15 दिन से जमीन में समाधि लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को बिना किसी कानूनी प्रावधान के नहीं लिया जाये, हमें उचित मुआवजा दिया जाये। कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आप बताइये कि बिना एक्वीजिशन के, बिना नोटिस दिये, बिना उनको मुआवजा दिये क्या सड़क चालू हो सकती है? क्या किसान की जमीन ली जा सकती है? अब आप बताइये, उसने पता नहीं बाला-बाला रात में मशीनें चलाकर, यह गम्भीर विषय है माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, चूंकि आप जो जवाब देते हैं वह बड़े सलीके से देते हैं। मैं आपके इस जवाब का कायल जरूर हूं लेकिन इस बात को आप जरूर बतायें कि जब अभी तक भूमि एक्वीजिशन नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी किसानों को जमीन में समाधि लेने की क्यों नौबत आई? वह टोल कम्पनी, सड़क कम्पनी कौनसी है जो किसान की जमीन को, फसल को बर्बाद करना चाहती है? उसकी जमीन को औने-पौने दामों में लेना चाहती है? यह निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जो बजट घोषणाएं आपने पहले की हैं, उनकी क्रियान्विति कीजिये। मुख्य मंत्रीजी यह कह रही हैं कि टीम राजस्थान और हम सब 200 विधायक उसके सदस्य हैं तो फिर हम लोगों को आप पूछकर क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे बजट में लिखा था, जब अशोकजी गहलोत ने बजट भाषण किया था कि मैं सभी विधायकों को पूछकर और उनकी अभिशंसा के आधार पर, क्योंकि देखिये सब जनता आपके पास नहीं आ सकती, जनता अपनी सारी समस्याएं हम जन प्रतिनिधियों को, विधायकों को, एम.पी. को, प्रधान को, इनको बताती है और वे आप तक लायेंगे। जब प्रावधान ही नहीं है तो क्यों लायेंगे?

जो शहरों के गौरव पथ बन रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनकी गुणवत्ता आप टैस्ट करा लें। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा लेकिन जिस प्रकार की सड़कें बन रही हैं, उनमें तरह-तरह की शिकायतें हमारे पास में आती हैं कि साहब, जो गौरव पथ बन रहे हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। जो रोड मुकुन्दगढ़ वाली बन रही है, उसके बारे में भी आप देख लें। आपके गांव में भी बहुत अच्छे सड़क के विकास के काम, आपने गनेड़ी गांव में कराये हैं। यह बहुत अच्छी बात है। जन्मभूमि के प्रति आपने कर्ज चुकाया है। आप मातृभूमि के प्रति भी कर्ज चुकायें। लक्ष्मणगढ़ में और सड़कें दें लेकिन उनकी गुणवत्ता जो हैं, वह मेंटेन करने का काम सरकार का है इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि ये चीजें बताने के लिए ही मैं आया हूं कि आप टीम राजस्थान की बात करने वाले, सभी विधायकों से, सभी जन प्रतिनिधियों से पूछकर काम करें।

आपकी जो सड़कें हैं, उनके हालात यह हैं कि आज हम गांवों में जा नहीं सकते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 225 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं माननीय मंत्री महोदय, आप तो कई दफा जाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, नोन पेचेबल है, रिनुअल के योग्य हैं, फिर भी बजट नहीं मिल रहा है। आपके पास में 21 सड़कों की तो सूची भी आई हुई है। आपने पहले भी यहां विधान सभा में घोषणा की थी कि नाबार्ड से या पता नहीं किससे, एडीबी से लोन लेकर हम आपके यहां सड़कें कर देंगे। अब आपका समय ज्यादा नहीं बचा है इसलिए माननीय सभापति महोदय, क्योंकि सरकार दुबारा परीक्षा देगी और परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे, यह गांव की, हमारे मारवाड़ी में कहावत है मंत्रीजी, "गांव की नेपे खेड़े ही बता देते हैं" तो जो उप चुनाव हैं, उसने आने वाली सरकार का रूप बता दिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, आपकी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार नहीं है। इसलिए कल को जब आप सरकार में नहीं हो तो यहां यह नहीं लगे कि माननीय मंत्री महोदय युनुस खान जी ने यह सड़क की घोषणा की थी, लेकिन यह पूरी नहीं हुई इसलिए जो आपने कहा है, उसको पूरा कराने का काम करें।

हमारे सीकर की जो पुलिया को चौड़ा करने की बात थी। मुख्य मंत्रीजी तीन बार घोषणा करके आ गईं। वही नहीं हुआ इसलिए मेहरबानी करके, यह जो चीजें हैं, वह करने का काम करें। आपने मुझे समय दिया माननीय सभापति महोदय, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छोटू सिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि जब तक सड़क मार्ग सही नहीं होता है तो प्रदेश, जिला और पंचायत मुख्यालय का विकास नहीं होता है। चार साल के अन्दर जो सड़क निधि और सड़क मार्ग के बारे में कार्य हुआ, वह बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही अच्छे काम हुए। मैं और मेरे जिले के वासी राजस्थान की मुखिया को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं।

आदरणीय, इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे अटल बिहारीजी वाजपेयी, पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने योजना बनाई पीएमजीएसवाई। यह सपना था कि गांवों के लोग यह सोचते थे कि हमारे 500 की आबादी तक के मुख्यालय तक कभी सड़क जुड़ेगी तो वह जुड़ी। उसके बाद में भी जिस प्रकार से सड़कों के विकास के बारे में, नेशनल हाइवे में जो प्रोग्रेस हुई है, जो उन्नति हुई है, देखा जाये तो जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसलमेर और बाड़मेर और जैसलमेर और जोधपुर के लिए बहुत ही कम दूरी हमें मिल जायेगी। मुझे याद है, मैं 13वीं विधान सभा का सदस्य था तो आठ-आठ घंटे जोधपुर से जैसलमेर के लिए लगते थे। आज केवल चार घंटे में हमारी गाड़ी जैसलमेर और जोधपुर जाती है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक उसी प्रकार से बाड़मेर और जैसलमेर के लिए भी जो रोड्स का जाल बिछा है, मैन रोड्स की व्यवस्थाएं हुई हैं, वर्तमान सरकार की मुखिया को,

(श्री छोटू सिंह)

भारत के प्रधान मंत्री मोदीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की यदि प्रोग्रेस होती है तो आमजन, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सुख का अनुभव होता है, उनका समय बचता है। चार साल के अन्दर जो काम हुए हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय हुए हैं।

साथ में और निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं के अन्दर चाहे वह मिसिंग लिंक हो, चाहे वह गौरव पथ रोड हो, माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ के लिए मानते हैं कि दूसरे जिलों में तो बरसात से कीचड़ होता है लेकिन उसका बहुत उल्टा हिसाब-किताब जैसलमेर में है। जैसलमेर में आंधी की बरसात होती है और आवागमन बिल्कुल बंद हो जाते हैं और गांव के एक कोर्नर में महिलाएं या कोई भी राहगीर चाहे बीमार हो, वह रुकता है और वहां से पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से पंचायत मुख्यालय के अन्दर गौरव पथ रोड बनी और हमारी आम महिला के आने-जाने के लिए बस का सीधा रूट उसके घर तक पहुंचा तो इस योजना के लिए मैं सरकार की मुखिया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार की सोच, यह सोचा था कि कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बीमार हो जाएगा या कोई महिला या बुजुर्ग बीमार हो जाएंगे। उनको आने-जाने में परेशानी होगी, उन सबको सोचते हुए, जिस प्रकार से गौरव पथ का कार्य आज पूरे राजस्थान में हुआ है। वह बहुत ही धन्यवाद का पात्र है।

माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति के बारे में, मान्यवर बहुत काम हुए हैं, लेकिन ये सब योजनाबद्ध हैं, ये आदरणीय, सब जनसंख्या का अनुपात लिया जाता है और मेरा जिला पूरे भारत के अन्दर सबसे बड़ा, राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा, एक स्टेट के बराबर जिला है। पूरे जिले का घनत्व करीब 38-39 हजार स्कवायर एरिया है और जो योजनाबद्ध लाभ मिलता है, वह लाभ केवल जनसंख्या के अनुपात में मिलता है।

आदरणीय, हम दो एम.एल.ए हैं। हमारी यह सोच रहती है कि किस प्रकार से हम गांवों को गांवों से जोड़ें। आज बहुत कुछ अच्छा किया है। हमको पहले 7-7 किलोमीटर, अब 15-15 किलोमीटर दी है। हम तो हमारी जिन्दगी में घिसते जाएं, 50-60 साल हुए हैं इस कार्यकाल समय में हमें जरूर रोडें मिलीं और हमने देखीं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 15

(श्री छोटू सिंह)

किलोमीटर में मुश्किल से हमारा केवल एक गांव जुड़ पाता है और यदि वह 15 बार एम.एल.ए. बन जाएगा या 14 बार बनने वाला बना होगा, तो हम केवल 4 गांव को मुश्किल से जोड़ पाएं और यहां 700 गांव की जैसलमेर में पूरे में आबादी है और 700 गांवों के अन्दर जितना चाहे वह विकास नहीं हो सकता है।

आदरणीय मंत्रीजी विराजें हैं। जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां के क्षेत्रफल को देखते हुए, इसमें कुछ शिथिलता बरती जाए। कुछ विशेष पैकेज दिया जाए जैसलमेर के लिए। सड़क निधि एक ऐसी योजना है जिसके अन्दर केवल जनसंख्या का अनुपात लिया जाएगा तो उक्त गांव उससे नहीं जुड़ पाएंगे। वे आज भी वंचित हैं।

उसके साथ में आदरणीय एक और निवेदन है कि आई.जी.एन.पी. नहर आई और नहर से कई गांवों को पानी मिला, नहरें गईं, पानी गया, पाइप लाइन के जरिये से गया, लेकिन जब नहर बनी थी, उस समय जिस प्रकार से रोड का कार्य हुआ, वो वास्तविक स्थिति में आज भी वही है, उस सड़क पर लोग चलना नहीं चाहते हैं। कैसे भी हालात हो जाएं, नहीं चल पाते। पूर्ववर्ती सरकार के समय में हमने इसके बारे में बहुत कुछ कहा, उस समय के मंत्रीजी ने इसके लिए प्रस्ताव भी लिये, मेरे ख्याल में बजट भी अलाट किया होगा, लेकिन अन्तिम साल में वह क्रियान्वित नहीं हो पाया।

आदरणीय, मेरा निवेदन है कि परिवर्तित बजट 2014-15 के अन्दर, इसका विशेषकर आई.जी.एन.पी. 476 किलोमीटर लम्बाई की 98 सड़कें, पुन: निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया था। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष पैकेज देने के लिए जैसलमेर जिले को लिया गया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आज तक कार्य शुरु नहीं हो पाया।

आदरणीय, मेरा निवेदन है कि उक्त घोषणा को, जो रोड्स हमारे नहरी क्षेत्र में डेमेज हैं, चक आबादी जुड़ नहीं पाई हैं, नहर का विकास नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण यही है कि सड़क मार्ग से चलने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी आदमी जाता है, चाहे किसी का मुरब्बा लिया हुआ है, चक आबादी में रहे तो व्यवस्थित वहां आना-जाना नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधान मंत्री मोदीजी को जिन्होंने ढाणी-ढाणी, गांव-गांव में लाइट तो जरूर पहुंचा दी,

(श्री छोटू सिंह)

लेकिन उन चक आबादियों में आज आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। फोर-व्हीलर गाड़ी को भी बड़ी ताकत लगती है। दो-चार बार हमारे आदरणीय विधायक सरदार जी आएं गुरजन्ट सिंह जी और इन्होंने भी देखा, मुझे कहा छोटू सिंह जी, इस हालात में आम आदमी कैसे पहुंचेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी विराजें हैं कि जैसलमेर के अन्दर जो नहरी क्षेत्र की चक आबादी की सड़कें हैं और जो मेन नहर के पैरेलल सड़कें हैं, उनको आदरणीय, आप इस बजट में लें और विशेष घोषणा की जाए। सबसे एस.बी.एस. किलोमीटर 34 से 49 तक 20 किलोमीटर है, एस.एम.जी. की 94 से 95 तक 21 किलोमीटर है, उसके साथ सीमान्त से जुड़ी हुई बाबा रामदेव ब्रांच जो 0 से 114 किलोमीटर है, वो आज भी ऐसे हालात में है, क्योंकि उसको बने हुए करीब 25 साल हो गये हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का पेचवर्क भी नहीं हुआ और जब से हस्तांतरित पी.डब्ल्यू.डी. को की गई है तो पी.डब्ल्यू.डी. के पास इतना बजट नहीं था। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सड़कों को जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक वहां पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

इसके साथ में एक विशेष समस्या और है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 25 परसेन्ट हिस्सा डी.एन.पी. यानी, डेजर्ट नेशनल पार्क में आता है। वहां आज तक कोई नहर न तो ग्राम पंचायत डामर से जुड़ी है और न ही वहां किसी प्रकार की कोई दूसरी लाभकारी योजना, जो उससे जुड़ी हो, उसको मिलना चाहिए। आदरणीय, निवेदन है कि जैसलमेर का हिस्सा और लाभकारी योजनाओं का आम जन को वह लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जैसलमेर की जनता में जो डेजर्ट नेशनल पार्क में, आज भी आबादी कम से कम 8 ग्राम पंचायतें उसमें जुड़ी हुई हैं। एक-एक ग्राम पंचायत की 5-6 और 7 गांव और ढाणियां उसमें आती हैं। आदरणीय, उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्राम पंचायत तेजरावा, जो जैसलमेर से करीब सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर पर है और यदि वहां का कोई बच्चा पढ़ने आ जाए तो वहां आवागमन का कोई साधन नहीं। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 70 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वहां की जनता को ये पता नहीं कि डामर की सड़क पीली होती है या काली होती है या लाल होती है।

(श्री छोटू सिंह)

आदरणीय, निवेदन इस चीज का है कि 7-7 ग्राम पंचायतें डीएनपी ने घोंचा लगा दिया कि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से वहां कोई गाड़ी स्पीड में नहीं चलनी चाहिए, वहां पक्षी उड़ जाएंगे। आदरणीय मंत्रीजी, सुनो, यदि वे उड़ जाएंगे। आदरणीय, आदमी उड़ गया तो उनका क्या होगा। पक्षी को भी सम्मान देते हैं लेकिन एक आदमी रहने वाला और आने वाली जनरेशन के लिए सड़क मार्ग सबसे जरूरी है। आदरणीय, हम वहां चाहते हैं कि स्कूल क्रमोन्नत हों, वहां पाइप लाइन पहुंचें, वहां सड़क मार्ग सुदृढ़ हो, वहां महंगाई कम हो तो उसका मेन कारण है सड़क का होना।

आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस 9 साल के पीरियड में मैंने इसको बार-बार चाहे वह डी.एन.पी. की मीटिंग हो, चाहे आपके सदन में हो। मैंने आपसे निवेदन किया है और आज भी निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर इस बारे में कि अभी उस क्षेत्र के अन्दर डामर नहीं तो ग्रैवल ट्रैक के आदेश भारत सरकार द्वारा हो गये हैं, तो आदरणीय, यदि वे सड़क मार्ग से मोरम से भी जुड़ जाए तो भी आने वाला आदमी आ सकता है।

आदरणीय, बहुत सारी योजनाएं हैं कि बेटी पढ़ेगी तो उसको ट्रांसपोर्ट भत्ता 25 रुपये दिया जाएगा। बच्चा जाएगा तो 10 रुपये दिया जाएगा, तो जाएगा किसमें? ऊंट से जाएगा तो कम से कम 5 घन्टे लगेंगे। तब तक तो स्कूल बंद हो जाएगी। आदरणीय, सड़क मार्ग के लिए साइकिल अपन किराये के लिए दे रहे हैं कि बच्चा साइकिल पर जाएगा, साइकिल चलेगी कैसे?

मेरा विशेषकर निवेदन है कि जो मेरी ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वो म्याजलर के गांव हो, चाहे बैरीशालया के गांव हो, चाहे वे तेजरावा के गांव हों, चाहे वो बीदा के गांव हों, चाहे वो खुड़ी के गांव हों, कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं आदरणीय, चाहे वो हटार की हों। ये ग्राम पंचायत मुख्यालयों के नाम बोल रहा हूं और यदि गांवों के नाम बोलूं तो आदरणीय मंत्रीजी, इतने हो जाएंगे कि उसको बोलने में समय लगेगा और आदरणीय सभापति महोदय द्वारा घन्टी बजा दी जाएगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषकर ये आदेश अभी हुए हैं आप ग्रैवल ट्रैक का आदेश दे दें तो उक्त गांव इसमें जुड़ जाएंगे।

आदरणीय, इसके साथ में एक दूसरा और निवेदन है कि जब से नहर बनी, और उसके ऊपर पुल भी उसी समय बने थे और आज हालात यह हैं कि

(श्री छोटू सिंह)

एक पुल कम से कम 20 किलोमीटर का है। किसी भी राहगीर को जाना पड़ता है तो यदि नहर की छलांग लगाये तो केवल 500 मीटर दूरी है और यदि दूरी से जाएं तो उसको कम से कम 10 और 15 किलामीटर जाना पड़ता है।

मेरा सभापति जी, आपसे निवेदन है कि उन दूरियों को कम करने के लिए जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में जितने भी पुल हैं उन पुलों में दो पुल विशेष रिपेयर के लिए है वो बंद हालत में है। एसएमजी की मैन नहर जहां 35 आर.डी. से सदराउर मानगेट के पेरेलल रोड जाती है वो आज भी बड़ी पुलिया डेमेज है, उसको किसी भी प्रकार से रिपेयर किया जाए। नहीं करेंगे तो आदरणीय, वह कभी-भी हादसे का शिकार हो सकता है।

उसी प्रकार से एसएलडी बहुत बड़ी नहर एक 125 आर.डी. की है, उसमें भी इस प्रकार के वेरिएशन है कि वहां नयी पुलिया बनानी जरूरी है तो आदरणीय, मेरा निवेदन है कि उसको भी रिपेयर में लिया जाए। साथ ही एसएमजी की जो 55 आर.डी., 50 आर.डी. पर है उसको भी जो सांखला की तरफ जाती है, कई राहगीर हरमुजी के थान मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो भी पुल बड़ा डेमेज है। बड़ी गाड़ी के लिए आज उसमें किसी भी प्रकार का आवागमन बंद किया हुआ है हादसा हो सकता है।

आदरणीय, मेरा निवेदन है विशेषकर उक्त पुलों को वापस रिपेयर किया जाए। साथ में मेरे क्षेत्र में आपने 15 किलोमीटर रोड दी है तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मंत्रीजी को बारम्बार कि मेरे को दो-तीन बार पहले भी अच्छे पैकेज दिये, उनमें से काफी जुड़ा, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत होती है न उसको चाहे कितना भी पैकेज दो आदरणीय मंत्रीजी, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वो पूर्ति नहीं हो पाती है, उसका कारण है कि जैसलमेर, आदरणीय मंत्रीजी, जैसलमेर क्या नहीं देता है? जैसलमेर आपको बिजली देता है, जैसलमेर आपको खनिज देता है, जैसलमेर आपको दुनिया भर की रेवेन्यू उसके साथ में जो लैंड है चाहे वो राजस्व में काम आये, चाहे वो डिफेंस में काम आये, चाहे वो पैट्रोलियम पदार्थ में काम आये, और वो बेनीफिट पूरे प्रदेश को मिलता है। तो, आदरणीय, मेरा निवेदन है कि जैसलमेर की अर्निंग को देखते हुए, जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जैसलमेर के क्षेत्र को देखते हुए इस पैकेज में शिथिलता बरतते हुए, दूसरे जिलों के हिसाब से न मानते हुए जैसलमेर को एक विशेष दर्जा दिया जाए, ताकि वहां के गांवों को ये सुविधा मिल सके। पुन: मैं आदरणीय, इस बजट में मंत्रीजी का विशेष

(श्री छोटू सिंह)

धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद आपको देता हूं सभापति महोदय, कि आपने मेरी बात के बीच में बेरीकेड नहीं लगाया। मैं पुन: धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया को कि मेरी बात को मानेंगे और बहुत सारे इस बजट में जो लोक लुभावनी लाभकारी योजनाएं हमारी आम सात करोड़ जनता को मिल रही हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह जी। माननीय सदस्य श्री रामहेत सिह जी। माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, आपके सदस्य उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल पर आपने बोलने की स्वीकृति दी, आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री महोदय का ध्यान नोन पेचेबल सड़कों की तरफ दिलाना चाहूंगा। प्रदेश में करीब 1 लाख 85 हजार किलोमीटर सभी श्रेणी की सड़कें हैं और इन सड़कों में से 20 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल श्रेणी की सड़कें विभाग के द्वारा घोषित हैं और इन नोन पेचेबल सड़कों की वजह से आज प्रदेश के किसी भी जिले में जाइये आप, किसी भी विधान सभा क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो सड़क पर आम आदमी का चलना बहुत ही ज्यादा असुविधाजनक हो गया है और इन नोन पेचेबल सड़कों की यह स्थिति मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब सरकार एक साथ 14 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों को ठीक करने की जो कार्य योजना बना रही है, सभापति महोदय, चार साल बाद सरकार चेती है। यदि पहले वर्ष में इन सड़कों की स्थिति देख ली जाती, इनका समय पर रखरखाव यदि किया जाता तो आज प्रदेश में इतना लम्बा आंकड़ा, मैं समझता हूं कि कभी इतनी लम्बाई की सड़कें प्रदेश में नोन पेचेबल की श्रेणी में नहीं आई हैं। विभाग के द्वारा हो सकता है कि कई जिलों में नई सड़कें बनाई गई हों, लेकिन पुरानी सड़कों का रखरखाव नहीं किये जाने की वजह से सभापति महोदय, आज प्रदेश की सड़कों की स्थिति चलने लायक नहीं रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दिनों प्रदेश की नोन पेचेबल सड़कों को ठीक करने की बात कही है। हम उसका स्वागत भी करना चाहेंगे और इन्होंने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के विधान सभा क्षेत्रवाइज सड़कें चिन्हित की हैं, मैं मेरे विधान

(श्री भंवरसिंह)

सभा क्षेत्र की सड़कों की तरफ भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जैसलमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य श्री छोटूसिंह जी बता रहे थे कि जैसलमेर जिले की सड़कों की लम्बाई और जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फैलाव है वो अत्यन्त ही वृहद है और उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि मरुस्थलीय और जो भी कार्य योजना बनायें सड़कों के लिए, उसमें मरुस्थलीय और भौगोलिक दृष्टि से जिन जिलों का फैलाव ज्यादा है वहां अतिरिक्त बजट दें जिससे कि उन सड़कों की स्थिति ठीक रह सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पांच सौ किलोमीटर नोन पेचेबल श्रेणी की सड़कें घोषित हैं और जिसकी वजह से आम जन का आवागमन अत्यन्त ही ज्यादा प्रभावित है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि प्रदेश में डीजल पर जो सेस लगाया उससे इतना ज्यादा पैसा सरकार के पास पिछले चार सालों से जमा है और उस पैसे का सदुपयोग करके आप यदि प्रदेश की इन नोन पेचेबल सड़कों को ठीक करते हैं तो हम राजस्थान की सड़कों की कुछ स्थिति सुधारने की स्थिति में आयेंगें।

सभापति महोदय, पेचेबल सड़कों की बात करें, तो पेचेबल सड़कों में भी एक बजट की सीमा तय कर दी गयी है और विधान सभा क्षेत्रवाइज साल में एक-सवा करोड़ रुपये पेचेबल सड़कों को ठीक करने के लिए पिछले चार सालों में हर वर्ष आबंटित किये गये। वहां पेचवर्क नहीं होने की वजह से भी सड़कों की स्थिति बद से बदतर हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन पेचेबल सड़कों की स्थिति भी समय रहते सुधारी जाए।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोलायत में सबसे ज्यादा माइनिंग के माध्यम से रेवेन्यू सरकार को मिलती है। कोलायत में लिग्नाइट, जिप्सम, बजरी सहित कई अन्य ऐसे खनिज हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोलायत में निकाले जाते हैं और उससे अरबों रुपये राजस्व भी कोलायत की धरती से राजस्थान की सरकार को मिलता है, लेकिन माइनिंग की वजह से जो भारी वाहन चलते हैं उन भारी वाहनों के चलने से हमारे क्षेत्र की माइनिंग क्षेत्र की अधिकांश सड़कें टूट चुकी हैं। पिछले दो बजट सत्रों में भी हमारे द्वारा लगातार मांग की गई कि हमारे जो खनिज क्षेत्र हैं वहां की सड़कें ठीक की जाएं। पूरे प्रदेश में खनिज क्षेत्र की सड़कों को ठीक किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले कोलायत

(श्री भंवरसिंह)

क्षेत्र की सड़कों के मामले में बजट आबंटित करने में भारी उपेक्षा की गई। खनिज मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि खनन क्षेत्र की सड़कों के लिए यदि बजट आप आबंटित करें तो निश्चित रूप से खनिज क्षेत्र के कोलायत के जो गांव हैं वहां भी राशि आवंटित होगी।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, वर्ष 2014 की बजट घोषणा और उस बजट घोषणा से पहले 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में जब माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी बीकानेर जिले में गंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिलों में पधारे थे तो वहां की जो आईजीएनपी क्षेत्र की सड़कें थीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जब निर्माण हुआ था, उस समय सड़कें बनाई गई थीं और 1990-91 के दौरान जब नहरें बनाई गईं तो उसके बाद उन सड़कों का निर्माण या उनका रख-रखाव नहीं किया गया। मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी के स्वयं के द्वारा 2014 की बजट घोषणा में भी यह कहा गया है कि हमारी जो 476 किलोमीटर की नहरी क्षेत्र की सड़कें हैं, उन सड़कों को आईजीएनपी से पीडब्ल्यूडी में लेंगे और पीडब्ल्यूडी में लेने के बाद इन सड़कों का हम विकास करेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन तमाम सड़कों को, क्योंकि वह सड़कें पहले तो नहर का सामान ले जाने के लिये बनाई गई थीं लेकिन अब वह उस क्षेत्र के मुख्य मार्ग बन चुके हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में किसानों का आना-जाना रहता है, उन सड़कों को जोड़ा जाये। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछेक सड़कें हैं, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चारणवाला ब्रांच की जो 23 किलोमीटर लम्बी सड़क है, उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। कोलायत लिफ्ट की 32 किलोमीटर लम्बी सड़क है। बांगडसर लिफ्ट की 10 किलोमीटर लम्बी सड़क है। जयमलसर से नोखा दैया की सड़क है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह 9 किलोमीटर की है। वहीं बसलपुर ब्रांच की सड़क है, ये आईजीएनपी क्षेत्र की मेरे विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सारे जिलों की सड़कों के साथ-साथ कोलायत विधान सभा क्षेत्र की उन सड़कों को भी शामिल किया जाये।

सभापति महोदय, मिसिंग लिंक सड़कें, पहले साल मंत्री महोदय ने मिसिंग लिंक सड़कें राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र में दीं और उसके बाद

(श्री भंवरसिंह)

दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल ग्रामीण गौरव पथ की योजना लाने के बाद आपने एक तरह से मिसिंग लिंक योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 15 किलोमीटर की जो मिसिंग लिंक सड़कें देने की घोषणा की है, उन मिसिंग लिंक सड़कों में मैं समझता हूं कि जैसा हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने सभी विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों की अनुशंसा पर चाहे मिसिंग लिंक सड़कें हों, चाहे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें हो, तमाम सड़कें समान रूप से 200 विधान सभा क्षेत्रों में दी थीं। हम यह उम्मीद भी करेंगे कि 15 किलोमीटर की सड़कें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में देंगे। लेकिन हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़कें एक गांव को जोड़ने में ही खतम हो जायेगी। बीकानेर और जैसलमेर जिले की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यहां मिसिंग लिंक सड़कों की लम्बाई आप बढ़ाने की कृपा करें जिससे कि हमारे कुछ गांव सड़क मार्ग से जुड सकें।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे प्रदेश की ढाई सौ से अधिक आबादी की जो ढाणियां हैं उन पूरी की पूरी ढाणियों को विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जोड़ने का एफिडेविड दे दिया गया है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो ढाणियां ऐसी हैं जिनको विभागीय उदासीनता की वजह से या विभाग की भूल की वजह से जोड़ा नहीं गया है। भाटियों की ढाणी और खिलेरियों की ढाणी, 2003 का पीएचईडी का जो सर्वे है, उसमें भी ये चिन्हित ढाणियां हैं खिलेरियों की ढाणी और भाटियों की ढाणी, लेकिन इन दोनों ढाणियों को नहीं जोड़ा गया। ये लोग अपेक्षा भी करते हैं, यह उम्मीद भी रखते हैं कि जब पूरे प्रदेश की ढाणियों को जोड़ दिया गया तो इन ढाणियों को क्यों नहीं जोड़ा गया। इन दोनों ढाणियों के लोगों के साथ भारी अन्याय हुआ है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ढाणियां वंचित रही हैं यदि पीएमजीएसवाई का पूरा हो गया है तो किसी भी योजना में लेकर इन ढाणियों को जुड़वायें जिससे कि समान रूप से समानीकरण किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोबखंड मुख्यालय है कोलायत, उसको दो टुकड़ों में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। यहां बीकानेर से जैसलमेर तक माल गाड़ियां अधिक गुजरती हैं जिनकी वजह से, इस फाटक की वजह से कोलायत को दो टुकड़ों में

(श्री भंवरसिंह)

विभाजित कर दिया गया है। कोलायत मुख्यालय की रेल फाटक की समस्या लंबे समय से है, इसका निराकरण भी मंत्री महोदय करवायें।

इसके साथ-साथ बीकानेर से जोधपुर जाने वाला जो एनएच है, मंत्री महोदय बीकानेर से नागौर तक का पिछले तीन सालों से यह अधूरा पड़ा है। मंत्री महोदय, इस एनएच की वजह से इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं कि पूछो मत। जिसको भी आपने ठेका दिया है वह ठेकेदार बीच में काम बंद करके बैठा है। मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर से नागौर एनएच का जो अधूरा निर्माण कार्य है उसको तत्काल पूरा करवाएं और इस रोड पर जो पलाना के पास रेलवे फाटक हैं, उन रेल फाटकों की समस्या का भी समाधान करें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं बीकानेर से सूरतगढ़ जाने वाले एनएच की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस प्रकार के बीकानेर से नागौर के हालात हैं, उसी तरह से बीकानेर से सूरतगढ़ एनएच की स्थिति बनी हुई है। बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, बीकानेर शहर तीन तरफ से रिंग रोड से जुड़ा हुआ है लेकिन जैसलमेर सड़क से जोधपुर सड़क जो करीब 28-30 किलोमीटर लम्बी सड़क है, उस सड़क को एनएच घोषित करके बीकानेर शहर के चारों तरफ रिंग रोड का कार्य पूर्ण करने के लिये आपसे बार-बार मांग भी की गई है। मंत्री महोदय, आपने सर्वे भी करवाया है और आपने वहां की जनता को आश्वासन भी दिया है कि बीकानेर में जो भारी ट्रैफिक का लोड है, उस लोड को कम करने के लिये बीकानेर बाइपास के निर्माण का जो अधूरा कार्य है, उसको हम शीघ्र पूरा करायेंगे। मंत्री महोदय, आपने बीकानेर की जनता को आश्वासन दिया था ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें और गागर में सागर भरें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जी, जी। उस रिंग रोड के कार्य को भी आप अतिशीघ्र पूरा करायें। आज मैं बीकानेर की जनता की तरफ से उम्मीद करना चाहूंगा कि उस बाइपास के निर्माण को भी आप पूरा करायेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप रुकना जरूर।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बिलकुल रुकेंगे। आपके हर भाषण को हमने सुना है लेकिन सभापति महोदय, मंत्री महोदय सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष

(श्री भंवरसिंह)

का भी पूरा ख्याल रखें, उसके लिये हम आपका संरक्षण चाहेंगे और मंत्री महोदय का विश्वास भी चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप समानीकरण रखते हुए, क्योंकि प्रदेश की सड़कों पर प्रदेश का आम आदमी चलता है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र की 500 किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों का जिक्र मैंने किया ही है। सभापति महोदय, हालांकि पहले स्थगन के माध्यम से चर्चा भी हुई है। हमारे क्षेत्र की बज्जू से सांखलाफांटा और सांखलाफांटा से नोखा की तरफ जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क को जिस योजना में आपने दिया है, मैं उस योजना का जिक्र करना चाहूंगा कि पीपीपी मोड पर आपने उस सड़क को प्रस्तावित तो किया है लेकिन उस सड़क के निर्माण का कार्य अभी तक उस कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है। आप किसी भी अन्य एजेंसी से, जो हमारे क्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़क है, उस सड़क का आप निर्माण कराएं।

श्री सभापति: कृपया पूर्ण करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, इसके अलावा एक एमडीआर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र का एमडीआर 35 है जो दासोड़ी से बीकानेर तक जाता है। यह बीकानेर से जोधपुर जिले को जोड़ने का एक शोर्ट रास्ता हो सकता है। पहले यह अलग-अलग टुकड़ों में बंटी हुई रोड थी और यहां सदन में मांग करने के बाद इसको एमडीआर 35 घोषित किया गया है। इस एमडीआर को डवलपमेंट करने की मांग पूरे इलाके की है जो बीकानेर से बज्जू, दासोड़ी, खिंदासर होते हुए ओसियां की तरफ यह रोड जाती है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क पर भी ध्यान दिया जाये और इसका विकास किया जाये। आपने बोलने के लिये समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद साहब। मैं आज डिमांड सड़कें व पुल में मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की ओर सम्माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र बार्डर एरिया है और उसमें सीमावर्ती एरिये को कवर करने के लिये नक्शा तैयार किया गया। वहां के स्थानीय नेताओं ने इसका नक्शा ही

(श्रीमती सोना देवी)

चेंज कर दिया। पूर्व दिशा की ओर उस नक्शे को मोड़ दिया, जबकि यह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था। मैं मांग करती हूं कि पीएस एरिये के 22 गांवों को कवर करने के लिये यह नक्शा बने और भारतमाला सड़क बननी चाहिए, यह मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करती हूं।

फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड फेज में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ बनाये गये। जो बनाये गये उनके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूं, सरकार का धन्यवाद करती हूं, लेकिन सैकिण्ड फेज में विजयनगर तहसील और पंचायत समिति विजयनगर को भूल गये, इस ओर भी मैं माननीय महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सैकिण्ड फेज में जिन सड़कों और गौरव पथ को नहीं लिया था।

एक पंचायत हैडक्वार्टर पर प्लान किया गया है कि ये 5 ए.एस. सड़क गौरव पथ को नहीं लिया जायेगा, क्योंकि यह मिसिंग लिंक से लाभान्वित है। मैं निवेदन करना चाहूंगी लाभान्वित होने के बाद भी इस 5 ए.एस. सड़क को भी गौरव पथ में लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो आपका चतुर्थ फेज है, इसमें भी रायसिंहनगर के जो तीन गौरव पथ आप काट रहे हैं। मिसिंग लिंक से लाभान्वित होने के कारण आप काट रहे हैं, खाटा, ख्यालीवाला और 12 एनआरडी। मैं मांग करती हूं कि इन पंचायत हैडक्वार्टरों के गौरव पथ को भी जोड़ा जाए, जो मिसिंग लिंक से लाभान्वित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करती हूं।

इसके साथ ही मिसिंग लिंक सड़कें बनाने के संबंध में मैं मांग करती हूं कि 20 पीएस से अनूपगढ़ रोड तक 2 किमी, सलेमपुरा से 17 एस.ए.डी. रोड तक 4 किलोमीटर, 11 बीजीडी से 18 जीबी तक ढाई किलोमीटर, 6 पीएस से गंगुवाला तक 0.75 किलोमीटर, मोखमवाला से 7 एसजेएम तक 3 किलोमीटर, 62 एनपी लिंक रोड से चक 61 एनपी होते हुए ततारसर (50 एनपी) तक 5 किलोमीटर, 4 बीपीएम से डाबला ढाई किलोमीटर, विजयनगर रोड से 3 जेकेएम वाया 5 जेकेएम तक 3 किलोमीटर, 2 एमके से उड़सर तक ढाई किलोमीटर, 26 एफएफ से 25 एफएफ ढाई किलोमीटर, 74 आरबी से 20 आरबी तक 3 किलोमीटर, खिंचिया मोड़ गुरुद्वारा साहिब से सूरतगढ़ ब्रांच नहर तक 3 किलोमीटर, खाटां से लखाहाकम वाया बीओपी काकूसिंहवाला तक 5 किलोमीटर, 7 एलसी हरिपुरा लिंक रोड से 7 एनपीबी डेढ़ किलोमीटर।

(श्रीमती सोना देवी)

इसके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की रिकारपेटिंग करने के संबंध में भी मैं मांग करना चाहूंगी। 6/8 एएलपीएम से सलेमपुरा तक जो रोड क्षतिग्रस्त है, उसके लिए भी मैं मांग करती हूं कि इसका भी पुन: निर्माण किया जाये। अनूपगढ़ व सूरतगढ़ रोड से 10 सरकारी तक जाने वाली लिंक रोड जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, इसकी भी मैं मांग करती हूं। 10 एएस से 40 जीबी तक मैं मांग करती हूं। कालू वाला ढाबा से रामसिंहपुरा तक मांग करती हूं। (व्यवधान) मैं सरकार से जो जल्दी-जल्दी मांग कर रही हूं, क्या वह प्रिंट नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: यह हमारा काम है। सरकार का काम नहीं है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं जल्दी-जल्दी बोल रही हूं, क्या इससे आपको चिन्ता हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लिखने में दिक्कत हो रही है। लिखेंगे नहीं तो मंत्रीजी घोषणा कैसे करेंगे?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं जल्दी-जल्दी बोल रही हूं तो क्या आपकी सरकार को दिक्कत हो रही है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये लिख नहीं रहे हैं, इनका काम टोकना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मेरी बात सुनो। आपको आसन को संबोधित करना है। वे कुछ भी बोलें, आपको ध्यान नहीं देना है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): आपको ही संबोधित कर रही हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह लग रहा है कि इतनी सड़कें बनने के बावजूद भी रायसिंहनगर की इतनी लम्बी लिस्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करती हूं कि कालू वाला ढाबा से रामसिंहपुरा तक, खिंचिया मोड़ से सलेमपुरा रोड तक, घग्घर नदी के लिये पुल की भी मैं मांग करती हूं। 90 जीबी पुल की मैं साढ़े चार साल से बार-बार मांग कर रही हूं। मेरे को लगता है कि आज तो घोषणा करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिये वोट भी लेने हैं। मेरे खयाल से पिछले दस साल से कोई बीजेपी सदस्य वहां से विधान सभा में आया ही नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि मैंने जो सड़कों की मांग की है और घग्घर नदी पर 90 जीबी की पुलिया मैं प्राथमिकता से चाहूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूं कि आज ये

(श्रीमती सोना देवी)

घोषणा करेंगे। मुझे इनसे आशा भी है। अनूपगढ़ शाखा से आरडी 83-84 के मध्य मोटासर चक, 5 एएस व 6 एएस को जाने वाली सड़क जो कि आवागमन की पुलिया है। वैसे तो यह सिंचाई की पुलिया है, लेकिन मैं मांग करती हूं कि हो सकता है कि सिंचाई मंत्रीजी के पास इसके लिये फण्ड न हो तो पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी इस पुल का निर्माण कर देंगे। यह मैं आशा करती हूं और मैं मांग करती हूं।

इसके साथ ही मेरी छोटी-छोटी सड़कें हैं, जो कि नई सड़कें हैं। श्यामगढ़ सरदारपुरा बिका लिंक रोड से 7 एनजेडपीडी 2 किलोमीटर, श्यामगढ़ से भैरूबाबा मंदिर आधा किलोमीटर, रायसिंहनगर करडवाडी लिंक रोड से 14 एनपी 300 किलोमीटर, 1 एनपी गांव से पदमपुर जैतसर लिंक रोड 2 किलोमीटर, 75 एनपी से 76 एनपी एक किलोमीटर, 41 एनपी से 42 एनपी 2 किलोमीटर, मुकलावा से जोटावाली वाया 16 टीका 2 किलोमीटर, 28 जीबी से 3 एएस (51 आरडी) अनूपगढ़ शाखा तक ढाई किलोमीटर, 62 एनपी लिंक रोड से नहर की पुली होते हुए 65 एन की ओर 2 किलोमीटर, भदवाला से फौजूवाला दूरी 3 किलोमीटर, 18 पीएस से रिडमलसर रोड दूरी 1 किलोमीटर, 8 बीएलएम से बिलोचिया दूरी ढाई किलोमीटर, 29 पीएस से अनूपगढ़ रोड दूरी 2 किलोमीटर, 62 आरबी से राजपुरा दूरी 2 किलोमीटर, हरिपुरा से करडवाली रोड दूरी 2 किलोमीटर।

इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि 4 एफडी से 5 एफडी वाया बीएसएफ पोस्ट पर 4 किलोमीटर की मैं मांग करती हूं। रायसिंहनगर से गजसिंहपुर जो सड़क आपने रिकारपेटिंग की है, इसके संबंध में भी मैं सदन में कहना चाहूंगी और माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हाल ही में कुछ ही समय पहले रिकारपेटिंग से रायसिंहनगर से गजसिंहपुर तक जो रोड बनी है, वह बनते ही टूट गई है। मेरे खयाल से इसमें मैटेरियल सही नहीं लगा है, इसकी जांच की जाए और इसका पुन: निर्माण किया जाए क्योंकि हाल ही में इसकी रिकारपेटिंग हुई थी। जिन सड़कों एवं मिसिंग लिंक की मैंने मांग की है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी मांग पर प्राथमिकता देते हुए आज माननीय मंत्री महोदय जी घोषणा करेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय भीम।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): ये मेरी मांगें हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या यह उनका स्वविवेक का निर्णय है। वे आपके कहे अनुसार नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आपने मुझे मांग संख्या 19 - लोक निर्माण और मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज इन दोनों मांगों को लेकर सत्तापक्ष से माननीय ज्ञानचंद जी पारख ने अपनी बात को रखना शुरु किया। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता। आजादी के बाद सड़क के मामले में जितना चार साल में काम किया है, 70 साल को स्वर्णिम अक्षरों में अगर लिखा जायेगा तो यह भाजपा राज के चार सालों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चार साल में सार्वजनिक निर्माण मंत्री आदरणीय युनुस खान जी ने राजस्थान में रोड मैप बनाकर जो काम किया और जितने एन.एच. हाइवे राजस्थान को मिले हैं, इससे पहले की सबकी यदि गणना कर लें तो संख्या आधी रहेगी। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने राजस्थान को एक गति देने का काम किया है। यह बात सही है कि जिस प्रांत की सड़कें अच्छी होंगी, उस प्रांत की विकास की गति की गणना उससे होगी। पूरे राजस्थान की चर्चा नहीं करके..। सड़क के मामले में माननीय मंत्री महोदय ने 61 अरब 51 करोड़ 44 लाख 10 हजार का जो बजटीय प्रावधान किया है। आज व्यवस्था रखी है। हम पिछले राज की चर्चा करें। कांग्रेस के मुख्य सचेतक आदरणीय डोटासरा जी ने जो बात कही। कुछ आंकड़े रखे कि ये काम अभी अधूरे हैं। इतनी सड़कें गांव से नहीं जुड़ीं। इतनी सड़कों का रिनुअल नहीं हुआ। अच्छा होता कि कांग्रेस के राज के पांच साल का आंकड़ा रखते और हमारे चार साल के राज के आंकड़े की तुलना करते, तब उनको पता चलता कि कांग्रेस के राज और भाजपा के राज में कितना अंतर है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी कमी को छिपाता है और अपने पापों को दूसरों पर लगाने का प्रयास करता है। वही काम कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने किया है। संसद की स्वच्छ परम्परा है कि अपनी बात रखें, लेकिन दूसरे ने जो काम किया है, उसकी चर्चा करें। अच्छा काम है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। कांग्रेस के पिछले राज में कांग्रेस के विधायक चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर के लिए सैक्रेटेरियर में चर्चा करते थे, घूमते थे और अपनी वेदना रखते थे। शायद ये पहला अवसर है चार साल का जब भारतीय जनता पार्टी के राज में, चाहे एमएलए भाजपा का है या

(श्री रामहेत सिंह यादव)

नहीं है, समान रूप से सब जगह काम हुआ है। आदरणीय श्रवण जी सामने बैठे हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन ये अभी मुझे बता रहे थे कि इनके क्षेत्र में अभी इतना काम हुआ है, जो पिछली चार योजनाओं में काम नहीं करा पाए। इतना भारतीय जनता पार्टी के राज में इनके क्षेत्र में काम हुआ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पीपीपी मोड है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अब ये पीपीपी मोड है या दूसरा मोड है, यह तो आप बताएंगे। काम तो हुआ है ना। आपके राज में पीपीपी मोड कहा चला गया था। लोगों को सुविधा तो मिल रही है। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे। आपके राज से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में आपके क्षेत्र में काम हुआ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पीरियड पूरा हो गया ना। अब दोबारा खोल दिया खाता। हमें तो पीपीपी मोड पर ही रहना है। चिन्ता न करो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आपके राज से तो ज्यादा काम हुआ है ना? आप कांग्रेस के एमएलए थे, चौथी बार एमएलए थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ज्यादा काम हुआ है। लूट-खसोट हुई, बलात्कार हुए, बहुत ज्यादा हुए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आसन को संबोधित करके अपना वक्तव्य दें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जी साहब, मेहरबानी। मैं हमारे जिले की चर्चा करना चाहता हूं। चाहे गौरव पथ की बात करें, चाहे नोन-पेचेबल सड़कों की बात करें। आरआरआईडीएफ 20, 21, 22, 23 की बात करें। मिसिंग लिंक है। एनसीआर पीबी में हमारे यहां पर पहली बार 629.67 किलोमीटर सड़कों के लिए 931.89 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जिसके कारण 38 सड़कों का काम हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का इसके लिए अपने जिले की ओर से आभार प्रकट करता हूं। कुल मिलाकर अलवर की बात करें तो 1516 काम 3848.48 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें जिसमें 3126.96 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं हम पिछले एक साल की चर्चा करें तो हमारे जिले के अन्दर 854 सड़कें जो 2205 करोड़ रुपए की 2205 किलोमीटर सड़कें हैं जिनको मंजूर किया, जिनके टेंडर हो गए। काम आधे से ज्यादा हो

(श्री रामहेत सिंह यादव)

गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूं।

जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की बात करता हूं। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। एनसीआर पीबी की जो सड़कें हैं...

श्री सभापति: श्रवण जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ...290 करोड़ की सड़कें जिसका फायदा मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। चार साल के अन्दर 466.69 किलोमीटर लम्बाई की 429.89 करोड़ रुपए राशि आपने सड़कों के लिए सैंक्शन की है। मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के कम्पेरिजन में हम अलवर जिले की सड़कों की, पुल की चर्चा करें तो निश्चित रूप से 300-400 गुना हमारे यहां काम हुआ है। लेकिन इसके साथ में आग्रह करना चाहता हूं कि हम एनसीआर का पार्ट हैं। राष्ट्रीय राजधानी परियोजनाओं में जैसे हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है और राजस्थान का अलवर जिला है। हम जैसलमेर से अलवर की तुलना नहीं कर सकते। हमारा तुलनात्मक अध्ययन होगा तो गुड़गांवा से करना पड़ेगा जो हरियाणा में है। यूपी में फरीदाबाद पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है, उससे हमारी तुलना होगी या दिल्ली के एनसीआर ग्रामीण क्षेत्र से हमारी तुलना करेंगे। हम एनसीआर के मामले में जब हम अन्य स्टेटों से तुलना करते हैं तो अलवर जिले में अन्य स्टेटों की तुलना में एनसीआर के हिसाब से कम काम हुआ है, उसमें और आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 968 करोड़ रुपए आपने लाकर अलवर जिले में फर्स्ट फेज के रूप में काम किया है। अलवर की जितनी भी बाकी सड़कें हैं, उनको एनसीआर सैकण्ड फेज में डालकर अलवर सम्पूर्ण विकास की बात आप करें।

पिछले दिनों मैंने सदन में भी कहा था जीटी रोड से रोहतक होते हुए जो एनएच 8 को मिलाने वाला एनएच 71ए है, उसको अगर आप बढ़ाकर के एनएच 27 जो जयपुर-आगरा रोड है, इसको फोर लेन करें और इसको नेशनल हाईवे घोषित करें ताकि जो अन्य एनएच 71ए है, एनएच 48ए है, एनएच 921 है, एनएच 27 है, ये सारे जो नेशनल हाईवे हैं जो अलवर-दिल्ली के लोड को, ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट करेंगे, सुविधा देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एनएच 71ए को जो एनएच 8 पर आपने रोक दिया है, उसको

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कम से कम गढ़ीबोलनी चौक से लेकर किशनगढ़बास जो मेरे विधान सभा का मुख्यालय है, वहां तक फोर लेन करने की आवश्यकता है। उसके बाद किशनगढ़बास से अलवर तक पहले से ही फोर लेन है। उसके बाद अलवर से सिकन्दरा तक अगर आप उसको नेशनल हाईवे घोषित करा कर फोर लेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को अन्य स्टेटों की तुलना में जो एनसीआर का क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली और सवाईमाधोपुर, इन जिलों को व्यापारिक दृष्टि से फायदा होगा और आवागमन के संसाधन मिलेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मेरे यहां कांग्रेस के राज में अवैध खनन बहुत होता था। आपने बहुत सारी सड़कों को ठीक भी कराया है। आपने पहली बार अलवर जिले में डीएमएफ के फण्ड से 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके 24.30 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारे और भी सड़कों की आवश्यकता है। पिछले दिनों मैंने आपसे आग्रह किया था कि कोटपूतली, जयपुर ग्रामीण से या नीमकाथाना से जो ट्रैफिक आता है, वह बानसूर होकर मेरे क्षेत्र में किशनगढ़बास आता है और फिर वह कोटकासिम होकर गढ़ीबोलनी चौक या भिवाड़ी जाने का इधर से है। इस पर लोड बढ़ा है इसलिए हमारे लोकल लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि खैरथल-बघेरीकलां-माछरोली-दौलतपुर-बीबीरानी-जौड़ियां-भौंकर-मौधुपुर-टपूकड़ा तक सिहाली कलां-बाबा कुन्दनदास मंदिर-बाबा मथुरादास मंदिर-गुरगचका मोड़-बघेरी कलां-गोठड़ा-गहणकर-भिण्डूसी तक, बीरणवास-जाटूवास चौक-मतलवास-जमालपुर-कतोपुर-भौंकर-गैलपुर तक। ये तीन सड़कें ऐसी हैं जो हमारे बीबीरानी कालेज को भी जोड़ती हैं...

(16.28 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

हमारे अनाज मंडी खैरथल को भी जोड़ती है, हमको तहसील मुख्यालय मुण्डावर से भी जोड़ती है। शैक्षिक दृष्टि से हमारे कालेजों को भी जोड़ती है। हमारे उपखण्ड कार्यालयों को भी जोड़ती है। मैंने पिछले दिनों आपसे आग्रह किया था। आपने पिछले सत्र में आश्वासन भी दिया था कि मैं इन सड़कों को बनवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आज इसके लिए बजटीय प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। आज ही घोषणा करेंगे।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इसके अलावा हमारे मेवात में रावका चौकी से मॉडल स्कूल होते हुए कोलगांव तक, यह साढ़े पांच किलोमीटर सड़क है। जन संवाद में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने यह विषय आया था और सिद्धांत: उस समय भी सहमति बनी थी। मैं मानता हूं आज इसके लिए भी बजटीय प्रावधान करेंगे।

एक आपने हमको जगताबसई-राताखुर्द-बालनबसई-शामाकाम जिलोता-इस्माईलपुर-बाघौर गंज और उसके बाद किशनगढ़ बाईपास के लिए आपने 30 करोड़ रुपए एनसीआर में दिया है। उसमें एक हिस्सा फोरेस्ट विभाग में आता है जो साढ़े पांच किलोमीटर है। उसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको जल्दी बात करनी पड़ेगी जिससे वह सड़क बन जाए।

बालनबसई में शामाकाम से जगताबसई-राताखुर्द और राताकलां अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो रास्ता नहीं है और फोरेस्ट विभाग के माध्यम से ही रास्ता जाता है। 5 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो वन विभाग के क्षेत्र में है। चार साल पहले जब हमारा राज बना था उस समय जन भावनाओं के हिसाब से 60 लाख रुपये हमने नरेगा में सैंक्शन करके उसको ग्रेवल बनाया हुआ है। कोई अल्टरनेट रोड नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सड़क को बनाने की भी आप बात करेंगे।

एनसीआरपीबी में आपने 30 करोड़ रुपये स्वीकार किया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि गंज से बासकृपाल नगर तक, गंज से बाईपास तक तो आपने स्वीकार कर दिया लेकिन गंज से बासकृपाल नगर को और जोड़ देंगे तो किशनगढ़ में भी बाईपास का काम यह सड़क करेगी। उसकी सेविंग में से, जगताबसई राताखुर्द, इस्माईलपुर और गंज तक और बाईपास तक जो रोड एनसीआरपीबी में है उसकी सेविंग में से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह दो किलोमीटर सड़क है। अगर आप गंज से लेकर बासकृपाल नगर को जोड़ देंगे, जहां पर अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कालेज की भी घोषणा की है, तो किशनगढ़ को, बाजार बंद होता है, ट्रैफिक के कारण परेशानी होती है, किशनगढ़बास में भी एक बाईपास का काम करेंगे।

इसके अलावा मेरे यहां कोटकासिम उपखण्ड कार्यालय में गौरव पथ की, आपने सब जगह कहा है, मेरे यहां नरेगा में पहले से गौरव पथ सैंक्शन हो गया था, केवल कोटकासिम का गौरव पथ बाकी है, मैं उसके लिए भी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आपसे आग्रह करता हूं कि उस गौरव पथ को भी आप स्वीकार करेंगे और उसको भी साथ-साथ बनवाएंगे।

इसके अलावा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने रिन्युअल का काम किया है वह ऐतिहासिक है। फिर भी कुछ ऐसी सड़के हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में डम्पर बहुत ज्यादा चलते थे, अवैध खनन होता था, गांव की सड़कों को भी तोड़ दिया था इसलिए कुछ सड़कें जिसमें खानपुर मेवान से तीतरका और तिजारा तक जोड़ती है वह साढ़े छह किलोमीटर है। बासकृपाल नगर से तरवाला, सांथलका ढ़ाई किलोमीटर है। झीरंडीया से खेडला तीन किलोमीटर है। बसई बिरथल सम्पर्क सड़क ढाई किलोमीटर है। लंगडबास बोलनी सड़क दो किलोमीटर है, खोतरा पीपली ढाई किलोमीटर सम्पर्क सड़क, सम्पर्क सड़क खेड़ा एक किलोमीटर है, सम्पर्क सड़क देवता 2.2 किलोमीटर है। इसके अलावा बीबीरानी से जौडीया 12 किलोमीटर है, कोटकासिम से नसोपुर दो किलोमीटर है, सम्पर्क सड़क गुणशार, सम्पर्क सड़क करवड, सम्पर्क सड़क पतलिया, इसके अलावा कुमपुर से रायपुर होते हुए रड़वा सिहाली 6 किलोमीटर है, जो सड़कें टूटी हुई हैं। मैं मानता हूं कि इसको भी रिन्युअल करने का काम करेंगे।

एक बात लोक निर्माण विभाग की मांग 19 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहां पर उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम है। कोटकासिम में एसडीएम, तहसीलदार का निवास नहीं है, न ही बीडीओ, नायब तहसीलदार का है। तहसील भवन की हालत जर्जर अवस्था में है। अन्य विभागों के भवन बने हुए हैं वह भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। सभी आफिस एक जगह आ जाए, इसके लिए मिनी सचिवालय के लिए भवन बन जाए जिसमें सभी विभाग आ जाएं। अधिकारियों के आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। एसडीएम कोटकासिम का निवास, जिसमें पहला फोर्थ क्लास रहता था उसको ठीक कराकर रह रहे हैं। ऐसे ही तहसील मुख्यालय है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वही रहते हैं, वहां पर एक चौकीदार का कमरा था उसको ठीक कराकर दोनों उसी में रहते हैं। अन्य विभाग के अधिकारी जैसे बीडीओ हैं, उनके लिए भी कोई आवास की व्यवस्था नहीं है। मैं मानता हूं कि आप इन सबको बनवाने की कृपा करेंगे। वैसे आपने हमारे एनसीआर क्षेत्र में बहुत पैसा दिया है। मैं पुन: तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, मैंने मेरी मांग रखी हैं। मांग की रिप्लाई में जब आप जवाब दें तब मैंने जो कुछ छोटी-छोटी बातें रखी हैं उनको भी आप स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति: श्रीमान सुंदरलाल जी क्या बोल रहे हैं। सुंदरलाल जी बैठे बैठे क्या बोल रहे हैं?

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): कुछ नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: नहीं, आपने अभी कुछ बोला बैठे-बैठे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): काका की तबीयत खराब है, और मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है आज। मुझे बता रहे थे, मैंने पूछा था। (व्यवधान) काका खुद ही बता रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह एक्सपंज कराइये क्योंकि मानसिक रूप से किसी की हालत ठीक नहीं कहना और फिर रिकार्ड पर बात आ जाना ठीक नहीं है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, मेरे और काका के बीच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहां से आ गए।

श्री सभापति: यह तो हर किसी के बीच में आएंगे भइया ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मैंने जो तीन सड़कें रखी हैं, माननीय मंत्री महोदय ने जिनकी घोषणा की थी ...(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): राजेन्द्र राठौड़ मेरे बीच में नहीं आए तो किसके बीच में आएंगे। 24 घंटे मैं साथ हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं जब आसन पर हूं तो निश्चित रूप से माननीय राजेन्द्र जी उनके बीच में आएंगे ही आएंगे। (व्यवधान) बोलिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, मुझे गलतफहमी थी पिछले 9-10 दस साल से जो आज दूर हो गई है। मैं रोजाना इनके पैर छूता हूं, काका कहते हैं बेटा, आपसे ज्यादा लाड़ला इस विधान सभा में कोई नहीं है। आज मुझे पता चला, मेरे से पहले तो राजेन्द्र जी हैं ...(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): सौ परसेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। राजेन्द्र और हमारा तालुक्कात अलग है।

श्री सभापति: सबको यही कहते हो ...(व्यवधान) सबको यही कहते हैं। आप अपना भाषण कमप्लीट करो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि आपने पिछले बजट सैशन में तीन

(श्री रामहेत सिंह यादव)

सड़कों की घोषणा की थी उसके लिए भी आज स्वीकृति देंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री मास्टर मामन सिंह जी। एक मिनट विराजिए। समय बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 सार्वजनिक निर्माण विभाग पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शासन में और जब भी गैर कांग्रेसी कोई सरकार रही, हिन्दुस्तान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो योजनाएं चलाई वह पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिन्दुस्तान में ऐतिहासिक, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि प्रत्येक गांव प्रधान मंत्री सड़क योजना से जुड़ा। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के चार साल के शासन काल में सड़कों का बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ। गौरव पथ, पहली ऐसी मुख्य मंत्री, पहली ऐसी नेता हैं, हमारे सड़क मंत्री युनुस खान जी, जिन्होंने यह सोचा कि गांव के अन्दर कीचड़ मिटना चाहिए। पूर्व में जो भी सरकारें आई, केवल शहरों में ही विकास हुआ। शहरों में ही गौरव पथ और सड़कें बनीं। यह पहली सरकार है जिन्होंने गांव में गौरव पथ, जिससे गांव का गौरव, गांव की प्रतिष्ठा बढ़ी है और गांव वालों को लगने लगा है कि

(मास्टर मामन सिंह यादव)

हम भी इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। पहले गुजरात बोर्डर पर जाने के बाद और इधर हरियाणा, तो यह लगता था कि राजस्थान से निकलते ही गुजरात आ गया। टूटी हुई सड़कें आती तो कहते थे कि राजस्थान आ गया। आज हरियाणा की तरफ हम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, राजस्थान में घुसते ही अब यह पता लगने लग गया कि राजस्थान आ गया है। माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्री महोदय ने सब सड़कों का नवीनीकरण किया। ऐतिहासिक काम किए हैं। वैसे तो हर विभाग ने किए हैं। जैसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार रही, स्वर्गीय माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री रहे, हमारी साझा की हुई सरकार दिल्ली में प्रधान मंत्री वीपी सिंह जी के समय किसानों के दस हजार कर्जे माफ हुए। अब 50 हजार तो यह भी ऐतिहासिक काम हुआ है और मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना तो इसके लिये सड़क पर, आज इसी विभाग पर डिमाण्ड है। मैं हृदय से माननीय मुख्य मंत्रीजी का और हमारे माननीय पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी आदरणीय युनुस खानजी का तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी सोच गांव के विकास, चाहे राजमार्ग हों, चाहे गांव की सड़कें हों, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे टूटी हुई सड़कें, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने, किसी मुख्य मंत्री ने, किसी मंत्री ने यह विचार किया कि रास्ते सही होने चाहिए। सड़कें टूटी पड़ी थीं। पूर्व सरकार में, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे माननीय सदस्य मेरे भाई आदरणीय रामहेतजी ने जिले की सारी स्थिति अवगत ही करा दी है। इतने पैसे, इतनी सड़कों का बजट दिया है, अलवर जिले को तो निहाल कर दिया। सब सड़कें, एक भी सड़क हमारी नहीं बची जो कोई टूटी पड़ी हो। मैं विशेष रूप से तिजारा की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय कम दिया जायेगा, थोड़ी देर में घण्टी बज जायेगी।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कोई घण्टी नहीं बजाएगा। आप तो बोलें।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): जी साहब, मैं तिजारा की बात करना चाहूंगा। चार साल पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे पूर्व माननीय चिकित्सा मंत्री और केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री, उनके संरक्षण के कारण इतना अवैध खनन होता था कि हजारों-हजारों डम्पर निकलते थे और सड़कें इतनी चकनाचूर हो गई थीं। ऐसी-ऐसी सड़कें थीं, जिसमें कोई कालापन ही नहीं था। मिट्टी आ गई थी। रोड़ी वगैरह सब खिर गई थी।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तिजारा में माननीय मंत्री महोदय ने एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी, मुख्य मंत्रीजी जब अभी जन सभा में गईं, रही-सही, उस समय और बजट दे दिया और सभी सड़कों पर काम चल रहा है। एक-डेढ़ महीने में वह पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम यह कह सकते हैं, तिजारा के अन्दर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में और विपक्षियों को भी मैं कई जगह कह भी चुका हूं कि दो महीने बाद हम पेपर में निकलवाएंगे कि तिजारा में टूटी सड़क बताओ और इनाम पाओ। ऐसी सरकार को धन्यवाद। यह बहुत ही पाक है, जो शब्दों में धन्यवाद नहीं, बहुत ह्रदय से, तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं।

सभी गांवों में, मुख्यालय पर गौरव पथ बन गये, इतना द्रुत गति से काम हुआ है, गुणवत्तापूर्ण गौरव पथ। लोग गांवों में कह रहे हैं कि सड़कें तो खूब देखी थीं, पहले खूब बनी थीं लेकिन लीपापोती होती थी, टूट जाती थीं। अब इतना अच्छा गौरव पथ, जिसके अन्दर नाली भी और लाइट की और व्यवस्था कर दी। दो लाइट, एक इधर लगेगी और एक इधर लगेगी। इतना अच्छा काम हो रहा है। मांग तो मेरी कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहीं तिजारा में इतने पैसे दे दिये, क्योंकि एन.सी.आर. का भी हमारे खूब बजट है। बाकी जो लम्बी सड़कों का, आदरणीय सदस्य माननीय रामहेतजी ने सारी बता दी।

अब एक छोटी-सी बात रह गई। एक तो पूर्व सरकार के समय चार-पांच छोटी ढाणियां, जिनमें पांच सौ से ज्यादा आबादी है, मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और दो गांव, जो कागजों में दिखा दिये कि ये प्रधान मंत्री सड़क योजना से जुड़ गये। जबकि मौके पर ये गांव जुड़े नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों की जांच कराई जाए। जिस एजेंसी ने चार-पांच-छह साल पहले, जिन्होंने ये गांव जोड़े बिना ही प्रधान मंत्री सड़क योजना से दिखा दिये, उनकी जांच कराई जाए, उन पर कार्यवाही कराई जाए और इनको प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ने के प्रस्ताव भेजकर करवाये जाने की कृपा करें। ये कागजों में दिखा दिये तो मंत्री महोदय कहां से दें। तो, उनका अवलोकन करने की, जांच करने की आवश्यकता है। ये चार-पांच गांव हैं, लबेदार गांव है मेरे तिजारा में, रामसिंह गुर्जर की ढाणी, जो आठ-नौ सौ की ढाणी है, गोपी भगत की ढाणी, राबड़का और झुण्डपरी, गण्डवा, ये गांव हैं जो सड़कों से जोड़े हुए दिखा दिये। गांव के अन्दर सड़क नहीं पहुंची। गांव

(मास्टर मामन सिंह यादव)

की सीमा दो किलोमीटर दूर है। वहां से कोई सड़क निकल रही है, जोड़कर कहा कि जुड़ गई जब कि गांव की आबादी दो किलोमीटर अन्दर है, और सीमा पर जुड़ी हुई दिखा दी। यह हमारी सरकार की नहीं, यह पूर्व सरकार की करतूत है तो, उनकी थोड़ी जांच करवाकर मंत्री महोदय इसको दिखवाने का काम करें।

मंत्री महोदय, आप दो साल पूर्व तिजारा गये थे। हमारे एक प्रिंसिपल साहब, प्रधानाचार्य सरजीत यादवजी, जिनके बच्चे आपके मित्र हैं, शिष्य हैं, उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम में, उसमें आम सभा के अन्दर काफी लोगों ने मांग की थी और दो सड़कें आपने, एक चार किलोमीटर की और एक साढ़े तीन किलोमीटर की, दो सड़कें तो तिजारा की घोषणा की थी और एक की थी किशनगढ़बास की तो किशनगढ़बास की तो बनकर भी तैयार हो गई, चार करोड़ आ गये। अब यह, कई बार आपका ध्यान भी इस पर आकर्षित करा दिया गया है कि यह नहीं हो पाई है। यह मिसिंग लिंक है, गोठड़ा, जो मुख्य मंत्री आदर्श पंचायत है, वहां से गहनकर, जो बाबा कमलनाथ का एक ऐसा आश्रम है, पूरे हिन्दुस्तान के कैंसर के रोगी भी वहां आते हैं। उस महात्मा की 120 साल उम्र है। उस महात्मा की 120 साल उम्र हो चुकी, वह सड़क आश्रम को जोड़ती है। यह आप घोषणा भी करके आये थे, लेकिन वह किसी कारण से नहीं हो पाई। आप निशान भी लगा देते हैं, लेकिन कई बार कैसे जुड़ती नहीं है और वह नहीं हो पाई है तो यह करने का काम करेंगे।

एक असलीमपुर से शाहबाद बड़ा कस्बा है। ये दो-तीन चीजें हैं।

एक एडिशनल बजट दिया आपने, एक-एक करोड़ का, पहले चार-चार करोड़ दे दिये नोन पेचेबल में, और फिर एक करोड़ का और दिया। उसके बाद हमें नौ-नौ, दस-दस करोड़ और दिये। उसमें कहा गया, जो भी प्रस्ताव भेज दिये, वे मत लिखना तो हमने ये नहीं लिखी। अब यह तिजारा सीमा, जो कस्बे के मुख्य द्वार से पांच किलोमीटर रह गई, आगे 11 किलोमीटर आपने दे दिया, आगे काम चल रहा है, वह तो बन गई। इसीलिये कि हमने भेज रखी है, लेकिन एडिशनल बजट कैसे, क्या नहीं हो पाया, इसलिये इसको भी अब उसमें देने का काम करें।

अब मंत्री महोदय, आपको ज्यादा बोलने की कोई बात नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी हृदय से बिलकुल आभार। तिजारा में खूब काम हुए। मैं यह पूरी उम्मीद करता हूं कि यह जो दो साल पूर्व घोषित

(मास्टर मामन सिंह यादव)

आपकी सड़क है, मैं कम से कम 25-30 बार कह चुका हूं। मेरा निवेदन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तो आप इन सड़कों की, सात ही किलोमीटर है, ज्यादा भी नहीं हैं, 15 से अलग से करेंगे। 15 में करें तो फिर तो वैसे ही लिख देना तो यह भी मेरा निवेदन है, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय गऊ माता।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये आपने जिस प्रकार से प्रयास किये हैं वे आज रंग ला रहे हैं। आपने सड़क तंत्र मजबूत किया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सड़कों के जाल से जोड़ने के लिये काफी प्रयास किये हैं। मैं आपका इस पटल से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने दो साल पहले मुख्य मंत्रीजी के आदेश से मेरे क्षेत्र में 77 करोड़ की 56 किलोमीटर सड़क बनाकर मुझे दी है। लोगों को राहत दी है, लोगों को यह सौगात दी है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने अभी हमारा एक प्रस्ताव कीर की चौकी से लगाकर फतहनगर वाया आकोला, सी.आर.एफ. मद से केन्द्र को भेजकर उसको स्वीकृत करा दिया। वह काम चालू है, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(16.49 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कारोई से कपासन-भादसौड़ा सड़क, जो दिल्ली से सैंक्शन होने के लिये तैयार है, लेकिन आपने वह प्रस्ताव अभी तक केन्द्र सरकार का मूव नहीं किया। इसलिये हमारी वह सड़क स्वीकृत नहीं हो रही है। हमारे सांसद महोदय और हम आपसे कई बार मिले हैं। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इस प्रस्ताव को मूव कर देंगे तो दिल्ली की तरफ से इसको फोर लेन बनाने का पैसा आ जायेगा। यह सड़क लिंक सड़क बनेगी। सांवलियाजी से लगाकर जो फोर लेन जा रही है चित्तौड़ से उदयपुर, वह एन.एच. जुड़ेगा। भीलवाड़ा से उदयपुर जो एन.एच. है, वह सड़क और यह सड़क, दोनों के बीच की यह जो 60 किलोमीटर की सड़क है, यदि इसको आप फोर लेन के लिये मूव करोगे तो निश्चित रूप से यह स्वीकृत हो जायेगी, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

चार वर्ष में आपने 49878 किलोमीटर सड़कें बनाकर राजस्थान को एक सौगात दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 21614 किलोमीटर नई सड़कें बनाईं। आपने स्टेट हाई-वे, नेशनल हाई-वे, एम.डी.आर., ओ.डी.आर और ग्रामीण सड़कों के तहत 28264 किलोमीटर नई सड़कें बनाकर उनको सुदृढ़ करने का काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। गांवों के अन्दर भी जो कीचड़ से सने हुए सड़कें थीं, रास्ते खराब थे, गांवों के अन्दर मच्छर होते थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री महोदया ने जो घोषणा की है। ग्रामीण गौरव पथ बनाकर 60-60 लाख रुपये की लागत से आपने ग्रामीण गौरव पथ के तहत एक-एक किलोमीटर की सड़क ग्राम पंचायत मुख्यालयों में देकर आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और साथ में यह प्रावधान भी रखा है कि जिन गांवों के अन्दर आलरेडी सी.सी. सड़कें बनी हुई हैं, यदि आप वहां पर मिसिंग लिंक लेना चाहे तो यह प्रावधान भी आपने रखा है, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

आपने शहरी गौरव पथ, जहां पर रास्ते खराब थे शहरों के अन्दर भी, वहां पर भी आपने ढाई-ढाई किलोमीटर तक शहरी ग्रामीण गौरव पथ बनाया है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अभी इस बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और आपने दोनों ने मिलकर 15-15 किलोमीटर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, आपने कोई भेद-भाव नहीं किया। यदि कांग्रेस के शासन में हम देखें तो कांग्रेस के शासन में यह देखा जाता था कि यह गांव बी.जे.पी. का है और यह कांग्रेस का है। जो कांग्रेस का गांव है उन गांवों के अन्दर सड़कें दी जाएं, उन गांवों में गौरव पथ दिया जाए और जो बी.जे.पी. के गांव हैं उनको छोड़ दिया जाए लेकिन हम सबको समान दृष्टि रखकर, राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर जो काम करती है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इसके तहत हमने 15-15 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को यह सड़क देने का काम किया है।

साथ में, अभी प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत मैं याद कराना चाहूंगा, हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने जो प्रधान मंत्री सड़क योजना के नाम से गांवों के अन्दर सड़क पहुंचाने का काम किया। पहले एक हजार की आबादी, फिर पांच सौ की आबादी और अभी ढाई सौ की आबादी के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया। गांवों के अन्दर सड़कें पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया है तो वह भारतीय

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जनता पार्टी के प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने किया है। हम उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं।

और, अब मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि जो नए आबादी के गांव बने हैं, नए रेवेन्यू विलेज बने हैं और जो मजरे ढाई सौ की ऊपर की आबादी के हैं, उन मजरों और गांवों को भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने का काम करेंगे तो राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी।

हमारे अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारम्भ करके पूरे देश को एक सड़क से जोड़ दिया, दुर्घटनाएं कम कर दीं। इतनी बड़ी सोच अगर किसी की थी तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी की थी। ईस्ट-वैस्ट कोरिडोर सड़क, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से लगाकर कटक तक, यह सड़क बनाकर इस देश को सौगात दी है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कुछ काम, जैसे उपखण्ड मुख्यालय है मेरे चार, कपासन, भोपालसागर, राशमी और भदेसर, वहां पर नए उपखण्ड तो बन गए लेकिन डाक-बंगलों में रहने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर भी यदि आप कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, अभी गत बजट में माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने, मैं माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान चाहूंगा कि गत बजट में 8 करोड़ रुपये की लागत से तीर्थस्थल मातृकुंडिया को जोड़ने के लिए दस किलोमीटर सड़क मुझे दी है, नवलपुरा से मातृकुंडिया तक लेकिन आपने उससे पहले ही वह सड़क अन्य योजना के अन्दर बनाकर दे दी है इसलिए मैंने आपसे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया था कि इस सड़क का एलाइनमेंट चेंज करके मातृकुंडिया-गोपालपुरा और मातृकुंडिया-जवासिया, इससे दो जिले राजसमंद और भीलवाड़ा जिला जुड़ेगे और भीलवाड़ा जिले से और राजसमंद जिले से आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इसका एलाइनमेंट चेंज करने के लिए देवस्थान मंत्री महोदय ने और देवस्थान सैक्रेटरी ने, उन्होंने मिलकर इसका एलाइनमेंट चेंज करने के लिए प्रस्ताव आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग के सैक्रेटरी के पास भिजवाया है लेकिन एक वर्ष से इस कागज को इधर-उधर होना पड़ रहा है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसका आप जल्दी से जल्दी संशोधन करेंगे तो ठीक हो जाएगा।

एक निवेदन, मेरे क्षेत्र की मांगों के तहत मैं यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कि कुछ सड़कें यदि स्टेट हाई-वे बन जाएंगी तो आने वाले समय में आप उनको स्वीकृत करेंगे, हमीरगढ़ से नेवरिया, मरमी, भीमगढ़, लांगच, सिंहपुर, छापरी, रेवलियाखुर्द, सुरपुर, मुरलिया, पिपलवास और बानसेन, यह भी दो एन.एच. को जोड़ने वाली सड़क है। यदि इनको आप स्टेट हाई-वे घोषित कर देंगे तो बहुत बड़ी महती कृपा होगी।

एक, यह गिलुण्ड, जो राजसमंद में है, गिलुण्ड सूरजपुरा चौराहा, धमाना, कपासन, दामाखेड़ा, रोलिया, गुमानपुरा चौराहा और भादसौड़ा, जो यह सड़क सांवलियाजी तक जाने वाली है, यह भी दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली और एक एन.एच. को जोड़ने वाली सड़क है। इनको यदि आप स्टेट हाई-वे घोषित कर देंगे तो सबसे बड़ा काम होगा।

कुछ पुलियाएं जो हैं, हमारे क्षेत्र के अन्दर अच्छी बरसात होती है और पानी भी खूब आता है, नदियां लबालब रहती हैं। अब पुलियाएं बड़ी-छोटी हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। थोड़ा-सा पानी आता है तो लोग शंकावश उसके अन्दर जाने का प्रयास करते हैं और आगे जाने के बाद में वह पानी बढ़ जाता है और कई जान-माल की हानि होती है इसलिए मेरा यह आग्रह है कि कारोई कपासन सड़क के ऊपर, सांखली के ऊपर एक पुलिया बनी हुई है बनास नदी में, इस पुलिया को ऊंची करने की आवश्यकता है। एक, भादसौड़ा के अन्दर, भादसौड़ा कपासन सड़क पर हथियाना पुलिया है, उसको ऊंची करने की और चौड़ी करने की जरूरत है। एक, हमारा सुरपुर और सुरपुरी के बीच में संगम है दो नदियों का, बाकली और बेड़च नदी का संगम है और वहां पर आए दिन हर वर्ष कोई न कोई जान-माल की हानि होती है, क्षति होती है इसलिए उस पुलिया को ऊंचा करने की आवश्यकता है।

एक दांतोली की पुलिया है, एक विरोली बांध की पुलिया है। अभी एक बाढ़ आई थी दो साल पहले, मैं जिस गांव में रहता हूं वह पूरा गांव आधे से ज्यादा जलमग्न हो गया और वह जलमग्न होने का एक कारण था कि इधर से बाढ़ नदी में आ रही है, इधर से तालाब का पानी आ रहा है, नदी का पानी वापस तालाब में जा रहा है और भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गयी। यदि पुलियाएं बड़ी होतीं तो वह पानी आसानी से निकल सकता था लेकिन वह पुलियाएं अब तक नहीं बनी हैं और फ्लड में वह पुलियाएं टूट गयी हैं इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब कामों को करें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक मांग और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सांवलिया सेठ है, मंडफिया के अन्दर। सहभागिता योजना में आप सबको पैसा देते हैं, मैंने भी सांवलिया मंदिर मंडल बोर्ड से आग्रह किया, अनुनय-विनय किया। उनको मैंने यह कहा कि जिस क्षेत्र के अन्दर आप विराजमान हैं, यात्रियों को आने-जाने की सुविधा देने के लिए मंदिर बोर्ड ने दस रोड्स को स्वीकृत करने के लिए सहमति दी है और उसमें सहभागिता का आधा पैसा मंदिर बोर्ड वहन करने के लिए तैयार है लेकिन वह फाइल भी आपके विभाग में लगभग पिछले छह महीने से अटकी पड़ी है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि सहभागिता योजना के अन्दर जितनी भी सड़कें हम बनाते हैं उनके अन्दर प्रो-रेटा चार्ज माफ करते हैं लेकिन आपने कहा, प्रो-रेटा चार्ज हम माफ नहीं कर सकते हैं। फिर वापस हमने कहा कि प्रो-रेटा चार्ज यदि मंदिर से जो पैसा लग रहा है, उसमें भी आप माफ नहीं करते हैं, मंदिर का पैसा भी प्रो-रेटा में ही लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम वह भी दे देंगे लेकिन इन सड़कों को, यह दस सड़कें हैं जो मैं बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लें, यह प्रस्ताव आपके विभाग में लम्बित है और आप जब उत्तर दें, तब इन सड़कों को आप जरूर सहभागिता योजना में लेने की कृपा करें, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। आप आदेश देंगे तो वह सड़कें मेरी बन जाएंगी।

भादसौड़ा से कपासन वाया शनि महाराज, यानी कि मातृकुंडिया भी जुड़ेगा, दरगाह कपासन भी जुड़ेगी, शनि महाराज का तीर्थ स्थल भी जुड़ेगा और सांवलियाजी का तीर्थस्थल भी जुड़ेगा और भदेसर भैरूंजी का तीर्थ स्थल भी जुड़ेगा इसलिए इस सड़क को बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

एक, भादसौड़ा, मण्डासिया से भदेसर, टू लेन बनाने की आवश्यकता है। मंडफिया से चिकारड़ा फोर लेन, एक नरबदीया से अनगढ़ बावजी, यह भी अनगढ़ बावजी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है।

सम्पर्क सड़क सांवलियाजी गौशाला से आकोला खुर्द बरखेड़ा तक, यह भी बहुत महत्व की सड़क है।

एक रूपाजी का खेड़ा से भागल तक की एक किलोमीटर की सड़क है।

एक, केसर खेड़ी से भादसौड़ा, यहां पर सांवलियाजी के आने के लिए हमेशा हजारों पद यात्री आते हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक, शहीद स्मारक की सड़क है, जो हमारे क्षेत्र के अन्दर गढ़ेड़ी में शहीद राजेन्द्र सिंहजी का बहुत बड़ा तीर्थ बन गया वह, हर साल वहां पर मेले लगते हैं, हजारों लोग उनको नमन करने के लिए आते हैं।

बानसेन से शहीद स्मारक गढ़ेड़ी सड़क का नवीनीकरण और शहीद स्मारक से लेकर पोटला खुर्द तक का नवीनीकरण, नई सड़क जो आधा पैसा हमारा मंदिर दे रहा है वह।

एक, सम्पर्क सड़क राती मगरी से संगेसरा वाया लौहाना, यह संगेसरा का बहुत बड़ा मठ है। वहां पर भी पद यात्री खूब जाते हैं और वह सांवलिया जी तक आते हैं।

एक हमारी सड़क झाड़सादड़ी से नंगाखेड़ा, वह भी महत्व की सड़क है। इन सड़कों को आप बनाकर हमारे क्षेत्र को देंगे तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारा काम ठीक होगा।

(17.00 बजे)

अंत में, एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। अभी सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने के लिये आपने हमारी मीटिंग बुलायी, उसमें प्रत्येक एम.एल.ए. को बुलाया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी सुनी और आपने पहले भी हर साल आर.आई.डी.एफ. 21, 22, 23, 24 और 25 के अनुसार रिन्युअल करने का काम किया है और अभी आपने मेरे क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से प्रधान मंत्री सड़क योजना नवीनीकरण और सैकिण्ड फेज में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिये और अभी आर.आई.डी.एफ. में या अन्य योजना के द्वारा मेरे क्षेत्र की लगभग-लगभग सवा दो सौ किलोमीटर सड़क, जिनका रिन्युअल आपके द्वारा कराया जायेगा। मेरा आपसे इतना आग्रह है कि यह टेंडर जल्दी लगें। आपके टेंडर की जो प्रक्रिया है, एक विभाग की नहीं कह रहा हूं मैं, सभी विभागों में है। टेंडर की जो प्रक्रिया है, इसका सरलीकरण करें। आप बड़े-बड़े पैकेज लगाते हैं, जबकि काम तो वास्तव में छोटे ठेकेदार ही करते हैं और यदि आप बड़े-बड़े पैकेज लगा दोगे तो बड़े-बड़े पैकेज से एक ठेकेदार मिलकर छोटे ठेकेदार का शोषण करेगा, इसलिये मेरा आग्रह है यदि आप इन सड़कों को जल्दी बनाना चाहते हो तो मार्च के अंत तक इन सड़कों के टेंडर लगाकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में यदि आपने वर्क आर्डर जारी कर दिया तो बरसात के पहले-पहले यह सड़कें बन जाएंगी और

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

यह सड़कें बन जाएंगी तो आने वाले समय में हमको यह लाभ मिलेगा। सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

व्यवस्था

नेता, प्रतिपक्ष पर लगाये गये आरोपों के संगत पत्र विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री या सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 288-289 के अधीन एक पैन ड्राइव को विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रकरण के साक्ष्य के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की प्रार्थना की गई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा आज प्रात: व्यवस्था देकर इस प्रकरण को नियम 162 के अधीन विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के आदेश दिये हैं। ऐसे में इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पैन ड्राइव व इस प्रार्थना पत्र को भी जांच व अनुसंधान की विषय-वस्तु मानते हुए मैं विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्मिलित करने की व्यवस्था देता हूं। साइन एण्ड शील्ड। श्री पूरणमल सैनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैन ड्राइव पर मैं मेरे हस्ताक्षर कर सदन पटल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां जी। श्री पूरणमल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, कालीचरण जी वाला भी भिजवा देते, यहां रखवा देते। वह भी आ जाता।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-19 व 21 पर पृथक से दिये गये कटौती प्रस्तावों पर मैं मेरी अपनी बात रखूं, इससे पहले मैं मेरी ओर से व मेरे दल की ओर से इस राष्ट्र के और संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद

(श्री पूरणमल सैनी)

देना चाहूंगा व कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश 342 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान तुलनात्मक दृष्टि से कम आबादी का राज्य है। सवा सात करोड़ की आबादी में से लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब इस राजस्थान प्रदेश को गणराज्य के रूप में गिना गया, उस समय 1949 में इस प्रदेश की सड़कों की लम्बाई 13,553 किलोमीटर थी, जो आज विभिन्न सरकारों के आते-आते चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश और प्रदेश विकासशील है, विकसित नहीं है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सदन में काफी बार कहा भी है। माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी कहा है कि बजट की उपलब्धता के आधार पर और गुणावगुण के आधार पर कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। यह बात सही है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यहां एक छोटा-सा सवाल यह है कि इस राजस्थान प्रदेश की बागडोर को जब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने संभाला, तब से लेकर हर वर्ष इस प्रदेश पर जो कर्जा था, जो अन्तरराष्ट्रीय बैंकों से लिया जाता है, वह कर्ज 10 हजार करोड़ के लगभग था, जो बढ़ता-बढ़ता 28.11 लाख करोड़ तक इन्होंने कर्ज लेकर पहुंचा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में अगर औसतन इस लिये गये कर्जे की हम बात करें तो राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक निवासी पर लगभग 34 हजार रुपये का कर्जा हिस्से में आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजबूरी होती है, चाहे वह कोई घर चलाये, चाहे कोई सरकार चलाये तो अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऋण भी लेने पड़ते हैं। ऋण लिया, अच्छी बात है। ऋण लेकर सड़क बनायी, लेकिन सरकार की दूषित मानसिकता इसमें अगर कहीं रही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो यह रही कि केवल और केवल सरकार ने जब-जब उपचुनाव आये, तो उन उपचुनावों में वोट वसूलने की नीति से और समस्त जिलों को बराबर नहीं रखते हुए, समस्त माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में नहीं रखते हुए और जहां से वोट लेने की बारी आती है, वहीं ज्यादा से ज्यादा पैसा सड़कों पर खर्च करने की कोशिश की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि किसी भी क्षेत्र के

(श्री पूरणमल सैनी)

विकास के लिये सड़क एक आधारभूत संरचना है। इसलिये आवश्यक था लोन लिया और लोन लेकर जहां कहीं भी बनाया, जो भी जिला आगे बढ़ पाया, इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय का और सरकार का धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेस के गोविन्दगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि आज तक सरकार ने विकास किया और यह कहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा भी कर दी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़क बनायी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और प्रत्येक आदमी अपने ऊपर इस बात को लेकर सोचे कि मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में भी सड़कों के लिये जो सरकार कर सकती थी, इन्होंने किया है। मेरी मांग है कि हम भी विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिये ही यहां आते हैं तो वह जनता, जो हमारे से जुड़ी थी, वह हमसे भी अपेक्षाएं रखती है तो इन बातों पर मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि बात को अगर भाषण के रूप में लम्बा करेंगे तो समय हमारे लिये तो बहुत कम होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लिये, कि पिछली बार इन्होंने बजट सत्र के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली दो सड़कों को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत करने के लिये आश्वासन दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि क्रमोन्नत कर दी गयी लेकिन आज तक जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मावण्डा से मेहाड़ा-लाका-गांवली-बिहारीपुर-सिहोड़-मेहाड़ा सड़क को सरकार द्वारा स्टेट हाईवे एस-13 ए में क्रमोन्नत किया गया है, परन्तु आज दिनांक तक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह नहीं पता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालात यह हैं कि उस सड़क पर जो भी गांव आते हैं, मैं तो यह निवेदन भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि इस सरकार का नुमाइंदा, जो मेरे विधान सभा खेतड़ी से चुनाव लड़ा, वह भी उसी सड़क पर निवास करते हैं, उनको जनता में जाते शर्म आती है कि आप अपनी सड़क अपने राज में नहीं बनवा पाये तो कब बनवा पाओगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस स्टेट हाईवे को, जिसको आपने क्रमोन्नत करके और खेतड़ी की जनता को कृतार्थ किया, उसको कम से कम

(श्री पूरणमल सैनी)

सी.आर.एफ. में प्रपोजल भिजवाया, वह रिटर्न होकर आ गया, क्योंकि उससे एक्सेस बजट अपनी सरकार ले चुकी थी, अपना प्रदेश ले चुका था। मैं मांग करता हूं कि सी.आर.एफ. के बजाय स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत रहने दीजिये। एक बार जिस भी एम डी आर या एस डी आर में थी, उसी लेवल में रखते हुए और मात्र साढ़े 17 किलोमीटर वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है तो मैं मांग करता हूं कि वहां के बच्चे जो उस गांव में रहते हैं, उनकी शादी-विवाह भी, सगाई तक नहीं होने की नौबत आ रही है और वहां की कृषि सारी उजड़ रही है तो मैं मांग करता हूं कि वह सड़क आवश्यक है। एस-13 ए में जब सरकार ने क्रमोन्नत करने का विचार किया है तो वास्तव में वह दो स्टेट्स को जोड़ने वाली सड़क है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि आप भी इसमें मुझे प्रोटेक्ट करें और विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी से क्रमोन्नत की गई एस 13 ए स्टेट हाईवे को, साढ़े 17 किलोमीटर जो अकेले विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पड़ती है, मावण्डा से मेहाड़ा को स्वीकृत करवायें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं नोट कर रहा हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): साढ़े 17 किलोमीटर है। घोषणा करवा दो, माननीय मंत्री महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, बसई से ईलाखर सड़क प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गयी थी। यह सड़क नोन पेचेबल स्थिति में है और संवेदक की गारन्टी अवधि में नहीं है। यह सड़क माइनिंग जोन में है। मेहाड़ा से शिमला सड़क प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क थ्रू रूट के अन्तर्गत बनायी गयी थी। वर्तमान में नोन पेचेबल स्थिति में है। यह भी माइनिंग जोन में आती है। दूधवा से ढोसी सड़क इन्टरस्टेट आरडीएफ के अन्तर्गत पुन: निर्माण करवाया गया था। यह सड़क नोन पेचेबल स्थिति में है और संवेदक की गारन्टी अवधि भी समाप्त हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में मैं मांग करता हूं कि इन समस्त टूटी सड़कों को बनवाया जाए।

साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मैं मांग करता हूं कि आज तक किसी भी दूसरे माननीय सदस्य या व्यक्तिगत मांग से की गई, मैं भी जनता से इकट्ठी करके लाया हूं। न्यू कनेक्टिविटी और मिसिंग लिंक जो इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सदन में घोषणा की है, उसमें मैं मांग करता हूं, जिन सड़कों के नाम हैं, जो मात्र 15 किलोमीटर हैं,

(श्री पूरणमल सैनी)

एक बार निवेदन कर रहा हूं। पहले भी ग्रामीण गौरव पथ के रूप में स्वीकृत की गयी नौ सड़कों में से मेरी छह सड़कें इसलिए निरस्त की गयीं कि वह ग्रामीण गौरव पथ के नियमों में नहीं आती थीं। फिर मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क किया तो माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि मिसिंग लिंक या किसी न किसी प्रकार से इनको निकाल देंगे। उसमें 15 किलोमीटर में छह सड़कें तो मेरी वह हैं।

1. कांकरिया गुड़ा सड़क से घाटीयाला-दूरी 1.25 किलोमीटर।

2. अजीतपुरा सड़क पर पंचायत घर के सामने से टोली सड़क तक वाया ढाणी शीशुवाला मालियान-दूरी 2 किलोमीटर।

3. लोयल में छाबा की ढाणी से जसरापुर सड़क तक वाया श्री सरदारपुरा-दूरी 2 किलोमीटर।

4. एस एच 13 पंचायत घर गोठड़ा से शहीद धर्मपाल की ढाणी तक-दूरी 1.5 किलोमीटर।

5. ढाणी कालीयान से सिहोड़ सड़क तक-दूरी 1 किलोमीटर।

6. खरखड़ा में टीलावाली सड़क से काली डूंगरी तक-मात्र 1 किलोमीटर।

7. चीचड़ोली से ढाणी ढीमा सड़क तक वाया नायकों की ढाणी-दूरी मात्र 2 किलोमीटर।

8. आईवाला सड़क से बड़ की चौकी तक-मात्र 2 किलोमीटर।

9. गौरीर सड़क से ईलाखर तक, एक गांव से दूसरा गांव जुड़ेगा-दूरी 1 किलोमीटर।

10. जसरापुर सड़क से मानोता सड़क तक-दूरी 1 किलोमीटर।

11. एस एच 13 कदम के पेड़ से जालपाला तक-दूरी 1.5 किलोमीटर।

12. नंगली में मेघवाल समाज कल्याण भवन से चौधरियों की ढाणी-तक-मात्र 1 किलोमीटर।

13. खरखड़ा राजपूतान से बसन्त विहार तक-दूरी 1 किलोमीटर।

14. दूधवा सड़क से ढाणी ढोसी वाया ठाठवाड़ी-दूरी 1 किलोमीटर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही कुछ नोन पेचेबल सड़कें विधान

(श्री पूरणमल सैनी)

सभा क्षेत्र खेतड़ी में टूटकर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि यह नहीं पता चलता कि सड़क है या सड़क गड्ढ़ों में है, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जन अभाव अभियोग सुनने के लिए जब हमारे जिले झुन्झुनूं में पधारीं, उस समय लोगों ने भी उनको बताया था और इन्होंने जो नियम और प्रक्रिया में लिया हुआ है कि कब तक की सड़कें नोन पेचेबल में ली जा सकती हैं। उसके हिसाब से हमारे विभाग ने यहां पर प्रस्ताव भी भिजवाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह हैं:-

1. पचेरी, रवां, शिमला, मेहाड़ा सड़क से मोड़ी तक-मात्र 1.25 किलोमीटर।

2. एस एच 13 सड़क से प्रतापपुरा-मात्र 2.5 किलोमीटर।

3. दूधवा से ढोसी वाया ठाठवाड़ी-मात्र 0.5 किलोमीटर।

4. डाडा फतेहपुरा नालपुर गौरीर-मात्र 2.5 किलोमीटर।

5. खेतड़ी निजामपुर सड़क से तिहाड़ा 6 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक।

6. रवां से गणेशपुरा, जो वीआर में आती है- मात्र 800 मीटर।

7. करमाड़ी संजय नगर से अजीतपुरा।

8. बड़ाऊ से मोड़की सड़क।

9. एस एच 13 से ढाणी ढीमावाली वाया श्री सरदारपुरा।

10. चीचड़ोली से रूपा का बास।

11. बड़ाऊ से श्री कृष्ण नगर।

12. ए आर बसन्त विहार से 2.5 किलोमीटर।

13. किठाना मानोता जाटान बाढ़ की ढाणी जसरापुर होते हुए 7 किलोमीटर।

14. कालोटा रसूलपुर सड़क से बड़ाऊ 6.5 किलोमीटर।

15. पपूरना डाबला।

जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 2013 में जो उम्मीदवार रहे, उनके घर के लिए जाती है उनको भी शर्म आती है, जनता को यह बताते हुए। अपनी तो बनवा लो सरकार में।

मैं मांग करता हूं, इन सड़कों के लिए मैं पुरजोर मांग करता हूं और

(श्री पूरणमल सैनी)

आपसे प्रोटोकाल चाहता हूं। अगर वह भी नहीं, इन दोनों सड़कों पर गौर फरमाते हुए, मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, जैसे आपने इनको क्रमोन्नत फरमाया, वैसे ही लोन, दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए खर्च किया, उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं भी एक जिला रहा है और उसमें विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी भी है। मेरे द्वारा पढ़ी गयी मांगों पर विचार करवाने के लिए आपका प्रोटेक्शन चाहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रवर समिति के विचाराधीन विधेयक की वापसी की प्रक्रिया में त्रुटि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आसन के संज्ञान में एक जो विधिक त्रुटि हुई है नियमों की, वह लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम 89, 'विधेयक की वापसी', इसमें स्पष्ट निर्देशित है।

'परन्तु जब कोई विधेयक सदन की प्रवर समिति के विचाराधीन हो तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वत: समिति को सौंपी गयी मानी जायेगी और समिति द्वारा सदन को दिये गये प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य सूची में रखा जायेगा।'

आज की कार्य सूची में वापस लिया जाने वाला विधेयक-प्रवर समिति को निर्दिष्ट 'दण्ड विधियां विधेयक', उपाध्यक्ष महोदय, एक गलती, एक के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, इतनी हड़बड़ाहट करने की क्या जरूरत थी? इसमें स्पष्ट है। मैं सरकार को सहयोग करना चाहता हूं और नियमों की पालना करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी आज की जो कार्यवाही है, उसको समिति को सूचना मानी जाए। समिति की बैठक हो और समिति की बैठक में प्रस्ताव आये तथा प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो, उसके बाद काला कानून वापस लिया हुआ माना जायेगा। इसके विपरीत अगर अपन जाते हैं तो नियमों का खुला उल्लंघन है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाकी आसन की मर्जी पर उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपके ध्यान में, संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह बहुत साफ स्पष्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 89 के अन्तर्गत सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन का जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं निवेदन करूंगा कि पूर्व में भी इस बात का ज्ञान था और समिति की विधिवत बैठक हो चुकी है और बैठक के पश्चात् ही कार्य सूची के अन्दर यह आया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई त्रुटि हुई नहीं है। माननीय सदस्य तो खुद इस बात की प्रबल इच्छा रख रहे थे कि यह काला कानून तुरन्त ही वापस हो। इसमें अगर त्वरित कार्य हुआ है तो इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह समिति की रिपोर्ट आती है। जो यथार्थ है, उसको स्वीकार करना चाहिए, आप जैसे आदमी को, जो कानून के जानकार हैं, वही अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको ठीक करना चाहिए। मैं काले कानून के लिए शुरू से ही खिलाफ हूं। लड़ ही रहा हूं। उसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है अब तो सरकार ने भी उसको काला ही मान लिया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था हो कि सदन में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं हों। इसमें तीन बार हुई। पहले क्वेश्चन आवर के टाइम पर भेजते समय गलती हुई। बिना कार्य सलाहकार समिति के क्वेश्चन आवर के बीच में भेज दिया और क्वेश्चन आवर फिर बाद में चालू कर दिया जो कभी नहीं होता है, वह भी हुआ। फिर दुबारा जब प्रवर समिति को भेज रहे थे, उस समय भी मैंने आब्जेक्शन किया था।

अब तीसरी बार भी मैं यह बता रहा हूं कि हम इन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत चलें। बहुत साफ लिखा है 'परन्तु जब कोई विधेयक सदन की प्रवर समिति के विचाराधीन हो तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वत: समिति को सौंपी मानी जायेगी और समिति द्वारा सदन को दिये गये प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य सूची में रखा जायेगा।' यह बहुत साफ, स्पष्ट है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे...

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक इजाजत दे दें तो? थोड़ा अलग ही है।

श्री उपाध्यक्ष: उसमें मैं आपको अलग से दे दूंगा। आपका विषय चूंकि अलग विषय है। हां, आप फरमायें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं सिर्फ उपाध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस प्रवर समिति की बैठक हो चुकी है और बैठक में भी यह प्रस्ताव बहुमत से हस्ताक्षरित हो चुका है। अब वो सदन में कल आयेगा, परसों आयेगा, मैं नहीं कह सकता लेकिन सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नियमों के तहत आपत्ति उठायी है तो आज बैठक होने के बाद यदि कल वो प्रस्ताव वापस लिया जाता तो मैं समझता हूं कि वो अधिक विधिसंगत होता।

मैं और प्रद्युम्न सिंह जी और किरोड़ी लाल जी मीणा, हम तीन के कारण, क्योंकि इस प्रस्ताव पर कभी सहमति बनी ही नहीं और हमने बिलकुल कह दिया था गृह मंत्रीजी को कि हम इसके क्लाज बाई क्लाज खिलाफ हैं और इसलिए मजबूरन गृह मंत्रीजी ने यह अगले सत्र के लिए रखा ताकि इस सत्र में तो आये ही नहीं और अगला सत्र तो, उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन का होता है और उस सितम्बर या अक्टूबर के सत्र में कौन इस विधेयक की परवाह करने वाला है कि यह विधेयक पास हो रहा है और सत्ता पक्ष भी जानता है कि वो विधेयक उस वक्त में पास कराना किसी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत बुद्धिमता पूर्ण तरीके से इस विधेयक को वापस लेने की घोषणा बजट पर बहस के दौरान की है। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, यह हमारे संज्ञान में था कि इस सलैक्ट कमेटी की मीटिंग होनी आवश्यक है। सलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो गयी, सलैक्ट कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया कि इसको वापस लिया जाए और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना मन्तव्य प्रकट किया था और मैं समझता हूं उसका तो स्वागत होना चाहिए कि मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा विशाल हृदय रखते हुए इस प्रकार के इस कानून को, जिसको खुद ही हमने, इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार ने इस कानून को यहां प्रस्तुत किया था आर्डिनेंस के बाद रिप्लेसिंग बिल लेकर आयी थी और हमने खुद ही वापस लिया है। इस लोकतंत्र के अन्दर अपने फैसले को लोक के अनुसार बदलना कोई अपमान नहीं है, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी प्रारूप की जो लास्ट कनक्लूडिंग लाइन है न, कहीं शायद आपका इशारा उस पर है कि मैं इसके डिटेल में जाकर, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो विधान सभा सैक्रेटेरिएट के पास में उपलब्ध हैं पर मैं बगैर उनके डिटेल में जाकर, उनके बगैर समझे मैं, आसन अभी व्यवस्था नहीं देता, अपनी व्यवस्था को रिजर्व रखता है।

प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप किसी और विषय पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा तो मुद्दा कमजोर हो गया, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि सचेतक महोदय और जो राठौड़ साहब हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनके पीछे से बिलकुल पाटिया साफ है तो क्या सड़कें ज्यादा मिल गयीं या आशा नहीं है? लेकिन अब एक आ गये, एक बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये। मानिक चन्द जी सुराना, प्लीज।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले चार साल में 21 हजार किलोमीटर की नई सड़कें बनी हैं और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, एम.डी.आर., ओ.डी.आर., विलेज रोड्स में 28 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज की बहस में यह देखा होगा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों के लोग इस सारे विकास से अधिक लाभान्वित हुए हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसलमेर जैसे, बीकानेर जैसे, सिरोही जैसे जो इस विकास की प्रक्रिया में पीछे रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 21 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनायी गयी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा लूणकरणसर क्षेत्र नई सड़कों से कम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लाभान्वित हुआ है, करीब-करीब नगण्य रूप से लाभान्वित हुआ है। जो मेरे की सड़कें एक राष्ट्रीय राजमार्ग को दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती थीं, बीकानेर-जयपुर हाईवे एन.एच. 11 और बीकानेर-सूरतगढ़ हाईवे एन.एच. 15, इन दोनों को जोड़ने के लिए 14 किलोमीटर की सड़क बनायी जानी आवश्यक थी। मेरे निवेदन पर चार किलोमीटर सड़क तो सरकार ने बनायी। नौ किलोमीटर, दस किलोमीटर सड़क जो बाकी थी वो सड़क, रुपया सरकार का ही है, एम.एल.ए. कोटा में या जो एम.एल.ए. को दस किलोमीटर सड़क दी जाती है, हमें वो सड़कें एम.एल.ए. कोटा के साढ़े पांच किलोमीटर की ढाणी भोपालाराम से सहजासर के मध्य बनानी पड़ी। इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जो 15 किलोमीटर का कोटा दिया है तो वो बची हुई साढ़े तीन किलोमीटर सड़क भी राज्य सरकार ने कृपा नहीं की और हमने इस आशंका से कि यदि राज्य सरकार न बनाये तो एम.एल.ए. कोटा से साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क देकर एन.एच. 15 और एन.एच. 11 को जोड़ने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि बीकानेर अजमेर और अलवर नहीं बन सकता, हम एन.सी.आर. में नहीं आ सकते और जो राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हुई है उसमें भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। कुछ क्षेत्र हैं जो अधिक लाभान्वित हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्गों से। जो क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान का एक हिस्सा तो पूरा विकसित हो गया लेकिन जो हिस्सा विकसित नहीं हुआ है, मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हमारे महत्वपूर्ण गांव जो राष्ट्रीय राजमार्ग से दस, बारह, तेरह किलोमीटर में जुड़ सकते हैं, राज्य सरकार उन सड़कों को जोड़ने का काम करे।

हमारे प्रभारी मंत्री जल संसाधन डा. रामप्रताप जी हैं। इन्हें ध्यान है कि बीकानेर जिले का कलेजा सेरेना गांव है और सेरेना से 12 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे गुंसाइसर से निकलती है, 70 साल के इतिहास में आज वो महत्वपूर्ण, पूरे जिले के बीसों-तीसों गांव जो सेरेना से जुड़े हुए हैं वो आज नेशनल हाईवे से जुड़ने के इंतजार में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट-मोशन भी दिया है। महाजन गांव से सूई तक सड़क है, सूई तक, बखूसर तक सड़क है और बखूसर से सात-आठ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किलोमीटर आगे पल्लू से सरदारशहर हाईवे चल रहा है और हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि महाजन की सड़क को ओ.डी.आर. न रख कर एम.डी.आर. रखिये, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाइये और इस रोड को महाजन से सीधी जो पल्लू-सरदारशहर रोड है इससे ज्वाइंट करिये ताकि आगे के आवागमन की सुविधाओं के लिए बीकानेर जिला व लूणकरणसर क्षेत्र विकसित होने की संभावनाओं को फलीभूत कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत से डिमांड चार्टर दिये गये हैं, छोटी-मोटी बात मैंने भी कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर में यदि आप एनसीआरपीबी से 932 करोड़ की लागत की 629 किलोमीटर लम्बाई की 38 सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, डेढ़ किलोमीटर में एक सड़क है, उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ किलोमीटर की एक सड़क, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र को, मेरे जिले को 500 किलोमीटर सड़क तो दीजिए और 500 किलोमीटर सड़क 30 लाख रुपये किलोमीटर की डेढ़ सौ करोड़ की, वो देने का तो काम करिये ताकि कोई भी क्षेत्र ऐसा न रहे जो कि आवागमन के साधनों से वंचित रहे और 30 लाख पर किलोमीटर की सड़क से हमारा जिला, हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से आगे जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ तो यह है कि पहले दस साल तो कांग्रेस का राज रहा, 2003 से 2008 भा.ज.पा. का रहा, फिर 2008 से 2013 में कांग्रेस आ गयी। मेरे क्षेत्र के एक परिवहन मंत्री थे जो राज्य मंत्री थे और राज्य गृह मंत्री थे, स्टेट होम मिनिस्टर थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण सड़कें जो आज से बहुत पहले जुड़नी चाहिए थीं, वो नहीं जुड़ पायीं। अपन 21 हजार किलोमीटर नई सड़क बना रहे हैं और 28 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बना रहे हैं, आप बीकानेर जिले को 500 किलोमीटर सड़क पांच विधान सभा क्षेत्रों में दीजिए। मैं बिना स्पेसीफाई किए हुए कि कहां दें, मूल बात यह है कि आप उसको नेशनल हाईवे से जोड़ दीजिए, स्टेट हाईवे निकट है तो स्टेट हाईवे से जोड़ दीजिए। जो क्षेत्र वंचित हैं और जो लूणकरणसर-महाजन का बाइपास बन सकता है, बड़ेरण-मनोरिया, इस तरह की सड़कों को चिन्हित करके आप हमको सड़कें प्रदान करें। अभी जो नोन पेचेबल सड़कें दी हैं, नोन पेचेबल सड़कों में विधायकों को बुलाया है, बाकायदा जिले के अधिकारी आए हैं और लिस्ट बनाकर लाए हैं और वे सड़कें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हमारी सहमति से, हर जिले में, हर क्षेत्र में मंजूर की गई है, उनके लिए निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोन पेचेबल अलग चीज है। सड़क पुरानी बनी हुई है, टूट-फूट गई है, उसका निर्माण होना है। मैं इंगित कर रहा हूं कि नई सड़क बनाइए। यह जो मैं कह रहा हूं 100 किलोमीटर सड़क एक क्षेत्र में, यह नोन पेचेबल से मतलब नहीं है, यह नई सड़क, नई कनेक्टिविटी पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में, मैं अर्ज करूंगा। मैंने मांग की है, आप शायद थे नहीं, 5 क्षेत्र हैं और 500 किलोमीटर, हम डेढ़ करोड़ वाली नहीं मांग रहे हैं। अलवर वाली, डेढ़ करोड़ की सड़क और हाईवे की 3 करोड़ की सड़क है, वह नहीं मांग रहे हैं। 30 लाख रुपए किलोमीटर की, हम पिछड़े हुए लोग हैं इसलिए आपसे 30 लाख किलोमीटर की 100-100 किलोमीटर सड़क, 500 किलोमीटर, 5 क्षेत्रों के लिए, 5 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मांग कर रहे हैं। शहर के विधायक तो हैं ही, शहर जाने और वह जाने। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की तरफ आकर्षित करते हुए, उनका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करूंगा कि एनएच 15 का ठेकेदार भाग गया, सड़क बना गया काफी कुछ, अब उस सड़क से आप परित्यक्ता की तरह बिहेवियर न करें। उस सड़क को राज्य सरकार चाहे ठेकेदार बनाए, न बनाए, उस सड़क में जो कमियां हैं, ग्राम बामनवाली, जहां रेलवे क्रोसिंग है, बामनवाली पर जो रेलवे का पुल बनना है, आरओबी बनना है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बामनवाली में रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम करें। लूणकरणसर खास में, लूणकरणसर से कालू जाने वाले रास्ते में जो रेलवे क्रोसिंग है बीच में, मैं निवेदन करूंगा कि उस रेलवे क्रोसिंग पर इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि लूणकरणसर अब कस्बा हो गया है, चाहे तकनीकी रूप से ग्राम पंचायत है, पर कस्बा हो गया है और कभी कृपलानीजी की कृपा होगी तो जल्दी ही वह नगरपालिका भी बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी आरओबी बनाने का काम, जो लूणकरणसर से कालू रोड पर रेलवे क्रोसिंग है, उस पर आप आरओबी बनाने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र को और मेरे पांच अन्य क्षेत्रों को 100-100 किलोमीटर सड़क प्रदान करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग संख्या 19 व 21- सड़कें, पुल व लोक निर्माण पर चर्चा है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट को विकासशील या विकसित राज्य तब माना जाता है, जब उस राज्य का ढांचागत विकास मजबूत हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग सड़कें हैं। इसमें यह देखा जाता है कि उस स्टेट के अन्दर सड़कों की क्या स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान की मजबूती से केन्द्र में पैरवी होती और केन्द्र सरकार द्वारा दिया हुआ बजट और अन्य योजनाओं का बजट राजस्थान के अन्दर पिछले 70 साल के अन्दर खर्च हुआ होता तो निश्चित रूप से राजस्थान का प्रत्येक गांव-ढाणी आपस में सड़कों से जुड़ता और आज जो हालात हैं, उन हालात से नहीं गुजरना पड़ता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हर वर्ष बजट की घोषणा करती है लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं होतीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विभाग की 2017-18 की कार्य योजना की ओर, इसमें 59390 किलोमीटर की सड़कों के 7592 करोड़ के लक्ष्य में से केवल 3959 करोड़ खर्च कर 41094 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण ही हो पाया है, यानी 52 प्रतिशत धनराशि ही विभाग खर्च कर पाया है जो कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछले चार वर्षों में 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में औसतन केवल 50 प्रतिशत राशि खर्च हो पाई है। यह विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2014-15 में लक्ष्य 5340 करोड़ रुपए में से 3308 करोड़, जो 61 प्रतिशत है। 2015-16 में लक्ष्य 4808 करोड़ रुपयों में से 2602 करोड़ रुपए, यानी 54 प्रतिशत खर्च किया। इसी प्रकार 2016-17 में लक्ष्य 6255 करोड़ रुपए में 2306 करोड़ रुपए, केवल 36 प्रतिशत राशि खर्च कर पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2017-18 में अब तक लक्ष्य 7592 करोड़ में से 3959 करोड़ रुपए, यानी 52 प्रतिशत राशि खर्च कर पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी समय में चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य किलोमीटर लम्बाई में निम्न हैं। दूसरे तरीके से दिए हैं। 2014-15 में लक्ष्य रखा 68266 किलोमीटर और इसमें बता रहे हैं कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हमने पूरा कर दिया है 65004 किलोमीटर और उपलब्धि बता दी 95.22 प्रतिशत। 2015-16 में अलग बताया। 2016-17 और 2017-18, यहां तो आप बता रहे हो, महत्वपूर्ण है, किलोमीटर में विभाग लगभग 90 से 95 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना बता रहा है परन्तु राशि इसी समय में केवल 50 प्रतिशत खर्च की गई है तो इसके क्या कारण हैं कि हर साल के लक्ष्य तथा किलोमीटरवार लक्ष्य व उपलब्धि में प्रतिशतवार इतना फर्क क्यों है? क्या विभाग बिना बजट प्रावधान किए राशियों की घोषणा कर देता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में 129.88 करोड़ रुपए की लागत से 2 राज्य राजमार्गों की 137.35 किलोमीटर लम्बाई में, चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के 18 कार्य सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी एवं भरतपुर जिलों में स्वीकृत किए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017-18 में 140 करोड़ रुपए के बजट प्रावधानों के विरुद्ध अब तक केवल 51.53 करोड़ रुपए व्यय किए गए। सरकार अपने बजट के प्रावधानों का पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। या तो केवल घोषणाएं होती हैं या जो बजट होता है वह पूरा खर्च नहीं होता। अब चुनावी वर्ष में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़क की बात आपने कह दी। अब बाड़मेर, जैसलमेर और जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं वहां दो गांव के बीच की दूरी ही 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है तो आप 15 किलोमीटर सड़क कहां से बनाओगे, किस गांव को किधर से जोड़ोगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि 15 किलोमीटर को बढ़ाकर कम से कम 50 से 100 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को सरकार दे तब जाकर राजस्थान के अन्दर जो गांव बचे हुए हैं, वह सड़क से जुड़ें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, आधे से ज्यादा राजस्थान का दौरा किया और वहां सड़कों की दुर्दशा जो मैंने देखी, हमारे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, सब जगह हालात खराब हैं, यह तो धन्यवाद दो, पीएमजीएसवाई को और जनता को जो टोल देकर रोड बनाती है। हम पैसा देते हैं और उस सड़क पर चलते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जिस प्रकार गुजरात के अन्दर प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त किया है, उसी प्रकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान के अन्दर पूर्ण टोल मुक्ति हो। इन टोल नाकों को उठाओ। अगर वास्तव में राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हो, विकसित राज्य देखना चाहते हो तो जनता से टोल वसूली बंद करो, जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का देंगे? या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो या फिर पीएमजीएसवाई और टोल की सड़कों को छोड़ दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कहीं विकास इस राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। कहने को तो मंत्रीजी अभी लम्बा-चौड़ा भाषण भी देंगे, हम सुनते भी रहे हैं। यह सही है कि मंत्रीजी की सरकार के अन्दर बहुत चल रही है और हमारे राठौड़ साहब को पीछे धकेल दिया है इन सवा चार साल में, लेकिन वास्तव में राजस्थान का विकास नहीं हुआ। जब 2018 में आप चुनाव में जाएंगे तो जनता आपको इसका जवाब दे देगी कि विकास हुआ ...(व्यवधान) या नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोल के सम्बन्ध में सरकार की नीति जन विरोधी है। पीपीपी मोड पर, बीओटी में 25-25 साल के लिए निजी कम्पनियों को सरकार के द्वारा लूट के लिए छूट प्राप्त है जबकि सड़क की लागत तो प्रचलित टोल दरों से दो-तीन साल में ही वसूल हो जाती है तो जनता से टोल किस बात का? टोल माफिया राजस्थान में पनप गया।

उपाध्यक्ष महोदय, टोल नाकों पर गुंडे बदमाश बैठे हैं। किसी पर 10, किसी पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। सारे के सारे टोलनाके चला रहे हैं। अगर आप बात करें तो मंत्रीजी जब खुद टाटियावास टोलनाके पर निकले थे तो इनकी वहां टोलकर्मियों से कहा-सुनी हो गई थी। अख़बार में बहुत बड़ी खबर छपी थी। अब जब प्रदेश के मंत्री और विधायक टोलनाकों पर सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी टोल व्यवस्था को आप खतम करें। क्यों लेकर बैठे हैं। 12 विधायकों के साथ टोलकर्मियों ने बदतमीजी कर ली। मंत्रीजी के साथ बदतमीजी कर ली। टोल माफिया कानून से बड़ा अपने आपको समझने लग गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप गुजरात माडल की बात करते हैं तो वहां तो प्राइवेट वाहनों को टोल से मुक्त किया गया है। मैं मांग करूंगा कि आप सम्पूर्ण को टोलमुक्त करें। दिल्ली में आपकी सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेष पैकेज आप लेकर आएं और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं ताकि सड़कों के मामले में आपको अलग से पैसा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मिले। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नीचे-ऊपर कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में भी सरकार रही, राजस्थान में सरकार भी रही और अब दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है और राजस्थान में भी आपकी सरकार है तो मैं मांग करूंगा कि टोल मुक्त राजस्थान हो।

साउथ में कई स्टेट ऐसे हैं, जहां टोल नहीं लगता।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बार कमेटी के टूर पर साउथ गए थे तो हमने कहा, आपके यहां टोल नहीं लगता? तो वे बोले, हमारे यहां तो जब हमारी पार्टी के नेता प्रधान मंत्री से मिलने जाते हैं तो 30-30, 40-40 क्षेत्रीय दलों के एमपी अलग से उनके साथ जाते हैं और अलग से पैसा लेकर आते हैं। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे स्टेट में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही रही 70 साल के अन्दर। तीसरी नई मजबूत पार्टी राजस्थान में बनी ही नहीं। यह दुर्भाग्य है कि कौन लड़ाई लड़ेगा इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की? आप हमें धन्यवाद दें कि जनता को जगाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं और टोल मुक्त राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। इस चुनावी साल में आपने लोक-लुभावन वादे किए हैं, खूब सारी घोषणाएं की हैं तो टोलमुक्त राजस्थान की घोषणा भी आप कर दें तो एक अच्छा मैसेज शायद राजस्थान में जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टोल वसूली देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे यह सड़क बनी थी भीलवाड़ा-शाहपुरा वाली, इसमें जिस कंपनी ने सड़क बनाई, वही टोल वसूली कर रही है। यह सड़क तो अध्यक्ष जी के इलाके से भी आती है। इसमें बहुत-बड़े राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है, केन्द्र और राज्य की वर्तमान सरकारों के मंत्रियों ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय दिल्ली-जयपुर हाई वे बनाने वाली कंपनी के विरुद्ध जन-आंदोलन में शामिल होकर....राठौड़ साहब, सुनिए आप लोगों ने कहा, जब पिछली बार विपक्ष में थे आप, अपनी सरकार आने पर कार्यवाही करेंगे, परन्तु आज चार वर्ष बाद भी वही कंपनी घटिया रोड के बावजूद टोल वसूल कर रही है। सभी मंत्रियों ने इस कंपनी के आगे घुटने टेक दिए। दिल्ली-जयपुर हाईवे टोल वसूली के बड़े घोटालों का हिस्सा है, जबकि समय-समय पर इसके विरुद्ध सीबीआई में परिवाद भी दिए गए हैं। मेरी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मांग है, सरकार टोल-वसूली के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार कर जनता की टोलमाफी की मांग पर विचार करे और तुरन्त टोलमाफी लागू कराए।

अब मैं ग्रामीण गौरव पथ के संबंध में विभिन्न चरणों में किए गए निर्माणों को बताना चाहता हूं। किस प्रकार सरकार अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही। जो द्वितीय चरण था, वर्ष 2016-17 में 2092 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2105.69 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण गौरव पथ के लिए 1258 करोड़ रुपए की स्वीकृति के विरुद्ध केवल 1778 किलोमीटर लम्बाई की सीमेंट सड़कों में 1729 ग्राम पंचायतों पर 688.48 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। 1258 करोड़ में से केवल 688.48 करोड़ खर्च किए गए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार द्वितीय चरण में वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2077 किलोमीटर लम्बाई के 1200 करोड़ रुपए के विरुद्ध 153 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें 27.5 करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गईं। महोदय, 2077 किलोमीटर में से 153 किलोमीटर सड़कें, ये सरकारी आंकड़े हैं। इस प्रकार 1200 करोड़ की स्वीकृति में से केवल 27.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2017-18 में 442 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 471.60 किलोमीटर के लिए 264.96 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध केवल 10.73 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। केवल एक ग्राम पंचायत पर 1.32 करोड़ रुपए व्यय किए गए। ये आंकड़े स्वयं सरकार की स्थिति को दर्शाते हैं।

(17.45 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

ग्रामीण गौरव पथ के 2014-15, 2016-17, 2017-18 तक पहले से चौथे चरण में 6593 कार्यों में से 4744 करोड़ के 6569 किलोमीटर की लम्बाई के विरुद्ध 3713 कार्य मात्र 1589 करोड़ से 3668 किलोमीटर के पूरे किए गए। स्थिति स्वयं इन सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि सरकार की उपचुनाव में ऐसी हालत क्यों हुई। सभापति महोदय, अभी अजमेर, अलवर, माण्डलगढ़ के अन्दर और चाहे धौलपुर का चुनाव हुआ, यहां आनन-फानन में सड़कों की स्वीकृतियां की गईं। सड़कें बनाई गईं और करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मिसिंग लिंक परियोजना में 2015-16 में 2292.95 किलोमीटर लम्बाई में 1067 मिसिंग लिंक 647.67 करोड़ के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विरुद्ध केवल 2201.97 किलोमीटर सड़क 472.36 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई। द्वितीय चरण मिसिंग लिंक में वर्ष 2016-17 में 1834.95 किलोमीटर लम्बाई की 814 सड़कों पर 671.23 करोड़ स्वीकृति के विरुद्ध...

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): दे दो, आप तो पूरा कागज ही लिख कर दे दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब। तो मैं क्या फिर गलत ट्रैक पर आऊं? बोलने दो मुझे। आप क्या चाहते हो, यह बताओ।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं कुछ नहीं चाहता....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चलो ठीक है, मुझे बोलने दीजिए दो मिनट।

श्री सभापति: आप इधर बोलो, इधर बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक में राजनीतिक द्वेष के तहत स्वीकृतियां दी गईं, जिसमें खींवसर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा और हाई कोर्ट से फटकार के बाद आपने वहां मिसिंग लिंक सड़कें भी बनाईं और गौरव पथ के मामले में, सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गौरव पथ के अन्दर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन गौरव पथ जिस उद्देश्य के लिए बनना चाहिए, गांव के अन्दर जहां ज्यादा पानी की आवक रहती है और गांव के वे रास्ते जो किसी तरीके से डामर सड़क से ठीक नहीं होते, उन मेन दो सड़कों को जोड़ने वाला जो ग्रामीण भाग है, इसके अन्दर आपकी सरकार ने कहा, हम गौरव पथ बनाते हैं, लेकिन आप तो ढाणियों के अन्दर ले गए, मौहल्लों में गौरव पथ को ले गए। एक गौरव पथ को आपने चार जगह बना दिया। जैसा चाहा, वैसा आपने राजनीतिक द्वेष के चलते किया। सभापति महोदय, केंद्रीय सड़क निधि सीआरपीएफ बार्डर की सड़कों पर सरकार स्वीकृत राशि को खर्च नहीं कर पाई। बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में सड़कों की स्थिति दयनीय है।

सभापति महोदय, माइनिंग से जुड़ी सड़कों की हालत विभागों द्वारा एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के कारण इतनी खराब हो गई, जबकि माइनिंग से सबसे ज्यादा रायल्टी प्राप्त होती है। खनिज विभाग के अंतर्गत 270.95 किलोमीटर लम्बाई, 227.51 करोड़ रुपए अब तक 64.35 किलोमीटर लम्बाई

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सड़कों पर 41.73 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। 227.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति के विरुद्ध केवल 41.73 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे मेरे इलाके में माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर होती है और वहां जो सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों पर माइनिंग डिपार्टमेंट जो रायल्टी लेता है, कायदा तो माइनिंग डिपार्टमेंट का भी है कि वह रायल्टी से उस इलाके का विकास करे, लेकिन पिछले 15-20 साल में माइनिंग की रायल्टी का एक पैसा वहां पर खर्च नहीं हुआ। मैं मांग करूंगा कि जितनी भी राजस्थान में माइनिंग इलाके की सड़कें हैं, या तो माइनिंग डिपार्टमेंट से आप बात करके वहां सड़कों का पैसा स्वीकृत कराएं और माइनिंग डिपार्टमेंट अगर नहीं करता है तो आम जन के काम आती है सड़क। जब आपका पीडब्ल्यूडी आम जन का विभाग है तो आपको उन सड़कों को प्राथमिकता से लेना चाहिए चाहे डेयरी के माध्यम से पुरानी सड़कें बनें, मण्डी की जो सड़कें हैं, मण्डी समिति को अधिकार नहीं है तो मण्डी की सड़कों को भी पीडब्ल्यूडी अपने स्तर पर वरीयतावाइज लेकर करे तो सभापति महोदय, निश्चित रूप से एक बहुत-बड़ा मैसेज जाएगा।

एनएच-89 पर अजमेर से कुचेरा के 2 टोलनाके, जिन पर अवैध टोल-वसूली हो रही है, जिसको जिला कलक्टर, नागौर की कमेटी ने भी नियमों के विपरीत माना, अभी पूरी सड़क बनी नहीं है एनएच की और वहां कंपनी टोल वसूली कर रही थी। तुरन्त प्रभाव से टोल वसूली को वहां रोका जाए तथा निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। इस मामले में भी आप पूरा काम करें।

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के लिए मिसिंग लिंक की कुछ सड़कें हैं, जो मंत्रीजी को नोट करा रहा हूं। एक तो हमारे खरनाल, जो वीर तेजाजी महाराज की आस्था का केन्द्र है और राजस्थान तथा पूरे देश से लोग यहां पर आते हैं। बहुत बड़ा मेला भी भरता है, तो पारासरा-खरनाल-बरणगांव, जो मेरा खुद का गांव है, यह 8 किलोमीटर सड़क थी, जो तीन बार स्वीकृत हो गई पिछली सरकार के टाइम। वित्तीय स्वीकृति बाद में जारी हुई थी। फिर आचार संहिता लग गई और उसके बाद उस सड़क का टेंडर निरस्त हो गया और इस बार भी हमने खूब प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्य से हमारा अगर कोई कागज चलता है तो लगता है, वह बीच में ही अटक जाता होगा तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस महत्वपूर्ण पारासरा खरनाल और बरनगांव जो आठ किलोमीटर सड़क

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है, इसकी आप घोषणा करें। खरनाल भी मंत्रीजी कई बार गये होंगे। पहले गये तो इन्होंने शायद एक-दो बार घोषणा भी इस मामले में की होगी।

दूसरी, मेरी एक मांग है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोखा-चांदवाता से दवा के बीच डामरीकृत सड़क का निर्माण, यह करीब 5-6 किलोमीटर सड़क पड़ेगी।

एक, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, स्टेट हाईवे ओसियां से कुचेरा घोषित हो गया। इस स्टेट हाईवे को घोषित हुए काफी टाइम हो गया लेकिन बनने के अन्दर अभी समय लगेगा और इस स्टेट हाईवे के अन्दर जो गांव आ रहे हैं, वहां आप रिन्युअल का नया पैसा नहीं दे रहे हो मंत्रीजी, तो कितने टाइम वेट करना पड़ेगा? एक तो आप लिखें। संकवास से गोंवा, जो बीस साल पहले सड़क बनी थी, वह आज पूरी तरीके से टूट गई है। इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करायें। दूसरी है, भदोरा फांटा से भावण्डा माणकपुर वाया भावण्डा, स्टेट हाईवे का काम आप जल्दी से चालू करा दें तो उसका जल्दी करायें, नहीं तो उससे पहले एक बार रिन्युअल इन सड़कों का करायें ताकि आमजन को आने-जाने के अन्दर आसानी रहे।

एक, हिलोड़ी से बडनोका की रोड पिछली बार भी मिसिंग लिंक में वहां स्वीकृत हो गई थी, लेकिन किन्हीं किसी कारणों से मिसिंग लिंक की रुक गई सारे राजस्थान की। इसको रोक दिया तो इसको भी आप दिखवायें।

राज्य राजमार्ग 87 की बजट स्वीकृति कर खींवसर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को बाईपास से जोड़ा जाये। पारासरा, ढाढरिया कल्लां से खजवाणा, यह चार किलोमीटर की सड़क है, इसके बीच सड़क बने। कालिया से मेडास तीन किलोमीटर सड़क मिसिंग लिंक के अन्दर आप करवायें।

मंत्रीजी, आप नागौर जिले से आते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान के अन्दर पैसा खर्च हुआ, या तो झालावाड़ के अन्दर हुआ, धौलपुर के अन्दर हुआ या फिर डीडवाना के अन्दर हुआ। डीडवाना भी हमारा ही है, हमारे जिले के अंदर आता है। हम यह नहीं कहते कि डीडवाना के अन्दर पैसा आपने ज्यादा क्यों खर्च किया? क्योंकि जो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहता है, वह अपने इलाके के अन्दर निश्चित रूप से ज्यादा काम कराता है। यह तो परम्परा बन गई लेकिन डीडवाना के साथ-साथ आपको जिले के दूसरे विधान सभा क्षेत्रों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक, यहां पुल की नागौर के अन्दर बहुत बड़ी दिक्कत है। नागौर के विधायक ने भी पहले मामला उठाया था। वह आरओबी का काम तो चालू हुआ है बीकानेर फाटक का। लेकिन मानासर फाटक, इस पर भी आरओबी बने। (व्यवधान) आप बता देना। और दूसरा एक पुल जो गलत बन गया था, पिछली सरकार के टाइम एक पुल गलत बन गया बासनी फाटक का, उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये लेकिन उस बासनी फाटक के पुल पर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है बासनी फाटक वाले पुल से, तो इस पुल का नक्शा है, वह किसने पास किया? यह पुल किस काम आ रहा है? यह तो बैठे-बैठाये आपने पूरे नागौर की जो बहुत अच्छी रोड थी, जो दिखने में सबसे सुन्दर रोड के अन्दर यह रोड आती थी, उस रोड का खात्मा भी कर दिया। वहां करोड़ों रुपये लगाकर पुल भी... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट, दो मिनट। पारख साहब, दो मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट में आपकी जो मांग है, वह आप बता दो। कई माननीय सदस्यों को बोलना है। आप दो मिनट में अपनी मांग बता दो या आप लिखित में माननीय मंत्री महोदय को, पूरा आपका जो भी काम हो, वह दे दो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप भी पीड़ित हो, मैं भी पीड़ित हूं, थोड़ा ध्यान तो रखो आप।

श्री सभापति: आप तो दो मिनट में अपनी बात कह दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छा ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी, इसकी जांच कराओ। बासनी फाटक पर जो पुल बना है न, यह पुल पिछली सरकार के टाइम बना था। करोड़ों रुपये खर्च हो गये। गलत तरीके से पुल बना है। इस पुल को बनाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार थे? करोड़ों रुपये भी खर्च हो गये, एक्सीडेंट हो गये और कई लोगों की जानें भी चली गईं। इसको तो वापस आप सही कराओ, समतल कराओ। यह गलत तरीके से बन गया है और इसके अन्दर जो भी दोषी थे, उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि सबसे ज्यादा ढांचागत भ्रष्टाचार, जो आपके ठेकेदार, एईएन, एक्सईएन, एसई, चीफ इंजीनियर और ऊपर तक यह ढांचागत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भ्रष्टाचार के अन्दर हैं। मैं कोई आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट राजस्थान के अन्दर माने जाते हैं तो परिवहन और पीडब्ल्यूडी, यह मानते हैं कि इनमें मोटी कमाई है। ऐसा कहते हैं लोग। कभी हम तो मंत्री रहे नहीं लेकिन कहते हैं कि इनमें ज्यादा पैसा एईएन, एक्सईएन, चीफ इंजीनियर तक जाता है। वह ठेकेदार भी कहते हैं। गलत रोडी का इस्तेमाल कर देंगे, डामर की मात्रा कम डाल देंगे। आप कुछ उदाहरण ऐसे दो राजस्थान के अन्दर जांच करवाकर कुछ सड़कों की और कुछ ठेकेदारों को, एईएन, एक्सईएन, चीफ इंजीनियर को अगर आप जांच करवाकर जेल में डलवाते हो तो इसका मैसेज जाता है। मैं आपको दो-तीन सड़कें लिखकर दूंगा अलग से, जिनकी अगर आप जांच कराओगे तो आपको लगेगा कि सड़क बनने के छह महीने बाद ही सड़क नाम की वहां पर चीज ही नहीं रही। मैं आपको बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक आपने नितिन गडकरीजी का कार्यक्रम भी कराया था। रोज यहां पर घोषणाओं पर घोषणाएं करा रहे हो लेकिन टोल रोड के अलावा नई कौनसी रोड की घोषणा आप करा रहे हो? और अभी तो आप दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हो। यहां कोटपूतली के अन्दर जाम लगा रहता है। आपका बहरोड़, शाहपुरा, इस जाम से कब निजात मिलेगी? हर जगह घोषणाएं, घोषणाओं का अम्बार है। आप तो एक काम करें साहब, जितनी घोषणाएं आपने चार साल के अन्दर यहां की हैं, आप बता दें कि यह घोषणाएं पूरी कर दोगे तो भी बहुत हैं कि हमने इतनी घोषणाएं राजस्थान के अन्दर की हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मिनट में ही पूरा कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से, सरकार से यह भी मांग करूंगा कि अब की बार, देखिये पिछली बार मैं बीजेपी से विधायक था गलती से और थोड़े दिनों के बाद ही बाहर आ गया लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 25-25 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें और 10-10 किलोमीटर धार्मिक पर्यटन की, ये सारे विधायकों को राजस्थान के अन्दर दी थीं। ठीक है, आपका मेरे से झगड़ा हो सकता है इंडिविजुअल, मैं मानता हूं लेकिन बाकी 199 से क्या झगड़ा है आपका? बताओ। इनको तो कम से कम रोड देते। आप कहते तो हो कि हर विधान सभा क्षेत्र में आपको सड़क दे दी और आप हमें लैटर भी भेजते हो कि माननीय विधायक खींवसर, लक्ष्मणगढ़, आपके इलाके के अन्दर हमने ये-ये काम करा दिये। हमारे को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कागज किसलिए भेजते हो? हमारे कहने से तो कराते नहीं काम। अगर हमारे कहने से कोई काम करो तब तो कागज हमारे को भेजो। जब आप हमारे को मानते ही नहीं तो फिर लैटर किसलिए भेजते हो और किसलिए प्रगति प्रतिवेदन हमारे घरों पर भेजते हो? आप बताओ। यह तो आप हमारी मजाक उड़ाते हो। मतलब, इस तरह का भेदभाव अगर माननीय सभापति महोदय, इतने बड़े लेवल पर होने लग गया तो मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान विकास के अन्दर आगे जायेगा। चुनाव वापस आ जायेंगे। अब की बार आपको अलग बैठना पड़ेगा, तब सरकारें दूसरी होंगी, फिर वह भी आपका विकास रोकेंगे। आप बदले की भावना से कार्यवाही करोगे, लोग दुबारा आप पर करेंगे तो मेरी मांग रहेगी कि वास्तव में ठीक है, कोई दो-चार को ओब्लाइज करना हो, वह अलग बात होती है लेकिन आप इस तरह, किसी विधायक के अधिकार का पूरा हनन कर दो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि पिछले चार साल के अन्दर किसी भी विरोधी विधायक, जो बीजेपी के अलावा हो, आपने हमारे वहां भी सड़कें बनाई तो कोई हारा हुआ प्रत्याशी लिखकर भेज रहा है, जिनकी जमानत जब्त हुई, कोई कहीं से पकड़कर दे रहा है, कोई अपने घर पर अन्दर बनवा रहा है। कोई अपने खेत में बना रहा है। हमारे लोहावट से आने वाले मंत्रीजी ने अपने खेतों में बना ली सारी सड़कें। कोई दिक्कत नहीं है बना ली तो। मैं मना कहां कर रहा हूं, बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो, अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? ये बार-बार टाइम नहीं आता है। जब आता है, मजा ले लेना चाहिए आदमी को।

माननीय सभापति महोदय, कम से कम आप थोड़ा-सा तो ध्यान रखो कि हम भी फालतू की बात नहीं करते और ऐसे कहा गया कि यहां इतने मंत्री बैठे हैं। मैं भी आपकी पार्टी के अन्दर रहा हूं। मैं कभी मंत्रियों को लैटर पेड पर लिखकर नहीं भेजता और कभी ट्रांसफर की अर्जी भी नहीं देता। हमें पता है, जब हमने सरकार से झगड़ा किया था तो हमारे अन्दर दम है, इसलिए बिना विकास के भी और बिना उसके भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी 2018 के अन्दर आप देखना। हो सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं आये, लेकिन काफी हद तक ठीक आयेगा। (व्यवधान) मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि यह लास्ट जो चुनावी साल है, इसके अन्दर सब विधायकों से आपको राय लेनी चाहिए। हां, मान लो मेरे अकेले से कोई दिक्कत हो तो छोड़ो, बाकी को तो ठीक करो। इन गोविन्दजी के करो, ये आपके पड़ौसी हैं। ये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आपका खूब ध्यान भी रखते हैं। ये बैठे हैं यहां पर, ये बैठे हैं। इनके कोलायत के अन्दर मैं घूमकर आया था। कोई विकास नाम की चीज ही कोलायत में नहीं है और वहां जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि यहां तो विकास की बात जब हम करते थे तो वहां के नेता यह कहते थे कि अगर विकास हो जायेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जायेगी। जैसे नागौर के अन्दर भी हमारे यहां नारा दिया जाता था कि अगर नागौर के अन्दर नहर आ गई तो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप। आप समाप्त करें अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, हो गया साहब।

श्री सभापति: सारी बातें आ गईं आपकी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चलो ठीक है, एक मिनट बोलता हूं। एक मिनट, लास्ट बोलता हूं। (व्यवधान) नागौर के अन्दर इस तरह से वोट मांगे जाते थे कि अगर विकास हुआ, अगर रेल आई तो चोर आ जायेंगे। सड़क बनेगी तो एक्सीडेंट होंगे। इस तरह भी 50-60 साल तक इस जिले का शोषण हुआ। कम से कम अब तो आप लोग जब, यहां तीन-तीन मंत्री आपने नागौर के अन्दर बना दिये। बताओ आप, तीन-चार मिनिस्टर नागौर के बन गये और फिर भी नागौर के विधायकों को अगर सड़कों के लिए, विकास के लिए राजस्थान की सरकार के सामने इस तरह करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि साहब, आगे कुछ ठीक होगा और...(व्यवधान) 10 में से 9 सीट आपको दीं इस बार, दी हैं कि नहीं दी हैं, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह सुन्दर काका आपसे बात करना चाहते हैं। (व्यवधान) काका, बोलो।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): ये अपनी बात कर रहे हैं। ये गाली निकाल रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ रोड्स को मैं मंत्रीजी को लिखकर भिजवाऊंगा। आप उनकी जांच कराना और उसमें भारी भ्रष्टाचार मिलेगा और कुछ ठेकेदार और इंजीनियर्स को, मुख्य अभियन्ताओं को और सैक्रेटरी लेवल पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उनकी जांच कराकर जेल में डालोगे तो मैसेज जायेगा कि वास्तव में ठीक हो रहा है, नहीं तो शक की सूई सब तरफ ऊपर तक जाती है। बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

(18.00 बजे)

सूचना

माननीय सदस्या श्रीमती अमृता मेघवाल को

स्वाइन फ्लू का प्रकोप

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इंफोर्मेशन। माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी सूचना मिली है कि हमारी एक माननीय सदस्या अमृता मेघवाल जी को स्वाइन फ्लू हो गया और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने हाथ से टेम्प्रेचर देख लिया और अभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कि मेरी भी चैक करो तो यह सदन में सबकी कराएंगे क्या, स्वास्थ्य मंत्रीजी? ये अपने विवेक का इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं करते? यह समझ में नहीं आ रहा।

श्री सभापति: आपकी सूचना पहुंच गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां पहुंची? वो तो चले गये, स्वास्थ्य मंत्री स्वयं को चैक कराने के लिए। स्वाइन फ्लू के लिए जाना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। अभी राजेन्द्र जी राठौड़ के लगा गये स्वाइन फ्लू। अभी हाथ मिलाया संसदीय कार्य मंत्री....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके लग गया तो क्या करोगे।

श्री सभापति: आपने इंफोर्मेशन दे दी, सरकार की जानकारी में आ गई, आप विराजें। कार्यवाही हो जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां आ गई? कहां हैं स्वास्थ्य मंत्रीजी?, अपना तो चैक करवा लिया इन्होंने स्वाइन फ्लू, राजेन्द्र जी राठौड़ के हाथ लगाकर चले गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वो मेरे पास बैठे थे अभी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उप मुख्य सचेतक के हाथ लगाकर चले गये और मेरे को भी बुला रहे थे। मैं नहीं आऊंगा आपके पास। मेरे स्वाइन फ्लू करना चाहते हो आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं नेता प्रतिपक्ष के पास जाने वाला हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्या के स्वाइन फ्लू हो गया और स्वास्थ्य मंत्री चिंतित ही नहीं हैं। इस काम में करो अपने विवेक का इस्तेमाल, करो देखें।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं नेता प्रतिपक्ष के पास आने वाला हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी सूचना माननीय मंत्री तक पहुंच गई। आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह असत्य बात नहीं है माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बतायें तो सही, हम सुरक्षित हैं क्या सदन के सदस्य तो?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल सुरक्षित हो, अमृता मेघवाल जी के स्वाइन फ्लू पोजिटिव आया है तो उनको कह दिया गया है कि आप इलाज करवाएं और जो उनके आस-पास के लोग हैं जिनसे वे आज मिले, उनकी भी स्क्रीनिंग होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आप मिले आपकी भी हुई या नहीं हुई? आप भी मिले हो अमृता मेघवाल जी से। आपकी हुई कि नहीं? आपने अपनी तो करा ली और हमको छोड़ दिया भगवान भरोसे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरे कोई स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स नहीं है। आपकी शुभकामनाओं से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अब आ जाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो यही चाहते हो, पर नहीं आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, खतरे में हम सब लोग आ गये। स्वास्थ्य मंत्रीजी मुझसे मिले, मैं मदन जी से मिला, मदन जी कालूलाल जी से मिले, कालूलाल जी हमारे पीछे माननीय सदस्यों से मिले, यह तो वास्तव में सनसनीखेज बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अमृता जी का हाथ पकड़कर उनका टेम्प्रेचर देखा, तो लग गये कीटाणु, अब आपने इनको लगा दिया, आपने इनको लगा दिया तो सारे ही चपेट में आ गये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अमृता मेघवाल जी से केवल मैं जब सुबह आया, तब नमस्ते-नमस्ते हुई थी। उसके बाद मुझे जैसे ही सूचना मिली......

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, दाल में काला है स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिए भई, उनको सूचित कर दिया गया है कि आपके स्वाइन फ्लू पोजिटिव आया है। आप घर पर रेस्ट करिये, इलाज करवाइए और उनके आस-पास जितने भी हैं वहां उनकी स्क्रीनिंग के लिए आर्डर दे दिये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपन आस-पास ही हैं, पूरा सदन ही आस-पास है उनके तो, माननीय सदस्य हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डोटासरा जी, स्वास्थ्य मंत्रीजी तो निश्चिंत हैं कि जिनका शुभचिंतक आप हो, तो इसलिए निश्चिंत होकर, कोई स्वाइन फ्लू नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कराया कि नहीं चैक, क्योंकि उन्होंने सुबह हाथ लगाया था, मेरे पास पुख्ता न्यूज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, आरोप निराधार है। स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बिलकुल हाथ नहीं लगाया, दूर से बात की थी। ये बेबुनियाद आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, हाथ लगाकर, हाथ पकड़कर टैम्प्रेचर टैस्ट किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप ज्यादा चिंतित मत हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी चिन्ता कतई ना करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी स्थिति संसदीय कार्य मंत्री कब स्पष्ट करने लग गये। विवेक तो इनके पास में है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डोटासरा जी, स्वास्थ्य मंत्री बिलकुल स्वस्थ हैं, बिलकुल चुस्त है, बिलकुल दुरुस्त हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो हमारी भी जांच करवा दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी भी करवा देंगे।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती शकुन्तला रावत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, अभी चार साल से हम सारी घोषणाएं देख रहे हैं। सभापति महोदय, वो कहावत चरितार्थ होती है कि बादलों की बहुत-बड़ी गड़गड़ाहट और अंधेरा छा जाता है, धरती मां सोचती है कि बारिश बरसेगी, किसान सोचता है बारिश बरसेगी, लेकिन गड़गड़ाहट करके, गरज कर बादल वापस चले जाते हैं और धरती सूखी रह जाती है। ठीक उसी तरह से अभी थोड़ी देर में घोषणाओं की गड़गड़ाहट होगी और टेबल की भी गड़गड़ाहट होने वाली है और आंकड़ों में गांव और ढाणी तक सड़कें ऐसी स्पीड में जाएंगी आज, सुबह अख़बार में आंकड़े छप जाएंगे।

सभापति महोदय, अलवर जिले में उप चुनाव हुआ तो वहां पर जो 8 विधान सभा क्षेत्र थे, वहां पर चुनाव में वोट के लालच में काम दिया गया। सभापति महोदय, अलवर जिले की और भी विधान सभाएं थीं। भाई ना बोलो तो ज्यादा उचित रहे, फिर मैं कुछ कहूंगी, फिर बेफालतू की बात होएगी। मैं जानती हूं सारी कंडीशन्स क्या हैं।

सभापति महोदय, घोषणाएं भी हुईं और वहां के लिए काम भी दिये गये, शायद पता नहीं, अब माननीय सदस्य बैठे हैं दिये गये थे, लेकिन नजदीक लगते हुए क्षेत्र में या अलवर जिले के दूसरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं दिया गया। हर वर्ष बजट में घोषणा की जाती है कि रेवेन्यू विलेज के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. में इतना बजट रखा गया पर सभापति महोदय, जब प्रश्न लगाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू विलेज कितने हैं 2001 की जनगणना के हिसाब से, जबकि 2011 की भी जनगणना हो चुकी है। लेकिन 2001 की जनगणना से वो गांवों की लिस्ट दे दी गई, यह नहीं दिया गया कि कितने गांव में सड़क बनाई गई पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के तहत।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, पूरे 4 वर्ष में एक भी सड़क पी.एम.जी.एस.वाई. में रेवेन्यू विलेज को नहीं जोड़ा गया। यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब भी कोई बात होती है सभापति महोदय, आंकड़े गिनाते हैं, पिछली सरकार ने ये किया और हमने यह किया। पिछली सरकार ने इतनी घोषणा की और हमने इतने करोड़ की घोषणा कर दी। लेकिन पिछली सरकार की कमी निकालने वालों से कह दो कि 'चिंगारी का खेल बुरा होता है और वर्तमान सरकार का उप चुनाव में हाल बुरा होता है' सभापति महोदय। यह इनके विकास का जवाब था।

सभापति महोदय, अब जो लिस्टें गिनवाई जाएंगी, मैं अनुरोध कर दूं, मेरी मांग ना रखूं वैसे तो मंत्री महोदय करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर मांग नहीं रखूंगी तो मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी कि मैडम ने मांग नहीं रखी हमारी, लेकिन ऐसी गूंगी-बहरी सरकार के सामने मांग रखने से, क्या मंत्री महोदय करेंगे? अगर नहीं रखूंगी तो मेरी जनता के साथ नाइंसाफी होगी, आप तो हमारी जनता के साथ नाइंसाफी कर ही रहे हो। मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है पूरे राजस्थान का होता है और पूरी जनता का होता है। इसलिए यह बात मैं यहां रखने का अधिकार रखती हूं। वन क्षेत्र से लगते हुए गांव, जिनमें पी.डब्ल्यू.डी. का रोड निकल रहा है, उन पर रोक लगा दी जाती है। मुख्य सड़कें चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, मिसिंग लिंक की बनी हुई हों, चाहे मैन सड़कें हों पी.डब्ल्यू.डी. की, जो पूरी तरह से टूटी हुई है, चाहे कुशालगढ़ से नारायणपुर तक हो, नारायणपुर-बानसूर और आलनपुर तक।

सभापति महोदय, 4 साल से एक ही रोड, आलनपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर, उसी को पी.पी.पी. मोड में गिना रहे हैं और अब देखते हैं आज भी उसी का जिक्र तो करेंगे ही खैर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जब भी प्रपोजल मांगे जाते हैं हम भेजते हैं, लेकिन जो ऐसे रास्ते हैं जिनसे 10-10, 15-15 गांव और ढाणियां जोड़ी जाती हैं ऐसे रास्तों को सभापति महोदय, मैं सदन में रखना चाहती हूं। आड़ीगेली से कोठिया होता हुआ गढ़ी तक, जिसमें 10-15 गांव और ढाणियां आती हैं और अधिकतर रोड ऐसे हैं, जिनका पिचिंग तक हो चुका है। काम शुरुआत हो जाती है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उदाहरण है ज्ञानपुरा से लेकर के मदन सिह की ढाणी तक जाता हुआ रोड, वो किस कारण से रुक गया, कुछ जानकारी नहीं मिलती है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मदन जी की ढाणी है ही नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): है, मदन जी की ढाणी है। सामोता स्टैंड से खरकड़ा तक नोन पेचेबल में जिसमें गड्ढे बने हुए हैं। मुंडावरा ग्राम पंचायत में जिसमें अनेकों ढाणी हैं वो अजबपुरा रोड तक जिसमें दस फुट का गहरा रास्ता है। पानी भर जाता है। बड़ी समस्या होती है गांव वालों को। मालोड़ी से चतरपुरा तक और महनपुर से चेचिया की ढाणी होता हुआ सराधना की ढाणी होता हुआ माची तक, ग्वाड़ा से रघुनाथपुरा तक, बास करनावत से खोरी और ज्ञानपुरा, ये जो पीडब्ल्यूडी का रोड़ है इसमें इतने गहरे गड्ढे हैं पहले से ही। अब ये नोन पेचेबल में कौन से काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता। बलवा का बास से मंगड़वा सबलपुरा पंचायत हैडक्वार्टर बन गया, रेवेन्यु विलेज है, चार साल से लगातार मांग उठा रहे हैं लेकिन वो भी नहीं हो पायी है। नर्बद का वास है, हरसौरा से मलवास तक पीडब्ल्यूडी का रोड है जिसको बार-बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाता है, लेकिन आज तक वह काम भी पूरा नहीं हुआ। बानसूर ग्राम पंचायत में अलवर रोड से लालावाली ढाणी है, बोड़ी कोठी है, मालियों की ढाणी है, यादवों की ढाणी है, इसमें 15-20 ढाणियां हैं और वो मैन सड़क पर वापस घूम कर आ जाता है। चाहे वालावास हो, ज्ञानसिंह की ढाणी से कूलका कुंड तक जिसका मैंने जिक्र भी किया है, बबेड़ा से बिंजेड़ा तक और बबेड़ा रोड से सांगटेड़ा जो कोटपूतली की सीमा को जोड़ता है, नांगललाखा से मोरदा-कोटपूतली, माजरा से मुंडावर सीमा तक, रायली से सामदा तक अनेकों रोड ऐसे हैं जिनकी मैंने लिस्ट मंत्री महोदय के पास में पहले भी पहुंचा दी है, लेकिन बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। भगुका वास से छावड़ीवास तक बानसूर में ऐसे पुल हैं जो टूट गये थे और जिनको मेरे हिसाब से तब बनायेंगे सभापति महोदय, जब कोई दुर्घटना हो जाएगी? कुछ लोग मर जाएंगे उसके बाद बनायेंगे? मैंने सूचित कर दिया पीडब्ल्यूडी को कि चांदपुरी की पुलिया टूटी हुई है, लोसडोईवाली की पुलिया टूटी हुई है, इसे दुबारा से बनाया जाए। माची, बिसालू, बिलाद, खारी का बास, लेकिन ये दो पुलिया टूटी हुई हैं चांदपुरी और लोसडोईवाली, यहां पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो क्या दुर्घटना घटने के बाद में ये उस पुलिया को बनायेंगे?

सभापति महोदय, बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी गेस्ट हाउस भी नहीं है, न कोई डाक बंगला है। एसडीएम, तहसीलदार के आवास नहीं हैं और तहसील का नया भवन बनाने के लिए जमीन भी दी गई है, लेकिन आज तक वहां भवन बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। सभापति महोदय,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अब ये पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, पीएचसी या सीएचसी में भी कोई भी सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम नहीं हुआ है। उपखण्ड तहसील हैडक्वार्टर पर भी नहीं, आफिस में वकीलों को बैठने के लिए भी कोई किसी तरीके की सुविधा नहीं है।

एक बस स्टैंड के लिए भी, आपके पास परिवहन विभाग है जिसमें हम लोगों ने भी अलवर का बस स्टैंड बनाने में पैसे दिये थे और आपको लिख कर भी दिया और आपने चिट्ठी लिखी कि आप हमें लिखकर दे दें कौन-कौन से रूट पर बस चलाना चाहते हैं, लेकिन मैन सड़क जो आनन्दपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर होते हुए जाती है उस पर आज तक जबकि यहां से आश्वासन दिया गया था लिखित रूप में कि चूंकि आपने मदद की है इसलिए हम यहां पर बस चलाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय, क्या आज भी उसी तरह का असत्य घोषणाओं का पुलिंदा यहां रखेगे? क्या कभी कोई एक सड़क से गांव को जोड़ने का, रेवेन्यू विलेज को जोड़ने का काम करेंगे, मंत्री महोदय? लेकिन नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। ऐसे निराश रूप से और देख रहे हैं। क्या आप इसलिए नहीं बनाना चाहते कि हम कांग्रेस के विधायक हैं? किसलिए नहीं बनाना चाहते? सभापति महोदय, यह मेरे प्रश्न के उत्तर में भी लिस्ट दी गयी है सिर्फ। यह नहीं दिया गया कि एक गांव को हमने, रेवेन्यु विलेज को पीएमजीएसवाई से जोड़ा है। आपसे अनुरोध है, हम कांग्रेसी हैं तो आप हमारा काम नहीं करें, लेकिन जो राजस्थान की जनता है उसने आपको बहुमत से यहां भेजा है, तो जनता का काम तो करके देवें। सभापति महोदय, जो पैचवर्क का काम नवम्बर, दिसम्बर में हुआ था वो फरवरी में उखड़ गये। वहां पर डामर नाम की, रोड़ी नाम की चीज नहीं है। किसी भी जगह का जाकर देख लें तो वहां पर सड़क बनी हुई नहीं है सभापति महोदय, तो चार साल की इनकी घोषणाएं जो हैं, वो झूठी हैं, तो हम अनुरोध करते हैं कि ये जनता का ख्याल रखें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): असत्य कह दो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): असत्य मान लो, बात तो एक ही है, वो पर्यायवाची है। आदमी की पहचान, उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मंत्री महोदय, आपका मन कितना बड़ा है, मन की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

फकीरी पर तो कुबेर की सम्पदा भी रोती है। सभापति महोदय, कृपया जनता का ये भला कर दें।

श्री सभापति: श्री शंकर सिह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब से शासन संभाला है, अब यों असत्य बोलने के लिए मेरे से पूर्व वक्ता कई प्रकार की असत्य बातें यहां सदन में कहते हैं। यह साफ लिखा हुआ है कि यहां सभास्थल पर आने के बाद किसी की प्रकार का असत्य नहीं बोलना चाहिए। इनके शासन में, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में मैं भी था। उस समय सड़कों की क्या स्थिति थी और आज के समय में कितनी बढ़िया सड़कें हैं जो हमारी सरकार ने बनाई है। प्रत्येक विधायक को पांच-पांच किलोमीटर की सड़कें दे रहे थे। आज हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 15-15 किलोमीटर, आपके विधान सभा क्षेत्र में बन रही है तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए आपको।

माननीय सभापति महोदय, इनके पिछले कार्यकाल में हमारे टोल वाली सड़कें बनी थीं। किशनगढ़ से ब्यावर वाली जो सड़क थी उसके ऊपर पुलिया के पास में सर्विस रोड जो निकलती है वो एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी छोड़ दी गई है उसकी वजह से माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी त्रुटियों की वजह से, इनकी गलती की वजह से हमारी जनता वहां दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होती है, उसको रोका जाए। ब्यावर सदर थाना के पास में जो पुलिया है उसके ऊपर दोनों तरफ सर्विस रोड नयी बनाई गयी है और रेलवे क्रोसिंग के ऊपर हमेशा उस जगह दुर्घटना होती है उस दुर्घटना को बचायें और सर्विस रोड को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें लिखें।

दूसरा, ये उदयपुर रोड चुंगी नाका के पास में भी है, वहां भी सर्विस रोड नहीं होने की वजह से उस पुलिया में आज भी वहां पर हमेशा एक्सीडेंट होता है।

तीसरा, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उसको नोट कर लेवें और जब आप बोलोगे तो निश्चित तौर पर एक उदयपुर रोड चुंगी नाका के पास में भी है उसको भी आप नोट करें।

(श्री शंकर सिंह)

एक जालिया पुलिया के पास में वो पुलिया बना दी, लेकिन सर्विस रोड नहीं होने की वजह से, पहले भी मैंने इस विषय को चार बार लिखा है। ये सिर्फ उन टोल वालों को बोल करके टोल तो वसूल रहे हैं, लेकिन वो सर्विस रोड नहीं होने की वजह से कई गाड़ियां वहां दुर्घटनाग्रस्त होती हैं।

साथ में राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रिज जो सरना के पास में बना हुआ है उस ब्रिज के ऊपर जो पाली से आने वाला व्यक्ति है वो ब्यावर पहुंच जाएगा, लेकिन सरना नहीं पहुंच पायेगा, क्योंकि वहां सर्विस रोड ही नहीं है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि पिछली सरकार की गलतियों की वजह से आज तक भी हम उन गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वो केन्द्र सरकार से कहकर निश्चित तौर पर उसको आप सुधारने के लिए कार्य करेंगे।

इसी प्रकार से रामगढ़ पुलिया के पास में भी है। वहां भी सर्विस रोड नहीं है, उन गलतियों को सुधारा जाये।

दूसरा मेरा निवेदन है, जस्साखेडा से धुधालेश्वर सड़क की वित्तीय स्वीकृति अभी तक निकली नहीं है। मुझे आशा है, आपने पूरा आश्वासन दे दिया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपके कहने के बाद, हमारी सरकार की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन उसके साथ तीन सड़कें और हैं। गापा चौराहे से सुरुपा और बराठन से कंकालिया तक और भुजारेल से गौरीमादा तक, यह सड़कें जो वन विभाग की हैं, इन सड़कों को निश्चित तौर पर आप लेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, यह जागरुकता की बात कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में सड़कों की जो हालत थी, उस समय कोई डिलीवरी के केस को अस्पताल में लेकर जाता तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो जाती थी, सड़कों की ऐसी हालत थी। आज आप जाकर देखिए सड़कें, ठीक है कई जगह पर है, यह नहीं कि सब जगह बहुत बढ़िया हो गया हो लेकिन हमारी सरकार ने जितनी सड़कें बनाई हैं, पिछले कार्यकाल में उसकी 50 परसेंट भी सड़कें नहीं बन पाईं। यह जागरुकता की बात कहते हैं कि हमारे शासन में गांधीवादी सरकार थी, बहुत ज्यादा जागरुक थी और राजस्थान में शासन संभालने के लिये बहुत बढ़िया काम कर

(श्री शंकर सिंह)

रहे थे। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि यह गांधीवादी सरकार के काम, हमारे ब्यावर शहर में एक शराब दुखान्तिका की घटना घटी थी और उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक भी मंत्री तक, मुख्य मंत्री तो बहुत दूर है, उनके आंसू पोंछने के लिये, उनको सांत्वना देने के लिये एक दिन भी आज तक नहीं आये। अभी 16 फरवरी को हमारे ब्यावर में जोग संजोग से एक गैस दुखान्तिका की घटना घटी, उसमें 20 लोग मारे गये थे। उनकी डैड बाडी मिल गई है, एक व्यक्ति की डैड बाडी नहीं मिली है। नारायण सिंह पुत्र मेहंदु सिंह, यह मसूदा का रहने वाला है, उसकी बाडी नहीं मिली है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसकी बाडी मिले या नहीं मिले, वहां गैस का प्लांट फटा था, उसमें कहीं बाडी बिखर गई होगी, मलबे में कहीं न कहीं जा सकती है, उनको भी अभी न्याय नहीं मिला है, उनको जरूर न्याय मिले। ऐसी दुखद घटना में हमारी जागरुक मुख्य मंत्री महोदया, 16 तारीख को घटना घटी और 17 तारीख को ब्यावर पहुंच गईं और जितने भी पीड़ित लोग थे उनको हाथों-हाथ मुआवजे की राशि की घोषणा कर दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिये। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सर्वे करवा कर उनको भी मुआवजा दिलाने के लिये कोशिश कर रही हैं। ऐसे होता है शासन चलाने का काम। शासन चलाने की अगर कहीं लाइन सीखनी है तो हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा जी से सीखनी चाहिये। ऐसे थोड़े ही है कि आप शासन संभाल रहे हो और राजस्थान में कोई भी मर रहा है, एक व्यक्ति मरता है तो भी हम संभाल लेते हैं, हमारे ब्यावर में 11-11 मर गये, उस शासन में एक भी व्यक्ति नहीं आ पाया। इसलिए शासन की जितनी भी तारीफ की जाये, वह कम है। यह कह रहे हैं कि पता नहीं आप वापस आओगे या नहीं आओगे और हमारी सरकार आयेगी। मैं उनको कहना चाहता हूं अभी तो मिनी बस में बैठकर आ रहे हो, यह तीन चुनाव क्या जीत गये हैं आपने आसमान को छूने का सपना सोच लिया है। आज राजस्थान की जनता टुकर-टुकर देख रही है कि राजस्थान में कोई शासन संभालेगा तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी की तरफ देख रही है, वो ही शासन संभालेंगी। अभी आपकी यह हालत है तो आपको टेम्पो पकड़कर आना पड़ेगा, अभी तो मिनी बस में आ रहे हो लेकिन अगर इस प्रकार के झूठे वादे और झांसे करोगे तो कोई न कोई टेम्पो पकड़कर आना पड़ेगा, इतनी संख्या में ही आ पाओगे आप।

(श्री शंकर सिंह)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अभी आप घोषणा करेंगे जिसमें हमारी भी छोटी-छोटी जो पिछली सरकार की गलतियां हैं, इनको आप जरूर दुरुस्त कराने के लिये मुझे आश्वस्त करेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। आज सड़क की मांग पर चर्चा चल रही है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि सड़क किसी भी प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से शरीर में धमनियां होती हैं, उसी तरह किसी देश के लिये सड़क का भी उतना ही महत्व है। इस प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है वह मुख्य रूप से देखा जाये तो प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उस समय उन्होंने एक योजना बनाई प्रधान मंत्री सड़क योजना, उस योजना की वजह से गांवों में चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उस समय के बाद सड़कों का जाल बिछाया गया जिसकी वजह से देश व प्रदेश में विकास की शुरुआत हुई है तो उन सड़कों के बाद में हुई। उनकी एक सोच थी कि किसी देश का विकास करना है, किसी गरीब व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है तो हर गांव को सड़क से जोड़ना जरूरी है। उसके बाद प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा गया और उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी राजस्थान की सरकार उसी की तर्ज पर गांवों में गौरव पथ बनाना हो, चाहे मिसिंग लिंक के माध्यम से हो, उस काम को आगे बढ़ा रही है। एक समय ऐसा था मुझे पता है और हमारे कई माननीय सदस्यों को भी पता है कि हमारे रेगिस्तान के क्षेत्र में तो यह स्थिति थी कि जब आंधी आती थी तो उस समय महीने-महीने तक रास्ता बंद हो जाया करता था। उसके बाद जब वह बस जाती थी तो उसके पैसेंजर धक्का दे देकर किस तरह से उसको पार करते थे। उस समय सड़कों से हमारे प्रधान मंत्रीजी ने प्रत्येक गांव को जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया। यह सच बात है, अभी मुझसे पूर्व खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में जब सड़क बनती थी, उस समय नेता के पास सड़क के लिये कोई जाता था तो कांग्रेस के समय जिन्होंने 60 साल तक हुकूमत की, उनकी सोच ही यह थी कि गांव का विकास नहीं करना है, सड़क के लिये जब जाते थे तो यह कहा करते थे कि अगर आपके गांव में सड़क बन

(श्री केलाश चौधरी)

गई तो चोर आ जायेंगे। इस तरह से उनकी मानसिकता यह थी कि विकास नहीं कराना है, गरीब को गरीब रखना है और, अनपढ़ को अनपढ़ रखना है। 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना, जैसी नीति बनाई। विकास को उन्होंने कभी प्राथमिकता नहीं दी। इस सदन में जिस तरह से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, प्रत्येक गांव में गौरव पथ बनाया गया। गौरव पथ के माध्यम से गांव के गौरव को जगाने का काम किया और जिसकी वजह से देख लें कि ग्रामीण गौरव पथ के नाम पर प्रथम चरण में हमने 1973 पंचायतों को लेकर लगभग 1726 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया और उसमें 873 करोड़ रुपये का खर्चा आया। इसी तरह दूसरे चरण और तृतीय चरण करते हुए चारों चरणों में हमने हर पंचायत को जोड़ा। आज गांव में जाते हैं तो उस गांव में लगता है कि वास्तव में इस गांव में लोग रहते हैं। पहले गांव में सड़क भी नहीं होती थी, वहां पर रेत होती थी और उस मिट्टी में जब बरसात होती थी तो बरसात में वहां कीचड़ हो जाता था जिसकी वजह से उस व्यक्ति को वहां पर कितने कष्ट सहन करने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद गांवों में गौरव पथ बनाने से गांव के व्यक्ति को यह लगता है, वह वास्तव में यह सोचता है कि मैं गांव में नहीं, शहर में रह रहा हूं।

इसी तरह से उन्होंने गांवों में ही नहीं, शहरों के अन्दर भी गौरव पथ बनाये। कई नगरपालिकाओं और नगर निगमों में जाना होता है तो पहले जहां पर पानी सड़क के ऊपर भर जाता था, जिससे बरसात के समय में तो आना-जाना भी मुश्किल हो जाता था, आज शहर के अन्दर जो गौरव पथ बने, उनकी वजह से वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़ी सिटी के अन्दर आये हैं। वास्तव में ये जो काम हुए हैं, विकास हुआ है। इस काम को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश के अन्दर चाहे मिसिंग लिंक के माध्यम से हो या जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने की हमारी सोच है, हम जो वादा करते हैं, वह करके दिखाते हैं।

अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, हम सुन रहे थे, गड़गड़ाहट होगी, बादल आयेंगे, बिजलियां चमकेंगी, पर बरसात नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजली भी कड़केगी, गर्जना भी होगी और बरसात भी होगी और हमारे मंत्री महोदय जी अभी बरसात करेंगे। जिस तरह से पूरे राजस्थान के अन्दर सड़कों के उन्होंने काम कराये हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम

(श्री केलाश चौधरी)

कराये हैं, वह पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज विकास इस प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में, चाहे गायों के लिये हो। गायों के लिये पहली बार, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार ऐसे-ऐसे काम हुए हैं। आपने कभी गायों की सुध नहीं ली। (व्यवधान) आपको सुना रहा हूं। सारे विषय आयेंगे। सुनने का माद्दा रखो। काम करवाते तो आप 19 में नहीं आते। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम बहुत हुए हैं, लेकिन अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम करवाता है, उसी से मांग की जाती है। नहीं करे, उनसे क्या मांगना।

आपने उस समय कहा था, लेकिन हम जो कहते हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय जी उसको करते भी हैं और किये भी हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत काम हमारे क्षेत्र के अन्दर हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से अपनी मांग पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां एसडीएम कार्यालय को बने हुए लगभग दस साल हो गये हैं। उस एसडीएम कार्यालय के लिये उस समय 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज वह अधूरा पड़ा है। जिस तरह से एसडीएम कार्यालय आज डेढ़-दो करोड़ के बन रहे हैं और हमारे बायतू के अन्दर एसडीएम कार्यालय नहीं है। किसी दूसरी सरकारी जगह पर चल रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि एसडीएम कार्यालय को डेढ़ करोड़ रुपये से या नोर्म्स के अनुसार जो वर्तमान में बनाये जा रहे हैं, उसके अनुसार एसडीएम कार्यालय के काम को पूर्ण कराने का आपसे निवेदन रहेगा।

एक और मेरा निवेदन रहेगा कि बायतू क्षेत्र के अन्दर पचपदरा से पाटोदी सड़क है, वहां पर रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है और वह रामदेवरा जाने के लिये एक शोर्ट रास्ता है। वहां पर ट्रैफिक भी भारी रहता है। हर समय साधन आते-जाते रहते हैं और एक्सीडेंट की भी कई बार घटनाएं होती हैं क्योंकि सड़क पर आमने-सामने से साधन आते हैं तो एक्सीडेंट की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। मेरा मंत्री महोदय जी से आग्रह रहेगा कि आप आज ही इस बजट के अन्दर घोषणा करके बायतू की जनता को और पाटोदी की जनता को आप तोहफा देंगे कि पचपदरा और पाटोदी के बीच में जो सिंगल सड़क है, उसको डबल लाइन बनाने का आपसे विशेष निवेदन रहेगा।

एक मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन यह है कि वास्तव में जिस तरह

(श्री केलाश चौधरी)

से आपने काम कराये हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी की और हमारे मंत्री महोदय जी की बहुत तारीफ करता हूं। इसी तरह हमारा प्रदेश आगे बढ़ता रहे और कांग्रेस के शासन में जिन्होंने 60 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज भी ये सड़क, सड़क, सड़क कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर यह काम करवा दिया होता तो आज आपको मांगने की नौबत नहीं आती। (व्यवधान) हां देंगे। विश्वास रखो। हमारे मंत्री महोदय जी और मुख्य मंत्रीजी पूरे प्रदेश का विकास कराते हैं। न तो हम राजनीति करते हैं। हम गौरव पथ बनाते हैं तो पूरे प्रदेश का बनाते हैं। हमने स्कूलें खुलवायीं तो हर पंचायत में खुलवायीं। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। निश्चित रूप से 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ में हमारे राजस्थान का विकास होगा। सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री दलीचन्द डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 19 एवं 21 पर आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी जब सुराज संकल्प यात्रा में फतेहनगर पधारे थे, तब मावली की दशा देखी थी। वास्तव में मावली में विकास के लिये रोडों का जितना काम दिया, जो जाल बिछाया, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मावली विधान सभा क्षेत्र में पावर हाउस से लगाकर खेमली-घासा-मावली रोड की बीस साल से मांग थी। पूर्व सरकार थी, वह गड्ढे भी नहीं भर पायी। तीन-तीन फीट के गड्ढे पड़ गये थे, लेकिन इस सरकार ने 54 करोड़ 75 लाख रुपयों की सैंक्शन देकर काम किया है। 2016 में हमने एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट मंत्री जी के सामने पेश किया, मुख्य मंत्रीजी के सामने, कटारिया जी साहब के सामने। जो 54 करोड़ की है, वास्तव में रोड ऐसी लग रही है। हमने उसका एस्टीमेट इस टाइप से बनाया कि दस इंच गिट्टी नीचे और डेढ़ सौ इंच का डामर और तीसरे में करके..., आज हर गांव में जो रोड डामर से टूट जाती है। हमने एस्टीमेट लिया, वहां पर सीसी रोड। सीसी रोड में दस-बारह इंच गिट्टी। मैं बताना चाहता हूं कि हमने देखकर ऐसा काम किया है। उस रोड को देखकर सबको लगेगा कि वास्तव में रोड बनी है। मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में लोग बोलते हैं कि साठ सालों में रोड नहीं बनी, जैसी रोड बन रही है। कैसे बनायी आपने? मैंने बोला, सबने मिलकर ऐसा एस्टीमेट बनाया। 12 इंच की गिट्टी की सीसी रोड। गांव के बीच-बीच में नाले।

(श्री दलीचन्द डांगी)

मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वह 54 करोड़ की बन रही है। मुख्य मंत्रीजी से उद्घाटन करायेंगे तब दिखेगी कि वास्तव में रोड बन रही है। वहां पर उसके साइड में एक-एक फीट की खुदाई की है और वह भी मिट्टी से दबाकर..। वास्तव में हम बहुत देखकर काम कराते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी गौरव पथ बने हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 41 गौरव पथ बनकर तैयार हो गये हैं। उसमें मैंने खुद जाकर, सर्वे करके, इस घर से उस घर तक..। पता रखते हैं कि कहीं खेत में बन रहे हैं या गांव में। हमारे हर पंचायत स्तर पर गौरव पथ बना। वह वास्तव में देखने के लायक है। 6 इंच की गिट्टी डलवाकर और 7 इंच का ऊपर पूरा काम कराकर दोनों तरफ नाले, वास्तव में गौरव पथ बने हैं। गौरव पथ की कहीं भी कमी नहीं है। मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा काम इतिहास में पहली बार हुआ है।

मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड बनी है। मंत्रीजी ने तीन साल के अन्दर दी है, वह 40 किलोमीटर की रोड मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बनी है। वह रोडे बनी ऐसी बनी कि सभी गांवों को जोड़कर 21 पंचायतों को फायदा मिला। आपदा मंत्रीजी ने हमारे विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये दिये हैं। नोन पेचेबल 2016 में टूट गई। बहुत अच्छी रोड का विकास हुआ। मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोडों का काम बहुत अच्छा हुआ। इतना काम हुआ कि आज दिन तक नहीं हुआ। पहले जो कांग्रेस की सरकार में विधायक थे, उन्होंने केवल दस किलोमीटर का काम पांच साल में कराया। पांच साल में गड्ढे भी नहीं भरे। लोगों की इतनी मांग थी कि सड़क भी नहीं बन पाई।

मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कीर की चौकी से फतेहनगर रोड 60 करोड़ की है। 60 करोड़ रुपये की 30 किलोमीटर की रोड के लिये मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें थोड़ी कमी है कि उसका काम थोड़ा ढीला चल रहा है, फास्ट करने की जरूरत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो 38 किलोमीटर की सड़क है, उसका 2017 में हमने उद्घाटन किया और सात महीने में कम्प्लीट हो जाएगी। मई में उद्घाटन का प्रोग्राम रखेंगे। मई में सात महीने में वह 54 करोड़ रुपये की रोड कम्प्लीट हो जायेगी। वास्तव में वह रोड बन रही है।

(श्री दलीचन्द डांगी)

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जो 196 किलोमीटर में नोन पेचेबल का एस्टीमेट भेजा है। आपने प्रस्ताव मान लिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सारा काम इससे पूरा हो जायेगा। अच्छा काम होगा। जितना भी नोन पेचेबल पूर्व में हुआ, 110 किलोमीटर का। मैंने खुद ने देखकर कराया। जहां पर कमी थी, वहां पर पूरा करवा दिया। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में मावली विधान सभा क्षेत्र में रोडों का जाल बिछाकर बहुत अच्छा काम कराया और आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रधान मंत्री सड़क योजना का सैकिण्ड फेज में जो 37 किलोमीटर का हमारे विधान सभा क्षेत्र में दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है। वह अब चालू होने की स्थिति में है। मैं तो यह बताना चाहता हूं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोड्स का जाल बिछाती है और कांग्रेस आती है गड्ढे करती है। मैं तो यही कहता हूं कि इतना काम पहली बार इतिहास में हुआ है। वास्तव में लगता है कि काम हुआ है। मेरे पंचायत में जो राजस्व ग्राम हैं, वह नहीं जुड़े हुए हैं। करीब दस पंचायत में बाकी है। नए राजस्व ग्राम हैं, उनको प्रधान मंत्री सड़क योजना द्वारा जोड़ने की मैं मांग रखता हूं। उनको आप योजना में लेने की कृपा करें। आपने बहुत काम किया है। धन्यवाद, आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं।

मैं एक मांग और करता हूं कृषि मंडी से जो रोड है, वह टूटी हुई है। नई देने की कृपा करें। जो कई सालों से मांग थी, आदरणीय मंत्रीजी ने पूर्ति कर दी। बजट की कमी है वह भी आप दे दो। आपका धन्यवाद और आभार।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद। आज मांग संख्या 19 और 21 के ऊपर दिन भर से मांग चल रही है। खासतौर से हमारे विपक्षी भाई बार-बार कभी मंत्रीजी के एरिया के लिए, कभी गुणवत्ता के लिए, खराब सड़कों के लिए, राजस्थान में सड़कें नहीं हैं। बार-बार एक ही बात आ रही है। सभापति महोदय, मैं दौसा से आता हूं, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी दौसा थे और उसी एरिया के हालात शायद हमारे भाई भूल गए। हमारे यहां पर एक सेन्ट्रल रोड, लालसोट रोड दौसा के

(श्री शंकर लाल शर्मा)

अन्दर वाली रोड, चारों तरफ, किसी भी रोड पर चलना आम आदमी के लिए अपने आपको एक भयावह स्थिति में डालना था। सैंथल रोड पर दुकानदार, मकान जो थे, वह शायद दिन भर इतनी धूल खा लेते थे कि रात को खाना खाने की जरूरत नहीं थी। बात आई थी कि मंत्री महोदय के एरिया में तो सड़कें खूब बन गईं। मैं उन्हीं मंत्री महोदय जो पूर्व सरकार में थे, माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन स्वयं वह भी, क्योंकि वे पीडब्ल्यूडी से जेईएन भी थे, मंत्री भी हैं और ठेकेदार भी थे। उन्होंने लालसोट रोड बनाई और उस लालसोट रोड के ऊपर जो ओवरब्रिज बना, हमको केवल मात्र चार साल में सात या आठ बार पेचवर्क करवाना पड़ा है, केवल पांच साल में बने हुए पर। स्वयं का एरिया, स्वयं द्वारा निर्मित, ये उसकी गुणवत्ता का हाल है। दौसा-लालसोट रोड की हालत भयावह थी। दौसा से कुंडल होते हुए जो बांदीकुई रोड थी, चलना मुश्किल था। दौसा शहर में एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया और बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया।

आज एक साइड में 59 हजार किलोमीटर की सड़कें बनीं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया। खींवसर से आने वाले सदस्य ने अभी कई बातें बताईं। उनके परम मित्र हमारे लालसोट से आने वाले विधायक हैं। मैं खुशी जाहिर करूंगा, मुख्य मंत्रीजी को बारम्बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर वह दौसा के अन्दर प्रेस कांफ्रेंस में कह रहे हैं कि चालीस साल के अन्दर मैंने इतना बढ़िया बजट कभी नहीं देखा और उन्हीं के खास मित्र अभी कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी के अन्दर कुछ नहीं हुआ, सड़कों के अन्दर कुछ काम नहीं हुआ। आने वाले समय में आप क्या करोगे? वे यह बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी का, हमारे मंत्रीजी का, प्रधान मंत्रीजी और गडकरी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दौसा क्षेत्र में एनएच 11 और एनएच 11ए, आपने अभी मनोहरपुरा से दौसा तक और दौसा से लालसोट-कौथून रोड जिसकी हालत दयनीय थी। आज मनोहरपुरा से दौसा रोड और दौसा से लालसोट रोड, वह भी फोरलेन सीसी रोड। केवल मात्र इसी रोड पर 1124 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, हो चुका है और सीसी रोड फोरलेन के अन्दर गुणवत्ता के साथ बन रही है। यह केवल मात्र मैं मेरे एरिया की बात कहना चाह रहा हूं।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

इसी तरीके से हमारे दौसा विधान सभा क्षेत्र में 125 विकास कार्य हुए और वे 203.75 करोड़ रुपए की लागत से कार्य हो चुके। यह बजट से पूर्व की बात है। आज हम गर्व करते हैं कि हम माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के राज में उनके एक सदस्य के रूप में खड़े हैं और हम ताकत से, स्वाभिमान के साथ, कार्य के साथ, विकास के साथ अपने एरिया के अन्दर जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यही बात कहना चाहूंगा चाहे सड़क हो, चाहे हमारे एसडीएम। सड़कें तो मैंने अर्ज कर ही दी जो हालत थी। उसके बाद में मैंने आपके सामने यह भी रख दिया कि 125 कार्य 203.75 करोड़ के और एनएच के काम 1124 करोड़ के हमारे एरिया में हो रहे हैं।

इसी के साथ-साथ आज दौसा के अन्दर एसडीएम नांगल राजावतान, तहसील नांगल राजावतान, नायब तहसील बिल्डिंग सैंथल, आबकारी भवन, आईटीआई भवन, कालेज भवन, कोर्ट परिसर ऐसा कौनसा एरिया बचा है जिसके अन्दर हमारे यहां बिल्डिंग नहीं बनी। मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जो बजट और दौसा शहर का, दौसा कांस्टीट्यूएंसी का विकास किया है, उसके लिए बारम्बार मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन जिस रोज मांग खतम होगी इसका मतलब है कि विकास ही रूक गया। विकास के लिए हमारी डिमांड रहनी चाहिए। उसी से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा और हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया राजस्थान में उन्नति के पथ पर जाएगा।

मैं अपनी कुछ डिमांड्स आपके सामने रखता हूं। कुछ तो आपके सामने मैं पहले भी प्रस्तुत कर चुका। मनोहरपुर से दौसा तक हाईवे का निर्माण हो रहा है और दौसा-लालसोट रोड से कौथून रोड फोरलेन, दोनों ही फोरलेन और सीसी रोड का काम हो रहा है। उसके ऊपर खासतौर से एक कमी रही है। उसका कारण यह है कि दोनों अलग-अलग काम है, मनोहरपुर से दौसा और लालसोट रोड, लालसोट बाईपास से लालसोट कौथून रोड का। इनके अन्दर बीच में दोनों को जोड़ा नहीं गया। दौसा शहर में से अंडरपास से जो साधन निकलेगा और सिटी के बीच में से निकलेगा, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, उसको जरूर कम से कम आप एनएच दे देंगे तो हो जाएगा। आदरणीय गडकरी जी अभी दौसा के अन्दर इन सड़कों का उद्घाटन करने आए थे। उनको, आपको और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस सड़क की हालत, क्योंकि उस सड़क के ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पधार कर

(श्री शंकर लाल शर्मा)

आए थे। वह सड़क दौसा से कुंडल होते हुए बांदीकुई की रोड थी, जिसकी हालत पूर्ण खराब थी, बन कर तैयार है। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय ने उसको नेशनल हाईवे घोषित किया और इस तरीके से लालसोट रोड से लवाण होते हुए तूंगा, चाकसू, नागौर वाली रोड को एन एच घोषित किया और साढ़े दस किलोमीटर का बाईपास भी दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट रोड बन रही है इस पर हमारी एक मैन रोड है जिसके अन्दर आपने गौरव पथ भी दिया है, गुप्तेश्वर रोड कहलाती है। साथ में लवाण को मैन एरिया जाता है उसके ऊपर चाहे अंडरपास दें या ओवरब्रिज दें, उसको भी आप जल्दी करवाने की कोशिश करें क्योंकि वह सड़क बन रही है। अभी उसमें अगर आप अंडरपास या बाईपास दे देंगे तो हमारे लिए आवागमन का सबसे बढ़िया साधन होगा। साथ ही, साढ़े दस किलोमीटर का बाईपास एन एच के द्वारा बन रहा है अगर उसको भी बना देंगे तो दौसा चारों तरफ से रिंग रोड से जुड़ जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि लवाण रोड है वह पहले स्टेट हाईवे नम्बर दो था, जिसको पीपीपी माडल पर दे रखा था, अब वह नेशनल हाईवे घोषित हो गया। ऐसे में उस रोड पर नवीनीकरण का काम हमारे यहां नहीं हो पाया। इसलिए वह रोड थोडी-बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जब तक एन एच का काम चलेगा, उसके ऊपर डामरीकरण करवाने का भी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होकर, माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर, मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं लवाण एन एच वाली बात कर रहा था। जब तक एन एच बने उस पर डामरीकरण करके नवीनीकरण का कार्य किया जाए। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज की तारीख में केवल पीपीपी माडल के कारण, एन एच के कारण रोड थोड़ी जीर्ण-शीर्ण है, इसके अलावा मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसका डामरीकरण नहीं हुआ हो, कहीं पर भी टूट-फूट हो, इसके लिए आपका बार-बार धन्यवाद।

साथ ही आपने जो डिमांड की है, आपने आदेश भी दिया है कि हम हर कांस्टीट्यूएंसी को 15 किलोमीटर देंगे, हर पंचायत हैडक्वार्टर को आप गौरव पथ भी दे रहे हैं। मेरे यहां 40 पंचायतें और नगर परिषद हैं। मैं नगर परिषद के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हमारी तीन रोड ऐसी हैं, खासतौर से नगर परिषद में स्थित लालसोट रोड बरकत स्टेच्यू से बाबा जी की छावणी होती हुई लालसोट हाईवे है। लालसोट रोड से खातीबाद होते हुए गेटोलाव और जिला चिकित्सालय दौसा से रलावता, गणेशपुरा, यह पीडब्ल्यूडी की रोड है लेकिन बेसिकली यह नगर परिषद एरिया में आ गई। नगर परिषद में भी उसके ऊपर कार्य नहीं हो पाया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी पीडब्ल्यूडी की रोड है इनको आप तैयार करके, मरम्मत करके, नवीनीकरण करके, नगर परिषद को हैंडओवर कर दें तो आगे के लिए भी उसकी सुरक्षा, देखभाल, नगर परिषद कर लेगा। आपसे निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा अगर रोड का निर्माण हो जाएगा तो हमार दौसा शहर का भी बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा।

हमारी 40 पंचायतें हैं। उनमें से 21 के अन्दर गौरव पथ बन चुके हैं। गौरव पथ, वाकई जिस तरह का नाम है गुणवत्ता के लिए, सौंदर्यकरण से, नाली के साथ, गांवों में पानी भरता था, पहली बार है जब गांवों में कीचड़ नहीं है। पहली बार है जब गौरव पथ के कारण, नालियों के कारण पानी गांव से बाहर जा रहा है। हमारी 40 पंचायतों में से 21 में गौरव पथ बन गए। 19 में हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि उसके अन्दर गौरव पथ का निर्माण करवाया जाए। आपसे यही निवेदन है कि 19 पंचायतों में गौरव पथ का है वह चाहे हमें मिसिंग लिंक में या अन्य सड़कों के लिए आप दे देंगे तो हमारा

(श्री शंकर लाल शर्मा)

उद्देश्य पूरा हो जाएगा और गौरव पथ की जगह गांव को अच्छी गुणवत्ता की सड़कें मिल जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मांग संख्या 21 के तहत हमारे का पूरणवास से बीनावाली बावड़ी होते हुए लवाण (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं थोड़े से नाम...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): नाम ही बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दें।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): जी धन्यवाद, सभापति महोदय। कुण्डल से सोरतलाई, सीतापुरा से मानपुरिया, बापी से ढाय, एन एच 11 से भडाना दयालपुरा, हनुमान मंदिर बाया ब्रह्मपुरी होते हुए काबलेश्वर आईटी के अन्दर से सैंथल मोड़, ग्राम झेरा से बासडी चौराहा, भांकरी में भांकरी से बिचलवास बाया भोपा की ढ़ाणी, गिर्राजधरण मंदिर तक और पालड़ी सड़क से हंसा गुर्जर की ढाणी तक।

मैं मांग संख्या-19 के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने एसडीएम, तहसील, नायब तहसील, आबकारी, आईटीआई, कालेज भवन, कोर्ट परिसर, सभी भवन हमें दिए। हमारे इस क्षेत्र के अन्दर एक नई पंचायत समिति बनी है लवाण। उसके अन्दर नया थाना बना है, थाना बने हुए बहुत समय हो गया लेकिन आज तक उसका भवन नहीं है। वहां पर एईएन आफिस, पीएचईडी और आरएसईबी, दोनों के एईएन है। इसलिए वहां पर एईएन, नये भवन देने का तथा सैंथल में भी एईएन भवन देने का, दौसा शहर में कोतवाली थाना बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, पुराना थाना था, उसको भी नया थाना बनाने में, पीएचईडी का एईएन आफिस और बिजली का एईएन आफिस देने की भी कृपा करें।

मैं तो पुन: मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें इतना काम दिया है कि हम हर गांव में, हर ढाणी में जाने में सक्षम हैं। आने वाले चुनाव में हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई हो, यह लास्ट ज्योति बुझती-बुझती तीन सीटें ले ली, अगली बार क्या होगा यह ईश्वर ही जाने। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रदेश और देश का विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि इस प्रदेश और देश में सड़कों की स्थिति क्या है क्योंकि किसी भी प्रदेश व देश की गति और गतिमान होने के लिए सड़क की अति आवश्यकता रहती है। किसी भी प्रदेश में उत्तम और सुदृढ़ सड़क की आवश्यकता रहती है। वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 का हम लोगों ने अध्ययन किया, देखने के बाद यह भी पता चला कि हम बजट में भी घोषणाएं करते हैं और इस सदन में भी करते हैं लेकिन अंतिम धरातल पर उसको उतारने के लिए, अंतिम छोर पर जब हम जाते हैं तो हमारे इस प्रगति प्रतिवेदन और हमारे बजट के अनुसार हम 50 परसेंट कार्य करने में भी असक्षम रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि सड़क बनी है, बनती रही है और बनती आएगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा इश्यू है कि सड़कों की गुणवत्ता कैसे बनी रहे। बनाने के समय ठेकेदार को हम इस बात पर संतुष्ट रखें कि पांच साल के गारंटी पीरियड में हमारी सड़क बन रही है। उस सड़क की स्थिति यह रहती है कि वहां के ठेकेदार, एईएन, जेईएन, एक्सईएन और एसई वहां के तालमेल के हालात यह हैं कि पांच साल तक वह सड़क नहीं चलती है। दो-चार बार पेचवर्क करने के बाद छह महीने बाद किसी भी सड़क की स्थिति धरातल पर, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पेचवर्क के जितने भी कार्य करवाए जाते हैं, आप इसकी जांच कराने का काम करें। उस धरातल पर आपका पैसा, सरकार का पैसा, जनता का पैसा अगर भ्रष्टाचार के तंत्र में जाकर हमारी सड़कों की हालत दयनीय रहे यह हमारे लिए गलत बात है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा पैसा लगने के बाद, हमारी सड़क 10 वर्ष तक चले या 5 वर्ष तक चले, उस पर आपको गौर करने की जरूरत है।

(19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में हमारी इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक और गम्भीर इश्यू है। कोई भी शिकायतकर्ता हमारी सड़कों के बारे में जब भी शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत के बाद उस शिकायतकर्ता को आपकी जांच का क्या रिपोर्ट रही, तथ्यात्मक रिपोर्ट के

(श्री मनोज कुमार)

आधार पर जांच में आपने क्या पाया, उस शिकायकर्ता तक वापस कापी कभी नहीं पहुंचती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय इस बात के लिये पाबंद करें अपने अधिकारियों को, कि जिस भी प्रकार की सड़क की जहां शिकायत हो, शिकायतकर्ता को जांच करने के बाद, आपने किस-किस आधार पर जांच की और जांच करने के बाद आपके जांच अधिकारियों ने उस सड़क पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी शिकायत पर क्या पाया, इस बात की जानकारी अंतिम शिकायतकर्ता तक वापस मिलनी चाहिये और फिर शिकायतकर्ता उस पर आपके बाद दुबारा कोई बात करे तो गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इस देश के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू की, मैं उनका धन्यवाद आज भी करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की स्थिति को, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का एक बहुत सराहनीय प्रयास रहा। माननीय मंत्रीजी ने पिछली बार इस बात की यह घोषणा की थी कि यह जनगणना 2001 के आधार पर हमारे गांवों को जोड़ने का प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में है और उसी जनगणना के अनुसार आज भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं 2011 की जनगणना को शामिल कराकर इस प्रदेश के गांवों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल करने का प्रयास करूंगा और सदन को विश्वास भी दिलाया था कि 2011 की जनगणना में हम शामिल कर लेंगे। इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि आपके वह प्रयास कहां तक सफल रहे? 2011 की जनगणना को आप शामिल कराने में सफल रहे कि नहीं रहे, क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है और हम देखते हैं कि आप नितिन गडकरी जी से कई बार सड़कों के लिये मिलते हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बात पर गम्भीरता से विचार करते हुए इस प्रदेश को लाभ मिले और प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को लाभ मिलेगा, अगर 2011 की जनगणना को इसमें शामिल करा लिया जाये।

इसके साथ ही, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, नरेगा से ग्रेवल सड़क बनती है। ग्रेवल सड़क बनने के बाद वह लगातार पांच वर्ष तक चलती है और मजबूत धरातल पर तैयारी हो जाती है। मैं कहता हूं उन ग्रेवल

(श्री मनोज कुमार)

सड़कों को आप अपने इस प्लान में कहीं शामिल करें जिससे आपके प्रदेश का खर्चा कम हो और उसकी उपयोगिता, जो नरेगा में पैसा खर्च हो गया, उन सड़कों को आप प्राथमिकता से शामिल करें। कम पैसे में आपके ज्यादा निर्माण हो जायें और लोगों को उसका लाभ मिल जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें हैं, जिनको मैं आपके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार ही पूछना चाहूंगा। एक तो पेज नंबर 44 पर आपने इस प्रगति प्रतिवेदन में मेरे विधान सभा क्षेत्र के आर.ओ.बी. निर्माण एन एच 709 ई पर ए-142 स्वीकृत बताया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह पिछले दो-तीन साल से हमारे क्षेत्रीय नेता घोड़ी पर चढ़कर इसके ढोल-बाजे तो खूब बजा लिये, लेकिन आज दिन तक भी पेज नंबर 44 पर आर.ओ.बी. निम्न प्रकार में क्रम संख्या 8 पर आपने दिया है 709 ई राजगढ़-पिलानी ए-142 चूरू स्वीकृत बताया है, लेकिन पिछले तीन साल से इसमें कहीं एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़े हैं। इसका क्या कारण रहा कि इसकी घोषणा हो गयी, इसको आप स्वीकृत बता रहे हैं, उसके बाद भी हमारा यह आर.ओ.बी. क्यों नहीं बना? 709 नेशनल हाईवे ई रोड पर ए-142 जिसका आपने इसमें दिया है कि स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं बना, अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।

इसी के साथ ही एक और बात है। पेज नंबर 97 राष्ट्रीय उच्च मार्ग की लम्बाई आप लोगों ने बतायी है, जिसमें प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग कितने हैं और कितनी लम्बाई है, यह बताया है 31.03.2017 के अनुसार। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने क्रम संख्या-12 पेज नंबर 97 पर बताया है 709-v हरियाणा सीमा से पिलानी-राजगढ़, यह झुन्झुनूं जिले की 24 किलोमीटर सड़क है, चूरू की इसमें 34 किलोमीटर सड़क है। यह कुल 59 किलोमीटर की सड़क है। माननीय सभापति महोदय, यह 2011 से, माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा गौर से सुनना, नेशनल हाईवे 709 आपकी 2011 से आपने घोषित कर दी और 2011 से लेकर 2018 तक इसमें तो आप सड़क में शामिल बता रहे हैं कि हमारी नेशनल हाइवे सड़क की लम्बाई इतनी है प्रदेश में, लेकिन एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। 709 नेशनल हाईवे, 59 किलोमीटर की सड़क है माननीय मंत्री महोदय, जो 2011

(श्री मनोज कुमार)

में आपने घोषित की थी। न तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक पैसा लगा रही है, और न ही वह पूरी 59 किलोमीटर चलने की स्थिति में है। आठ साल तक घोषणा करने के बाद अभी तक उसका काम शुरु नहीं हुआ, न टेंडर हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर उसको नेशनल हाईवे न बना सको तो वर्तमान स्थिति में जो सड़क है, उसका आप निर्माण करा दें जिससे जनता उस पर आराम से चल सके और आप आज ही इसकी घोषणा करें कि किस तरह से उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो-चार मांग रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने चार साल में तो हमारे ऊपर कोई दया नहीं की। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने अंतिम बजट है, आप हमारे लोगों का भी ध्यान रखेंगे। आप एक तो राऊटीबा से टमकोर, मात्र तीन किलोमीटर सड़क है, जो दो जिलों को जोड़ने का काम करती है झुन्झुनूं और चूरू, आप उसको जोड़कर हमारे दोनों जिलों को लाभान्वित करने का काम करें।

एक मेरा गांव है जगमाल की ढाणी, राजगढ़-पिलानी रोड से, वह गांव सड़क से वंचित है। उस गांव को भी सड़क से जोड़ने का काम करें।

इसी के साथ मिसिंग लिंक रोड, आपने पिछले चार साल में तो हमारी अभिशंषा पर एक भी मिसिंग लिंक रोड नहीं दी। माननीय मंत्री महोदय, अब की बार हमने आपको लिखित में दिया है और आप इस बार हमारे पर कृपा कर दें। आप ददरेवा में कई बार जाते हैं, नजदीक गांव है, आपकी कृपा दृष्टि हो जाये तो मैं चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बुलाओगे तो मेरी ददरेवा आने की बहुत इच्छा है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जरूर, इच्छा है न, तो फिर न्यांगली पर कृपा करोगे तो ही ददरेवा बुलाऊंगा, नहीं तो फिर बुलाने का मौका मिलेगा नहीं। इसलिये मुझ पर कृपा करें, मेरी मिसिंग लिंक रोड मैंने आपको लिखित में दी है।

इसके अलावा एक धार्मिक सड़क है बोजाण से बिराण, मात्र तीन किलोमीटर है और वह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। पूरे हरियाणा के लोग और

(श्री मनोज कुमार)

मेरे प्रदेश के लोग वहां खूब जाते हैं, इसलिये उस धार्मिक सड़क की भी आप आज ही घोषणा करने का प्रयास करें जिससे मेरे राजगढ़ की जनता को लाभ मिल जाये।

इसी के साथ एक मात्र 11 किलोमीटर रिंग रोड, पिलानी नेशनल हाईवे से लेकर हमारे नेशनल हाईवे 65 के बीच वाया बहल रोड होते हुए 11 किलोमीटर है। आप इसकी घोषणा कर दें तो मैं मानता हूं कि इस जयपुर से पहले मेरे राजगढ़ में रिंग रोड बन जाएगी। अगर मंत्री महोदय की यह कृपा हो जाएगी तो मेरे राजगढ़ का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। मैं आपको मिसिंग लिंक तो लिखित में दे चुका हूं, परन्तु मैं यहां एक बार और बोल देता हूं। सांखू से नेसल, ढाणी मौजी से नीमकाबास, बांस कांजण से चैनपुरा बड़ा, लालसिंह बास से नवां और बघेला से नांगल छोटी, आप इन सब मिसिंग लिंक को हमारी अभिशंषा पर दे दें तो मेरे राजगढ़ में लोगों को आपके इस कार्यकाल में, आपकी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर लाभ मिल जाये तो बहुत बड़ी बात होगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, सालासर में आपके केन्द्रीय मंत्री महोदय गडकरी जी पहुंचे थे और उन्होंने दो नेशनल हाईवे सड़क की घोषणा की थी। आपके डूंगरगढ़ से लुहाणी हरियाणा सीमा तक और एक सिरसा से रींगस वाया राजगढ़ होते हुए, दो नेशनल हाईवे की घोषणा की थी। आज तक आपकी क्या प्रगति रही, अब तक क्या-क्या कार्यवाही उसमें हुई, उस घोषणा पर आपने क्या अमल किया? मैं कहता हूं कि आप हमें जरूर अवगत कराएं। यह दोनों नेशनल हाईवे की जो सालासर में घोषणा हुई थी, क्या इस पर डी पी आर बनी? आपके प्रोजेक्ट में आप कहां तक आगे बढ़े क्योंकि साल भर से ज्यादा का समय हो गया है उसकी घोषणा हुए, इसलिये आप इन सभी बातों पर गौर करते हुए हमें आप जब भी पेश करें तो उसमें मुझे अवगत कराएं।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक और छोटी-सी बात रह गयी माननीय सभापति महोदय, आज मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आपके एक्स.ईएन. आफिस के सामने आपके अधिकारियों की तानाशाही और दादागीरी है। हमारे एक ठेकेदार का भुगतान पिछले दो साल से आपका एक्स.ईएन. नहीं कर रहा और उसके भुगतान के लिये उन्होंने आज धरना दे रखा है। माननीय मंत्री महोदय, आज ठेकेदार ने

(श्री मनोज कुमार)

धरना दे रखा है मेरे राजगढ़ में एक्स.ईएन. आफिस के सामने। एक एक्स.ईएन. दादागीरी से भुगतान नहीं कर रहा है और कमीशन मांग रहा है।

(19.10 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

उसकी पूरी टीम ने यह कह दिया कि चाहे जो कुछ कर लो, हम आपका भुगतान नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, इसको नोट करें, आज उस धरने के मामले में आप अपने उच्चाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ले करके तुरन्त प्रभाव से उसका भुगतान कराएं। मेरे राजगढ़ के वे ठेकेदार लोग धरने पर बैठे हैं, आपके आश्वासन से मैं भी उनको यह विश्वास दिलाऊंगा कि मंत्री महोदय बड़े दयालु हैं, उदार हैं तो आप इसकी रिपोर्ट कल तक हमें लेकर देंगे। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य जगदीश नारायणजी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 और 21 पर मुझे बोलने के लिये इजाजत दी, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, विद्वान विधायकों के सुझाव सामने आये। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क तंत्र वह तंत्र है, जिसको देखकर ही उस क्षेत्र विशेष के विकास का पता लगाया जा सकता है। सड़क के माध्यम से क्षेत्र के विकास का सारा खाका आंखों के सामने आ जाता है और इस क्षेत्र में पिछले चार सालों में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री आदरणीय युनुस खानजी ने बहुत ही गम्भीरता के साथ इस विषय को लिया है। मैं तो कहूंगा कि आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया है। जो चार साल पहले सड़कों की हालत थी, आज दिन और रात का, जमीन और आसमान का फर्क नजर आने लगा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में वे सड़कें, जो पिछले 20-25 सालों से खराब पड़ी थीं और उन सड़कों पर फोर-व्हीलर चलाना तो दूर की बात, ठीक ढंग से राहगीर पैदल भी नहीं चल पाता था। ऐसी सड़कों के लिये करोड़ों की तादाद में आपने बजट दिया। उन सड़कों

(श्री जगदीश नारायण)

को ठीक करवाया। ठीक करने के बाद आज क्षेत्र में विकास नजर आने लगा है। पिछले सत्र में भी इसी डिमाण्ड पर मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जमवारामगढ़ बांध से लेकर नकची घाटी रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि मेरी बात पर भरोसा किया और उसी दिन सदन के बीच में ही उस सड़क को ठीक करवाने की घोषणा की, एक करोड़ रुपये की घोषणा की। उस सड़क का काम अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है। उससे आगे का जो रोड था, वह बिलकुल ठीक हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बारे में जितना धन्यवाद दें, उतना कम है। माननीय नितिनजी गडकरी साहब को लाकर इस राजस्थान प्रदेश में इतने जबरदस्त, बड़े नेशनल हाईवे का काम करवाया है, जिसके बारे में सपने में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था।

इसके साथ ही मैं इस बात को भी मानता हूं कि पिछले 60 वर्षों की जो बीमारी सड़क की है वह एक साथ तो पूरी नहीं हो सकती। इतना सारा काम करने के बाद भी जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। जनता को इस बात का भरोसा हुआ है कि अगर सड़क क्षेत्र में कोई काम करने वाले हैं तो माननीया मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी और सड़क मंत्री माननीय युनुस खानजी हैं। इनके रहते जो सड़कों का विकास हुआ है, वह आज तक पिछले 60 सालों में नहीं हो पाया है।

माननीय सभापतिजी, मैं इस बारे में ज्यादा न कहकर मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उनमें एक है, नकची घाटी से दौसा नहर वाली सड़क है। यह नकची घाटी से दौसा जो रोड जा रहा है, यह दो भागों में बंटा हुआ है। आधी सड़क दौसा क्षेत्र में आती है और आधी सड़क जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती है। माननीय मंत्री महोदय, दौसा क्षेत्र में जितना पार्ट आ रहा है, उसका काम हो गया है, वहां बढ़िया सड़क बन चुकी है। लेकिन नकची घाटी जमवारामगढ़ से लेकर दौसा की सीमा तक जो रोड का टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें बहुत गहरे-गहरे गड्ढे पड़ गये हैं। उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। वह दौसा में जाने के लिये एक मुख्य सड़क मार्ग है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नकची घाटी नहर वाली सड़क को आप समय रहते, शीघ्र ही ठीक करवाएं ताकि उस क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ मिले।

(श्री जगदीश नारायण)

इसके साथ ही माणोता से बेंदाड़ा वाली सड़क, जो माणोता पंचायत से लेकर और नेशनल हाईवे आगरा रोड पर, जो बेंदाड़ा एक पवित्र धार्मिक स्थल है, उस स्थल को जोड़ती है। यह सड़क भी काफी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को भी आप शीघ्र ही ठीक करवाएं, नोन पेचेबल सड़क है, माणोता से लेकर बेंदाड़ा धाम तक।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बांध से लेकर थौलाई तक का जो रोड था, माननीय मंत्री महोदय...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय से तो शंकरसिंहजी बात कर रहे हैं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय शंकरसिंहजी, समय बड़ी मुश्किल से मिला है।

माननीय मंत्री महोदय, जमवारामगढ़ बांध से लेकर थौलाई तक की सड़क आपने बिलकुल ठीक करवा दी, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में मैं उसके उद्‌घाटन का कार्यक्रम रखने वाला हूं। आपको वहां ले जाकर सम्मान दिलवाउंगा। वहां की जनता के बीच में आपका बहुत बड़ा आभार प्रकट किया जायेगा। थौलाई से लेकर आंधी तक, जो आंधी हमारा उप तहसील कार्यालय भी है और आंधी-मनोहरपुर से लेकर दौसा हाई-वे पर स्थित है। यह मुश्किल से चार किलोमीटर का जो टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें गहरे-गहरे गड्ढे बन चुके हैं। वह टुकड़ा अगर ठीक नहीं हुआ तो रामगढ़ बांध से लेकर थौलाई तक का जो रोड बना है, इसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह चार किलोमीटर का टुकड़ा, जो हाई-वे के बीच में और थौलाई के बीच में पड़ता है, इसको भी आप जल्दी ठीक करवाएं। आंधी में, एक तो इस रोड पर हमारा जमवाय माता का प्रसिद्ध स्थान पड़ता है, धार्मिक स्थल है, जहां महामहिम राष्ट्रपतिजी भी दर्शन करने आते हैं। एक गोपालजी का मन्दिर है और आंधी में एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध दरगाह है। उस दरगाह पर भी हर साल हजारों की संख्या में लोग चारों तरफ से आते रहते हैं, इसलिये थौलाई से लेकर यह आंधी का टुकड़ा भी आप मेहरबानी करके जल्दी बनवा दें।

इसके साथ ही आंधी जो कस्बा है, वह तहसील भी है और हाई-वे पर भी है। उसमें ट्रैफिक को देखते हुए, ट्रैफिक की इतनी बहुतायत रहती है कि चौड़ा रोड होने के बाद भी वहां कम से कम एक-एक, दो-दो घण्टे तक जाम

(श्री जगदीश नारायण)

लग जाता है। मैं चाहता हूं कि दो-ढाई किलोमीटर की दूरी में हो करके बाई-पास अगर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि आने-जाने वालों को लाभ मिलेगा। वह ट्रैफिक जाम वाली समस्या खतम हो जायेगी।

इसके साथ ही रायसर हाई-वे तक मेंहगी तक, मेंहगी में भी एक हमारा मेंहगेश्वर महादेवजी का बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आने वाले फाल्गुन महीने में, 8-10 दिन बाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। यह भी तीन-चार किलोमीटर का टुकड़ा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसका भी अगर नवीनीकरण कर दिया जाये तो इससे भी लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

एक मैं निवेदन करूंगा, आगरा हाई-वे से लेकर मनोहरपुर-दौसा हाई-वे, इसके बीच का जो टुकड़ा है, यह करीब पांच पंचायतों को जोड़ने वाला टुकड़ा है। यह भी थोड़ा सा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसका भी नवीनीकरण हो जाये तो मैं समझता हूं कि इससे भी वहां की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

एक है दिल्ली हाई-वे ताला मोड़ से लेकर थानागाजी-प्रतापगढ़ जाने वाला रोड, जिसमें ताला में, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मेला, जो कम से कम 8-10 दिन तक चलता है, और लाखों की तादाद में लोग वहां आते-जाते रहते हैं। इसके लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी आप शीघ्रताशीघ्र ठीक करवाएं ताकि लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिले।

इसके अलावा, आज यहां माननीय भड़ाना साहब मौजूद नहीं हैं। भड़ाना साहब और मैंने, दोनों ने एक बार आपसे सम्पर्क करके अर्जी भी दी थी कि मेंहगेश्वर महादेवजी के मन्दिर से लेकर प्रतापगढ़ रोड, जो दोनों तहसीलों को जोड़ने का काम करता है, जमवारामगढ़ और थानागाजी को, उसमें थानागाजी सीमा तक का रोड तो कमप्लीट हो गया लेकिन मेरे जमवारामगढ़ से लेकर थानागाजी तक की सीमा, उसमें मात्र चार किलोमीटर रोड बचा हुआ है। वह रोड अगर बन जाये तो जमवारामगढ़ के व्यक्तियों को थानागाजी तक और थानागाजी के व्यक्तियों को जमवारामगढ़ तक आने में बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी इसलिये यह रोड भी आप देने की कृपा करें। आंधी से सरपंच की ढाणी, वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं, वर्षों से लोग तरस रहे हैं लेकिन यह रोड अभी तक नहीं बन पाया है और इस रोड की हर सरकार में मांग होती है और आपसे भरोसा है उन लोगों को, उन लोगों ने यह इच्छा

(श्री जगदीश नारायण)

जाहिर की है कि एक बार मंत्रीजी को यहां तक लाकर कोई कार्यक्रम करवा दें, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम बात ही नहीं करेंगे और स्वागत करने के बाद यदि मंत्रीजी को यह लगे कि यह रोड बनना चाहिए तो मंत्रीजी स्वत: ही वह रोड दे जाएंगे।

धूला से बड़वा तक का रोड, दादिया पट्टी से जटवाड़ा तक की रोड, आंधी में गोल से बामनवास का रोड, फूटालाव से सरपुरा ईश्वरीसिंह पुरा का रोड, डांगरवाड़ा से चतुरपुरा वाया बटवालों की ढाणी का रोड, बिरासना शक्करपुरा से कुचियावास वाया कांच वाला भैरूंजी मंदिर का रोड और निम्बी रोड से काला खाना होते हुए सिद्धजी की बारी तक की रोड, यह छोटे-छोटे टुकड़े हैं, कोई दो किलोमीटर का, कोई ढाई किलोमीटर का, कोई तीन किलोमीटर का। माननीय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन रोड्स को बनाकर उस क्षेत्र की जनता पर आप एक एहसान करें। उस क्षेत्र की जनता आपके प्रति एक टकटकी नजर लगाये आशा संजोकर बैठी है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे भानपुरकलां में सी.एच.सी. सेंटर है और काफी दूर-दूर के मरीज पेशेंट वहां पर आते हैं लेकिन सी.एच.सी. सेंटर का जो भवन है वह जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उसकी तरफ भी आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दें और एक बढ़िया सा भवन बनकर तैयार हो जाए तो काफी लोगों को लाभ मिल सकता है।

इसके साथ ही, ताला में जो पुलिस चौकी है वह काफी दिनों से, लगभग चार-पांच साल से वह टेंट में चल रही है। वहां पर एक पुलिस चौकी भवन की जरूरत है, वह पुलिस चौकी भवन भी आप अगर बना दें तो उससे भी क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

अब इसके साथ ही एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा, विधान सभा सत्र के बाद में माननीय मंत्री महोदय, आप मुझे एक दिन का समय दे दें, बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं लेकिन आपके उद्घाटन के इंतजार में है। आप मुझे एक दिन का समय दे देंगे तो सारे गौरव-पथ का उद्घाटन करवा दूंगा और बाकी जितनी भी मिसिंग लिंक सड़कें, और सड़कें आपने जो

(श्री जगदीश नारायण)

दी हैं, उनका उद्घाटन करवा दूंगा और उससे जनता को, मुझे भी एक थोड़ा सा फायदा मिलेगा क्योंकि जनता बार-बार मुझे कोसती रहती है कि मंत्रीजी को आप लाते नहीं हो, इतना सारा काम हो गया तो मंत्रीजी को एक बार जरूर लेकर चलना है। यह मेरी एक अरदास है, इसको भी आप जरूर नोट कर लें।

एक थोड़ा-सा निवेदन है, जो रोड आप मंजूर करते हैं, रोड बढ़िया देते हैं, बजट बढ़िया देते हैं लेकिन जो टेंडर प्रक्रिया है, उस टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा-सा सुधार करने की जरूरत है। बहुत सारे ठेकेदार उन टेंडरों को बिलो रेट पर ले लेते हैं और बिलो रेट पर लेकर रोड बनाना चाहते हैं, अब वह बिलो रेट तो पहले से ही हो गया, उसमें कम से कम थ्री-फोर्थ पैसा तो वैसे ही कम हो जाता है और फिर ठेकेदार अपनी कमाई करना भी चाहता है, जिससे उस रोड की गुणवत्ता में कमजोरी आ जाती है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी आप कोई सुधार करें ताकि बिलो रेट पर यह रोड के टेंडर नहीं जाएं और रोड गुणवत्तापूर्ण बने, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): एक देसी कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा और घी डाला हुआ तो अंधेरे में भी दिख जाता है तो इसमें आप थोड़ा सुधार करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19 और 21 पर मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 2013 में जब 14वीं विधान सभा के चुनाव हुए तो पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में रोड्स पर क्या किया यह एक मुख्य फोकस था। मुझे अपनी विधान सभा क्षेत्र के 251 गांवों में जाने का अवसर मिला। जो दशा रोड्स की थी या गांव के लोगों की जो मांग थी, उसमें सबसे प्रमुख मांग रोड की हुआ करती थी। शहर से दूर विधान सभा क्षेत्र होने के कारण कई जगह लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की नीयत से या तो पोस्टर बांटे या बैनर लगाकर 'रोड नहीं तो वोट नहीं', अपनी बात को इस माध्यम से कहने का प्रयास किया और लगभग चार-पांच गांवों ने तो बहिष्कार

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

भी किया लेकिन माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70 साल के अंतराल के बाद गांव का व्यक्ति आज भी रोड मांग रहा है या इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से अपने क्षेत्र में जो रोड्स की हालत है, उस पर अपनी व्यथा प्रकट की है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन चार सालों में माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्रीजी का जो प्रयास रहा, वह इस राजस्थान में एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा।

हम यदि इतिहास की बात करें तो राजस्थान के इतिहास में या देश के इतिहास में शेरशाह सूरी को लोग इसीलिए याद करते हैं कि उसने अपने शासन काल में रोड्स पर सबसे अधिक ध्यान दिया और आजाद हिन्दुस्तान में यदि हम सबसे ज्यादा, रोड्स की बात जब आती है तो माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी को हम इसके लिए हमेशा याद करते हैं। मेरे पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से जो योजना प्रारम्भ की और उनका सपना था कि 2013 तक सम्पूर्ण देश रोड्स से जुड़ जाएगा लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि माननीय वाजपेयीजी के बाद यू.पी.ए. सरकार ने उस ओर जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और आज वह हमारी जो मांग है, वह मांग आज हम इस माध्यम से करने को विवश हो रहे हैं जहां देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, भारत सरकार की नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे और प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात करें तो इस प्रकार की गति, आज देश में रोड्स की जो क्रांति आई है और जिसके फलस्वरूप देश में विकास ने जो गति पकड़ी है इसके लिए मैं पुन: वाजपेयीजी को याद करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 251 गांव हैं जिनमें से लगभग 70 गांव ऐसे थे जो रोड से वंचित थे। मैं आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय सड़क व परिवहन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आज मैं इस मंच से यह बात कह सकता हूं कि इस बजट के बाद 100 से नीचे की आबादी के दो-चार गांवों को छोड़ दें तो बाकी सभी गांवों को हम रोड से जोड़ने में सफल रहे हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर-13 में यह बात कही भी है कि आज देशभर में राजस्थान अपनी गुणवत्तापूर्ण सड़कों के लिए जाना जाता है और गत चार वर्षों में हमने 49878 किलोमीटर सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण का एक महत्वाकांक्षी काम हाथ में लिया है। जहां सरकार ने 21614 किलोमीटर नई सड़कें बनाईं तो दूसरी ओर 28264 किलोमीटर के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का व ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया, यह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद कई सरकारें इस प्रदेश में रहीं। ग्रामीण विकास के नाम पर जितनी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में प्रारम्भ की, वह महत्वाकांक्षी योजना जिसका एक अंग गौरव-पथ, जो गांवों की दुर्दशा हुआ करती थी, गांवों के लिए शहरी लोगों के मन में जो भाव पैदा हुआ करते थे कि गांव का मतलब गंदगी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन चार साल के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से राजस्थान में गौरव-पथ के निर्माण के बाद एक इतिहास बना है। आज जिस प्रकार से साफ-सुंदर गांवों की स्थितियां बनी हैं, 60-60 लाख रुपये देकर एक-एक किलोमीटर के गौरव-पथ, जिनके दोनों तरफ नालियां और उसके बाद गांव की स्थितियां ही अपने आपमें विचित्र लगने लगी हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से गौरव पथ दिये और उसके बाद ढाई करोड़ की राशि से नगरपालिका क्षेत्र में भी जो गौरव पथ दिये, वह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में किया है। अगर हम पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि इन चार सालों में ही राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए पूर्ववर्ती सरकार से डबल बजट दिया है और जिसके परिणामस्वरूप आज सभी गांवों और शहरों की स्थिति सुन्दर लगने लगी है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीया मुख्य मंत्रीजी और सड़क मंत्रीजी के प्रयास से सीआरएफ में मुझे डेढ़ सौ करोड़ रुपये की तीन रोड मिलीं जो आज पूरी बनकर कमप्लीट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि की विधान सभा क्षेत्र में थी, आज वह शहरी क्षेत्र की तरह लगने लगी है। विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लगभग चालीस वर्ष से, जो हमारी एक प्रमुख मांग थी गेटामाखीदा की पुलिया, वह मांग पूरी की

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

और उसके साथ ही राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिया जिसकी लम्बाई 1562 मीटर है, जो लगभग 75 परसेंट से ऊपर बनकर तैयार हो गयी है। यह एक अनूठा कार्य माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाड़ौती में करके बताया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमें 175 लाख रुपये नायब तहसील खातौली के लिए, 175 लाख रुपये नायब तहसील दीगोद-सुलतानपुर के लिए और इसी प्रकार 255 लाख रुपये पीपल्दा में नये तहसील भवन के निर्माण के लिए दिये हैं। दोनों नायब तहसीलों के तो भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और तहसील पीपल्दा का भवन, जिसकी टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसका कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

इसके अतिरिक्त मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि मेरे इटावा नगर में 10 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई का एक सुन्दर भवन बना है, जो पूर्णरूपेण कमप्लीट हो चुका है और जिस प्रकार के काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी गेटामाखीदा पुलिया तो बनकर तैयार हो रही है लेकिन इटावा से गेटा के बीच की रोड, जो बहुत बुरी स्थिति में है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है, जिस सौगात के लिए पिछले कई विधायकों ने लम्बा प्रयास किया, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पायी लेकिन आपने हमें सौगात दी है। आज इसी मांग के अवसर पर जवाब के समय हमें गेटा से लेकर इटावा तक की रोड और इसके साथ-साथ ही खातौली से लेकर केथूदा तक जो बहुत बुरी स्थिति में रोड है, उसकी भी आप घोषणा करके आप हमें अनुग्रहित करने का प्रयास करेंगे।

इसके साथ ही मेरे इटावा कस्बे में जो तहसील मुख्यालय है, वहां पर पीडब्ल्यूडी का या अन्य कोई रेस्ट हाउस नहीं है तो हमने सीएडी के रेस्ट हाउस के लिए एक्वायर किया है, उसकी मरम्मत के लिए या अच्छे भवन के लिए भी आप राशि की घोषणा करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप उदारमना हैं, आपने हमेशा मेरी बात का सम्मान रखा है। मैं आपसे अन्त में एक ही बात कहूंगा कि आप मेरी इटावा से गेटामाखीदा तक और

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

खातौली से केथूदा तक की रोड का आज इसी अवसर यदि घोषणा करते हैं तो मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपका आभार व्यक्त करेंगे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हमीरसिंहजी भायल।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): दो मिनट मैं भी बोलूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति: इधर सम्पर्क करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 19 एवं 21 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आजादी के बाद सड़कों का अगर निर्माण देखें तो राजस्थान की आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रीजी ने राजस्थान की सड़कों के मामले में जो गति बढ़ानी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आदरणीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस राजस्थान को गांवों और ढाणियों से जोड़ने का जो कार्य हाथ में लिया था, वह वास्तव में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी योजना के साथ में, बाड़मेर और जैसलमेर में भी आज रेगिस्तान में अगर सड़कें अगर बनी हैं, तो उनकी देन है। स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत, उस समय आदरणीय ललितजी भाई साहब मंत्री हुआ करते थे। वह अपनी कई बार ग्राम सभाओं में कहते थे कि मैं सड़क मंत्री हूं। जो कहता हूं, वह करता हूं। मैं सड़क छाप मंत्री नहीं हूं।

अभी मेरे भाई साहब जो युनुस खानजी मंत्रीजी हैं, ये भी सड़क के अच्छे मंत्री हैं और जो कहते हैं, वह काम करने का पूरा वादा करते हैं इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। राजस्थान राज्य 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश का सबसे बड़ा राज्य एवं तुलनात्मक दृष्टि से कम आबादी वाला प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 6.85 करोड़ के लगभग है एवं 77 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। 33 जिले, 314 तहसीलें एवं 295 विकास खण्डों में विभक्त है। राज्य में 1949 में कुल लम्बाई की सड़कें 13553 किलोमीटर थीं जिसमें डामर सड़कें मात्र 794 किलोमीटर थीं। 4350 किलोमीटर मैटल सड़कें थीं, 2037 ग्रेवल तथा 6372 मौसमी सड़कें थीं। इस समय सड़कों का घनत्व 3.96 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किमी का था। एक लाख की जनसंख्या पर

(श्री हमीरसिंह भायल)

85.24 किलोमीटर सड़क मार्ग था। जिला मुख्यालय भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं होता था।

वर्तमान में 33 जिलों में से मात्र 15 जिले, 100 उपखण्ड में से 54 उपखण्ड, 314 तहसीलों में से 102 तहसीलें मुख्यालय की सड़कों से जुड़े हुए हैं। अब राजस्थान राज्य में उसकी तुलना में 2017 तक कुल सड़कें लम्बाई 2 लाख 26 हजार 554 किलोमीटर हो गयी हैं जिसमें डामर 01 लाख 85 हजार 456 किलोमीटर, 1988 किलोमीटर मैटल, 36442 किलोमीटर ग्रेवल, 2968 किलोमीटर मौसमी सड़कें हैं। सड़कों का प्रति सौ वर्गमीटर 67.29 किलोमीटर हो गया है जबकि राष्ट्रीय घनत्व 166.54 वर्गमीटर का है। गत चार वर्षों में राजस्थान में 49871 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया। 21614 किलोमीटर की नयी सड़कें बनायी गयीं। वहीं दूसरी ओर 28264 किलोमीटर नेशनल एवं स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। ग्रामीण गौरव पथ योजना से सभी पंचायत मुख्यालयों पर एक किलोमीटर सीसी रोड मय नाली के बनायी गयी। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना की 79 पंचायतों में 86 ग्रामीण गौरव पथ बनाये गये, जिस पर लगभग 18 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय हुए। वहीं ग्रामीण मिसिंग लिंक के 15 किलोमीटर सड़क से 20 से 30 गांव जुड़ते हैं। मेरे ही क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 44 सड़कें बनीं जो लगभग 220 किलोमीटर लम्बाई की बनीं एवं आवश्यक सड़कें, मार्ग के नवीनीकरण में 28 किलोमीटर नई सड़कें बनीं एवं 2 पुलियाओं का निर्माण लगभग 80 लाख रुपये खर्च करके किया गया। सड़कें नवीनीकरण के 98 किलोमीटर के प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया है एवं 65 किलोमीटर बन चुकी हैं। ग्रामीण गौरव पथ के फेज फोर में 36 पंचायतों में से मिसिंग लिंक का अभी-अभी मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है कि उनको जोड़कर जो भी गांव मिल रहे हैं और जो पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ की आवश्यकता है, वो भी बनेगी। सड़कों के मामले में काफी काम करने की कोशिश अभी जो राजस्थान में हो रही है, अभी भी उम्मीद है। इस तरह से राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आई.टी.आई. भवन दस करोड़ की लागत से, एस.डी.एम. कोर्ट सिणधरी में पांच करोड़ की लागत से, कालेज सिवाना में तीन करोड़ की लागत से और आवासीय विद्यालय।

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने जैतेश्वर धाम में जो मेरे सिणधरी क्षेत्र में पड़ता है, वहां मुख्य मंत्रीजी एक धार्मिक सम्मेलन में पधारे तो देवासी समाज के लिए 22 करोड़ का एक आवासीय भवन देकर तीन जिलों को, जो देवासी समाज है, उनकी शिक्षा में कमी को देखते हुए उन्होंने राजस्थान के तीन जिलों के लिए जो उपहार के नाम पर दिया है इसके लिए आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं, वो भी कार्य प्रगति पर चल रहा है।

बालोतरा मेगा हाईवे से नेशनल हाईवे सिणधरी-बाड़मेर-जालौर करोड़ों रुपये की लागत से बन रहा है। बालोतरा मेगा हाईवे साडेराव तक नेशनल हाईवे 325 जो 900 करोड़ की कीमत से पूरा कंक्रीट, सीमेंट से बन रहा है। वो भी कार्य मंत्रीजी की मेहरबानी से और मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी से गति पकड़ चुका है।

अब आदरणीया मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि सिवाना की एक ऐसी मांग है जो कि मैं 2014 से नहीं, आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब 1993 में मुख्य मंत्री विराज रहे थे उस दिन से मांग करता आया हूं, सांचौर से लगा कर भीनमाल से लगाकर, जालौर से लगाकर सिवाना होती हुई समदड़ी-कल्याणपुर और जोधपुर को जोड़ती है और आगे नागाणा राय मन्दिर को भी जोड़ती है, मैं यह चाहूंगा कि मंत्रीजी इसी बजट में घोषणा करके सिवाना को और पूरे जिले को, जो तीन जिलों की सीमा मिलती है उसको राहत प्रदान करें।

मेरा आदरणीया मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि आपने मिसिंग लिंक, ग्रामीण गौरव पथ सारी चीजें दी हैं परन्तु जितने देवस्थान हैं उनमें राजस्थान में अभी भी, क्योंकि अपन देवों के उपासक भी हैं, इसमें मेरे यहां अन्नपूर्णा माताजी, महाकालेश्वर, दंताला पीरों का स्थान, खेतलाजी सांवरडा, अमरनाथ महादेव और कालेर हनुमानजी, पीपलिया महादेव, यह जोड़ने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

मंत्री महोदय, कांग्रेस के समय में मेरे एक एस.डी.एम. कोर्ट का बजट आया था ओनली 15 लाख रुपया, बायतू आने वाले माननीय सदस्य ने भी

(श्री हमीर सिंह भायल)

बताया था, एक छोटा भवन, इतना बड़ा कस्बा होने की वजह से इसमें एस.डी.एम. कोर्ट का बजट का जो प्रावधान है, वो एक सिवाना में लागू करने की कोशिश कराएं।

एक मेरा निवेदन और मांग रहेगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आदरणीय सभापति महोदय विराजे हैं, आप मेरे पास में हैं तो आपको पूरा ध्यान है, पांच-पांच नदियां सिवाना विधान सभा क्षेत्र से गुजरती हैं, लूणी, बांडी, सूकड़ी, दो-दो महीने तक गांवों का आना-जाना बंद रहता है। वहां सी.डी. वर्क्स से जो ऐसे दो-चार गांव हैं उनको जोड़ने के लिए मंजल से ढीढस नदी सूकड़ी, मियों का बाड़ा से हेमड कंडिया लूणी नदी, जिणपुर से पादरू लूणी नदी, कोटड़ी से अम्बों का बाड़ा लूणी नदी, लालाना से जेठंतरी लूणी नदी, कूपावास से कनाना, आदरणीय मंत्री महोदय, इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, अगर सी.डी. वर्क्स हो जाए तो पानी की रपट से लोगों का आना-जाना शुरु हो जाए, यह मैं आपको निवेदन करूंगा।

नई सड़क तो आपने फर्माया था, मैं और दूंगा। देवंदी से दंताला होते हुए एक मऊड़ी देवंदी जो आठ किलोमीटर है, इंद्राणा से पीपलिया वालयाणा आठ किलोमीटर है, सिवाना शहर के अन्दर डबल सी.सी. रोड, सिर्फ एक किलोमीटर डबल में चाहिए, वो मैं आपसे मांग करूंगा। ढाका मार्ग से गोलिया तीन किलोमीटर, लोहिड़ी से बामणी तीन किलोमीटर।

मैं धन्यवाद देता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि नन्दी गौशाला खोलने और गौशाला में तीन माह से छह माह बढ़ाकर, गायों के लिए हर जिले में नन्दी गौशाला खोलने की जो आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांव, गरीब और किसान के लिए कोई बजट की कमी नहीं रखी।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी के लिए एक शेर कहता हुआ मेरी बात को पूरी करूंगा।

हमारे मंत्रीजी,

'मिलना और मिलाना कोशिश है मेरी,
हर कोई खुश रहे ये साध है मेरी,
भले ही मुझे कोई याद करे या न करे
लेकिन हर अपने को याद करना, ये आदत है मेरी, ये आदत है मेरी।'

(श्री हमीर सिंह भायल)

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के लिए भी एक शेर कहूंगा। 'घोड़ा प्रथम वो ही आता है जिसका सवार अच्छा होता है, परिवार वो ही आगे बढ़ता है जिसकी मुखिया समझदार होती है, मुखिया समझदार होती है।' सभापति जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री नवीन जी पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने समय प्रदान किया सार्वजनिक निर्माण विभाग पर चर्चा करने के लिए, आपका धन्यवाद। एक अफसोस जरूर है, सरकार का आखिरी बजट आया और बजट में वाद-विवाद करने के लिए एक मिनट का भी समय नहीं मिल पाया। यह खेद मुझे हमेशा रहेगा। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है तो बीमार सरकार का एक बीमारू बजट पेश हुआ, एक मिनट बोलने का समय नहीं मिला। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर चर्चा है। माननीय मंत्री दिनों-दिन जवान होते जा रहे हैं। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं इन्हें नजर न लगे और इनका नूर कायम रहे। यह मैं प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट ठहरें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, मैंने चालू भी नहीं किया। साहब, तकलीफ क्या हो गयी? (व्यवधान) कौनसा शब्द गलत बोल दिया? कमाल हो गया।

तो, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी का नूर बरकरार रहे लेकिन मेरे को इनके विभाग की स्वास्थ्य की जांच करनी पड़ेगी। ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों सड़कें बनी हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। हजारों किलोमीटर सड़कों का काम हुआ है, उसके लिए बधाई देता हूं लेकिन कोई न कोई कारण है कि विभाग की हालत सही नहीं है वरना जनता खुश होती और ये हालात नहीं होते। तो मैं जरा सीटी स्कैन करके देखना चाहता हूं क्योंकि अन्दर गये बिना पता नहीं लगेगा। वार्षिक योजना 2017-18 है, इसमें राजमार्ग व जिला सड़कों के सुधार का जो बजट का प्रावधान है वो 2024 करोड़ का है, जिसमें से अभी तक 438 करोड़ ही खर्च हुआ है, यानी केवल 22 प्रतिशत खर्च हुआ है, 1586 करोड़ खर्च नहीं हो पाया। यह तो इस साल का है।

(श्री नवीन पिलानिया)

अब मैं आता हूं ग्रामीण सड़क व नवीनीकरण की बात पर। इसमें जो इस साल का प्रावधान है माननीय सभापति महोदय, वो प्रावधान है 2960 करोड़ और जो खर्च हुए हैं वो 1023 करोड़, यानी 1937 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ है दिसम्बर तक, इसलिए विभाग की तबीयत तो बिगड़नी ही है। अगर पूरा योग जोड़ लेते हैं इस साल का, वह है 6040 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान और जो खर्च हुआ है, वह हुआ है 2935 करोड़, 3105 करोड़ रुपए दिसम्बर की आखिरी तक खर्च नहीं हुआ है। यही अगर हालात रहे तो आगे आने वाला 2018-19 का साल है उसमें तो कुछ हो ही नहीं पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि तबीयत नासाज तो नहीं हो गई, माननीय मंत्री महोदय, यहां नहीं दिख रहे।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अच्छा, नहीं तो मैं एमआरआई करके बता देता हूं। आप चाहते हो तो मैं एमआरआई करके बता देता हूं, आपको उससे तकलीफ हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आप बार-बार इनकी तबीयत पर सवाल उठा रहे हो, और किसी को चिंता हो या नहीं हो, दर्शक दीर्घा में हमारी भाभीजी बैठी हैं, उनको चिंता क्यों करा रहे हो आप?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था। आपको पता था तो आप मुझे पहले टोक देते। मैं तो कहता हूं कि इनका नूर बरकरार रहे माननीय मंत्री महोदय, लेकिन मुझे भटकाइएगा मत।

एक बात की बड़ी चर्चा हुई माननीय सभापति महोदय, और तकरीबन सभी जो ट्रैजरी बैंच के मेरे माननीय विधायक हैं, सबने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत अच्छी योजना है, मैं उसे क्रिटीसाइज नहीं करता हूं लेकिन उसमें जो खामियां हैं, उसमें देख रहा हूं कि इतनी बढ़िया योजना है, अब मैं चार साल का आंकड़ा बता रहा हूं। यह आंकड़ा है चार साल का 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में इन चार साल में जो टोटल बजट एलोकेट हुआ वह था 3720 करोड़ रुपए और आपको जानकर अचम्भा होगा कि 3720 करोड़ रुपए में चार साल के अंतराल में 1484 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। वह साल तो

(श्री नवीन पिलानिया)

समाप्त हो चुके हैं और यह चल रहा है। केवल 40 प्रतिशत पैसा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में खर्च हुआ है और 2484 करोड़ रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ है। तो यह क्या कारण हैं माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा इस पर गौर फरमायें कि यह हो क्या रहा है? हमारे गांव तरसते हैं, हमारी ढाणियों के कलस्टर तरसते रहते हैं। ढाणियों में सड़कें नहीं हैं और चार साल में आपने 2484 करोड़ रुपए का बजट लैप्स करा दिया है, यह निंदनीय बात है। इस कारण से विभाग की तबीयत गड़बड़ हुई है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इसकी भौतिक स्थिति पर आता हूं। पिछले चार साल में, लास्ट थ्री ईयर्स का फिगर दे रहा हूं जो कमप्लीट हो गए हैं। यह हैं 2014-15, 2015-16, 2016-17 इनमें जो लक्ष्य रखा गया था, पीएमजीएसवाई में वह 8626 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था और आप जानते हैं क्या माननीय मंत्रीजी, इस लक्ष्य में से केवल 5784 किलोमीटर सड़क जो तीन साल में कमप्लीट हुई हैं, यह साल तो समाप्त हो चुके हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूं, अगर इसका पूरा आंकड़ा निकालते हैं जितने किलोमीटर सड़क कम बनी है, वह 20842 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई में कम बनी है। अगर इसका अनुपात पकड़ लें आप तो हर विधान सभा क्षेत्र में, 200 विधान सभा क्षेत्र में 14 किलोमीटर की सड़क बन सकती थी जो आपकी नाकामी के कारण नहीं बनी हैं। आप चाहते हैं, आपका ही आंकड़ा बोल रहा हूं पेज 16 पर जो टेबल है, उससे गिनाकर बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने राजमार्गों की बात की, राज्य उच्च मार्ग का अगर टेबल उठाकर देख लें, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पीएमजीएसवाई में ...(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सदस्य, आप हमेशा मेरे में क्यों व्यवधान डालते हो? मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, यह सरकार का आंकड़ा है। (व्यवधान) आप मंत्री नहीं हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप क्या बात कर रहे हो, बताओ 500 की आबादी का कौनसा गांव बचा है? कोई गांव नहीं बचा 500 की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आबादी का जिसके लिए आप कह रहे हैं। (व्यवधान) आप कहने के पात्र ही नहीं हो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ऐसा है, आप मंत्रीजी से ज्यादा जानते हैं क्या? (व्यवधान) आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं क्या? (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अपने आप मंत्रीजी जवाब देंगे। हमेशा की बात है माननीय सभापति महोदय, कोई आज की बात नहीं है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इनका आंकड़ा इनकी ही टेबल से है। तकलीफ कहां हो रही है आपको?

राज्य उच्च मार्ग, मेरे को जो दिया जाता है, मैं उसी से बात करता हूं, आगे आपने क्या कर दिया वह सामने आ जाएगा, अगले साल बात कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आंकड़ा आ गया न उप चुनाव में?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सदस्य, मेरा समय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य नवीनजी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरा समय जाया न करें, आई एम नॉट रेस्पोंडिंग, आई एम नॉट रेस्पोंडिंग, प्लीज।

राज्य उच्च मार्ग की बात कर हूं 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक 1049 किलोमीटर की सड़क बननी थी इसमें और बनी है 10 किलोमीटर, ...(व्यवधान) 10 किलोमीटर बनी है, यानी 6 प्रतिशत। यह टेबल बनी हुई है 23 नम्बर पन्ने पर, 23 नम्बर पन्ने की टेबल है।

इसके आगे सड़कों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का आंकड़ा बता रहा हूं। यह जो आंकड़ा आया है, 2011-12 से लेकर आज तक का आया है। उसके अन्दर आपको जानकर अचम्भा होगा 158 किलोमीटर बननी थी 2011 से अभी तक, उसमें भी 40 किलोमीटर ही बनी है, 28 काम

(श्री नवीन पिलानिया)

थे, 2 कमप्लीट हुए हैं। टोटल काम 28 थे, 2 ही उसमें कमप्लीट हुए हैं, 25 प्रतिशत सड़क बना पाए हैं आप 2011 से लेकर 2018 तक। यह उच्च मार्ग, यह उच्च मार्ग की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आता हूं राज्य सड़क निधि पर। माननीय मंत्री महोदय, राज्य सड़क निधि में 2014-15 से लेकर अभी तक जो पैसा आया था, वह आया था 3607 करोड़ रुपया। यह आंकड़ा मैं राज्य सड़क निधि का बता रहा हूं और उसमें से 2014-15 से आज तक जो आपने खर्च नहीं किया है वह है 3153 करोड़ रुपया। केवल 12.5 प्रतिशत राज्य सड़क निधि में खर्च हो पाया है तो हालात कैसे सुधर सकते हैं? यह जनता यूं ही त्राहि-त्राहि नहीं कर रही है। जनता जो त्राहि-त्राहि कर रही है, वह यह कारण है क्योंकि ऊपर से सबको बहुत अच्छा दिखता है, अंदर सीटी स्केन करते नहीं हैं, एमआरआई करते नहीं है, गलती से कर ली इसलिए बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आता हूं अरबन रोड पर। अरबन रोड पर मैं अब आता हूं। 56 काम थे 2015-16 से लेकर दिसम्बर 2017 तक, 56 वर्क्स थे, 'जीरो' कमप्लीट हुआ है। 108 किलोमीटर का काम होना था, टेबल में 'जीरो' किलोमीटर दर्शा रखा है। यह है अरबन, अरबन, इसमें पिछली सरकार का एक भी साल नहीं है। (व्यवधान)

नाबार्ड में ग्रामीण सड़क मद में स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रगति बताता हूं 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक, 316 टोटल काम थे, पूर्ण हुए हैं 'जीरो', जो बजट था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 'जीरो' को एक बार और बोलो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 'जीरो'। 'जीरो' है 'जीरो'। 316 काम यह 2017-18 से है, 2017-18 से 'जीरो' काम कमप्लीट हुए हैं। अभी और मजा देखो, 609 किलोमीटर की सड़क बननी थी, सड़क बनी है 'एक किलोमीटर'। माननीय सभापति महोदय, बताओ मैं क्या करूं? अचम्भा नहीं करूं? यह टेबल है, पेज नम्बर 33 पर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अब ज्यादा नहीं, बस कर लिया। (व्यवधान) आप मुझे एक मिनट दे दीजिएगा बाकी खतम करने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बात आई, गौरव पथ, गौरव पथ,

(श्री नवीन पिलानिया)

गौरव पथ। कितने साल से सुन लिया। मैं 2017-18 का तृतीय चरण और चतुर्थ चरण का बता रहा हूं। इसके अन्दर 2086 काम होने थे। गौरव पथ की बात कर रहा हूं। कमप्लीट हुए हैं 10 काम। गौरव पथ का आंकड़ा है, III phase और IV phase का।

(20.00 बजे)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): इतने तो अकेले हमारे ही बन गए हैं। कहां 10 काम की बात कर रहे हो आप?

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ये आंकड़े बिलकुल गलत हैं, ये कहां से लाए हो आप?

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): ये कहां की बात कर रहे हो आप? (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ये आंकड़े बिलकुल गलत हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) असत्य बोल रहे हो आप।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, बिलकुल गलत आंकड़े हैं। (व्यवधान) नवीन जी, कहां से उठाकर लाए हो? (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सुनने का माद्दा रखिएगा। मैं तृतीय फेज भी पढ़ता हूं, III phase. ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। व्यवधान नहीं करिए।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय...

श्री सभापति: हीरालाल जी, विराज जाइए। माननीय सदस्य, अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली बात हो रही है। मैं इनका आंकड़ा बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 34 नंबर पेज पर तृतीय चरण में ग्रामीण गौरव पथ योजना, तृतीय फेज में कार्यों की संख्या 2086, लम्बाई 2077 किलोमीटर, कार्य पूर्ण 10 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका टेबल है। अब विराजें आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं खतम कर रहा हूं, खतम कर रहा हूं, माननीय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मुझे कनक्लूड करने दीजिएगा। मैं और निकाल लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2017-18 में राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों की जो स्थिति है, जरा इसका आंकड़ा मैं एक मिनट में बता देता हूं। कुल लागत है 1661 करोड़ रुपया ...(व्यवधान)

(20.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पढ़कर देखा करिए। सावन के अंधे को हरा ही हरा लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इनकी किताब का पृष्ठ नंबर भी बताता हूं। टेबल भी बताता हूं। उसमें जो लिखा हुआ है, वह पढ़ता हूं, फिर भी व्यवधान कर रहे हैं। आप थोड़ी-सी मेहरबानी करें, सर।

मैं यह बताना चाह रहा था कि 2017-18 में राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों की जो टेबल है, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल लागत है 1661 करोड़ रुपया। दिसम्बर, 2017 तक जो प्रगति हुई है, 1661 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ 55 लाख रुपया। इसका तो प्रतिशत भी नहीं निकलता है। प्रतिशत आता है 0.3 परसेंट। 67वें पन्ने पर जो टेबल है, उसको पढ़कर बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: आपकी डिमाण्ड क्या है, आपकी डिमाण्ड?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, मेरी डिमाण्ड यह है कि सद्बुद्धि आ जाए और ये जो आंकड़े पेश किए हैं, जो इतना बुरा हाल हुआ है, उसको सुधारने की कोशिश कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। फालतू मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी कोई बात किसी माननीय सदस्य को या माननीय मंत्री को बुरी लग गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी सच्चाई और फैक्ट्स थे, वो रखने की मैंने कोशिश की। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जो खर्च हुए हैं, वो आप बताते रहिए। जो नहीं हुआ है, वो मैं बताता रहूंगा।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बड़ा अफसोस हो रहा था, मेरे भाई साहब पिलानिया जी को

(श्रीमती राजकुमारी)

सुनकर... कि ये कहां से आंकड़े लेकर आए हैं। (व्यवधान) और वाकई में इस सदन में...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मोहतरमा, मोहतरमा, मैं बार-बार कह चुका हूं, ये आंकड़े जो मंत्री महोदय के विभाग ने किताब छापी है, सारे उसी में से बोल रहा हूं। उसके पृष्ठ तक बोल रहा हूं।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सामने ही लिखा हुआ है कि किसी भी सदस्य को जनता चुनकर भेजती है तो इसमें सही बोला जाए। ये जितने भी आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए कि सरकार ने कितने काम किए हैं और इनके विधान सभा क्षेत्र में ही अब तक हजारों किलोमीटर की रोडें बन गईं। इनको पता ही नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा। ये indirect way में यह कह रही हैं कि मैंने जो कुछ कहा है, वह असत्य कहा है। मुझे इस पर ऐतराज है, बहुत बुरी तरह से ऐतराज है। इनको कोई जानकारी नहीं है। मैं सारे कागज यहां रखने को तैयार हूं। इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। यह मुझ पर आक्षेप कैसे लगा दिया इन्होंने? एक भी आंकड़ा गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाओ। आप सब विराज जाओ। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्माननीय सदस्य ने अपनी बात अभिव्यक्त की, आंकड़े सारे सही होते हैं, उसके पीछे क्या भावना होती है, वह आप समझने की कोशिश करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इनकी भावना क्या है, नवीन जी की?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरी भावना बिल्कुल नेक है। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब सुराज संकल्प यात्रा निकाली और गांव-गांव में रोडों की हालत देखी तो उसी टाइम हमारे राजस्थान की टीम जो यहां बैठी है, जो हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, ये सब लोग भी साथ में थे और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी और पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को भी कि उन्होंने जो योजना चालू की.... अभी भाई

(श्रीमती राजकुमारी)

साहब बोल रहे थे कि गौरव पथ, मिसिंग लिंक, इनका ढिंढोरा पीट रहे हैं। यह ढिंढोरा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 सीट कांग्रेस की आईं और कुछ विधायक हमारे राजपा के आए, कुछ निर्दलीय आए, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और विभाग के मंत्रीजी ने, हमने जो आंकड़े देखे, क्योंकि मैं ऐसे जिले से हूं, जिसमें मात्र सत्ताधारी पार्टी की एक एमएलए हूं और 3 एमएलए कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखोगे तो कांग्रेस के एमएलए के क्षेत्र में ज्यादा काम हुए हैं। हमने कभी भी माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्री को ऐसा नहीं कहा कि हमारे ही क्षेत्र में ज्यादा काम होने चाहिए। समानता से जिन क्षेत्रों में इस सरकार में मंत्री थे, संसदीय मंत्री थे, उसमें मैंने अभी देखा तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके ही द्वारा अभी 19 करोड़ रुपए का जो नाला था, जो सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में आता है, उसको आपने सैंक्शन किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वह कांग्रेस के विधायक हैं और विपक्ष के उपनेता भी हैं लेकिन वो क्षेत्र भी हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने भी उस काम की मांग की। हर जगह सरकार ने काम कराए हैं। गौरव पथ हर ग्राम पंचायत में बनाए। मिसिंग रोड में भी हर क्षेत्र, हर ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम किया।

इसी तरीके से अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट भाषण प्रस्तुत किया, उस टाइम पर 200 विधान सभा क्षेत्रों में 15-15 किलोमीटर की रोडें सारे एमएलएज के क्षेत्र में देने की घोषणा की तो ये बातें ही समाप्त हो जाती हैं कि हमारे क्षेत्र में रोडें नहीं बन रहीं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे। ये कहना क्या चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता। चुनाव के समय में जनता को सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। यह राजस्थान में ही परम्परा रही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। इस तरीके का वातावरण सरकार के खिलाफ में जो विपक्षी लोग करते हैं कि भाई एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती रही है। पिछली बार भी थोड़े से ही अंतर से हमारी सरकार रही थी। कुछ ऐसे कारण रहे कि उसके कारण कांग्रेसियों ने कुछ जाति के आंदोलन छिड़वा दिये। काम कभी करते नहीं हैं विपक्ष के लोग, पांच साल यहां और केन्द्र में 10 साल राज किया लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि 10 साल लगातार राज करने के बाद में भी काम नहीं

(श्रीमती राजकुमारी)

किये जबकि हमारी सरकार ने चार साल के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़े रोड्स को स्वीकृत किया है। भरतपुर से बयाना, बयाना हिण्डौन गंगापुरसिटी, ये रोड बनकर तैयार हो गया है। पहले हम भरतपुर के लिए जाते थे तो मात्र 67 किलोमीटर की दूरी को तीन घंटे में तय करते थे। आज हमारे इस रोड को देखेंगे तो हमारी सरकार ने यह बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए दी है।

एनएच 47 की भी घोषणा, माननीय मंत्रीजी जब करौली गये थे और नितिन गडकरीजी ने यह घोषणा की है, इसका भी प्रोजेक्ट तैयार होकर, डीपीआर तैयार हो चुकी है और यह भी जल्दी ही काम शुरु होगा। ऐसे काम हर जगह, हर क्षेत्र में पूरे राजस्थान में हुए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में काफी रोड्स आपने दी हैं। शहर के अन्दर पिछली सरकार में, जो पहले 2003 में हमारी सरकार बनी, तो उस समय माननीय किरोड़ी लालजी अकाल राहत मंत्री थे, उस समय में उन्होंने एक रोड हमारे शहर के अन्दर स्वीकृत की, जो आज तक भी वही रोड नहीं बनी और अब तक चल रही है। बीच में कांग्रेस की सरकार आई। एक रोड भी उन्होंने नहीं बनाई। इस सदन में और लोग तो राजनैतिक बात कर रहे थे लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि एक रोड भी अगर करौली जिले के अन्दर पिछली सरकार की बता दें, किसी रोड को ये गिना दें कि यह रोड हमारे टाइम की है तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगी।

मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हर क्षेत्र में काम किये हैं, उनके लिए निश्चित रूप से जो भी सदस्य अपने क्षेत्र में जायेगा तो गर्व से कह सकता है कि हम जब क्षेत्र में गये थे, उस टाइम में जब जनता से चुनाव के समय वोट मांगने गये तो गांव की रोड्स की जो हालत थी, आज गांव-गांव के अन्दर हमारी उद्घाटन की प्लेटें लगी हुई हैं। यह क्या जनता को दिखाई नहीं देती? जनता को तो दिखाई देती है, लेकिन विपक्षी सदस्यों को दिखाई नहीं देती। इनके क्षेत्रों में भी उद्घाटन हो रहे हैं, इनके क्षेत्रों में भी हमारे माननीय मंत्रीजी ने दौरे किये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने सरकार आपके द्वार में जाकर हर जगह देखा है, हर विधान सभा में जाने का मौका मिला है।

माननीय मंत्रीजी से कुछ मांग हैं मेरे क्षेत्र की, जो कहना चाहती हूं।

(श्रीमती राजकुमारी)

शहर के अन्दर डेढ़ किलोमीटर का एक टुकड़ा है, जो नगर परिषद क्षेत्र में आता है और इसमें एक सीसी रोड डेढ़ किलोमीटर का आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से शहर में बहुत पानी का जो भराव रहता है, उससे निजात मिलेगी।

एक बनकी रोड और एक ओवरब्रिज से, जो आपने ओवरब्रिज बनवाया है, ओवरब्रिज से शहर के अन्दर एक डेढ़ किलोमीटर का रोड है, उसको भी आप स्वीकृत करेंगे तो हमारे शहर के अन्दर कोई भी रोड ऐसा नहीं रहेगा कि हम यह कह सकें कि हमारी सरकार में काम नहीं हुआ। किसी के लिए मौका ही नहीं मिलेगा।

आज शहर के अन्दर गौरव पथ ऐसे बने हैं जिनको देखकर हर कोई कहता है कि वाकई में सरकार का जो फैसला था ग्रामीण गौरव पथ का, गांवों में जो कीचड़-कच्चा रहता था, आज किस तरीके से शहरों जैसे रोड बने हैं। इसलिए माननीय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

एक एमडीआर रोड आपने घोषित किया था, जो आपका सुरोठ उप तहसील से हिण्डौन के लिए आता है। यह अगर मैन रोड से आते हैं तो 19 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस रोड को 217 नम्बर का एमडीआर रोड आपने घोषित किया था। इसको आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सुरोठ की और हिण्डौन की दूरी 9 किलोमीटर की रह जायेगी इसलिए मैं इसकी भी मांग करती हूं आपसे, निवेदन करती हूं कि इस रोड को जरूर आप सैंक्शन करें। आपने बोलने का मौका दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। चार वर्ष में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में 49,878 किलोमीटर सड़कों का कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन और रिन्युअल का काम हुआ। हर क्षेत्र में खूब काम हुआ और एनएच भी इन चार सालों में जितने राजस्थान में आये, शायद पहले कभी नहीं आये होंगे।

हमारे कोटा में बूंदी से बारां रोड जाती है, उस हाईवे पर एनएच पर एक हैंगिंग ब्रिज ऐसा बना जो हिन्दुस्तान में शायद ही कहीं बना हुआ हो और

(श्री अशोक डोगरा)

उससे जनता को बहुत तरह की सुविधाएं मिलीं। और भी बहुत तरह के काम हुए।

अभी आमेर से आये हुए माननीय सदस्य आंकड़े गिना रहे थे, उन्होंने गौरव पथ के फोर्थ फेज के बता दिये जिसके तो अभी हमारे से प्रस्ताव ही लिये जा रहे हैं। अभी उसके टेण्डर ही नहीं हुए। थर्ड के जो टेण्डर हुए हैं, अभी वर्क आर्डर दिया, उसके बाद से तो रेत ही बंद है, सीमेंट के काम ही नहीं हो रहे और वह चौथे स्टेज के, फोर्थ स्टेज के आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। समय कम है।

मैं तो यही कहना चाहता हूं कि गौरव पथ हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर गांव में जहां-जहां भी गौरव पथ बने हैं, गांव वालों में खुशी की लहर है। वह मानते हैं कि हमारे गांव में भी शहरों जैसी सड़क बनी, शहरों से बैटर सड़क बनी, साथ में नालियां बनीं। और भी बहुत सारे काम हुए। मिसिंग लिंक सड़क अभी 15 किलोमीटर दी, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो पहले भी पिछले बजट में बूंदी-बिजौलिया रोड जो मात्र 52 किलोमीटर की है, वह सीसी सड़क के लिए 177.33 करोड़ रुपये माननीय मंत्री महोदयजी ने पास किये। जनता में ऐसी खुशी की लहर है कि ऐसी शानदार सड़क बनेगी और उसका काम भी बहुत जोर-शोर से चालू हो गया। पिछले बजट में ही मुझे बूंदी-नैनवां बाईपास भी आपने दिया, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार।

मेरे डाबी जो माइनिंग एरिया है वहां हैवी लोड का ट्रैफिक चलता था, सीसी सड़क टूट जाती थी, वहां भी आपने सीसी रोड दी, जो बनकर तैयार हो गयी है। उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार।

अब मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछेक समस्याएं हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजपुरा पंचायत के गुढ़ा गांव हैं। वहां कोई 100 मीटर की एक रपट बनी हुई थी पहले से ऐरू नदी पर यह बनी हुई थी जो कई सालों से क्षतिग्रस्त है और बारिश के दिनों में अचानक पानी भर जाता है और उधर से ही स्कूल का रास्ता है। यह तीन-चार सालों में कई हादसे हो गये, चार बच्चों की उसमें डूबने से मौत हो गई। वह माइनिंग एरिया है, वहां बरसात में तो पानी आता ही है, बरसात के बाद में माइन्स वाले जब

(श्री अशोक डोगरा)

पानी छोड़ते हैं तो भी वह सारा पानी इसी नदी में जाता है। उसकी वजह से दुर्घटना होने के हमेशा ही चांस रहते हैं। उस टूटी हुई पुलिया पर छह-आठ फुट का पानी हमेशा ही रहता है। उससे आवागमन बंद रहता है। गर्भवती महिलाओं को, पशुधन को, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हर तरह से दिक्कत आती है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि मेरे राजपुरा पंचायत के गुढ़ा गांव में ऐरू नदी पर पुलिया के निर्माण की आज ही घोषणा करें। आपका बहुत -बहुत आभार।

दूसरा, मेरे गुमानपुरा पंचायत में अलकोदिया गांव है। जिसमें घोड़ा पछाड़ नदी पर, गांव एक तरफ बसा हुआ है और उसके खेत दूसरी तरफ हैं। बीच में कभी कोई पंचायती राज से बहुत छोटी-सी पुलिया बनी थी, वह टूट गई। मैंने विधायक कोष से कई बार रिपेयर की, लेकिन बारिश आते ही उस पर ऊपर से पानी निकलता है और उससे बहुत नुकसान हो जाता है और वह हमेशा ही, वह कम से कम 26 किलोमीटर का चक्कर काटकर खेत में जाना पड़ता है गांव वालों को। कम से कम 2,500 बीघा जमीन उधर है और गांव इधर है तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गुमानपुरा पंचायत की अलकोदिया की इस पुलिया की भी सैंक्शन करवाने की आज ही घोषणा करें।

तीसरी, एक और समस्या है, जो आखिरी है, मेरे बुरमदन पंचायत है, जिसमें उसी का 6 नम्बर वार्ड बैरवा बस्ती है जिसमें करीब सौ घर हैं, बीच में एक घोड़ा पछाड़ नदी है और सभी उस गांव के बच्चे स्कूल इधर है, इधर पढ़ते हैं। वहां पंचायत ने एक टूटी सी बोट डाल रखी है। हम भी उधर जाते हैं तो उस नाव में ही जाते हैं, नाव को चलाने वाला भी कोई नहीं है। ऊपर एक तार बाँध रखी है और उस तार को पकड़कर नाव खींच लो, मतलब दुर्घटना का हमेशा ही खतरा है कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए और करीब सौ-डेढ़ सौ घरों की बस्ती है, बैरवा समाज के घर हैं। उनको हर काम के लिए बुरमदन से नदी में से, नाव में से इधर आना पड़ता है। यदि यहां भी एक पुलिया की घोषणा हो जाए तो मैं मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि ये तीन विशेष काम हैं। जिसमें से पहले दो की तो, आज ही घोषणा करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव। श्री राजेन्द्र गुर्जर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष जी, पहली बार किसी ने गांव की चिंता की है तो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। देश की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए उन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना से गांवों को जोड़ने का काम किया है। उसी के कारण आज हमारे गावों से, जो पलायन होता है, शहरों की ओर जो जाते थे, उन लोगों का गांवों में ठहराव हुआ है। आज हमारे प्रधान मंत्रीजी भी यही कहते हैं कि गांवों में, जिस प्रकार विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, वह पैसा सीधे हमारे सरपंचों के पास आता है। एजुकेशन भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़े हैं, और पहले जहां कई डाक्टर, कलक्टर, बीडीओ, एसडीएम गांव में नहीं पहुंच पाते थे, परन्तु प्रधान मंत्री सड़क योजना के बाद वे सीधे गांव में जाते हैं। हमारी कई प्रसूता महिलाएं, जो हास्पिटल जाने के अभाव में वहीं दम तोड़ देती थीं, उनको भी शहर में इलाज कराने के लिए, वे आसानी से अपना इलाज करा सकती हैं। एजुकेशन के मामले में, हमारे जो ग्राम के बालक हैं, वे शहरों में आते हैं और वे अपनी पढ़ाई के लिए शहर में आकर, शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। ऐसे हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना चलाकर, हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए आज जिस प्रकार का काम किया है वह सराहनीय है।

इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे गौरव पथ, जो पहले शहरों में बनते थे, आज ग्राम में भी गौरव पथ बनाया। जो सीमेन्ट और कंक्रीट से अच्छे, कभी ऐसे गौरव पथ, जो शहरों में बनते थे, इसी प्रकार गांवों में भी बने। अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता के जो रोड बने, उनकी भी मैं इस मंच के माध्यम से सराहना करता हूं।

अब चूंकि समय का अभाव है, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बीसलपुर विस्थापित, जब डूब क्षेत्र विस्थापित हुए थे तो कुल 7 पंचायतें डूब क्षेत्र में आ गई थीं तो नेगडिया पुल उसमें था, जो बीसलपुर के ऊपर से बना हुआ था, वह डूब गया था। माननीय मंत्री महोदय, दो वर्ष पहले वह पुल तो 68 करोड़ की लागत से बन गया था। साथ ही वहां रोड 19 करोड़ की लागत की, ये खुद स्वयं घोषणा करके आये थे, पर ये भूल गये, इसलिए इनको स्मरण कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि वे आज रिप्लाई में उस रोड की घोषणा करें ताकि वहां की जनता मंत्रीजी के जो भाषण थे, उसमें सब लोग आशा कर रहे थे कि मंत्रीजी बोलकर चले गये पर भूल गये उनको याद दिलाने के लिए, मैं आज आपको अवगत करा रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

मेरे क्षेत्र के कई रोड्स हैं। जैसे, झालरा से नगर फोर्ट तक, सरोली मोड से आवां वाया झाड़ होते हुए अपने गुराई, इधर एन.एच. 116, माधोपुर वाया कोटड़ी होते हुए मोहम्मदपुरा, ऐसे कई रोड्स हैं, जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इन रोड्स की जो हालत है, बहुत दयनीय है और जो विस्थापित हुए थे कई विधान सभा में जो 7 पंचायतें है तो वो जब विस्थापित हुए थे, उस समय बने थे रोड। इरिगेशन के द्वारा बनाये गये थे, पर दुबारा उनकी मरम्मत के लिए, आज पैसा नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उन रोड्स को पी.डब्ल्यू.डी. में ले लें। ताकि उनकी मरम्मत हो जाए और नये रोड जो नहीं हैं वे भी बन जाएं।

इस प्रकार मैं और भी मेरे क्षेत्र के, जो पनवाड़ से चांदली माता को रास्ता जाता है, उसमें एक नाला पड़ता है तो उस नाले पर पहले रपटा बना हुआ था। उसमें कई लोग बह जाते हैं तो वहां पर पुलिया बन जाए तो कई लोगों की जान बच सकती है क्योंकि चांदली माता एक धार्मिक हमारी माता जी का स्थान है। कई लोगों को पता नहीं होता, पानी का बहाव बहुत तेज रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जो नेगडिया वाली रोड है उसकी 19 करोड़ की, उसकी तो आज ही घोषणा करें। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19-21 पर आपने बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यूं तो मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद दिया था, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे गौरव पथ हों, चाहे मिसिंग लिंक हों, चाहे रिंग रोड हो, चाहे ब्रिज हो, सभी पर 12 सौ करोड़ रुपये का काम चल रहा है और यह काम 60 प्रतिशत पूरा हो गया है। आज फिर मंत्रीजी मेरे नागौर शहर में जो मानासर ब्रिज है उसकी यहां पर स्वीकृति की घोषणा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वह ब्रिज आने वाले 12 महीनों में बन जाएगा। इसलिए मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

एक और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजमेर और बीकानेर नेशनल हाईवे का जो ठेकेदार डिफाल्टर हो गया था, उसमें मेरे पांच बाईपास थे। वे भी आपने सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. में ले ली हैं। मुझे उम्मीद है कि वह भी 5-6 महीने में मेरे बाईपास बना देंगे। जिससे जो नेशनल हाईवे हैं, उनका काम पूरा हो जाएगा और जितने भी नागौर में नेशनल हाईवे नये निकले हैं, वे सब मंत्रीजी की बहुत मेहनत है और पूरे नागौर में, मेरे एरिये में 12 सौ करोड़ है तो नागौर और राजस्थान में कितने अरबों रुपये मंत्रीजी ने लगाये हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी को, मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसलिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय महोदय, भाभीजी आज यहीं बैठे हैं सदन में, इसलिए मंत्रीजी के चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग भी अनुसरण कर सकते हैं अपना-अपना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हमने इनको कह दिया, हमारी घोषणाएं नहीं कीं तो भाभी जी का घेराव करेंगे हम आज।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी अपनी अर्धांगिनी तो हमेशा लाते हैं, ताकि इनकी हौसला अफजाई होती रहे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों के संबंध में प्राप्त कटौती प्रस्ताव एवं दिन भर माननीय सदस्यों द्वारा की गई सार्थक बहस एवं अमूल्य सुझावों के लिए, सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मांग संख्या 19 में कुल 158 कटौती प्रस्ताव, 56 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार मांग संख्या 21 में 286 कटौती प्रस्ताव, 75 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। इन सबके जवाब 7 दिन में प्रेषित कर दिये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों से इस पवित्र सदन में, माननीय हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने यह पांचवां बजट रखा और 4 बार इससे पहले बहस हुई और मुझे भी इस पवित्र हाउस में

(श्री युनुस खान)

बोलने का मौका मिला। आज पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात को कहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ देखने के नजरिये की बात है, कोई व्यक्ति देखता है कि आधा गिलास खाली है और कोई देखता है आधा गिलास भरा हुआ है। मैं सोचता हूं कि जिनकी नजर, मतलब सकारात्मक है, वे भरे हुए गिलास को देखते हैं और जो नेगेटिविटी ढूंढ़ना चाहते हैं वे आधे खाली गिलास को देखते हैं।

आज आंकड़ों पर जो चर्चा हुई उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बोलूंगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको पता है कि पिछले चार वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कड़ी मेहनत करके और राजस्थान में परिणाम देने का प्रयास किया है। हो सकता है कि उन प्रयासों में कहीं कोई त्रुटि हुई हो, हो सकता है कि जितना लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाये। फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी का, मेरे सभी इस हाउस में बैठे हुए साथियों का, राजस्थान की जनता का और मेरे विभाग के अधिकारियों का कि आज हम एक बहुत कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं और मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में रिजल्ट आया है। इससे पहले 2003 से 2008 तक माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारे संसदीय कार्य मंत्री उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी, उनसे पहले जितने कार्यकाल निकले, उनसे बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ थी और अब उसमें गुणोत्तर वृद्धि हुई है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे नेतृत्व का कमाल है और हमारे सब साथियों के सहयोग का कमाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा और उस बजट में जो घोषणाएं कीं, मैं सोचता हूं कि उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी विपक्ष ने तीन सीटें विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने उप चुनावों में जीती हैं। इनके हौसले निश्चित रूप से क्योंकि जो 2013-14 के परिणाम थे वो शून्य के परिणाम थे और शून्य के परिणाम से तीन सीटें अभी आई हैं। तीन पहले आईं तो निश्चित रूप से इनका हौसला बढ़ना जरूरी है और वाजिब भी था, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज स्थाई नहीं होती है। इसको टेकन फोर ग्रान्टेड नहीं मानना चाहिए कि हम तीन सीटें जीत गये, बीजेपी तीन सीटें हार गईं तो अगला 2018 के दिसम्बर में जो परिणाम

(श्री युनुस खान)

आयेगा वो इनके पक्ष में आयेगा। मैं आज भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान पूरे देश में अगर हम देखें तो 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ में सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर हम राष्ट्रीय घनत्व और प्रदेश के घनत्व की, दोनों की तुलना करें तो निश्चित रूप से राजस्थान का घनत्व कम इसलिए है कि अगर हमारा बाड़मेर जिला देखा जाए तो अकेले केरल राज्य से बड़ा है तो बाड़मेर-जैसलमेर में सही है, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा कि 15 किलोमीटर सड़क अगर हम लक्ष्मणगढ़ में देते हैं तो वहां वो कम से कम 15 गांवों को जोड़ देगी और हो सकता है कि ज्यादा गांवों को भी जोड़ दे, लेकिन जैसलमेर का घनत्व इतना छितराया हुआ है कि वहां पर 15 किलोमीटर में एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं पहुंचा जा सकता इसलिए राजस्थान में जो हमारे प्रयास थे, लगभग पचास हजार किलोमीटर सड़कें या तो हमने उनका नवीनीकरण किया है या सुदृढ़ीकरण किया या नयी बनायी है या गौरव पथ बनाया है या उनको राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल करके, परिवर्तित करके उसमें काम करने का प्रयास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सड़क हमारा आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी भी देश और प्रदेश में सड़क तंत्र मजबूत है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास तेज गति से होता है। सड़क से किसान जुड़ा हुआ है, सड़क से विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, सड़क से जनता जुड़ी हुई है, सड़क से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पर्यटन जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सड़क से अछूती है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब पहला अपना बजट रखा था, उस समय उन्होंने यह कहा था कि हमारा विशेष फोकस सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा पर रहेगा। उसमें से सड़क को उन्होंने चुनकर राजस्थान में काम करने का प्रयास किया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, यह सतत् प्रक्रिया है। कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, लेकिन कोई विशेष रूप से काम करता है और किसी की गति कम होती है यह फर्क जरूर होता है। यह नहीं है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़कें हमारे कार्यकाल में ही बनी हैं, इससे पहले भी सड़कें बनी हैं, क्योंकि आज राजस्थान लगभग 2 लाख 30 हजार

(श्री युनुस खान)

किलोमीटर के विशाल नैटवर्क का राज्य बन गया है तो यह एक दिन में नहीं बना है, इसको बनने में समय लगा है, लेकिन इन चार वर्षों में जो माननीया वसुन्धरा जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, मैं सोचता हूं कि वो अद्वितीय है और वो अनुकरणीय है। ऐसा काम हमने सड़क तंत्र में विशेष रूप से किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 22 हजार किलोमीटर सड़कें पिछले चार साल में नयी बनाने का काम किया और इसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज मेरे को चूंकि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री और प्रभुलाल जी ने कहा कि एक घंटे से ज्यादा नहीं बोलना है तो मैं उसकी ज्यादा भूमिकाओं पर नहीं जाकर मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला हो, राजस्थान के पूरे 33 जिले और जिन गांवों की अगर हम चर्चा करें...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी चाहते नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय बोलें, जब भाभीजी सुन रही हैं और आप इनको डांट रहे हो कि नहीं बोलोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो?

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दोनों डांट सकते हो। एक मिनट, राठौड़ साहब, मैं दे दूंगा जवाब। आप दोनों डांट सकते हो। आप भी बड़े हो और ये भी बड़े हैं तो मुझे कोई डांटने में एतराज है ही नहीं, लेकिन आज आप कृपा करके बैठे रहना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डांट खाने के आदी हैं क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज की तारीख में 46 हजार 373 राजस्व ग्राम हैं, 9 हजार 891 ग्राम पंचायतें हैं। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन 46 हजार 373 राजस्व ग्रामों में से पिछले चार साल में सड़क तंत्र के माध्यम से किसी न किसी तरीके से 38 हजार गांवों तक पहुंचने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया। मैं सोचता हूं कि चाहे वो गौरव पथ बनाने की बात हो, चाहे मिसिंग लिंक बनाने की बात हो, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात हो और चाहे वो विलेज रोड्स बनाने की बात हो या किसी भी तरीके से अन्य सड़क तंत्र को बनाने की बात हो।

(श्री युनुस खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 हजार 271 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 15 हजार 117 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 8 हजार 34 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 31 हजार 111 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 1 लाख 67 हजार 316 किलोमीटर अर्थात् 2 लाख 30 हजार 849 किलोमीटर का नैटवर्क जिसकी मैंने चर्चा की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में हमने इन चार वर्षों में 11 हजार 939 किलोमीटर सड़कें और 4 हजार 105 ग्राम जोड़ने का काम किया है। नाबार्ड योजना में 1936 किलोमीटर सड़कें और 420 गांवों को जोड़ने का काम किया है। राज्य योजना में 5 हजार 675 किलोमीटर सड़कें और 237 गांवों को जोड़ने का किया है। आरआरएसएमपी में 2 हजार 265 किलोमीटर सड़कें और 1 हजार 8 गांवों को जोड़ने का किया है अर्थात् अब तक जैसा कि मैंने कहा कि 21 हजार 815 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण इस कार्यकाल में हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 हजार 770 गांव और ढाणियों को जोड़ने का काम हमने किया है। यह हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन अगर हम देखें, आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो 1511 दिन में हमने लगभग 14.43 किलोमीटर प्रतिदिन नयी सड़क बना करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया है। इसी तरीके से प्रतिदिन लगभग चार से अधिक गांव और ढाणियों को हम जोड़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देश में सर्वाधिक है यह।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित रूप से देश में सर्वाधिक है। मैं आगे ज्यों-ज्यों बढ़ूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसकी चर्चा आई और उसकी बार-बार हाउस में चर्चा होती है, मैं ज्यादा लम्बा नहीं कह करके, यह गौरव पथ वास्तव में आज हमारी ग्राम पंचायतों का, सब ग्राम पंचायतों का जिनमें निर्माण हो गया, गौरव का काम कर रहा है, क्योंकि जो सीसी रोड बनी है उसके साथ नाली बनी है और उसकी गुणवत्ता पर भी मैं

(श्री युनुस खान)

बिलकुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनकी गुणवत्ता में जहां भी शिकायत आयी, हमने निश्चित रूप से कार्यवाही भी की और उस पर कार्यवाही के साथ-साथ जहां जरूरत पड़ी तो दुबारा निर्माण करवाने का काम भी हमने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में 1973 गौरव पथ हमने स्वीकृत किये। मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले चरण के 1973 में से 1973 को हमने पूरा कर दिया। सौ प्रतिशत एचीवमेंट हमारा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे चरण में 2092 में से 1900 ग्रामीण गौरव पथ पूरे करके लगभग 90 प्रतिशत काम हमने पूरा कर दिया। तीसरे चरण में 2086 में से 478 काम अब तक हमने पूरे कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम जो गौरव पथ बनाते हैं, उसको पूरा तभी मानते हैं जब उसके साथ उसकी नाली बन जाये और पानी का डिस्पोजल आखिरी किनारे तक हो जाये, उसको हम तभी पूर्ण मानते हैं। निर्माण कार्य हो गया और नाली नहीं बनी तो उसको हम पूर्ण नहीं मानते। इसलिए यहां जो आंकड़े हैं, वह जो नाली सहित हैं उन्हीं के बोल रहे हैं और जिसका जिक्र आमेर से आने वाले सदस्य ने किया, वह भी सही हैं और यह भी सही हैं। यह इसलिए सही है कि चौथे चरण की अभी स्वीकृतियां जारी नहीं हुईं। हमने लिमिटेड स्वीकृतियां जारी की थीं और उनमें हमने 442 इसी साल के अंत में गौरव पथ स्वीकृत किये थे, उनमें से 44 कार्य पूरे हो गये, इसलिए उन्होंने 10 परसेंट की बात कही है। चौथे चरण की घोषणा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट वर्ष 2018-19 में जो 12 फरवरी को रखा है, की है। जो शेष रह गये उनमें हम बनायेंगे। आप इसलिए सही हैं कि चौथे चरण के कुछ पार्ट 442 हमने किये थे, उनमें से 10 परसेंट बने, इसलिए आप भी सही हैं। यह हमारे साथी इसलिए सही हैं कि ....

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, मैंने तृतीय चरण का हवाला दिया था, जिसमें 2086 कार्य थे ...(व्यवधान) मैंने तृतीय चरण की बात की थी, चौथे चरण पर मैं पहुंचा नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथा चरण तो केवल अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ में ही चला है और वहां रिजल्ट आ ही गया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ की हार को भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि यह हमारे लिये जागने की घंटी है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं फिर कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता दिसम्बर, 2018 में क्या फैसला करेगी, यह जनता करेगी, अभी इतने राज़ी होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से यह 442 गौरव पथ हमने इन चारों जिलों को दी हैं और इनकी स्वीकृतियां हुईं और काम भी शुरु कर दिये। यह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम जो कहते हैं, उसको करते भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो शेष ग्रामीण गौरव पथ हैं उन पर अभी जब बजट पास हो जायेगा, उसके बाद करने का काम करेंगे।

इसके साथ-साथ मिसिंग लिंक के भी हमने दो चरण पूरे किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16 में 1046 कार्य हमने स्वीकृत किये। 2016-17 में 814 कार्य स्वीकृत किये। कुल मिलाकर 1860 कार्यों में से अब तक हमने जो 1046 स्वीकृत किये वह अक्षरशः पूरे के पूरे, यानी 100 प्रतिशत हमने पूरे किये। यह कहना कि यह सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, यह सरकार कुछ करती नहीं है। यह सही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाली बोल ही नहीं रहा हूं, इसके पीछे जो पेपर है, यह उसकी प्रगति रिपोर्ट है। पहले चरण में 2015-16 में हमने जो घोषणा की थी, वह पूरे के पूरे हो गये। दूसरे चरण में 814 में से लगभग 720 पूरे हो गये। यह कह सकते हैं कि पहले चरण के सौ प्रतिशत और दूसरे चरण के 88 प्रतिशत। इसमें हमने 1318 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, उसमें से 868 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये। यह जो खर्चा है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, उसमें गौरव पथ बनाना, इस तरीके से जो छोटी इकाई है, वहां से हमने शुरु किया है और वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की की हुई यह योजना राजस्थान में शुरु हुई थी, इसका पहला चरण पूरा हो गया। यह बात सही है कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह बात कही भी है और राजगढ़ से आने वाले हमारे

(श्री युनुस खान)

सदस्य ने कहा कि पिछली बार मंत्रीजी ने कहा था कि 2011 की जनसंख्या को हम शामिल कराने का प्रयास करेंगे। मैंने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिट्ठी लिखी थी कि 2001 की जनसंख्या को आधार मानकर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृतियां जारी होती हैं, उसके बाद 2011 की जनगणना हो गई, चूंकि यह अकेले राजस्थान का नहीं है, यह पूरे भारत की नीति बनती है इसलिए मैंने और माननीय मुख्य मंत्रीजी की चिट्ठी को हमने दिया। पहले चरण में जो राजस्थान था, उसके जो हमारे हेबिटेशंस थे, उनकी तो स्वीकृतियां उन्होंने जारी कर दीं और दूसरा चरण उन्होंने शुरु कर दिया। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को उन्होंने वाइडनिंग करने का, स्ट्रेंथनिंग करने का और रिपेयर करने का काम हाथ में लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं यह बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2013 के बाद जो कार्य स्वीकृत हुए, 2013-14 में 864 कार्य स्वीकृत हुए, 2016-17 में 1467 कार्य स्वीकृत हुए, 2017-18 में 407 और 2017-18 में पुल निर्माण के 26, कुल मिलाकर 2764 कार्य हमने स्वीकृत करवाये। इन चार सालों में 10374 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृतियां हमको मिली हैं, उसमें से 6493 किलोमीटर की सड़कों का काम हम पूर्ण कर चुके हैं। चूंकि पार्ट-टू का जो फर्स्ट चरण है और इस सरकार का तीसरा चरण है, उसके कार्य की स्वीकृतियां होकर टैंडर और वर्क आर्डर हो गये हैं, काम भी शुरु हो गये हैं। उनकी प्रगति निश्चित रूप से अब आना अपेक्षित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी 39753 गांवों की बात कही। आज की तारीख में राजस्थान में राजस्व गांव 46373 हैं क्योंकि यह जो संख्या थी वह 2001 की जनगणना के अनुसार थी। इसमें से बहुत सारे गांव जुड़ गये। आज की तारीख में मैं यह कह सकता हूं कि 10768 गांव जो जुड़े हुए हैं, इनमें अब तक 5005 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के तहत राजस्थान में खर्च हुई है और निर्मित लम्बाई 34898 किलोमीटर है। हम अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो कार्य हमें आबंटित हुए थे, उनका पहला चरण हम लगभग पूरा कर चुके हैं। दूसरे चरण में यह कह सकते हैं कि 2016-17 में हमें जो 4292 किलोमीटर मिला, उनमें से 4010 किलोमीटर, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य से बहुत ही विनम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आप तो बहुत जोश में बोल रहे थे, फरवरी, 2014 में जो

(श्री युनुस खान)

स्वीकृति हुई थी, उनमें से हम 796 करोड़ में से 659 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और दूसरे चरण में 1611 करोड़ रुपये हमें मिले, जिसमें 40 प्रतिशत हिस्सा हमारे राज्य का था, 60 प्रतिशत भारत सरकार का था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से हम 1046 करोड़ 26 लाख खर्च कर चुके हैं। इसलिए यह अपने आपको थोड़ा-सा दुरुस्त कर लें। तीसरा 2017-18 की जो हमारी स्वीकृतियां हैं, उसमें 1460 करोड़ के टैंडर और वर्क आर्डर की मैंने बात कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान रोड सैक्टर मोर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट था, उसमें भी हमने काम किया। यह योजना लिमिटेड टाइम के लिये आई थी। इसमें 998 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और 2290 किलोमीटर सड़कें, जिसमें से 1008 कार्य स्वीकृत हुए और मुझे कहते हुए खुशी है कि कुछ कार्यों में कोर्ट में चले गये लेकिन उसके बावजूद भी इन 1008 में से 995 कार्य हम पूरा कर चुके हैं। यह मैं सोचता हूं कि 95 प्रतिशत के करीब यह हमारी उपलब्धि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह योजना बंद हो गई। विश्व बैंक से फंडेड यह योजना थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें बनती हैं तो टूटती भी हैं, उनकी एक लाइफ है, उसके बाद वह टूटती हैं। लेकिन अगर हम उनका रख-रखाव ढंग से नहीं करें, अगर हम समय पर उन पर ध्यान नहीं दें तो निश्चित रूप से वह टूटती हैं और इतना बड़ा प्रदेश है, उसका इतना बड़ा तंत्र है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आज हमारे ना पक्ष लाबी की तरफ से जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक भी सड़क की रिपेयर नहीं हुई। मैं उनसे बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहूंगा कि हमने आते ही पहले वर्ष में यानी 2014-15-16-17 और 2018 में, मैं पांचों सालों का हिसाब बताऊंगा और अब इन टूटी हुई सड़कों का हम क्या करना चाहते हैं, वह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले 1211 सड़कें लीं, उसमें 4254 किलोमीटर और 847 करोड़ रुपये थे, जो कि हमने नाबार्ड से लिये। वे 2014 के सबके सब कार्य पूरे हो गये हैं। दूसरे चरण में 694 कार्य, 2702 किलोमीटर और 605 करोड़ रुपये के थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन 694 कार्य में से 675 कार्य हमने पूरे कर दिये हैं। उसके बाद तीसरे वर्ष में 1518

(श्री युनुस खान)

कार्य हमने लिये, उनमें 5039 किलोमीटर की सड़कें थीं, 824 करोड़ की। 1518 में से 1453 काम पूरे कर दिये हैं। उसके बाद जो चौथा चरण लिया, उसमें 1614 कार्य 5336 किलोमीटर एवं 799 करोड़ रुपये के। उनमें से भी 168 कार्य कर दिये हैं। हमने एक विशेष पैकेज लिया, जिसके लिए लक्ष्मणढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि चार जिलों में दिया, क्या जयपुर में भी दिया? यस, हमने जयपुर में दिया। अलवर भी दिया, अजमेर भी दिया, माण्डलगढ़ भी दिया, भीलवाड़ा दिया। उसके काम भी प्रगतिरत हैं। कुल मिलाकर 5710 सड़कों में से 19,412 किलोमीटर और 3392 करोड़ रुपए, उनमें से 3507 काम पूरे हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो सड़कें हैं। अभी हमने सर्वे करवाया है। अलग-अलग एजेंसीज से सर्वे कराया है। हमने एक एजेंसी को दूसरी जगह भेजकर सर्वे कराया है। लगभग 14100 किलोमीटर की सड़कें आज की तारीख में हमें राजस्थान में टूटी हुई मिली हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 22 दिसम्बर को धौलपुर में घोषणा की थी कि हम यह जो 14100 किलोमीटर की राजस्थान में टूटी हुई सड़कें हैं, इन पर 2290 करोड़ रुपये खर्च करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैंने लगभग आधे माननीय सदस्यों से चर्चा कर ली है क्योंकि हमने जो सर्वे किया है, चाहे वे कांग्रेस से आने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे अन्य दलों से आने वाले सदस्य हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, हम सब सदस्यों से वेरिफाई करवा रहे हैं कि हमने ये टूटी हुई सड़कें ली हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा कोई टूटी हुई रह गई तो वह आप चेंज कर सकते हो, दे सकते हो। हम यह 14100 किलोमीटर का इसी महीने के अंत तक यानी फरवरी के अंत तक इन 14100 किलोमीटर सड़कों का टेंडर जारी कर देंगे, मैं सोचता हूं। उसके अलावा मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की कि इन 14100 किलोमीटर के बाद में भी 5 हजार किलोमीटर और 800 करोड़ रुपये, हम आर.आई.डी.एफ. 24 में नाबार्ड से लोन लेकर पूरा करेंगे।

मुझे कहते हुए खुशी है कि जिस प्रधान मंत्री सड़क योजना की चर्चा मैंने अभी की है, उसके दूसरे चरण के पार्ट-टू में हमें भारत सरकार का कन्सेप्ट पेपर मिला है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान की 7 हजार किलोमीटर की सड़कें लेंगे। वह घोषणा हमने इसलिए नहीं की, क्योंकि वह कन्सेप्ट पेपर है। वह अंतिम रूप से जब हमारे पास आ जाएगा तो मैं सोचता

(श्री युनुस खान)

हूं कि 7 हजार किलोमीटर सड़कें पी.एम.जी.एस.वाई. की, 5 हजार आर.आई.डी.एफ.-24 की, कुल 7+5=12 हजार और 14 हजार सड़कें जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। इस तरीके से राजस्थान के अन्दर मैं आज जिम्मेदारी से इस हाउस में कहकर जा रहा हूं कि हम दिसम्बर, 2018 तक एक भी गड्ढा सहित सड़क नहीं छोड़ेंगे, यह मैं आपके बीच में घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह काम चुनौती का है, क्योंकि राजस्थान में आज इतने कांट्रेक्टर नहीं हैं। राजस्थान में इसका टेंडर करना, वर्क आर्डर करना, फिर बारिश का सीजन आ जाएगा। हमारे लिए चुनौती है लेकिन इस चुनौती को भी हम इन सब माननीय सदस्यों के सहयोग स्वीकार करके इस काम को करने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास की बात भी आई। यह बात भी सही है कि हम कुछ विलेज रोड को एमडीआर बना देते हैं, ओडीआर बना देते हैं, एमडीआर बनाते हैं। एमडीआर को राज्य मार्ग बना देते हैं और राज्यीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाते हैं। ये आंकड़े वर्ष भर में देते हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड थी, उनको राज्यीय राजमार्ग बनाने का काम किया और राज्यीय राजमार्गों में... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह बात सही है कि वाइबल गैप फंड में हमने चार काम दिये थे। उन चार कामों में 191 किलोमीटर और 593 करोड़ का काम चल रहा है और मैं सोचता हूं कि तीन काम इसमें से पूरे हो गये हैं एवं एक काम प्रगतिरत है। दूसरा, एडीबी के 16 काम। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने आपके सामने 2015-16 में कहा था कि हम 3 हजार करोड़ रुपये एशियन डवलपमेंट बैंक से, 3 हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। इस सारे पैसे का प्रोविजन हमने पहले से ही कर रखा है। हमारा जो स्टेट रोड फंड है, उसके माध्यम से 20 परसेंट पैसा जहां देना होता है, हम देते हैं। इसीलिए इधर से जो बात आई थी कि स्टेट रोड फंड अभी खर्च नहीं हुआ। हम इन रोड्स के लिए जो 20 परसेंट राशि का शेयर राज्यों को देना है, उसके लिए हमने रोक रखा था। वह सड़कों की स्वीकृतियां अब आना शुरु हो गयी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन 980 किलोमीटर की 16 सड़कों में 2 हजार 4 सौ 52 करोड़ रुपये की सभी सड़कों की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे बजट की कापियां लेकर आया हूं। जो घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कीं और जिन

(श्री युनुस खान)

सड़कों के नाम से कीं, ये 16 सड़कों की मेरे पास लिस्ट है, इन सबके काम हमने शुरु कर दिए हैं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात के गवाह होंगे कि इनके क्षेत्र में भी...। मैंने कहा था, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष भी विराज रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य भी विराज रहे हैं। जो सीकर, नोखा और सुजानगढ़...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में एक ही मंत्री है जो घोषणा करने में सक्षम हैं, इसलिए हम घोषणाएं सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था लक्ष्मणगढ़ को नोखा से जोड़ेंगे। इस हाउस में हम चार साल से देख रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इतनी घोषणाएं हो गईं कि आप याद ही नहीं रख पाओगे, हाथ में पेपर ले लो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट सर, बोलने तो दो। मैंने कहा था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत सक्षम हैं, लेकिन ना पक्ष के सचेतक हैं, वे यह दिखाते रहते हैं कि मैं इनसे ज्यादा सक्षम हूं। इसलिए हमने कहा कि...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम नेता, प्रतिपक्ष महोदय के निर्देश पर काम करते हैं। संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करते हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखिए, नेता प्रतिपक्ष के पीछे आंखें नहीं हैं। पीछे आप क्या करते हो, यह कोई नहीं देखता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सामने देखते हैं। ये सीधे आदमी हैं। नेता प्रतिपक्ष सीधे आदमी हैं। ये सामने देखते हैं। इनके पीछे आंखें नहीं हैं। पीछे से आप क्या करते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये मानते हो ना आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर संसदीय कार्य मंत्री ने इनको जान-बूझकर गलत बदनाम किया है ना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): संसदीय कार्य मंत्री ने कोई बदनाम नहीं किया। ये जिसने लीक किया...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपका षड्यंत्र था। आपने इनको डाउन करने के लिये ही यह किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सचेतक महोदय, आप तो समय ही नहीं बढ़ा सकते। वह ही पूरा-सा नहीं बोल पाते।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो क्या-क्या नहीं बढ़ा सकता हूं, लेकिन आपने इनको डाउन करने के लिये बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए धन्यवाद जरूर देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो आप बढ़ा के बताओ। एक दफा समय बढ़वाकर बताओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद तो मत दो, ओळमा दो। धन्यवाद नहीं देंगे, आपको शिकायत करेंगे कि आपने यह काम किया है तो अच्छा नहीं किया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने तो खाली एक संदर्भ दिया है कि सीकर से नोखा तक जो सड़क है, उसके लिए लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य साक्षी हैं कि उसका काम चल रहा है। जो नागौर तरणाऊ, डीडवाणा, गनेड़ी, सालासर, लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ जिसमें आपने विशेष रूप से आज एक मुद्दा लैंड एक्विजिशन का उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह सड़क, जो समय हमने दिया है, उससे छह महीने पहले ही बनकर तैयार हो जाए, वह आपने भी देखा है। उसमें आपने जो टोल का इश्यू उठाया है, उसको हम पूरा करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि 10 मार्च, 2017 को माननीय गडकरी जी सालासर आए थे और उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। आज यह सड़क करीब 70 परसेंट बनकर तैयार हो गई है और मैं सोचता हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके का मामला है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने यह कहा था कि बिना लैंड एक्विजिशन के किसान की फसल को बर्बाद किया जा रहा है और जो रोड बनाने वाली कंपनी है, वह जबर्दस्ती किसान की जमीन को ले रही है और किसान वहां पर अपनी जमीन के अन्दर समाधि लगाकर बैठे हैं। वह कहा था, उसकी जांच कराओ। बगैर मुआवजा दिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): रोड बनने से जमीन की वैल्यू बढ़ती है। डोटासरा जी सड़क बनने से उस जमीन की वैल्यू बढ़ती है। नहीं तो कौड़ियों के भाव बिकती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जबर्दस्ती लेओगे क्या? बिना उसको मुआवजा दिए लेओगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आप को तो बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सचेतक महोदय को कुछ कहना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आप सबसे निवेदन करता है कि मंत्रीजी को अपना वक्तव्य तो देने दीजिए। आप जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वह चीज आने तो दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विषय आपने उठाया है, उसको हम संवेदनशीलता के साथ देखेंगे क्योंकि हमारी मुख्य मंत्री और हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे वह खेती का मामला हो, चाहे वह ऋण माफी का मामला हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, कोई भी मामला हो, हम उसको संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। इसलिए इस काम को भी उसी अंदाज में देखा जाएगा।

(21.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक से लगभग 6 सड़कें 459 किलोमीटर, 1242 करोड़ रुपये और 6 सड़कें हमारे एडीबी की 413 किलोमीटर और 1032 करोड़ रुपए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्टेट प्लान वर्क्स जो हैं, उनमें 59 काम तो हमने राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों के और 504 काम ग्रामीण सड़कें, 146 शहरी सड़कें और 38 नेशनल कैपिटल रीजन की सड़कें, कुल मिलाकर स्टेट प्लान में हमने 747 सड़कों पर काम किया है। उनमें 3189 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और अब तक 624 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी एनसीआर पीबी की जो विशेष रूप से बहुत दिनों से अपेक्षित थी, उसमें 38 सड़कें, 968 करोड़ रुपए और 624 किलोमीटर के करीब काम लगभग पूरा शुरु है। बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या के क्षेत्र में भी आपने कहा था कि सब टूटी हुई हैं। इन्होंने हाउस में जिस सड़क का बार-बार जिक्र किया, उसका काम भी चल रहा है। विशेष रूप से इस हैड में 45 किलोमीटर और 78 करोड़ का काम बानसूर विधान सभा में चल रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चालू कब से हो जाएगा? चार साल तो हो गए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चालू हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इलाके में जाना प्रारम्भ करो आप। इलाके में घूमा करो। इन जयपुर की गलियों में घूमती हो, तब पता नहीं है आपको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इलाकों में ही रहती हूं मैं सबसे ज्यादा। जयपुर की गलियों में तो आप रहते हो, इलाके की एक-एक सड़क का नाम मैं बता सकती हूं। इलाके में हूं इसीलिए तो यहां पहुंची हूं। अगर इलाके में नहीं रहती तो यहां नहीं होती। आपके सदस्य की तरह वहां विराजती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री ने एक माननीय सदस्या के ऊपर जयपुर की गलियों में घूमने का आरोप लगाया है। इन्होंने कब देखा और कौनसी गली में देखा माननीय सदस्या को? ये सदन में आती हैं। आपको घेरने का काम करती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको सारी बातें बतानी जरूरी हैं क्या? कहां घूमी, कहां नहीं घूमी। आपको क्या अधिकार है यह पूछने का?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो लाइन मैं कहूं इनके ऊपर- ऐसी कोई डाल जिस पर अगर कोई पंछी बैठा है या कोई छत पर पंछी बैठा है तो वह बिना बोले रह नहीं सकता और सदन में संसदीय कार्य मंत्री महोदय कोई भी पाइंट आए हमारे ऊपर तो बिना बोले रह ही नहीं सकते। इनको आदत पड़ गई है +++

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरी आलनपुर-बानसूर-नारायणपुर-प्रतापगढ़-धौलाताला, ये सड़क आप स्वीकृत कर दोगे तो मैं हाउस में धन्यवाद दूंगी। आज यह उलाहना दे रही हैं। इस सड़क के लिए हमने इतनी मेहनत की, 45 किलोमीटर और 78 करोड़ रुपए दिए। उसका काम भी शुरु हो गया और यह कहेंगी तो वहां जाकर इनको दिखा देंगे कि यह काम चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्टेट रोड फंड की बात अभी हाउस में आई। मैं यह कहूंगा कि इसमें अभी तक हमने 727 काम 2682 किलोमीटर और 1390 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत किए हैं। इसमें से 12 आरएसआरडीसी को दिए हैं जिनमें 841 किलोमीटर और पीपीपी के कार्य हैं

(श्री युनुस खान)

जिनकी बात हाउस में आई, लैंड अधिग्रहण के काम भी इसमें चल रहे हैं। यह बात सही है कि इसमें हमारे पास पैसा पड़ा है। इस वर्ष जो नोन पेचेबल रोड्स हैं, जो नई रोड्स बनाएंगे उसमें हम इस पैसे को खर्च करेंगे। मार्च के अंत तक सारे टैंडर्स हम इस स्टेट रोड फंड के कर देंगे। मैं सोचता हूं कि इस फंड में भी लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हैं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बजट कम हो गया। ये साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए हमारे एक्स्ट्रा हैं, प्लस हमारा जो स्वीकृत हो रखा है, जो पिछले बजट में हमने प्रोविजन कर रखा है, जो आगे देने हैं, पेमेंट करने हैं। एडीबी और वर्ल्ड बैंक का भी लगभग करीब-करीब मैं सोचता हूं कि पांच हजार करोड़ रुपया हमें और मिलेगा। यह लगभग आठ हजार करोड़ रुपए हमारे हाथ में और हैं, इस बजट के अलावा जिसको हम इन सड़कों पर खर्च करेंगे। मैं सोचता हूं कि उससे राजस्थान का विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरओबी, आरयूबी हमने लगभग आरओबी 35 स्वीकृत किए हैं जो राज्य योजनाओं में 27, केन्द्रीय सड़क निधि में 3, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5 और ये 1350 करोड़ रुपए के काम किए हैं। इनमें से लगभग सारे काम प्रगति पर हैं। कुछ कामों में, मतलब कुछ आरओबी में रेलवे की स्वीकृति अभी मिलनी है। इसी तरीके से आरयूबी में कुल 37 काम 78 करोड़, जिनमें 6 काम पूरे हो गए, 19 प्रगतिरत हैं और 12 के टैंडर प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार बिना धर्म के नहीं चल सकती। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी हर चीज पर जिस पर कांग्रेस के लोग, पूर्व मुख्य मंत्रीजी भी बार-बार आपत्ति करते हैं कि वसुन्धरा जी मंदिरों में बहुत जाती हैं, धार्मिक स्थलों पर बहुत जाती हैं। कभी वह दरगाह भी जाती हैं तो उस पर भी उनको आपत्ति रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म को महत्व देता है और अपने-अपने धर्म को सब लोग मानते हैं। हमारी मुख्य मंत्री तो धर्मपरायण हैं। धर्म के प्रति समर्पित हैं। ये आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि इन चार वर्षों में हमने धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 706 करोड़ और 515 किलोमीटर के 77 कार्य स्वीकृत किए हैं जिनमें से सबसे बड़ा काम ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का है जिसमें हमारे भरतपुर, धौलपुर, करौली इधर के लोग और बहुत सारे लोग जयपुर के भी जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैदल यात्रा होती है। 2014 में जब उसकी हालत देखी तो

(श्री युनुस खान)

मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया कि अपने को यह काम हाथ में लेना चाहिए। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 236 करोड़ रुपए दिए। आज ब्रज चौरासी कोस में चाहे तलहटी का काम हो, चाहे वह सतकोसी परिक्रमा का काम हो, चाहे वह ब्रज चौरासी का काम हो, जो तलहटी है, उस पर हमारे यात्री पैदल घूमते हैं। वह लगभग 400 मीटर है। सतकोसी परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की है, वह लगभग 1200 मीटर की है, जो चौरासी कोस परिक्रमा है, उसमें से 82 किलोमीटर राजस्थान पड़ता है। मुझे कहते हुए खुशी है कि उन तीनों क्षेत्र का काम आज की तारीख में चल रहा है और 15 अगस्त तक इस काम को हम पूरा करके राजस्थान के उन धर्मप्रिय लोगों को तोहफा देंगे जिनको बरसों से यह उम्मीद थी। मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धर्म का हम पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मैं सारी चीजों को नहीं गाकर अभी गिर्राज की परिक्रमा की मैंने बात कर दी। आदिनाथ मंदिर, कुम्भराज हो, अंता में नियाना बिनोलिया का मंदिर हो, सुमेरगंज-कमलेश्वर महादेव हो और इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं। चाहे किशनगढ़ का सलेमाबाद हो, कैला देवी का मंदिर हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, मोरपा माता मंदिर, बड़ी खाटू, छोटी खाटू, बाबा रामदेव और कुचेरा का सुषमा माता मंदिर, तत्कालेश्वर महादेव मंदिर। इस तरीके से इन 77, चाहे चूरू का फागूसर-सरदारशहर-आमोसर सड़क पर बालाजी मेला मंदिर हो। किसी भी जिले का हम लें। उन मंदिरों का काम भी हम शीघ्र पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी गौरव पथ जिस तरीके से ग्रामीण गौरव पथ है, उसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल में भी शहरी गौरव पथ बनाया था और अभी यूडीएच डिपार्टमेंट का पैसा है, लेकिन ये काम पीडब्ल्यूडी को दिया गया। 180 नगर निकायों में 84 कार्य पूर्ण कर, 88 कार्य प्रगति पर हैं, 8 कार्य की यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम चल रहा है और 292 किलोमीटर, 448 करोड़ रुपए हम शहरों के गौरव पथ के लिए खर्च करेंगे। चाहे शहर हों, चाहे गांव हों, उन सबको सड़क से जोड़ने का काम, गौरव पथ बनाने का काम हम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम ने भी पिछले भवन निर्माण में 4252 करोड़ रुपए के 507 काम, उनमें से 1793 करोड़ रुपए खर्च करके 351 काम पूरे कर दिए।

(श्री युनुस खान)

बीओटी की सड़कें जो मैंने आपको कहा कि 7190 करोड़ की, उसमें से 27 काम पूरे करके 904 किलोमीटर सड़क निर्माण करके 1871 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

आरओबी, आरयूबी 647 करोड़ रुपए की, 9 आरओबी, 1 एलिवेटेड रोड, 1 ब्रिज, 13 आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक, इनका काम भी प्रगति पर है। हमारा आरएसआरडीसी भी आज की तारीख में अपनी गुणवत्ता के लिए, काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मैं सोचता हूं कि प्रसिद्ध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से सेंट्रल रोड फण्ड हमें मिलता है। उसमें मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि 2000 में सीआरएफ का काम शुरु हुआ। 2001 और 2013-14 तक, अब तक राजस्थान में 787 काम और 2290 करोड़ रुपये, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इनको मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह तो 2001 से 2014 तक है, यानी 13 साल। 2014 से 2017 तक 81 काम और 2711 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। अब तक किसी की भी सरकार रही हो, इन कामों की स्वीकृति के साथ-साथ इन 87 कामों में अभी 318 किलोमीटर, सात कार्य पूर्ण भी हो गए, 79 प्रगति पर हैं, सात की निविदा चल रही है, इन पर 644 करोड़ रुपये खर्च होकर 303 किलोमीटर की प्रगति भी है। मैं सोचता हूं कि सीआरएफ में भी, जब हम दिल्ली जाते हैं तो केन्द्रीय मंत्रीजी कहते हैं कि राजस्थान को किसी भी सेक्टर में पैसा दे दो, राजस्थान उसका परिणाम देता है। आज इसी वजह से राजस्थान पूरे देश में सड़कों के तंत्र में, माडल स्टेट बना है। सबसे ज्यादा काम करने वाला प्रदेश, प्रतिदिन निर्माण करने वाला हमारा प्रदेश बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसकी चर्चा कर मैंने आपको निवेदन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव की सड़क बन जाए, ढाणियों की सड़क बन जाए, राज्य राजमार्ग बन जाए तो नेशनल हाईवे भी बनना चाहिए। नेशनल हाईवे की हिस्ट्री यह है कि अगर हम आंकड़ों में जाएं तो 2008 तक राजस्थान में 5 हजार 677 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। जब माननीया वसुंधरा जी का यह कार्यकाल शुरु हुआ उस समय तक, यानी पिछली गवर्नमेंट में जब माननीय सी.पी. जोशी जी केन्द्र में मंत्री थे, उस समय 1633 किलोमीटर इन पांच वर्षों में, क्योंकि वह इसी प्रदेश से आते थे, उन्होंने भी प्रयास किया, हम यह नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के राज में काम ही नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन 1633 किलोमीटर का काम हुआ उसके अगैन्स्ट मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वह हमारे प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने काम किया, उसके

(श्री युनुस खान)

लिए धन्यवाद। लेकिन आप यह देखिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के और हमारे इन सब साथियों की मांग पर और सांसदों की अनुशंसा पर राजस्थान में 5 हजार 128 किलोमीटर सड़कों का, जिसमें से 1961 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, 4 हजार 22 किलोमीटर इन प्रिंसिपल एप्रूवल हो गए। इस वर्ष लगभग इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 के बाद हमारे यहां पर रिन्युअल, मूल, ईपीसी, एनएचएआई के, विश्व बैंक के, सब जोड़कर मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में इन चार सालों में 8 हजार 535 किलोमीटर, पहले से बने हुए थे उनको चौड़ा करने का काम, रिन्युअल करने का काम, कोई टू लेन थी तो फोर लेन, फोर लेन थी तो सिक्स लेन, इस तरीके से इन 240 कामों के पेटे, मैं भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को, केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान को बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर 53 हजार, 262 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं, जो आज तक की हिस्ट्री में, अभी तक नहीं हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस हाउस के माध्यम से, मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उसमें से अब तक हम 20 हजार 848 करोड़ रुपये राजस्थान में इन चार सालों में खर्च करके 5 हजार 526 किलोमीटर का काम पूर्ण कर चुके हैं। अभी 31 मार्च तक, अभी इस महीने में लगभग 12 काम, 1126 किलोमीटर और इस वर्ष 12 हजार 885 किलोमीटर का काम हमारा और स्वीकृत हो गया। इन आबंटित कामों का भी अब कार्यादेश होना बाकी है। (व्यवधान) गोमती अब की बार है, आपके कहने पर लिया था उसमें थोड़ा-सा उनके साथ जो काम कर रही है, उस कम्पनी के साथ विवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इनमें से बहुत सारे कामों की, कुछ कामों की चर्चा भी करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सड़कें आई हैं उनमें विशेष रूप से अगर हम देखें तो एक सड़क, झालावाड और कोटा दर्रा की सड़क थी उस पर लगभग 2700 करोड रुपये खर्च हुए। यह सड़क हमारे प्रदेश के लिए, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, यह वास्तव में वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी थी। सुप्रीम कोर्ट के और दुनिया भर के, इसमें एनओसी चाहिए थी फोरेस्ट की और लैंड देनी थी, तो यह काम पांच साल के अन्दर कोई भी सरकार, पहले हम 2003 से 2008 रहे

(श्री युनुस खान)

हमने भी प्रयास किए क्योंकि यह मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र का है, हम कामयाब नहीं हुए। 2008 से 2013 में दोनो मंत्री हाड़ौती से रहे, उन्होंने भी खूब प्रयास किया, वह भी कामयाब नहीं हुए। अब मुझे इस हाउस में कहते हुए खुशी है कि यह 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट, हमने चार-पांच हिस्से करके आज कोटा से दर्रा है वह 621 करोड़ का 34 किलोमीटर का काम लगभग 70 परसेंट हो गया। उसके बाद दर्रा में 7 किलोमीटर हम कमप्लीट कर चुके। धरा के बाद हाऊ नदी से लेकर, अमजार नदी से हाऊ तक हो, हाऊ से लेकर चाहे वह गंगानगर मोटर्स तक हो, गंगानगर मोटर्स से लेकर झालावाड़ तक हो, झालावाड़ से लेकर झालरापाटन तक, इसमें लगभग 2700 करोड़ खर्च होकर यह काम पूरा होगा। उसकी स्वीकृति भी मिल गई। वर्क आर्डर भी हो गया। अभी 13 दिसम्बर, माननीय मंत्रीजी स्वयं बारां आए थे, उसका शिलान्यास भी कर दिया, हमको राजस्थान में एक बड़ा तोहफा मिला।

एक दूसरी समस्या थी बर-बिलाड़ा-जोधपुर, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि से वह काम भी स्वीकृत हो गया, उसके लिए भी हम मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने मुझे भी धन्यवाद दिया कि आप नितिन गडकरी जी को कह दो कि हमने खूब प्रयास किए पिछली गवर्नमेंट में, हम नहीं कर पाए, बजट में भी हमने घोषणाएं कीं, हम नहीं कर पाए, लेकिन अब यह सरकार यह बना रही है उसके लिए उन्होंने भी धन्यवाद दिया। इसी तरह से जयपुर की रिंग रोड थी उसमें भी बहुत बड़ी...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्यों नहीं कर पाए यह तो सदन को बता दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बार-बार क्या बताएं। यह डूडी साहब की तो नोलेज में है सारा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की रिंग रोड भी बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान भी, मैं माननीय गडकरी जी को कहूंगा, अगर वह इंटरवीन नहीं करते, वह लीड नहीं करते तो आज उसका समाधान नहीं होता। मुझे कहते हुए खुशी है कि जयपुर रिंग रोड का काम शुरु हो गया। यह काम भी समय से, उस कम्पनी ने और माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि हम छह महीने पहले पूरा कर देंगे। जयपुर को यह बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा।

इसी तरीके से 1200 करोड़ रुपये की लागत से, जोधपुर का रिंग रोड है वह भी स्वीकृत हो गया। हमारा सालासर से नागौर का रोड़ भी स्वीकृत हो

(श्री युनुस खान)

गया। बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं, उनके लिए तो मैं माननीय मंत्रीजी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें आज जो स्वीकृतियां मिली हैं, उनके लिए भी मैं हाउस को जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि एक सड़क उदयपुर, झाड़ौल इडर, हमारे गृह मंत्रीजी बार-बार इस पर जोर देते हैं, मुझे आज आपके माध्यम से उनको भी इन्फोर्म करते हुए खुशी है। इसके लिए 756 करोड़ 12 लाख की स्वीकृति मिल गई, टैंडर का काम प्रोसेस हो गया।

सवाईमाधोपुर से शिवपुल, हमारे माननीय संसदीय सचिव कहते रहते हैं, उसके लिए भी 43 किलोमीटर और 187 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से हमें मिल गई है।

राजगढ़ हरियाणा, माननीय न्यागली साहब ने इसकी चर्चा की थी यह कब बनेगा। उसके भी 163 करोड़ रुपये की हमें स्वीकृति मिल गई है।

उसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि बालोतरा से सांडेराव, उसकी भी 129 करोड़ की हमें स्वीकृति मिल गई है।

फतेहपुर से झुन्झुनूं, झुन्झुनूं से जो सदस्य हैं, वह आज नहीं आए। यह बात सही है कि एकमात्र जिला झुन्झुनूं ऐसा था जो नेशनल हाईवे से वंचित था। पिछली सरकार में प्रक्रिया शुरु हुई, लेकिन दोनों ही सरकारें चली गईं तो वह पूरी नहीं हो पाई उसको हमने टेकअप किया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि फतेहपुर से झुन्झुनूं के लिए भी 27 किलोमीटर के लिए बाईपास रोड करके, बाईपास का लगभग 250 करोड़ अलग है, 116 करोड़ रुपये की हमें स्वीकृति मिल गई।

अभी नागौर से आने वाले और खींवसर से आने वाले, दोनों सदस्यों ने बात कही एल सी 64 की।

मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारा जो एल.सी.-64, एन.एच.-65 पर उसके लिये भी 30 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति भी मिल गई, उसका टैण्डर भी हो गया और शीघ्र हम उसका काम भी शुरू कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा फतहनगर, उदयपुर की भी हमें आर.ओ.बी. की सैंक्शन मिल गई। इसमें कुल मिलाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम लेते हुए 281 किलोमीटर और 3 आर.ओ.बी., 1724 करोड़ की राजस्थान को स्वीकृति मिल गई है। विशेष रूप से, हमारे दो एलिवेटेड रोड, एक उदयपुर था, उसका टैण्डर हो गया। एक हमारा बीकानेर का एलिवेटेड रोड, उसमें अंतिम, क्योंकि उसमें बार-बार संशोधन हुए हैं, वह बीकानेर वाला एलिवेटेड रोड भी अंतिम स्वीकृति में गया हुआ है क्योंकि उसमें तीसरी बार संशोधन हुआ है।

(श्री युनुस खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से राजस्थान के अन्दर, चाहे एन.एच. हो, चाहे एन.एच.ए.आई. हो, हमें भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मंत्रीजी, इस एलिवेटेड रोड के बारे में कुछ निर्णय पक्का हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ 'हां' या 'ना' कह दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सौ फीसदी हो गया है। राज्य सरकार ने कंसेंट दे दी है। उसकी स्वीकृति इसी महीने में जारी करवा देंगे।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): कब से शुरु हो जाएगा यह?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसी महीने स्वीकृति हो गई, फिर टैण्डर लगेंगे, शुरु हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा भवन रख-रखाव का काम भी पी.डबल्यू.डी. करती है। इसमें हमें 5656 काम 5535 करोड़ की लागत से मिले। इन 5656 में से 3125 काम हमने पूरे कर दिये और 2844 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। जिसमें विशेष रूप से स्वामी विवेकानन्द, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान में जो मोडल स्कूल्स बनाये, वे वास्तव में अनुकरणीय हैं। उनमें भी 71 स्थानों पर काम चल रहा है। काफी जगह पूरा भी हो गया। इसी तरीके से आई.टी.आई. की 39 बिल्डिंग्स, राजकीय महाविद्यालयों के भवन का निर्माण, तहसील, उपखण्ड, पुलिस थाने, न्यायालय और सरकारी आवास, सरकारी भवन, इन सब का जो मैंने जिक्र किया, वह काम हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सड़क बना देते हैं। सड़क टूट भी जाती है, वापस भी बन जाती है लेकिन इसमें एक दु:खद पहलू है, वह यह है कि इन सड़कों पर जो वाहन चलते हैं, वह लापरवाही की वजह से, अज्ञानता की वजह से और बहुत सारी बार अनजाने में भी बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाती हैं।

एक घटना अभी सवाईमाधोपुर में हुई। एक साथ इतने लोग मरे। पूरे प्रदेश को दु:ख है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके परिवारजनों के साथ-साथ में उनके जो प्रियजन हैं उनको भी तकलीफ होती है। वह है रोड सेफ्टी। इस रोड सेफ्टी पर मैं पूरे हाउस से भी निवेदन करना चाहूंगा। यहां सारे जन प्रतिनिधि बैठे हैं। राज्य सरकार पिछले चार साल से पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर दिन कोई न

(श्री युनुस खान)
कोई बच्चा 18 साल का हो करके वयस्क हो जाता है। उसको घर वाले मोटर साइकिल दिला देते हैं। अगर पैसे वाले हैं, तो कार दिला देते हैं। उसका लाइसेंस भी 18 साल का होने पर बन जाता है। उसके बाद में यह जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे मौतें बहुत होती हैं। यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। मैं सब माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा सहयोग करें। जो जहां-जहां, चाहे वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, सातों सम्भागों में हमने सात एन.जी.ओ. लगाकर 9891 ग्राम पंचायतों तक जाने का कार्यक्रम चालू कर रखा है। हमारे वे एन.जी.ओज. भी शायद आपसे गांवों में सम्पर्क करते हैं। आप उसमें जाइये। उसके अलावा आपकी पंचायतों में अवेयरनेस करिये। उसके अलावा आप स्कूल्स में जब भी जाएं तो आप एक लाइन रोड सेफ्टी की जरूर बोलें। हमारे गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई, वह भी काम कर रही है। हमने स्टेट लेवल की कमेटी भी बनाई, वह भी काम कर रही है। सड़क सुरक्षा एक दिन का काम नहीं है। यह तो रोज का काम है। कई बार अखबारों में छपता है कि सरकार इतने प्रयास करती है। उसके बाद में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोग मरते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि उसमें मीडिया का सहयोग भी बहुत जरूरी है। जन प्रतिनिधियों का, जनता का और सब लोगों का सहयोग, जरूरी है। अगर हम आंकड़ों पर जायें तो हमारे प्रयास में ऐसा नहीं है कि हमने चार साल प्रयास नहीं किये, पर सफलता नहीं मिली। मैं 2004 से 2008 तक भी परिवहन का मंत्री था। उस समय भी हमने कोशिश की। लेकिन आंकड़ों में जो मौतें थीं, वह हमेशा बढ़कर ही आती थीं। दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ कर आती थी। इन चार सालों में उस मैथड को चेंज किया। हम जनता में गये। जगह-जगह स्कूलों के माध्यम से, एन.जी.ओज. के माध्यम से यह काम शुरु किया। 2015 में 24072 दुर्घटनाएं हुईं। उसमें 26153 लोग घायल हुए और 10510 लोग मरे तो 2014 के बनिस्पत 221 लोग ज्यादा मरे। फिर हमने ज्यादा प्रयास किया। सदन को बताते हुए, यह कोई वैसे खुशी वाली बात नहीं है लेकिन कम मौतें हुईं तो संतुष्टि की बात है। लेकिन संतुष्ट हम अभी भी नहीं हैं। इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2016 में 23066 और 2017 में 22111, अर्थात् हर वर्ष घायलों की संख्या में कमी हुई। मरने वालों की संख्या 2016 में 45 कम हुई, 2017 में 2016 के अगेंस्ट

(श्री युनुस खान)

में 21 कम हुईं। जो दुर्घटनाएं हैं वह भी 1006 कम हुईं, 995 कम हुईं। इस तरीके से यह कम-बेशी का काम तो ऊपर वाला भी थोड़ी मदद करता है, जब होती है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। मंत्रिमण्डल समूह ने जो राय दी, उसमें भी हमने काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर भी, मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने जो ग्रुप आफ मिनिस्टर्स है, उसका चेयरमैन बनाया। हमने काफी सुझाव दिये। एक हमारा अमेंडेड बिल वहां भी है। अभी राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि एक राजस्थान प्रदेश ही इतने राज्यों में ऐसा प्रदेश था, जिसने गत वर्षों की तुलना में हर चीज को रिड्यूस किया, चाहे मौतें हों, चाहे दुर्घटनाएं हों, चाहे घायलों की संख्या हो। तो अंतराष्ट्रीय स्तर का अवार्ड माननीय मंत्रीजी ने दिया, वह राजस्थान को मिला। उसके लिये तो मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग चाहता हूं।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो गया। मैं तो यह कहूंगा कि हम हर महीने 115 गांवों को नया जोड़ना, 360 किलोमीटर नवीनीकरण करते हैं, 436 किलोमीटर नई सड़कें बना देते हैं। 300 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब चूंकि अभी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने भी शेर बोला तो मैं भी थोड़ा-सा बोलूं, कि 'मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है'।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि मिसिंग लिंक और रेवेन्यू विलेज देंगे या नहीं देंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, दे देंगे। आप दे देना, दे देंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बहुत कम समय में, और ये लोग कहें तो मैं बैठ भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा

(श्री युनुस खान)

कि यह जो हमारा एस.आर.एफ. का पैसा है, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें बजट में दिया है। उसके भी हमने कुछ निर्णय कर लिये हैं। जो काम हम करेंगे। ए.डी.बी. से इस वर्ष जो हमें लोन मिल रहा है, जिसकी लगभग स्वीकृतियां हो गई हैं, और हमारे को प्राप्त हो गया है। उसमें जोधपुर-पाली, जोधपुर-सोजत सड़क पर 230 करोड़ रुपये हम खर्च करके यह स्वीकृति जारी करेंगे।

सिवाना-समदड़ी, हमारे सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य पिछले चार वर्षों से कह रहे हैं तो एक 'इन्नअल्लाह महासाबरिन', यह अरबी का है, 'इन्नअल्लाह महासाबरिन', यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, ईश्वर है। इन्होंने चार साल तक सब्र रखा इसलिये आज यह जो सिवाना-समदड़ी-बालेश्वर सड़क है, इसके लिये, 90 किलोमीटर के लिये 320 करोड़ रुपये हम स्वीकृत करते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोसल-सालासर-रतनगढ़, इसके लिये 183 करोड़ रुपये। ब्यावर-मसूदा-गोयला सड़क, इसके लिये 115 करोड़ रुपये। अरई-सरवर सड़क 83 करोड़ रुपये। ब्यावर-पीसांगन-टहला-कोट-अलनियावास सड़क, 99 करोड़ 37 लाख। जो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा मिल रहा है, उससे हम बनाड़-भोपालगढ़-कुचेरा, यह सड़क 318 करोड़ रुपये। भावी-पीपाड़-खींवसर, आपका खींवसर भी है, उस पर 176 करोड़ रुपये। जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन-जोजावर, यह आप बारबार कहते हो, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य यह बार-बार कहते हैं कि यह सड़क अगर स्वीकृत हो जाएगी तो मैं पिछली बार से डबल वोटों से जीतकर आऊंगा। उसका इंतजाम भी हो गया है। हम 17 जगह जरूर हारे हैं लेकिन अब ये इतने हौसले के साथ, आप चिन्ता मत करो, फिर वापस आएंगे। ये गर्दन हिला रहे हैं। तो यह बनाड़, जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन, 431 करोड़ रुपये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक खूड़-दातांरामगढ़-रेनवाल, यह सड़क बहुत टूटी हुई है, इसके लिये 77 करोड़ रुपये। एक हमारी पालड़ी-मकराना-खाटू-परबतसर-बिदियाद, जो हमारे परबतसर और मकराना से आने वाले दोनों सदस्य बार-बार कहते हैं, इसके लिये सौ करोड़ रुपये।

भीलवाड़ा में हुरड़ा-बनेड़ा सड़क-137 करोड़ रुपये और एक, मुख्य मंत्रीजी अभी झुन्झुनूं गयी थीं, उन्होंने घोषणा की थी मावण्डा से निजामपुर

(श्री युनुस खान)

सड़क के लिए 65 करोड़ रुपये। आज हमारे खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य चले गये।

कोटा, अभी गेंता-माखिजा तो हमने बना दिया, हमारे पीपल्दा से आने वाले मानीय सदस्य यह कह रहे थे कि यह चालीस साल से मांग थी। यह बात सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गेंता-माखिजा का जो पुल है, जो चम्बल पर बन रहा है वह 120 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है और उसको हम समय से पहले पूरा कर देंगे और उसकी जो एप्रोच रोड है उसके लिए, आज आपने मांग की, गेंता-ईटावा के लिए, उसके लिए 20 करोड़ रुपये।

एक, हमारे बारां से आने वाले माननीय सदस्य, अंता से आने वाले माननीय सदस्य, जो मेरे पड़ौसी भी हैं, उनके यहां एक कुण्ड-मियादा-कोयला-गोविंदपुरा-अटरू सड़क, इसके लिए 9 करोड़ 32 लाख रुपये।

धौलपुर से मनिया-मरेना, मनिया-मरेना ऐसा नहीं है जहां पर वह टूटी हुई है, अभी दौरे पर जब हम गये तो वह टूटी हुई थी, उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 करोड़ 12 लाख रुपये। सीकर-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना सड़क जो डीडवाना के दयालपुरा तक बन गयी, सीकर जिले में बाकी थी, उसकी भी 26 करोड़ 68 लाख रुपये।

एक, हमारे डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उनके लिए भी डेगाना से खाटू, 22 करोड़ रुपये। एक हमारे मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि मेरी यह सड़क करो तो वह मेड़ता-मोररा-बग्गड़, वह सड़क जो है उसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ 22 लाख रुपये।

एक, उनियारा-बिजौलिया वाया लाखेरी, पिछली बार हमने बिजौलिया और बूंदी की तो कर दी थी लेकिन एक पोर्शन जो खराब था उसके लिए भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 47 करोड़ रुपये और दूसरा आपका खातौली से कैथूदा, जो बार-बार हाउस में यह कहते हैं उसके लिए भी, 40 करोड़ रुपये। झालरापाटन-किशनपुरीया-गागरोल के लिए 25 करोड़, चवली हिम्मतगढ़-धरोलिया चौकी के लिए 44 करोड़, अभी कीर की चौकी की और भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य भी विराज रहे हैं, यह जो कल्याणपुर तक सड़क थी, इसके हिस्से में भी जो रह गया, उसके लिए 17 करोड़ रुपये।

शाहपुरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट मंत्रीजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा कैलकुलेटर लेकर जुड़वा लेना कि आज जो डिमांड पारित कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा नहीं चला जाए, मतलब, बस थोड़ा-सा इतना ही ध्यान रखना। डिमांड में ही रखना है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यस, सर। यस, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इससे पहले हाउस में जो घोषणाएं की हैं, दो कार्यों के अलावा सब स्वीकृत करके, वर्क-आर्डर, टेंडर करके, वर्क आर्डर कर दिये और आज मैं हाउस में कहकर जा रहा हूं कि जब हमारा छह महीने बाद यह हाउस होगा, उस समय मैं यह टेबल करूंगा, एक-एक काम हम स्वीकृत करेंगे क्योंकि मैंने यह कहा कि 3 हजार करोड़ रुपये हम ए.डी.बी. से ले रहे हैं, 3 हजार करोड़ वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं और 3200 करोड़ रुपये एस.आर.एफ. में पड़े हैं जिसका जिक्र मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किया इसलिए हमारे पास जो अवेलेबल राशि है, उसका मैं ही चेयर करता हूं, सर, बोर्ड को, इसी महीने करूंगा। माननीय सदस्यों से और चर्चा करके उसको जारी करूंगा इसलिए आप चिन्ता नहीं करो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह पांच करोड़ रुपया बीकानेर के लिए जो सैंक्शन किया था, उसके बारे में कुछ बोलो न। आपने सब जगह के लिए बोला पर उस पांच करोड़ के लिए, जो आपने वहां पर सैंक्शन किये थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी आ रहा हूं, सर, मैं आपके। विराजो। शाहपुरा-नीमकाथाना-खेतड़ी-चिडावा-पिलानी-राजगढ़, इसका-139, 12 करोड़ रुपये। सवाईमाधोपुर में एक हिस्सा रह गया था। हमारे गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य शायद यहां पर नहीं हैं, बार-बार वह कहते हैं, गंगापुर-नादोती सड़क का हिस्सा रह गया था, उसके लिए 16 करोड़ रुपये। सिकन्दरा से गंगापुर- 22 करोड़ रुपये। राजगढ़-बांदीकुई-सिकन्दरा- 15 करोड़ रुपये। फालना-रानी-नाडोल- 2 करोड़ 49 लाख रुपये, गंगधार से गुराडियाझाला छोटी काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज- 20 करोड़ रुपये। ज्ञानपुरा से सीकर वाया राजनोता-रघुनाथपुरा- 25 करोड़। यह बात आज आपने सही कही थी और उसके अलावा बेंगू-रावतभाटा- 15 करोड़ रुपये।

सेवद से बिंज्यासी सड़क माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टूटी हुई है,

(श्री युनुस खान)

उसके लिए भी 4 करोड़ 80 लाख रुपये। अजमेर-अराई-लाम्बा हरिसिंह-मालपुरा, इसके लिए 10 करोड़। नरसाना से डूंगरी-10 करोड़ और इस तरीके से यह 494 करोड़ रुपये की सड़कें हम करेंगे।

इसी तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने भी झुन्झुनूं-मण्ड्रेला के लिए 22 करोड़ रुपये ....(व्यवधान).

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब तो आपको विश्वास हुआ न कि हमारे मंत्रीजी में कितनी ताकत है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो मंत्रीजी से एक तो शहर में 500 मीटर सड़क मांगी थी, अभी तक तो नाम लिया नहीं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सर, आ रहे हैं, बैठो तो सही। बैठो साहब, आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और एक किसानों की समस्या बतायें कि जबरन जमीन ले रहे हैं, वह बात बोली नहीं, मैं क्या मानूं बताओ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उन्होंने कहा कि सहृदयता से किसानों की मदद करेंगे, इतना बोल दिया, आपने सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो, अब बहस मत करो, सर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं से मण्ड्रेला-22 करोड़, फतेहपुर-मण्डावर-झुन्झुनूं-मलसीसर, इसके लिए 4 करोड़ 20 लाख, गुढ़ाचंवरा-चौफुल्या नेवरी मोड चंवरा कैम्प सड़क- 34 करोड़ 31 लाख। यह जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जन संवाद में गयी थीं तो विभिन्न माननीय कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इसकी मांग रखी थी, इसके लिए 34 करोड़ 31 लाख रुपये, झुन्झुनूं से बिसाऊ- 20 करोड़ रुपये, नवलगढ़-गुढ़ा से मणकसास मंडावरा सड़क- 25 करोड़, जाखेदा बाईपास 2 करोड़ 5 लाख, अलवर शहर में कालीमोरी फाटक पर आर.यू.बी. निर्माण- 3 करोड़, आपका भी ले लिया हमने।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि इधर आकर मांग नहीं कर सकते और वह सर्वोच्च कुर्सी पर विराजते हैं, पूरे सदन का मतलब, हमारा संचालन भी करते हैं इसलिए जो हमारे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं लेकिन हमारे विधान सभा के माननीय अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में भी यह- फुलियागेट, रायपुरा, सांगरिया,

(श्री युनुस खान)

रूपपुरा, रहड़-भीमपुरा, सरेरी, लोठियास से सादास, सादास से डाग, अकबरपुरा, निम्बाहेड़ा, बेसकलाई, सरदारनगर, रतवालों का खेड़ा, यह इस तरीके से, बेसकलाई और कानपुरिया, ये हमारे पास आये थे, इनके लिए 10 करोड़ 01 लाख रुपये और 36 किलोमीटर की नई स्वीकृतियां हम जारी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क के लिए जो हमारे पड़ौसी हैं, इनकी बार-बार यह मांग रहती है कि मेरा गांव है, वह राष्ट्रीय राजधानी है पूरे देश की, वहीं पर जाते हैं, आधे मंत्रीजी वहीं रहते हैं तो उनियारा-पलाई-दूनी आवां- 8 किलोमीटर- 15 करोड़ 81 लाख रुपये, इसके साथ सिरोली मोड़ से दूनी तक की भी 3 किलोमीटर और है, जो आज हमने जोड़ दी, 5 करोड़ 25 लाख रुपये और एक चूरू में, चूरू शहर की अग्रसेन कॉलोनी में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण- 12 करोड़ 50 लाख रुपये, बौंली-निवाई सड़क, 12 करोड़ 71 लाख रुपये टोंक में, जो माननीय सदस्य ने रखी थी, वह पहले मैंने दो घोषणा कर दी, एक और है और एक टोंक-कोटा-नैनवां- 7 करोड़ 12 लाख और एक एलसी-सी/79, जो खुनखुना में है आर.यू.बी., उसके लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपये, उदयपुरिया से मुंदरू वाया खेजरोली सड़क, यह 3 करोड़ 50 लाख रुपये, प्रागपुरा से पांचुडाला-12 करोड़ रुपये, जयपुर से नकचीघाटी- दौसा सड़क 2 करोड़ और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर, इनमें जो अभी अतिवृष्टि हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारी पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गयीं और सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रस्ताव दे रखे हैं। मैंने उनकी कुल लागत लगायी तो लगभग 100 करोड़ रुपये हैं, जिसमें आपका भी है, आपका भी है, सब माननीय सदस्यों का है। उसके लिए हम अलग से इन सबके अलावा, 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं और आई.जी.एन.पी. सड़कों का जिक्र जैसलमेर से, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने किया जो 476 किलोमीटर थी, उसके लिए अभी हम हाल फिलहाल-100 करोड़ रुपये दे रहे हैं। सड़कों का चयन हम इनसे चर्चा करके कर देंगे तो आई.जी.एन.पी. की जो हमने सड़कें ली थीं, आई.जी.एन.पी., जो इंदिरा गांधी नहर बनी थी, उसके पास-पास जो सड़कें बनीं तो जब 2014 में मुख्य मंत्रीजी गयी थीं तो उस समय घोषणा की थी कि यह पी.डब्ल्यू.डी. को दे देंगे। इस वर्ष इसके लिए हम 100 करोड़ रुपये लेंगे और इस काम को भी पूरा करेंगे।

नदबई-हलैना 5 करोड़ और लोसल का बाईपास निर्माण, लोसल में

(श्री युनुस खान)

बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लगभग 11 करोड़ रुपये; दूधवा-कातिया-रूलयाना सड़क, यह 8 करोड़ 97 लाख, सीकर-धोद-लोसल सड़क- 7 करोड़ 65 लाख; ऑसिया से सिंगरावट से धोद- 6.00 करोड़, बीलवाड़ी से ढोढसर सड़क- यह 17 करोड़ 55 लाख।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे जयपुर जिले के शाहपुरा से, दो शाहपुरा हैं, एक शाहपुरा के जो माननीय सदस्य हैं, वह हमारे अध्यक्ष हैं और दूसरे शाहपुरा के जो माननीय सदस्य हैं, वह हमारे उपाध्यक्ष हैं इसलिए दोनों इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी से ढोढसर तक 32.70 किलोमीटर सड़क- 17 करोड़ 55 लाख रुपये; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनोहरपुर से इटावा भोपजी-28 किलोमीटर- 17 करोड़ रुपये और उसके बाद में महुवाड़ा से सर्सिया सड़क- एक करोड़ 64 लाख, सराड़ी से गिंगला- 2 करोड़ 80 लाख; रूपनगढ़-भडून- 2 करोड़; बाड़ा पदमपुरा से खाजलपुरा- 4 करोड़ 81 लाख; कुन्दनपुर घानाहेड़ा-लक्ष्मीपुरा- 11 करोड़ 37 लाख और उसके बाद में कुन्दनपुर घानाहेडा-लक्ष्मीपुरा-अमृतकुआं पनवाड़- 4 करोड़ 38 लाख रुपये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया सीकर जिले का बाकी है, क्योंकि नागौर जिले में यह टू लेन हो गयी चाहे वह धनकोली साइड से आने वाली सड़क हो, चाहे हमारे डीडवाना के दयालपुरा साइड से हो। नागौर जिले में हो गयी, यह सड़क रह गयी थी, इन दोनों सड़कों के लिये सीकर-बिज्यांसी-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना-पुष्कर सड़क जो है, जो पुष्कर जायेगी, क्योंकि हमारे आकोदा तक यह सड़क बन गयी, इसके लिये नागौर जिले में, जैसा मैंने कहा कि यह इधर बन गयी, बीच में भी बन गयी, उधर का हिस्सा रह गया जो सीकर का है तो मैंने सीकर का घोषित कर दिया। अब जो उधर का हिस्सा है, जिसमें हमारे मकराना और परबतसर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों का एरिया क्रोस करेगा और उसमें 45 करोड़ और दूसरे में 51 करोड़; गुडा-जालौर सड़क का 16 करोड़ और लाडनूं जैन विश्वभारती में 10 करोड़; सुजानगढ़-गोपालपुरा-बीदासर के लिये 20 करोड़; प्रतापगढ़-अरनोद के लिये 70 करोड़; हनुमानगढ़ से अमरपुर थेडी सड़क के लिये 5 करोड़, सुन्दरी कोला घाटी वाया सगडिया सड़क के लिये 10 करोड़ 38 लाख; भदेसर-लस्दावन सड़क 11 करोड़ 20 लाख, जस्सा खेड़ा से दूधालेश्वर 19 करोड़; कोटड़ा से देवता चौराहा 6 करोड़; करावाड़ा से वाया गन्धवा नीलकंठ रास्ता पाल गुजरात सीमा तक, यह डूंगरपुर की सड़कें हैं।

(श्री युनुस खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है, यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इन लोगों ने मुझे 16 सड़कें दी थीं तो इन सब 16 सड़कों की स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यह जो डूंगरपुर की है डूंगरपुर से वाया घूंघरा, तीजवड मोड़ से वाया माण्डवा, तलोरा से पचलासा, आंतरी से ओबरी वाया घाटा का गांव भैमई तक, सीमलवाड़ा मैन सड़क से वाया गलन्दर मेवाड़ा सड़क तक, चाडोली से वाया भादर और पारडाथूर से रामगढ़ तक।

इसके अलावा भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में आने के बाद में हमारे माननीय सदस्य, जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, टीएसपी एरिया से आते हैं, चाहे वह डूंगरपुर के हों, बांसवाड़ा के हों, प्रतापगढ़ के हों, उन्होंने अपनी मांग बतायी हैं। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य की एक सड़क है पलाया से सिबड़िया, उसकी तीन किलोमीटर है, डेढ़ करोड़ रुपये, हमने स्वीकृत किये हैं। इसके अलावा हमारे पीपलखूंट की भी अभी मुझे मिली है। इन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये मांगे हैं। इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी-सी सही नहीं है, खाली पीपलखूंट ही पढ़ा जा रहा है। यह जो माननीय सदस्य ने दी है, उसके लिये हम 3 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से दी है। छोटीउंदरी से खरदिया, लम्बाई 9 किलोमीटर, इसके लिये हम 3 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य देवेन्द्र कटारा जी ने दी है कालीमाथा-मालमाथा, यह डचकी से डमनिया और पीथापुर से सीमलपुर, आपने यह जो सड़कें बतायी हैं, यह भी हम कर रहे हैं।

हमारे आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से यह कहा है कि आसपुर से कनोडिया-देवला पुल की घोषणा करें, तो यह पुल भी हम बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा से आने वाली माननीय सदस्य अनिता जी ने यह पादरडी छोटी से गुआसा, गडावासन से सरोदा, ओबरी से अडपालिया, नयागांव से कल्याणपुर, यह भी करेंगे। इनकी एक दूसरी पुलिया और है, जो मोरडी भैंरूजी माइआ नाला, पुल निर्माण का कार्य 3 करोड़ का, यह भी करेंगे।

(श्री युनुस खान)

हमारे मावली से आने वाले विधायक जी ने भी एक काम दिया है 4 किलोमीटर सड़क, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होंगे, यह भी हम दे रहे हैं।

बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सब-मर्सिबल ब्रिज, लम्बाई 19 मीटर, 321 लाख रुपये, वह भी हम दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से जितने प्रस्ताव आज मिले हैं, इससे पहले 17 सड़कें दीं। यह हम दोनों जिलों की पूरी स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक पुलिया के लिये निवेदन किया है डचकी से पीपलादा। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह आगे आ गया। आप पूछ लेना। मेरा भाषण पूरा होने के बाद आप पूछ लेना। बैठो तो सही। आप क्यों उतावले हो रहे हो, बैठो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे इन 33 के 33 जिलों में जो सड़कें हमने स्वीकृत कर दीं, उसमें बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक और उदयपुर, इन जिलों के लिये, क्योंकि चार जिलों की हमने पहले जारी कर दी थीं, इन जिलों के लिये भी जो प्रस्ताव आये हैं, वह प्रस्ताव जिनकी मैंने अभी घोषणा की है 14,100 किलोमीटर में से, इसमें से अभी 12,019 किलोमीटर इन जिलों के बच गये, उसके लिये 1974 करोड़ रुपये की आज मैं और घोषणा कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके भी प्रस्ताव हम स्वीकृत कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, यह प्रस्ताव कहां से आ रहे हैं? हम 37 लोगों से तो एक भी प्रस्ताव लिया नहीं आपने। यह आ कहां से रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि टीम राजस्थान 200 विधायकों से है, तो 200 विधायकों से है तो यह प्रस्ताव आ कहां से रहे हैं? हम 37 से तो कोई प्रस्ताव नहीं लिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह नोन-पेचेबल रोड्स हैं और मैंने अभी मेरे भाषण में, जब क्षतिग्रस्त सड़कों की चर्चा

(श्री युनुस खान)

कर रहा था तब यह कहा था कि आपके यहां भी भिजवा देंगे, आप इसको वेरीफाई कर देना। अभी हमने आधे जिले किये हैं, आधे जिले अभी बाकी हैं। अगले दो दिन में हम करेंगे, तब आपको बुलाकर दिखा देंगे, क्योंकि जब हमने यह घोषणा ही कर दी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2022 तक करवा देंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2022 तक करवा देंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम हाउस में यह पूरी घोषणा कर चुके, मुख्य मंत्रीजी भी कर चुकीं कि हम एक भी क्षतिग्रस्त सड़क को नहीं छोड़ेंगे तो फिर लक्ष्मणगढ़ की क्यों छोड़ेंगे? खींवसर की क्यों छोड़ेंगे? (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्टेट हाईवे है जो मेरे यहां से चलता है और माननीय भैरोंसिंह जी के गांव तक जाता है। वह सात किलोमीटर कच्चा है, चार साल से वह मिला नहीं। शायद वह मंत्रीजी को याद नहीं रहा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ों के जो राठौड़ हैं, उनकी कुल देवी है नागाणा ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने पूछ लिया तो बताना ही पड़ेगा राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़, बाबू सिंह जी राठौड़, शैतान सिंह जी राठौड़ और राठौड़ों के राठौड़ हैं मदन सिंह जी राठौड़, इन सबने यह कहा है कि कल्याणपुर के अन्तर्गत ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इन चारों राठौड़ों ने ही एप्रूव कर दिया कि मदन राठौड़ ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं कौन होता हूं करने वाला, इन्होंने सबसे ऊपर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) आपसे करायेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कौन होता हूं करने वाला। राठौड़ हैं तो हुक्म आप भी जानते हो। इसके लिये आया है कि इसकी 12 किलोमीटर लम्बाई है और इसको सात मीटर

(श्री युनुस खान)

करने की मांग है, नागाणा मंदिर में जो आपकी कुल देवी है, उस काम को भी हम करेंगे।

गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक आर.ओ.बी. का काम है, जो 20 करोड़ 80 लाख से बनेगा। उस काम को भी हम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में अरनिया-माली सड़क, गंभीरी नदी पर पुल 3 करोड़ 75 लाख, सिंगडी-हनुमानजी नदी पर 3 करोड़ 75 लाख और शीतलाघाट पुलिया निर्माण के काम भी हम पूरे करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे सुराज संकल्प में मुख्य मंत्रीजी की यह घोषणा थी हुडला जी के संसदीय क्षेत्र में साढ़े 4 किलोमीटर के बाईपास का निर्माण, उसका भी काम हम हाथ में लेंगे।

सुजानगढ़ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ चुंगी नाका से हेमासर, लुहारा से चटला, भासीणा से गेडाब और बाघसरा पूर्व से एन.एच., यह भी हम ले रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे मामन जी माननीय सदस्य, जो तिजारा से आते हैं, गोठड़ा ग्राम और अलसीसर रादोडी की, यह बात सही है कि जब मैं दौरे पर गया था और मैंने घोषणा की थी, पर उसको हम पूरा नहीं कर पाये, तो आज मैं हाउस में कह रहा हूं कि हम इसको पूरा करेंगे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर रोड वाया डुकोसी गोगालाव की चर्चा भी यहां आयी। अजमेर, बीकानेर की चर्चा भी खींवसर से और नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने की। यह दोनों हमारी जो सड़क हैं, वह कंसेसनर जो था, वह फेल हो गया तो निश्चित रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार हाथ में लेकर, उस काम को भी हम पूरा करने का काम करेंगे।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य निर्मलजी ने चौमूं चौराहे से दांतारामगढ़, नरियासर मोड़ से आदरदा की सड़क दी हैं।

इसके अलावा जो हमारे गौ-पालन मंत्रीजी हैं, उनके जावाल कैलाशपुर नगर से चौड़ाई करने का काम भी दिया है 21 किलोमीटर का, ये भी हम करेंगे।

संसदीय सचिव जितेन्द्रजी गोठवाल के क्षेत्र में भगतवाड़ झौपड़ा और रेवतपुरा मानपुर ढाणी, ये छोटे काम हैं, इनको भी हम पूरा करेंगे।

(श्री युनुस खान)

शंकर सिंह राजपुरोहितजी ने सांडेराव मुकरसर एमडीआर के नवीनीकरण का दिया है, वह भी हम पूरा करेंगे।

अभी टोड़ाभीम से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी मेहर साहब नहीं हैं। उन्होंने आज मुझे कहा कि उनके खुद के गांव की सड़क है, वह है लहावद से कुंजेला, वह भी चार किलोमीटर की है, हम पूरा करेंगे।

मकराना में जैसा मैंने कहा कि सी-41 का आरओबी है बोरावड़ में, उसके अलावा मामड़ोली, आंट के बालाजी पावर हाउस, गांगवा, आकोदा, लाड़पुर, खरवालिया, आकोदा से चांडी, चिनालिया, देवला, ये जो परबतसर क्षेत्र की गिंगालिया, हरनावा, रानीबाईजी, गूलर, बखरी, ये सालासर-पुष्कर का जो शेष हिस्सा है, जिसके लिए मैंने यह कहा है कि उस पर सौ करोड़ रुपये खर्च होगा, उसके ये गांव हैं, उनको भी हम ले रहे हैं।

बस्सी से बवाल माताजी और हुलड़ानी से बोडूठू लेन, यह भी पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ौस में बैठे हैं, उनका तो सबसे लास्ट में लूंगा। (व्यवधान) काका, आपका जिला आया था, आपने सुना नहीं। जिला आया था। आपने कुछ भी लिखकर दिया नहीं। आपने कहा कि मेरा बेटा लिखकर देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाबला, चूरू रेलवे अण्डरब्रिज, ओवरब्रिज चूरू, आसलू, दुबारा आ गया, क्या हो गया यह, राठौड़ साहब? वह रोड बना देंगे। (व्यवधान) बहुत कर दी इनके तो।

इसके अलावा बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने, अभी पचपदरा गये थे तो पचपदरा से पाटौदी, इसको डबल करवाने का इन्होंने कहा है, इसको भी हम डबल करेंगे।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के और मेरे गुरु एक ही हैं। गुरुजी ने कहा है और इनके क्षेत्र में पड़ता है। चूंकि ये मेरे बड़े गुरु भाई हैं तो इनकी अनुमति से आपके माध्यम से डूडवा-पानरलावा, जिसके लिए माननीय गुरुजी ने कहा, यह भी पांच किलोमीटर की सड़क है, जो दी है हमारे को, इसको भी हम पूरी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इनके ही क्षेत्र एक दूसरी है पूंदनी से मंगलूना, लक्ष्मणगढ़ में है, वह भी हम पूरी करेंगे।

सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की मोईसद्दा और सूरजगढ़, उपाध्यक्ष महोदय, अब आप यह मत कहना कि कांग्रेस वालों ने दी और हमने नहीं की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे गुरुजी प्रधानाध्यापकजी बसन्तजी थे, ...(व्यवधान) एक मिनट, ऐसे क्या कर रहे हो? मछली बाजार बना रहे हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पालड़ी से पोसानी वाया पोसानी, जोगियों का बास देखिए, बसन्तजी गुरुजी आपके पास आये थे और हमने भी निवेदन किया था। प्रधानाध्यापक आपके भी थे तो मेरे भी थे। उनको आपने हां भी भरी थी, आज घोषणा नहीं कर रहे हो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय हो रहा है, नहीं तो मैं चुटकला सुनाता। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी शांति रखो। गुरुजी बसन्तजी की भी इसमें शामिल है। गुरुजी की जो तीनों सड़कें हैं, हम तीनों ही स्वीकृत करके दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जो दिया है, वह आ रहा है इसमें। बजरंगबाड़ी से करणी माता मंदिर तक भी हम पुलिया का निर्माण करेंगे।

इसके अलावा आरओबी एप्रोच लाइन सी-176 हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर, यह है सीआरएफ में 40 करोड़ का। एक दूसरा हनुमानगढ़-सूरतगढ़ पर एप्रोच लाइन सी-179 पर, यह भी 40 करोड़ का, और एक आरयूबी डाबली-लाचन-हनुमानगढ़-पीलीबंगा रेलवे सैक्शन पर, एक वाइडनिंग एण्ड स्ट्रेंथनिंग हनुमानगढ़ टाउन-टू, अमरपुरा-खैरी रोड, भदरवाल की माता मन्दिर, यह भी पांच करोड़ और कंस्ट्रक्शन आफ आरयूबी लेवल प्रोसेसिंग का काम भी हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे पास ब्यावर शहर के लिए... (व्यवधान) नहीं, नहीं, जो भी देगा, नहीं होगी साहब, नहीं तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह देंगे कि आपके खाता बही में पैसा ही नहीं है तो कहां से दोगे। हम पूरा हिसाब लगाकर ही दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं ब्यावर वाली ही ढूंढ रहा हूं, आप ही की ढूंढ़ रहा हूं। एक छोटी-सी पर्ची है।

इसके अलावा खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खरनाल का तो बता दो मंत्रीजी। इधर देखो। तेजाजी महाराज को तो मत भूलो। आप वहां पर कई बार जाकर आये हो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे तेजाजी महाराज लोक देवता हैं और मुख्य मंत्रीजी बार-बार, खरनाल की जो सड़क है, उसका प्रस्ताव हमारे पास आया है। उसको भी हम पूरा करेंगे। एक नेगड़िया पुल का प्रस्ताव भी आया है, उसको भी करेंगे।

शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एनएच 125 से 52 मील के बीच बाबा रामदेव मन्दिर निम्बाड़ी, मोकन सिंह का जो बताया है, मेरे ख्याल से यह 12 या 13 किलोमीटर है, वह भी हम पूरा करेंगे।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): मंत्रीजी, आपकी घोषणा थी न, नेगड़िया रोड की, 19 करोड़ की?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कर दिया मैंने, कर दिया। आपका नेगड़िया पुल कर दिया।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपा करके आप लोग अपने-अपने स्थान पर विराज जाएं। अगर सदन की अनुमति है तो मैं इसको दो घंटे के लिए एडजोर्न कर दूं? 12 बजे अपन वापस आ जायेंगे, तब तक आपको जो पर्चियां देनी हैं, आप एक-दूसरे को दे दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना अविश्वास है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों में, और हमने पांच सौ मीटर शहर लक्ष्मणगढ़ में मांगी थी, अभी भी शांति से बैठे हैं विश्वास करके। आप ऐसे टूट रहे हो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ शहर में जो गौरव पथ का शेष हिस्सा है बड़ के बालाजी से मोदी कालेज तक, वह भी हम पूरा करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नवलगढ़ रोड की पुलिया चौड़ा करने की बात थी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ रहा हूं सर। पन्ने लास्ट में लिखे हैं, अब आ रहा है।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, झुन्झुनूं रोड पर सीकर के अन्दर नवलगढ़ की पुलिया है, बार-बार मांग करते हैं, चूंकि उसकी कितनी कोस्ट है, क्या औपचारिकता है। मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि उस पुलिया को हम डबल करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खींवसर का क्या हुआ?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): खींवसर का बोल दिया आपका। खरनाल मन्दिर से जहां भी आपने मांगी है, दे देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मतलब नहीं करेंगे? अबकी बार भी नहीं होने दोगे न पक्का? अबकी बार भी रुकवा दोगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करेंगे, पक्का करेंगे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर, कोटड़ा से दिवाता, ब्यावर शहर के लिए, यह आपके ब्यावर शहर का है, करेंगे।

इसके अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो लास्ट में मिलीं, जेवलियावास, भाड़ासर, चिरनियावाद, खरेसानियां, दुदोली, गिरधारीपुरा, छापरी, भगतपुरा, इन सड़कों के भी जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबने शांति से सुना...

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, जो जबरन जमीन ले रहे हैं सिंगोदड़ा में किसानों की, क्या उसकी जांच करायेंगे, यह नहीं बोला आपने। बिना अधिग्रहण के किसान की जमीन पर रोड बना रही है, वह कम्पनी ले रही है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोल दिया मैंने। करा देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, मानासर फाटक का तो बता दो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्षजी, मेरा स्टेट हाईवे भूल गये। कच्चा है स्टेट हाईवे, उसको भूल गये मंत्रीजी, खानियावास।

एक माननीय सदस्य: मंत्री महोदय, जन सहभागिता की सड़कें ... (व्यवधान)

(22.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप सारी मांगें इनसे हां करवा लें, आसन अगर पारित नहीं कराये तो आप क्या करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके सम्मुख असहाय हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सबको निवेदन कर रहा हूं, वरना आसन बाध्य होगा जितनी पर्चियां दी गयी हैं, मंत्रीजी खड़े रह गये हैं क्या, एक भी स्वीकार नहीं होगी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब बस मैं कनक्लूड कर देता हूं।

(श्री युनुस खान)

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे को उठाया उसकी जांच करवाकर...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मानासर, मानासर। नागौर में मानासर फाटक का तो बता दो मंत्रीजी, मानासर फाटक के पुल का।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी मानासर फाटक सी-61, सी-64 दोनों स्वीकृतियां ...(व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): रायसिंहनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री महोदय, सहभागिता की योजना में क्या दिक्कत है? सहभागिता में तो करा न। सहभागिता में तो हम आधा पैसा दे रहे हैं। (व्यवधान) आपने सहभागिता का बोला ही नहीं। सांवलिया मन्दिर मण्डल से आधा पैसा राज्य सरकार को दे रहे हैं, साहब, उसमें क्या दिक्कत है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांवलिया जी मन्दिर मण्डल से जो सहभागिता के प्रस्ताव मिले हैं उसमें आधा पैसा तो वो देंगे, आधा पैसा राज्य सरकार देगी।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): सर, मेरी वो दो पुलिया हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, आकोली बाईपास। (व्यवधान) पांच किलोमीटर का एक आकोला बाईपास है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सात किलोमीटर जो हमारे विराटनगर विधायक हैं, विधायक विराटनगर के क्षेत्र में एन.एच. 8 से जो खाचरियावास वाली सड़क है, उस सात किलोमीटर को हम पूरा करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आकोला का बाईपास भी कर दें तो अच्छा रहेगा। (व्यवधान) पांच किलोमीटर का ही है, ज्यादा नहीं है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मंत्री महोदय, मेरी दो पुलिया हैं। आपने कहा था ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबने जो शांति से सुना, उसके लिए तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में मैं बोला हूं, कोई भी माननीय सदस्य किसी भी दल से आता हो, किसी भी विधान सभा क्षेत्र से आता हो

(श्री युनुस खान)

क्योंकि वो राजस्थान के अन्दर ही सड़क बनेगी इसलिए जो प्रस्ताव आयेंगे, हमारे पास अभी भी बजट की उपलब्धता है, पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो प्रस्ताव इसके अलावा भी आयेंगे उन पर हम विचार करके उनकी स्वीकृतियां जारी करेंगे।

जितने माननीय सदस्य बैठें हैं उनसे मैं एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि बार-बार यह आता है कि आपके पास समय कम है, समय कम है। यह बात सही है कि कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो पांच वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और वर्तमान सरकार का ...(व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास, मंत्रीजी के पास में खूब समय है। एक मेरी पर्ची दी हुई है, उसको थोड़ा देखें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी कोई प्रस्ताव आयेंगे, चाहे वो मिसिंग लिंक के हैं, चाहे गौरव पथ के हैं, चाहे क्षतिग्रस्त सड़कों के हैं, हम उनकी स्वीकृतियां जारी करेंगे और सब माननीय सदस्यों से चर्चा करके करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज सुबह मैंने दोनों मांगों पर जो राशि स्वीकृति के लिए रखी थी मैं उनकी स्वीकृति हेतु आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय मंत्री महोदय, मेरे दो पुलिया थीं... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक विधायकों की अभिशंसा पर दोगे क्या? यह बता दो। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ओसियां-खींवसर, जो खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और हमारे लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, यह ओसियां-खींवसर जो लोहावट के सदस्य हैं, उन्होंने हमें दिया है, उसको भी हम पूरा करेंगे। (व्यवधान)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय मंत्री महोदय...

एक माननीय सदस्य: मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय, 15 किलोमीटर वाली बता दो। 15 किलोमीटर विधायकों की अभिशंसा पर दोगे, किसको दोगे? (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिशंसा करेंगे तो बिलकुल देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: पूरे सदन को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह इस सरकार के कार्यकाल की मांगों पर मेरी चर्चा का जवाब लास्ट है, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर, जैसा कि हमारी मुख्य मंत्री कहती हैं, टीम राजस्थान है और टीम राजस्थान में 200 विधायक, हमारे लोक सभा के 25 सांसद, 10 राज्य सभा के, सारे अधिकारी/कर्मचारी, सारी जनता मिलकर काम करती है, इसलिए यह टीम राजस्थान, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए, अग्रणी स्टेट बनाने के लिए काम करेगी और जो इनके प्रस्ताव आयेंगे, वो भी करेंगे।

एक बार पुन: मेरे सार्वजनिक निर्माण विभाग की टीम, जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और बेहतर परिणाम दिये, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा मेरी टीम का भी और मेरे सब साथियों का भी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा सहयोग और साथ दिया है और इन घोषणाओं को हम तब ही पूरा कर पायेंगे जब आपका सहयोग, साथ मिलेगा।

मेरा विभाग अच्छा काम करने का प्रयास करेगा, हम गुणवत्ता की सड़क देंगे, समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुन: सबको धन्यवाद देते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस मांग को पारित करवाएं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हबीब साहब से लिखवा लिया, कुछ दिया ही नहीं इनको। (व्यवधान) नहीं, आप धन्यवाद दे रहे थे न गैलेरी में। (व्यवधान)

व्यवस्था

किसी विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उसी समय उठाया जा सकता है जब वह विषय सदन में विचाराधीन हो

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मांगों के पारण से पहले एक अध्यक्षीय व्यवस्था है।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल 89 का हवाला देकर प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था चाही थी।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 के सम्बन्ध की प्रक्रियागत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य द्वारा दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को मंत्री महोदय द्वारा वापस लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उस समय नहीं की गई जिस समय मंत्री महोदय द्वारा विधेयक को वापस लिये जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था।

कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उस समय ही सदन में उठा सकता है जिस समय वो विषय सदन में विचारार्थ लिया जा रहा हो।

अतः श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,20,71,08,000/- (पन्द्रह अरब बीस करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 21 - सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,55,44,10,000/- (इकसठ अरब पचपन करोड़ चवालीस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.08 बजे बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सुल्तानवाला (पीलीबंगा) को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

189. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के चक आई.टी. (सुल्तानवाला) पेयजल की समस्या से ग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त चक के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, 3 टी (दौलतावाली) से ग्राम 1 टी (चक सुल्तानवाला) सहित कुल 4 ग्रामों में वर्तमान की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्रीय जल योजना में सम्मिलित 4 ग्रामों की वर्तमान कुल पेयजल मांग 136 किलोलीटर प्रतिदिन के विरूद्ध ग्राम दौलतांवाली स्थित हैडवर्क्स पर निर्मित स्लो-सैण्ड फिल्टर की वर्तमान क्षमता अनुरूप 115 किलोलीटर प्रतिदिन जल उत्पादन हो रहा है।

उक्तानुसार जल उत्पादन में कमी तथा ग्राम दौलतावाली से अंतिम छोर के ग्राम चक सुल्तानवाला तक बिछी हुई 75 मिलीमीटर व्यास की यू.पी.वी.सी. राइजिंग मुख्य पाइप लाइन पुरानी होने तथा इसकी जलवाहक क्षमता कम होने के कारण ग्राम चक सुल्तानवाला में वर्तमान में 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति हो रही है।

(2) जी हां। ग्राम चक सुल्तानवाला में उपरोक्तानुसार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है जो निर्धारित मानक मात्रा से कम है। उक्त क्षेत्रीय जल योजना की अभिकल्पन अवधि समाप्त हो जाने के कारण योजना का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। इस योजना के पुनर्गठन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु स्थानीय प्रशासन से ग्राम दौलतावाली में निर्मित विद्यमान हैडवर्क्स के समीप अतिरिक्त भूमि के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भूमि आबंटन सुनिश्चित होने के उपरान्त योजना के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इसकी स्वीकृति सम्भव होगी।

परिशिष्ट-'अ'

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना 3 टी (दौलतावाली) से लाभान्वित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जनसंख्या		वर्तमान जलसेवा स्तर (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
				वर्ष 2011	वर्तमान अनुमानित	
1	पीलीबंगा	दौलतावाली	1 टी (चक सुल्तानवाला)	450	504	20
2	पीलीबंगा	दौलतावाली	2 टी	62	69	40
3	पीलीबंगा	दौलतावाली	3 टी (दौलतावाली)	1757	1968	40
4	पीलीबंगा	दौलतावाली	2 एलबीएम (झुरियांवाला)	200	224	35

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी संस्कृति संरक्षण केन्द्र की स्थापना

194. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं एवं कार्यक्रम कब से संचालित किये जा रहे हैं? योजना व कार्यक्रमों के नामों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना व कार्यक्रमों के लिये वर्ष 2010 से 31 दिसम्बर, 2017 तक वर्षवार कितना-कितना बजट का प्रावधान किया गया व उसमें से कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला मुख्यालयों पर 'आदिवासी संस्कृति संरक्षण केन्द्र' की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के समस्त आदिवासियों की संस्कृति संरक्षण हेतु टीआरआई में कला एवं संस्कृति तथा जनजाति उत्सव के आयोजन एवं भागीदारी मद में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राशि प्राप्त होती है। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण हेतु पृथक से कोई योजना नहीं है।

(2) राज्य के समस्त आदिवासियों के संस्कृति संरक्षण हेतु कला एवं संस्कृति तथा जनजाति उत्सव आयोजन एवं भागीदारी मद में टीआरआई को वर्ष 2010 से अब तक 70.00 लाख में से 43.81 लाख रु. राशि व्यय की गई। शेष राशि शीघ्र व्यय कर ली जाएगी।

(3) जिला मुख्यालयों पर "आदिवासी संस्कृति संरक्षण केन्द्र" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋणों का वितरण

195. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गत चार वर्षों से ऋणी सदस्यों को अल्पकालीन ऋण वितरित किया जा रहा है? यदि हां, तो जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गत चार वर्षों में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कितने-कितने ऋणी एवं अऋणी तथा नये सदस्यों को कितना-कितना व कब-कब अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया? वर्ष व ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त किसान क्रेडिट कार्डधारी ऋणी सदस्यों को जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो किन-किन सदस्यों को कितनी-कितनी राशि का कब-कब अल्पकालीन ऋण दिया गया? वर्ष व ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त किसान क्रेडिट कार्डधारक ऋणी सदस्यों को 10.00 लाख रुपये तक की ऋण सीमा बढ़ाकर उनको भामाशाह को-ब्राण्डेड कार्ड जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के कितने-कितने सदस्यों को कब-कब, कितनी-कितनी संख्या में उक्त कार्ड वितरित किये गये? वर्ष व ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गत 04 वर्षों के दौरान अल्पकालीन ऋण वितरण का वर्षवार, ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। नये सदस्यों एवं अऋणी सदस्यों को ऋण वितरण की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक द्वारा प्रवर्तित एवं बैंक संचालक मण्डल द्वारा अंगीकृत अल्पकालीन फसली ऋण नीति के अनुसार जिन कृषकों ने अन्य वाणिज्यिक बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त किया है उन्हें अल्पकालीन फसली ऋण नहीं दिया जा सकता।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोडवेज कर्मियों के बकाया वेतन-भत्तों का भुगतान

196. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्तमान में घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रतिवर्ष कितना घाटा/लाभ हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रोडवेज कर्मियों को समय पर वेतन भत्ते के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) रोडवेज में वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों व वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का कितनी राशि का भुगतान बकाया है? भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार उनको अब कब तक बकाया का भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वित्तीय वर्ष 2003-04 से वर्षवार घाटे का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) घाटे का मुख्य कारण लागत में अत्यधिक वृद्धि तथा राजस्व में सापेक्ष रूप से वृद्धि नहीं होना है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) निगमकर्मियों को माह जनवरी, 2018 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। यह सही है कि निगमकर्मियों के वेतन भुगतान में कुछ माह विलम्ब हुआ जिसका प्रमुख कारण निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल नहीं होना है।

(4) निगम के कर्मचारियों के लगभग 777 करोड़ रु. के भुगतान बकाया हैं जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों के 300 करोड़ रु. सम्मिलित है। वर्तमान में निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की राशि का भुगतान बकाया नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं करने का प्रमुख कारण निगम का लगातार घाटे में रहना है। घाटे में रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "2" में संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

निगम की वित्तीय स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान किया जाना सम्भव हो पायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा शहर को पेयजल की आपूर्ति हेतु कार्ययोजना

197. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि "भादरा शहर जल प्रदाय योजना" को पेयजल आपूर्ति अमरसिंह सब ब्रांच सिस्टम से की जाती है? यदि हां, तो कितना क्यूसेक पानी वर्तमान में किस तरीके से लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर में नहर बंदी के समय एवं गर्मी के मौसम में भादरा शहर में पेयजल की समस्या हो जाती है।

(3) क्या सरकार भादरा शहर को निरन्तर पेयजल की आपूर्ति के लिए कोई अतिरिक्त नई योजना बनाकर सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली की रासलाना वितरिका से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित भादरा शहर को पेयजल आपूर्ति भाखड़ा नहर प्रणाली आधारित अमरसिंह सब ब्रांच सिस्टम से की जाती है। अमरसिंह सब ब्रांच की आर.डी. 81-82 से पाइप आउटलेट द्वारा विभागीय आयताकार खुली चैनल में 13.30 क्यूसेक रॉ-वाटर भादरा शहर हेतु दिया जा रहा है तथा इसका भण्डारण भादरा स्थित दो हैडवर्क्स पर निर्मित 6 डिग्गियों (कुल स्टोरेज क्षमता - 1,30,000 किलोलीटर) में किया जाता है।

अमरसिंह सब ब्रांच सामान्यतया 16 दिन चलती है तथा 16 दिन बन्द रहती है जिसके कारण भादरा शहर की वर्तमान कुल पेयजल मांग 4472 किलोलीटर प्रतिदिन के विरुद्ध 1508 किलोलीटर जल प्रतिदिन वर्तमान में उपलब्ध हो पाता है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार अमरसिंह सब ब्रांच 16 दिन बन्द रहने के कारण भादरा शहर की वर्तमान कुल पेयजल मांग की एक तिहाई मांग की पूर्ति प्रतिदिन हो पाती है। उक्त प्रणाली से भादरा शहर में वर्तमान में 34

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति हो रही है।

(3) जी हां। अमरसिंह सब ब्रांच से निर्धारित पेयजल मांग अनुरूप उक्तानुसार पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष जल मांग की पूर्ति हेतु सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली की रासलाना वितरिका को अतिरिक्त स्रोत के रूप लिया जाकर शहरी जल योजना, भादरा के पुनर्गठन हेतु राशि रुपये 53.18 करोड़ के बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में हैं। तकनीकी परीक्षण में सही पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

जयपुर की कच्ची बस्तियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की योजना

198. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कच्ची बस्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति जिसमें कच्ची बस्तियों के स्थान पर ही बहुमंजिला भवन बनाकर फ्लैट देना निर्धारित है, की नीति (2005-06, 2012, 2015) की पालना में किन-किन कच्ची बस्तियों में बहुमंजिला भवन बनाकर फ्लेट दिए गये? स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में ऐसी कितनी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं तथा उनमें वर्तमान में कितनी आबादी निवास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में किन-किन स्थानों पर कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं तथा उनमें कितने लोग निवास कर रहे हैं व सरकार द्वारा उनको कब तक पक्के आवास उपलब्ध कराने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्य की नगरीय निकायों में बसी कच्ची बस्तियों के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाकर फ्लैट देने की नीति (2005-06, 2012, 2015) की पालना में जिन कच्ची बस्तियों के लिये

(स्वायत्त शासन मंत्री)

योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं बहुमंजिला भवन बनाकर फ्लैट दिये जाने हैं, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राधिकरण एवं न्यास क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों को बहुमंजिला भवन बनाकर दिये जाने का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के सर्वे के आधार पर प्रदेश की नगरीय निकायों में कुल 1665 कच्ची बस्तियां थीं, जिसमें 175975 परिवार थे। राजीव आवास योजना के तहत वर्ष 2009 को कट आफ डेट मानते हुए 18 नगरीय निकायों में किये गये सर्वे के आधार पर कच्ची बस्तियों की संख्या 1347 थीं, जिनमें कुल 291583 परिवार निवास कर रहे थे एवं प्रदेश के प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में बसी हुई कच्ची बस्तियों एवं उनमें निवास कर रही आबादी का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जयपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार में बसी हुई कच्ची बस्तियों के निवासियों को पक्के मकान दिये जाने हेतु आबंटित एवं प्रगतिशील आवासों का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में बसी हुई कच्ची बस्तियों का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बसी हुई कच्ची बस्तियों हेतु आगामी वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पुर्नवास नीतियों के तहत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आवास बनाकर आबंटित किये जावेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम में पेंशनधारियों की पेंशन पुनः चालू करने की योजना

199. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भीम में पेंशनधारियों की पेंशन बन्द की गई है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पेंशनधारियों की पेशन किस-किस कारण से बंद की गई? संख्या सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में उक्त पेंशनधारियों की पेंशन बन्द की गई है? यदि हां, तो कितनो की? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(3) क्या सरकार वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में बंद की गयी पेंशनधारियों की पेंशन पुन: शुरु करने हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीम के उपखण्ड क्षेत्र भीम एवं देवगढ़ में क्रमश: 3936 एवं 168, कुल 4104 प्रकरणों में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की पेंशन को विभिन्न कारणों के आधार पर बन्द किए जाने के प्रकरण ध्यान में आये हैं।

विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 4104 पेंशनधारियों की पेंशन निम्न कारणों से बन्द की गई है:-

क्र.सं.	पेंशन बन्द करने का कारण	कुल संख्या
1	मृत्यु होने से	1618
2	दोहरी पेंशन स्वीकृत हो जाने से	1963
3	बाहर जाने के कारण	80
4	पुनर्विवाह के कारण	27
5	सरकारी सेवा के कारण	09
6	भौतिक सत्यापन के अभाव में	407
	कुल	**4104**

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीम में भौतिक सत्यापन के अभाव में उपखण्ड क्षेत्र भीम में 239 एवं देवगढ़ में 168 कुल 407 व्यक्तियों की पेंशन बन्द की गयी है।

(3) राज्य सरकार के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से स्वयं पेंशनर के स्तर से भी भौतिक सत्यापन करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पेंशनर के द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार स्वयं ई-मित्र पर सत्यापन कराने के बाद पेंशन पुन: प्रारम्भ करवाई जा सकती है।

हेमावास बांध (पाली) की नहरों में आउटलेट लगाने का कार्य

200. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जल संसाधन खण्ड पाली द्वारा R.W.S.R.P. योजना

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अन्तर्गत हेमावास बांध की नहरों के जीर्णोद्धार कार्य में आउटलेट लगाने का कार्य भी शामिल था? यदि हां, तो स्वीकृत तकमीने के अनुसार कितने आउटलेट लगाये जाने थे एवं कितने लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खंड पाली द्वारा उक्त कार्य को स्वीकृत तकमीने के अनुसार पूर्ण किये बिना ही पूर्ण बताते हुए भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार है एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत संशोधित तकमीने के अनुसार 125 आउटलेटों पर ए.पी.एम. लगाने के प्रावधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करवाया गया।

(2) जी नहीं। स्वीकृत तकमीने के अनुसार आउटलेट लगाने/मरम्मत का कार्य परियोजना के जल उपयोक्ता संगमों (WUA) के सभी अध्यक्षों के भारी विरोध के कारण नहीं किये जा सकने से इसका भुगतान भी नहीं किया गया एवं इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

जालौर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

201. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बने हुए हैं व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र दूसरे विभाग के भवनों में संचालित हो रहे हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम व भवनों की स्थिति सहित पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालोर के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं क्रमश: जालोर एवं सायला संचालित हैं। परियोजना जालौर में 81 आंगनबाड़ी केन्द्र,

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

परियोजना सायला में 297 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र जालौर के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में मिशन मोड योजना के अन्तर्गत 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं वर्ष 2016-17 में नरेगा कन्वर्जेसन योजना के अन्तर्गत 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी, जिनका कार्य प्रगतिरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा के खनिज लीजधारकों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

202. डा. बालूराम चौधरी (सहाड़ा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील रायपुर व सहाड़ा में वर्तमान में किस खनिज पदार्थ का खनन हो रहा है? तहसील व खनन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में खनन लीजधारकों के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लीजधारकों के पट्टे निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा में खनिज चुनाई पत्थर, मार्बल, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, मायका, कायनाइट, वर्मीक्यूलाइट एवं तहसील रायपुर में खनिज फेल्सपार, क्वार्टज, मायका, ग्रेनाइट का खनन होता है। तहसीलवार व खनन क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) एक शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर खनन पट्टा संख्या

(राज्य मंत्री, खान)

195/2007 निकट ग्राम चौकी का खेड़ा तहसील सहाडा के विरुद्ध अवैध खनन एवं निर्गमन के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जांच करने पर पाया कि उपरोक्त खनन पट्टा के आस-पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन कार्य किया गया। समय-समय पर जांच कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कुल 6 पंचनामे बनाये गये एवं शास्ति के रूप में रुपये 5,45,420/- वसूल किये गये। पट्टाधारी अवैध खनन में लिप्त नहीं पाया गया। अत: पट्टेधारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

झाडोल में संचालित आश्रम छात्रावास

203. श्री हीरा लाल दरांगी (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाडोल की पंचायत समिति झाडोल, फलासिया व कोटड़ा में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आश्रम छात्रावासों (बालक व बालिका) में वर्तमान में हॉस्टल वार्डन, रसोइया व अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों में प्रति बालक व बालिका को कितनी राशि व्यय की जाती है? क्या सरकार उक्त राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों में रहने वाले बालक-बालिकाओं को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं यथा आवास, भोजन, वस्त्र, अध्ययन व सुरक्षा व्यवस्था आदि में गुणात्मक सुधार लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाडोल (फ.) के तहत पंचायत समिति, झाडोल फलासिया व कोटड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न आश्रम छात्रावासों (बालक-बालिका) में होस्टल वार्डन, रसोईयां व अन्य कर्मचारियों के नियमित वेतनमान में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
वार्डन	17	14	3
कोच	6	0	6
चौकीदार	9	5	4
रसोइया	26	11	15
स्वीपर	**7**	**1**	**6**

विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(2) सरकार द्वारा बालक-बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर वार्डन व कोच के रिक्त पदों को भरने हेतु शिक्षा विभाग के कार्मिकों के नियमित वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित कर पद भरने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। हॉस्टल वार्डन व कोच के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 10-08-2017 को वाक-इन-इन्टरव्यू की विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 01-09-2017 को साक्षात्कार लेकर शिक्षा विभाग के कार्मिकों से पदों को भरने की कार्यवाही की गई। रिक्त पदो के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इस उद्देश्य से विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए छात्रावासों में विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार रसोइया, चौकीदार, च. श्रे. क. व सफाईकर्मी के कार्य को जॉब बेसिस पर सेवाओं की आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है।

(3) जनजाति छात्रावासों में सरकार द्वारा प्रतिछात्र प्रतिमाह 2000 रु. की दर से 10 माह हेतु राशि 20000 रु. व्यय की जाती है। बढ़ती हुई मंहगाई के अनुरूप समय-समय पर राशि में वृद्धि की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	**वर्ष**	**विद्‌यमान प्रति छात्र प्रतिमाह राशि**	**संशोधित प्रति छात्र प्रतिमाह राशि**
1	2014-15	1750	1900
2	2016-17	1900	2000

(4) वर्तमान में जनजाति छात्रावास में रहने वाले बालक-बालिकाओं को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं जैसे - आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। छात्रावास के छात्र/छात्राओं को गणवेश, जूते, मौजे, स्वेटर एवं अन्य शैक्षिक सामग्री हेतु एकमुश्त राशि रुपये 2600/- उनके बैंक खाते में सीधे जमा कराये जाते है। छात्रावास के छात्र/ छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु कठिन विषयों की विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त छात्रावासों में चौकीदार लगे हुए हैं। साथ ही समय-समय पर विभाग द्‌वारा समीक्षा की जाकर तद्‌नुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद की गौ-शालाओं का बकाया अनुदान

204. श्री गोरधन (धोद): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में वर्तमान में कितनी गौ-शालाएं संचालित हैं तथा उन्हें कितना सरकारी अनुदान दिया जा रहा है?

(2) क्या सरकार कम संख्या वाली गौ-शालाओं को भी अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त गौ-शालाओं में से किन-किन गौ-शालाओं का कौन-कौन से माह का अनुदान दिया जाना शेष है तथा बकाया अनुदान कब तक दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में कुल 52 पंजीकृत गौशालाएं हैं तथा इनमें से वर्ष 2017-18 में 27 पात्र गौशालाओं को राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत सहायता राशि दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत गौशाला

(डेयरी मंत्री)

में 200 या इससे अधिक गौवंश संधारित होने पर ही सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(3) वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र धोद की 19 पात्र गौशालाओं को सहायता राशि माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2017 में अधिकतम 90 दिवस की दी जा चुकी है। गौशालाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में गौशाला/कांजी हाउस को माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 में अधिकतम 90 दिवस हेतु सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। विधान सभा क्षेत्र धोद की 27 पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उक्त पात्र गौशालाओं को सहायता राशि स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पात्र गौशालाओं की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में जनजाति कल्याण की योजनाओं पर व्यय राशि

197. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बजट में जनजातियों के कल्याण के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया जाता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक उक्त जातियों के लिए किन-किन कार्य के लिए, कितनी-कितनी धनराशि का बजट प्रावधान किया गया और किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में जनजाति क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को उक्त जातियों के कल्याण के लिए शत-प्रतिशत व्यय किया गया है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के लिए धनराशि पूर्ण रूप से व्यय की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के बजट में जनजातियों के कल्याण के लिये अलग -अलग राशि का प्रावधान किया जाता है। आयोजना विभाग के परिपत्र अनुसार जनजाति उपयोजना मद 796 के तहत प्रावधित राशि को किसी अन्य मद में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है, अत: पूर्ण स्वीकृत राशि को जनजातियों के कल्याण हेतु व्यय किया जाता है। सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 से आदिनांक तक इन जातियों के लिए प्रावधान एवं व्यय वर्षवार निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2014-15	43722.97	40812.74
2015-16	53440.85	49273.77
2016-17	51723.24	47529.00
2017-18	54883.36	26880.00

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

मदवार आबंटन का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त वर्षों में प्रावधित राशि के विरुद्ध कम व्यय मुख्यत: भारत सरकार से राशि प्राप्ति में देरी तथा निर्माण कार्यों में भूमि चयन, निविदा इत्यादि प्रक्रिया में देरी के कारण रहा।

(2) जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रावधित धनराशि को जनजाति क्षेत्र के विकास एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में लाभान्वित किया जाता है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। विभाग द्वारा राशि का आबंटन पंचायत समितिवार नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाएं

198. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता देने की क्या-क्या योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम लिमिटेड जयपुर के माध्यम से कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को आय व रोजगार सृजन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण की नि:शुल्क व्यवस्था दी जाती हैं।

वर्तमान में जयपुर जिले में आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों व ट्रेड की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बांदीकुई के सड़क से वंचित गांव

199. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कौन-कौन से ग्राम किस-किस सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं व कौन-कौन से ग्राम सड़क मार्ग से वंचित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत डामर सड़क से जुड़े हुए गांवों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं सड़क से वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई नई सम्पर्क सड़क बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय की ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाने की योजना

200. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय की कुल ग्राम पंचायतों में से किन-किन ग्राम पंचायतों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया तथा किन-किन ग्राम पंचायतों में गौरव पथ नहीं बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण गौरव पथ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण गौरव पथ बनाने के मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल 55 ग्राम पंचायतों में से 33 स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं शेष 22 गौरव पथ से वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। वंचित ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण गौरव पथों के निर्माण कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर की सड़कों का पेच वर्क का कार्य

201. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आमेर में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 में कितनी लागत से किन-किन सड़कों का पेच वर्क का कार्य कराया गया तथा वर्ष 2018-19 में कितना कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक जिन-जिन सड़कों पर पेच वर्क कार्य करवाया गया है, उनका लागत सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 में बजट की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार पेच कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के निर्माण पर व्यय राशि

202. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2013 से जनवरी, 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी-कितनी राशि किन-किन राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के कहां से कहां तक निर्माण पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(राजस्थान), जयपुर के पत्रांक भा.रा.रा.प्रा./21011/2/2016-क्षे.का.ज./विस/3800 दिनांक 12.02.2018 प्राप्त जबाव परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (मोर्थ) द्वारा वर्ष 2013 में नागौर जिले के अन्तर्गत नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के निम्बीजोधा (लाडनूं)-डेगाना-मेड़ता सिटी खण्ड के दो लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण हेतु राशि रु. 368.15 करोड़ की स्वीकृति की गई थी। उक्त स्वीकृत राशि में से लम्बाई 128.100 किमी. के दो लेन मय पेव्ड शोल्डर निर्माण हेतु जनवरी 2018 तक रु. 330.02 करोड़ राशि खर्च की गई है। इस राजमार्ग पर विधान सभा क्षेत्र जायल में 16.800 किमी. लम्बाई सड़क का निर्माण हुआ है, जिसकी आनुपातिक लागत रु. 43.28 करोड़ राशि व्यय की गई है।

(2) इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में वर्ष 2013 से जनवरी 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नया 58) के सालासर-नागौर खण्ड में 2 लेन मय पेव्ड शोल्डर का कार्य स्वीकृत हुआ है। इसकी कुल परियोजना लागत रु. 532.43 करोड़ है। जायल विधान सभा क्षेत्र में आनुपातिक लागत रु. 195.88 करोड़ है। जनवरी 2018 तक जायल विधान सभा क्षेत्र में आनुपातिक 149.07 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

(3) मोर्थ द्वारा वर्ष 2015 में नागौर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर किमी. 118/0 से 127/800 व किमी. 141/0 से 150/400 (19.20 किमी.) राशि रु. 38.20 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस स्वीकृत राशि में रु. 27.85 करोड़ राशि व्यय कर 19.20 किमी. लम्बाई में दो लेन पेव्ड शोल्डर कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। उक्त में जायल विधान सभा क्षेत्र में 16.20 किमी. लम्बाई किमी. 121/0 से 127/800 व किमी. 141/0 से 150/400 आती है, जिसका आनुपातिक व्यय रु. 23.49 करोड़ होता है।

(4) इसी प्रकार मोर्थ द्वारा नागौर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के अजमेर-नागौर सैक्शन किमी. 0/0 से 161/0 (वास्तविक लम्बाई 148.25 किमी.) हेतु पीपीपी (एन.एच.) योजना में कुल परियोजना लागत 425.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें अब तक 112.25 किमी. लम्बाई में निर्माण किया जाकर राशि रु. 252.69 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इसमें जायल विधान सभा क्षेत्र में किमी. 121/647 से 124/647 (3.00

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किमी.) लम्बी सड़क का भाग आता है, जिसका आनुपातिक व्यय रु. 6.75 करोड़ होता है।

(5) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में वर्ष 2013 से जनवरी, 2018 तक पी.पी.पी. योजना में 2 राज्य राजमार्गों जिनकी लम्बाई 61.90 किमी. है, के निर्माण हेतु आनुपातिक रूप से रु. 211.61 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी है, जिस पर अब तक कुल रु. 21.50 करोड़ व्यय हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले की ढाणियों में पेयजल का स्थाई समाधान

203. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले की कौन-कौनसी ढाणियों में पेयजल के कोई स्रोत नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ढाणियों में पेयजल का स्थाई समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार जैसलमेर जिले में कुल 3084 चिन्हित ढाणियां सम्मिलित हैं। इनमें से 1686 ढाणियां भू-जल आधारित जल स्रोत एवं 163 ढाणियां सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इस प्रकार जिले की 1849 ढाणियां पेयजल से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

जिले की शेष 1235 ढाणियां विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जुड़ी हुई नहीं हैं तथा इन ढाणियों में निजी जल स्रोत/ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित टांकों तथा पेयजल की आवश्यकता एवं मांग अनुसार टैंकरों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। विभागीय पेयजल योजनाओं से वंचित इन ढाणियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जैसलमेर जिले में कुल सम्मिलित 3084 ढाणियों में से 163 ढाणियां सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जिले की शेष 2921 ढाणियों में से 2730 ढाणियों की पेयजल मांग दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं क्रमश: बाड़मेर लिफ्ट कैनाल एवं पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना में सम्मिलित है। इन दोनों परियोजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इन परियोजनाओं से उक्त ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु सर्वेक्षण उपरान्त फिजिबिलिटी के आधार पर अलग से योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी पर विचार किया जायेगा।

उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त जिले की शेष 191 ढाणियों एवं 65 ग्रामों को 105 आर.डी. आधारित छत्रेल-म्याजलार पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 445.36 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। सक्षम स्तर पर तकनीकी परीक्षण में योजना के सही पाये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इसकी स्वीकृति पर विचार सम्भव होगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सोजत के गांवों में पेयजल की आपूर्ति

204. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध पेयजल योजना के तहत पाली जिले के कई गांवों में S.L.R., G.L.R. व पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो किस कम्पनी के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में उक्त योजना के तहत उक्त कम्पनी के द्वारा कौन-कौनसे गांवों में क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कंपनी द्वारा करवाये गये पेयजल संबंधित कार्य पूर्ण हो गये? यदि हां, तो संबंधित कार्यों की देखरेख व मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है व कब तक रहेगी तथा पेयजल बिल का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा।

(4) क्या यह सही है कि कम्पनी द्वारा किये गये पेयजल कार्यों के बाद भी संबंधित गावों को समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सतही जल स्रोत जवाई बांध से पाली जिले के 9 शहर/कस्बों तथा 561 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुल 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई। इन स्वीकृतियों में आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन मैन, फिल्टर हाउस, पम्प हाउस, रॉ-वाटर एवं स्वच्छ जलाशय इत्यादि तथा क्लस्टर वितरण पैकेजों के अन्तर्गत वितरण पाइप लाइनें, भू-तल एवं उच्च जलाशय, पी.एस.पी. (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट), सी.डब्ल्यू.टी. (कैटल वाटर ट्रफ) इत्यादि का प्रावधान सम्मिलित है।

उक्त स्वीकृत परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न पैकेजों के कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न अनुबंधक फर्मों को जारी किये गये कार्यादेश तथा इन कार्यादेशों के तहत अब तक पूर्ण की गई एवं प्रगतिरत परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जवाई बांध आधारित उक्त वर्णित पेयजल परियोजनाओं अन्तर्गत जवाई क्लस्टर परियोजना-प्रथम में विधान सभा क्षेत्र सोजत के 26 ग्राम (परियोजना में कुल 111 ग्राम) तथा जवाई क्लस्टर परियोजना-तृतीय में विधान सभा क्षेत्र सोजत के 8 ग्राम (परियोजना में कुल 133 ग्राम) सम्मिलित हैं। इस प्रकार उक्त दोनों परियोजनाओं में सम्मिलित कुल 244 ग्रामों में से 34 ग्राम विधान सभा क्षेत्र सोजत के हैं।

उक्त क्लस्टर परियोजनाओं में से जवाई क्लस्टर परियोजना-प्रथम के कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधक फर्म मैसर्स एल एण्ड टी, चैन्नई को दिनांक 22.08.2012 को राशि रुपये 142.00 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। इस परियोजना को पूर्ण किया जाकर उक्त 26 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

अनुबंधक फर्म एल एण्ड टी द्वारा इस परियोजना अन्तर्गत उक्त 26 ग्रामों में पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जवाई क्लस्टर परियोजना-तृतीय के कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधक फर्म मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 04.10.2013 को राशि रुपये 315.50 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया एवं परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार। अनुबंधक फर्म मैसर्स एल एण्ड टी,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चैन्नई द्वारा जवाई क्लस्टर परियोजना-प्रथम के कार्यों को दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को पूर्ण किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना का संचालन एवं संधारण का कार्य अनुबंधक फर्म को 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 23 नवम्बर, 2025 तक करना है।

उक्त 10 वर्ष की संचालन एवं संधारण अवधि में अनुबंधक फर्म को 3 वर्ष की अवधि तक ग्रामों में कराये गये कार्यों यथा पी.एस.पी., सी.डब्ल्यू.टी., वितरण पाइप लाइन का रख-रखाव भी करना है। इसके पश्चात् इन कार्यों के रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ग्रामों की ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति रहेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत जारी किये जा रहे पेयजल बिलों का भुगतान संबंधित ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाना प्रावधित है।

(4) जी नहीं। अनुबंधक फर्म मैसर्स एल एण्ड टी, चैन्नई द्वारा पूर्ण की गई जवाई क्लस्टर परियोजना-प्रथम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये समस्त 26 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अत: अनुबंधक फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही वर्तमान में अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर से डेयरियों को शिफ्ट करने की योजना

205. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डेयरियों को जयपुर शहर से बाहर शिफ्ट करने हेतु न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देश दिये हुए हैं? यदि हां, तो किस न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्देश सरकार को दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में अवैध रूप से चल रही निजी डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) वर्तमान में शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरियों पर सरकार द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा रहा है और किस प्रकार के जुर्माने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार जयपुर शहर में आवारा पशुओं (सांड) से हो रहे जान-माल

(श्री निर्मल कुमावत)

के नुकसान से निजात दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेयरियों को जयपुर शहर से बाहर शिफ्ट करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 4783/2003 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 में बिन्दु संख्या 23 (पृष्ठ संख्या 13) पर इस हेतु आदेश दिये हुए हैं। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 की छांयाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 से प्रस्तावित योजना अन्तर्गत नगर निगम जयपुर द्वारा पशु डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित डेयरी योजनाओं में भूमि आबंटन हेतु वर्ष 2004 में सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवा दी गई थी। तदुपरान्त अवैध रूप से संचालित पशु डेयरियों को हटाया जा रहा है, जो सतत् कार्यवाही है।

(3) नगर निगम जयपुर द्वारा वर्तमान में शहर में संचालित अवैध पशु डेयरियों से पशु अवरुद्ध किए जाकर नियंत्रण किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार पशु रिहाई पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि वसूली की जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) नगर निगम जयपुर द्वारा वर्तमान में शहर में घूम रहे आवारा पशुओं पर सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। पिछले 3 महीने में जयपुर शहर से लगभग 8200 आवारा पशुओं को पकडकर गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया भिजवाया गया है, जिसमें लगभग 3200 सांड हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेगूं में उच्च जलाशयों का निर्माण

206. श्री सुरेश धाकड (बेगूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बेगूं में उच्च जलाशय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018 में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के शहर बेगूं एवं रावतभाटा की पाइप्ड जल योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित क्रमश: 4 एवं 5 उच्च जलाशयों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 4000 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले कुल सम्मिलित 5 ग्राम विभागीय नीति अनुरूप पाइप्ड जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं तथा इन समस्त ग्रामों में निर्मित उच्च जलाशयों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

उक्त दोनों शहर एवं 5 ग्रामों की जल योजनाओं अन्तर्गत निर्मित उच्च जलाशयों से पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की शहरी एवं ग्रामीण जल योजनाओं में नवीन उच्च जलाशयों के निर्माण की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्तानुसार आवश्यकता नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्रामीण क्षेत्र की निम्न वर्णित 2 पेयजल योजनाएं वर्तमान में सक्षम स्तर पर विचाराधीन हैं:-

(अ) हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित जल योजना, ग्राम तुम्बड़िया, तहसील गंगरार एवं

(ब) पंचायत समिति, बेगूं की ग्राम पंचायत रावड़दा के 5 ग्रामों (रावड़दा, धारला, मेनाल, उमर एवं गोपालपुरा) को चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने की योजना।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

करौली जिले में एनीकटों का निर्माण

207. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) करौली जिले में वर्ष 2014 से 2017 तक किस-किस स्थान पर कितनी राशि व्यय कर एनीकटों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में स्वीकृत सभी एनीकटों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो शेष एनीकटों का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले में वर्ष 2014 से 2017 तक करवाये गये एनीकट निर्माण कार्यों पर स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्अ "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 2014-17 के मध्य नये एनीकट निर्माण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में करवाये गये अन्य कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में संचालित गौशालाएं

208. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में सरकारी एवं निजी स्तर पर कितनी-कितनी गौशालाएं कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गौशालाओं में सरकार द्वारा वर्ष 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किन-किन गौशालाओं में कितना-कितना अनुदान व सहायता राशि किस-किस मद से दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की दो गौशालाओं को अनुदान नहीं देने के क्या कारण रहे? क्या सरकार जांझरिया हनुमान गौशाला, माता ताई ठाकुरे बिनेडाकला व गुडाराम सिंह की हरिओम गौशाला को गत वर्ष के तीन माह का बकाया अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में सरकार द्वारा किसी भी गौशाला का संचालन नहीं किया जाता है तथा निजी स्तर (स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों) पर कुल 199 गौशालाएं संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त गौशालाओं को सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक दिया गया अनुदान/सहायता राशि का विवरण मदवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की दो गौशालाओं के प्रस्ताव जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा निरस्त किये गये है।

जी नहीं। क्योंकि उक्त दो गौशालाओं के प्रस्ताव जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा निरस्त किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने की योजना

209. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नवगठित ग्राम पंचायतों के आधार पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां आगामी वित्तीय वर्ष में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों से नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के प्रस्ताव उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, बाड़मेर के कार्यालय में लम्बित हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवगठित ग्राम पंचायतों सहित ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची, जहां पृथक से ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्ड (परिशिष्ट-2) पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) का गठन किया जाता है।

(2) जी हां। प्रस्तावित भाटा ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु सर्वे रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय, बाड़मेर में लम्बित है जिसमें हिस्सा राशि पूरी जमा नहीं करायी गयी है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में पेंशन के लम्बित आवेदन

210. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं के तहत वर्ष 2014 से जनवरी, 2018 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनों में पेंशन स्वीकृत की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समय पर निपटारा नहीं होने से पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बित पेंशन आवेदनों का शीघ्र निपटारा कर पात्र व्यक्तियों को पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2014 से जनवरी 2018 तक पेंशन की वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन (राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मिलित) पेंशन हेतु प्राप्त, स्वीकृत एवं लम्बित आवेदनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृद्धावस्था पेंशन			विधवा पेंशन			विशेष योग्यजन पेंशन		
	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लम्बित आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लम्बित आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लम्बित आवेदन
2013-14	20720	20720	0	1299	1299	0	619	619	0
2014-15	852	852	0	170	170	0	58	58	0
2015-16	835	835	0	222	222	0	62	62	0
2016-17	578	578	0	180	180	0	50	50	0
2017-18 (जनवरी 2018 तक)	690	690	0	191	191	0	78	78	0

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कोई आवेदन लम्बित नहीं है। पेंशन स्वीकृति का कार्य एक निरन्तर प्रकिया है, जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लिए आनलाइन आवदेन कर सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने से पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पाली जिले के मदरसों को सहायता

211. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में वर्तमान में किस-किस स्थान पर मदरसे संचालित हैं एवं किस-किस मदरसे में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित मदरसों में से किस-किस मदरसे को गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी सहायता दी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा 72 मदरसे पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन 72 मदरसों में पिछले तीन वर्षो में दी गई सामग्री की वर्षवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के बरकत नगर बाजार से अनधिकृत कब्जे हटाने की कार्यवाही

212. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनता की सुविधा हेतु बरकत नगर के बाजार से अनधिकृत कब्जे हटाकर रास्ते चौड़े किये गये थे? यदि हां, तो कब?

(श्री कैलाश भंसाली)

(2) क्या यह भी सही है कि रास्ते चौड़े करने के पश्चात् भी थड़ी होल्डर्स एवं अन्यों के द्वारा मुख्य रास्तों पर अनधिकृत रूप से कब्जे किए हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें कब-कब हटाया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि बरकत नगर बाजार में प्लाट नं. S-29 के बाहर गुप्ता टी स्टाल द्वारा अनधिकृत रूप से थड़ी लगाई जाकर चाय आदि की बिक्री की जा रही है, जिससे वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है एवं आये दिन झगड़े-फसाद होने से वहां निवास करने वाले नागरिकों व महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त टी स्टाल का चालान किया गया व सामान जब्त किया गया है? यदि हां, तो माह मई, 2016 से अब तक कितनी बार चालान किया गया व कितनी बार स्टाल मालिक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सामान छुड़वाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वहां के निवासियों द्वारा उक्त टी स्टाल के विरुद्ध समय-समय पर नगर निगम जयपुर को शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में की गई शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार अब उक्त प्लाट नं. S 29 के बाहर चाय की थड़ी न लगाने हेतु पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013 में बरकत नगर के बाजार से अनधिकृत कब्जे हटाकर रास्ते चौड़े किये गये थे।

(2) जी नहीं। फुटपाथ व सड़क पर बार-बार अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान रखे गये सामान को समय-समय पर हटाया जाता रहा है एवं रिकार्ड अनुसार दिनांक 22.09.2016, 14.11.2017 व 15.02.2018 को अस्थायी अतिक्रमण हटवाये जाने की कार्यवाही की गई है।

(3) जी हां। बरकत नगर बाजार में प्लाट नं. S-29 के बाहर गली नं. 13 में गुप्ता टी स्टाल द्वारा अनधिकृत रूप से थड़ी लगाई जाने की शिकायत दिनांक 10.11.2017 को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कार्यवाही दौरान

(नगरीय विकास एवं आवासन)

दिनांक 14.11.2017 को चाय की थड़ी हटायी जाकर जब्त सामान गोदाम में जमा करवाया गया तथा दिनांक 15.02.2018 को भी उक्त स्थल से लोहा काउन्टर हटाया जाकर गोदाम में जमा करवाया गया है।

(4) बरकत नगर बाजार में प्लाट नं. S-29 के बाहर गली नं. 13 गुप्ता टी स्टाल का चालान नहीं किया गया है। उक्त स्थल से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के तहत दिनांक 14.11.2017 को थड़ी हटायी जाकर सामान जब्त किया गया व दिनांक 15.02.2018 को कार्यवाही दौरान भी उक्त गुप्ता टी स्टाल का लोहा काउन्टर जब्त किया जाकर अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। उक्त टी स्टाल मालिक द्वारा दिनांक 14.11.2017 की कार्यवाही का सामान छुड़ाने हेतु दिनांक 14.11.2017 को आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में दिनांक 15.02.2018 के जब्त सामान को छुड़ाने हेतु आज दिनांक तक आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शपथ पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) जी हां। श्री बी.एम. गुप्ता निवासी 391 बरकत नगर, टौंक फाटक द्वारा केवल दिनांक 10.11.2018 उक्त चाय की थड़ी हटाने बाबत शिकायत प्राप्त हुई। गत दो वर्षों में इसके अतिरिक्त कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) नगर निगम, जयपुर द्वारा गुप्ता टी स्टाल का अतिक्रमित स्थल, प्लाट नं S-29 गली नं. 13, बरकत नगर थड़ी हटायी जाकर सामान जब्त किया गया, जिस पर अतिक्रमी द्वारा आवेदन दिनांक 14.11.2017 के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर भविष्य के लिए पाबन्द होने पर सामान छोड़ा गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में द्रव्यवती प्रोजेक्ट का पुनः सीमांकन

213. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में द्रव्यवती प्रोजेक्ट के सीमांकन के बाद भी अब पुन: कालोनियों में निशान लगाये जा रहे हैं? यदि हां तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त परियोजना का एक बार सीमांकन हो जाने पर भी पुन: सीमांकन करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) द्रव्यवती नदी में सेन्टर लाइन का सीमांकन किया जा चुका है, जिसके अनुसार परियोजना के विकास कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार कार्य के क्रियान्वयन हेतु निशान लगाये गये हैं।

(2) परियोजना के विकास कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार कार्य के क्रियान्वयन हेतु नदी के दोनों ओर प्रथम बार ही सीमांकन किया गया है। पुन: सीमांकन नहीं किया गया है।

विधान सभा समूह आवास योजना धावास जयपुर में अतिरिक्त भूमि का आबंटन

214. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम धावास, अजमेर रोड, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित विधान सभा समूह आवास योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 110 में किन-किन भूखण्ड के आबंटियों ने अपने-अपने भूखण्डों के पास बढ़ी हुई अतिरिक्त भूमि को नियमानुसार आबंटन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूखण्ड संख्या 24 और उसी पंक्ति में भूखण्डों के कोनों पर जविप्रा स्वामित्व की अतिरिक्त बढ़ी हुई भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण की रोकथाम हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूखण्ड संख्या 24 के मुख्य द्वार तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से दरवाजा लगाकर निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण को कब तक हटा दिया जाएगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(4) क्या सरकार उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 110 में 45 मीटर एवं 90 मीटर के भूखण्डों के पास जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि की माप करवाकर भूखण्डों के पास शेष अतिरिक्त बढ़ी हुई भूमि को नियमानुसार आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम धावास, अजमेर रोड, जयपुर में जविप्रा द्वारा विकसित विधान सभा समूह आवास योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 1 से 110 में से भूखण्ड संख्या 17, 24, 60 तथा 110 के आबंटियों ने अपने-अपने भूखण्डों के पास बढ़ी हुई अतिरिक्त भूमि के नियमानुसार आबंटन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है :-

उक्त भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 17 व 24 के दक्षिण में स्थित रिक्त भूमि जो खातेदारों के आवासों एवं योजना के मध्य कहीं 10 फीट तो कहीं 3 फीट से 6 फीट तक चौड़ी भूमि है। इस भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का है अथवा निजी खातेदारों का, इसके सुनिश्चित नहीं होने के कारण उक्त आवेदकों को भूमि के आबंटन का निर्णय नहीं किया जा सका है। उक्त रिक्त भूमि के स्वामित्व का निर्धारण पी.टी. सर्वे, खसरा सुपर इम्पोजिशन एवं डिमार्केशन की कार्यवाही के पश्चात ही संभव है। भूखण्ड संख्या 60 एवं 110 योजना क्षेत्र में स्थित है। अत: आवेदन के अनुसार इन भूखण्डों के आबंटियों को बढ़ी हुई भू-पट्टी के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) भूखण्ड संख्या 24 और उसी पंक्ति में भूखण्डों के कोनों पर जविप्रा स्वामित्व की अतिरिक्त बढ़ी हुई भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध निर्माण जो कि निजी खातेदारों द्वारा गेट बनाकर सड़क को अंतिम छोर पर बन्द कर दिया था, को दिनांक 13.02.2018 को हटा दिया गया है।

(3) भूखण्ड संख्या 24 के मुख्य द्वार तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से दरवाजा लगाकर निर्माण को दिनांक 13.02.2018 को हटा दिया गया है (खण्ड 2 के अनुसार)।

(4) भूखण्ड संख्या 1 से 110 में से योजना बाउण्ड्री के पश्चात्

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजना एवं निजी खातेदारों के मध्य कहीं 10 फीट तो कहीं पर 3 फीट से 6 फीट तक चौड़ाई में भूमि रिक्त है। जिसके स्वामित्व के निर्धारण हेतु पी.टी. सर्वे मय खसरा सुपर इम्पोजिशन एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार मौके पर डिमार्केशन होने के पश्चात् उक्त रिक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की पाई जाती है, तो उक्त भूमि के लगते हुए भूखण्डधारियों द्वारा आवेदन किये जाने पर शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 अनुसार स्ट्रिप आफ लैण्ड निर्धारण पर आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में दो माह का समय लगने की सम्भावना है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी

215. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना कब से प्रारम्भ की गई और इसमें किन-किनको लाभान्वित किया जाता है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2017-18 में कितने लोगों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा कराई गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी वर्ष 2018-19 में कितने नागरिकों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा कराई जायेगी व हवाई मार्ग से जाने वाले नागरिकों का चयन किस प्रकार से किया जाता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गयी थी। जिसका नाम वर्ष 2016 में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना रखा गया। इनमें जिन-जिन को लाभान्वित किया जाता है उनकी पात्रता दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के बिन्दु 7 में उल्लेखित किया हुआ है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) वर्ष 2017-18 में रेल मार्ग व हवाई मार्ग से रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरूपति एवं द्वारिकापुरी की यात्रा करवाई गई। विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) आगामी वर्ष 2018-19 के लिये अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हवाई मार्ग से जाने वाले नागरिकों के चयन दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बिन्दु संख्या 11 के अन्तर्गत किया जाता है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में समेकित बाल सुरक्षा योजना के तहत समितियों का गठन

216. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में समेकित बाल सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तर व जिला स्तर व समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने जिलो में उक्त समितियों का गठन किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत समितियों का गठन कब तक किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत राज्य स्तर पर भी एक समिति गठित की जानी थी? यदि हां, तो अब तक उक्त समिति का गठन नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) समेकित बाल सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 31 दिसम्बर, 2017 तक केन्द्र से कितनी-कितनी राशि प्राप्त की गई तथा प्राप्त राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार प्राप्त राशि व व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर ढांचा या संरचनाएं स्थापित करना था। प्रदेश में उक्त के क्रम में राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रदेश के समस्त जिलों हेतु जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत इन समितियों का गठन योजना के लागू

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

होने के पश्चात् किया जाना था। विभाग द्वारा दिनांक 18.02.2011 को राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी का पंजीयन कराया गया था एवं आदेश क्रमांक 49869 दिनांक 25.06.2011 के द्वारा समस्त 33 जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन कराया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) जी हां। राज्य स्तर पर भी राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन किया जा चुका है।

(4) समेकित बाल सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2010-11 से अब तक प्राप्त राशि व व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपलू (टोंक) में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय की स्थापना

217. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय पीपलू मे बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में विभाग द्वारा बाल विकास परियोजनाओ के परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। नवीन पंचायत समितियो के अनुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार द्वारा राज्य में नवीन बाल विकास परियोजना कार्यालय सृजित करने पर रोक है।

प्रदेश के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के कार्य

218. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं विकास कार्यों के लिए गत दो वर्षों में धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी कोई कार्य नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के जिलों में कराये जाने वाले कार्यों के निर्णय लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMF) का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं वर्तमान में उक्त ट्रस्ट में कितनी धनराशि जमा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खनन क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्यावरण सुधार के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र पर भी उक्त जमा राशि को व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के खान क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं विकास कार्यों के लिए दिनांक 31.01.2018 तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन कोषों से कुल 4887 कार्यों के लिये 67695.10 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 343 कार्यों की रुपया 9425.50 लाख राशि अनुमोदित होकर प्रशासनिक स्वीकृति शेष है। विभागवार कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 के द्वारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में जिलेवार जमा राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) में खनन प्रभावित क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय करने का प्रावधान है। राज्य में खनन क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्यावरण सुधार के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र पर राशि रुपये 49.46 करोड़ के 1020 कार्य दिनांक 31.01.2018 तक स्वीकृत/ अनुमोदित किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

आहोर के बावलडा बांध की खालियों का सुदृढ़ीकरण

विषय - विधान सभा की कार्यवाही एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत बावलडा बांध के खालियों को पक्का करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि बावलडा बांध आहोर के वलदरा ग्राम पंचायत के मुलेवा गांव के पास स्थित है। इस बांध के नीचे खातेदारी की जमीन है तथा आस-पास के जमीनी स्तर का पानी खारा है। इसलिए इस बांध की सिंचाई से निम्नलिखित गांवों की खेती आधारित है। मुलेवा, पांचवटा तरवाडा, शंखवाली, किशनगढ़, चुण्डा, मोहीवाडा के गांव सिंचित होते हैं। इन बांध के नहरों की खालियों को पक्का करने से जमीन ज्यादा सिंचित होगी एवं आस-पास की खेती खराब नहीं होगी। जमीन में सीजत नहीं होगी और कषि उत्पादन ज्यादा होगा।

सादर।

शंकर सिंह राजपुरोहित
(आहोर)

प्रदेश में पटवारियों की समस्याओं का निराकरण

प्रकिया के नियम 295 के तहत 15 जनवरी, 2018 से राज्य भर में पटवारियों ने अतिरिक्त कार्यभार का बहिष्कार कर बस्ते तहसीलों में जमा करवा दिए गए हैं। जिसमें एक तरफा जहां किसानों के क्रेडिट कार्ड, सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि महत्त्वपूर्ण कार्य अटक गए हैं। वही दूसरी तरफ छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्रों नहीं होने से आगामी होने वाली भर्तियों व प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उनका सुनहरा भविष्य अंधकार में है। पटिवरियचों द्वारा कार्यों के बहिष्कार को लेकर सरकार आज दिनांक तक पटवारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है। इससे आमजन परेशान व छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि पटवारियों की समस्याओं का

यथाशीघ्र निवारण कर तथा आमजन की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान किया जाये।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

धन्यवाद

पूरण मल सैनी

(खेतड़ी)

इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर को गडरा रोड तक पहुंचाना

विषय : इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर को पूर्व निर्धारित गडरा रोड बाडमेर तक पहुचाने एवं गडरा रोड उपशाखा को अंतिम छोर तक पहुंचाकर उससे विभिन्न नहरों का निर्माण करने के संबंध में।

इन्दिरा गांधी नहर के मूल प्लान में अंतिम छोर गडरा रोड जिला बाड़मेर में निर्धारित था। इसके लिए अंतिम छोर की नहर का नाम गडरा रोड उप शाखा दिया गया था। परन्तु बीच के आंशिक क्षेत्र में डी.एन.पी. क्षैत्र होने के कारण उक्त नहर को जिला जैसलमेर के ग्राम लूणार में ही समाप्त कर दिया गया है जबकि नहर के मूल प्लान से कई बार छेडछाड कर राजस्थान के कई जिलों के लिए पेयजल एवं लिफ्ट नहरों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही अतिरिक्त नहरों का भी निर्माण करवाया गया है। गडरा रोड तक जाने से बीच का सैकड़ौं किलोमीटर क्षेत्र सिंचित होता है एवं सीमा क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ाकर सीमीएँ सुरक्षित की जा सकती थीं। गडरा रोड नहर का निर्माण करीब 92 किमी. किया गया। उसके पश्चात् करीब 150 किमी. निर्माण कार्य किया जाना था। परन्तु आंशिक क्षेत्र में राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र का आना बताकर नहर का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है । उक्त नहर को आंशिक घुमाकर निर्माण करवाया जा सकता है जिससे न केवल सीमा क्षेत्र की सैकड़ों किलोमीटर लाखों बीघा भूमि सिंचित होगी बल्कि भूमिहीनों को आंवटन का लाभ प्राप्त होकर खाद्य उत्पादन में अरबों टन अनाज का उत्पादन होता जो कि राष्ट्र की मूलभूत सुविधाओं की प्रथम कड़ी है।

अत: मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर को पूर्व निर्धारित स्थान गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाया जावे एवं उससे अधिकतम नहरों का निर्माण कर राष्ट्र

को अरबों टन अनाज का उत्पादन देने हुए सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे।

छोटूसिंह भाटी

(जैसलमेर)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में खरीद में भ्रष्टाचार

विषय :- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में झण्डा एवं स्वामी विवेकान्नद मूर्ति खरीद प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के क्रम में।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में झण्डा एवं स्वामी विवेकानन्द मूर्ति खरीद प्रक्रिया में गम्भीर भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. उक्त प्रकरण में मूर्ति की खरीद 9,81,000 रु. में एवं राष्ट्रीय ध्वज 11,34,000 रु. की राशि की खरीद प्रक्रिया में नियमों का गलत उपयोग कर, बिना निविदा प्रक्रिया के ही हैण्ड कोटेशन प्राप्त कर, मनमर्जी से हितबद्ध फर्मों को बेजा लाभ पहुंचाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि खरीद की गई मूर्ति खुले बाजार की मौजूदा दरों से लगभग तीन गुना ज्यादा दरों पर खरीदी गई है।

2. अपनी हितबद्ध फर्म को लाभ पहुंचाने की नीयत से तत्कालीन कार्यवाहक विश्वविद्यालय अभियन्ता श्री एच.पी. गौड़ एवं वित्तीय प्रबन्धक श्री आबिद खान द्वारा RTPP ACT 2020 राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 35 एवं RTPP ACT 2013 राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 28 का गलत उपयोग किया गया। उक्त नियम "केवल और केवल मात्र अकल्पित घटनाओं (unforeseen events) के द्वारा हुई अत्यावश्यकता में ही नियमानुसार खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया में छूट देता है। उक्त प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है। उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय ध्वज एवं स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति की खरीद का विषय किसी भी दृष्टि से अकल्पित घटनाओं (unforeseen events) के द्वारा हुई अत्यावश्यकता की श्रेणी में नहीं आता है। अत: उक्त नियम का उक्त प्रकरण में उपयोग पूर्णतया गलत है।

उक्त प्रकरण से विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और त्वरित कार्यवाही नहीं होने से लिप्त दोषियों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं। अत: मेरी मांग है कि उक्त प्रकरणों की निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए

आरोपियों को अविलम्ब बर्खास्त किया जाए और प्रकरण पर त्वरित और ठोस कार्यवाही करते हुए रिकवरी भी की जाए।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

मारवाड़ जंक्शन में जवाई पाइप परियोजना से पानी पहुंचाने में विलम्ब

विषय : विधान सभा की कार्यवाही एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन जवाई पाइप परियोजना से पानी पहुंचाने में हो रही देरी एवं घटिया सामग्री लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जवाई पाइप परियोजना से मारवाड़ जंक्शन के 113 गांवों में पानी पहुंचाने हेतु 31 गावों को 2014 तक पूर्ण रूप से पानी पहुंचाना बताया गया है, किन्तु अभी तक उनमें भी कई कमियां हैं। कई जी.एल.आर. और एस.एल.आर., सी.डब्ल्यू.टी. व पी.एस.पी. को अभी तक नहीं जोड़ा है किन्तु विभाग द्वारा कार्य पूर्ण बताया गया है। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन के 82 गांवों को पानी सप्लाई करने के लिए 2016 का लक्ष्य दिया गया था किन्तु ठेकेदार द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया है। इससे क्षेत्र में पीने के पानी की आने वाली गर्मी में भयंकर समस्या हो जायेगी। इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री लगाने की वजह से आये दिन पाइप लाइनें जगह-जगह पर फूट जाने के कारण जवाई का बेशकीमती पानी ऐसे ही जगह-जगह पर बह रहा है।

अत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का इस योजना की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि उक्त योजना की उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर प्लान के अनुसार किस-किस स्थान पर क्या-क्या कार्य होना है तथा उसमें किस स्तर की सामग्री लगानी है, उसकी जांच कराने की व्यवस्था करें एवं इस योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारी एवं ठेकेदार को पाबंद कर कार्य को गुणवत्तायुक्त अतिशीघ्र पूरा करें।

सादर।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

उदयसागर बांध की मुख्य नहर/माइनर का सुदृढ़ीकरण

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध सिंचाई हेतु एक अति महत्वपूर्ण बांध है।

मेरे विधान सभा खेत्र मावली में ग्राम पंचायत भलो का गुडा, बिछडी, भैसडकला, भैसडाखुर्द, गुली, तुलसीदास की सराय, मेडता, डबोक, खेमली, नामरी, नान्दवेल, धुणीमाता में उदयसागर बांध की नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। उदयसागर बांध की दायीं मुख्य नहर, बायीं मुख्य नहर, करगेट माइनर, परपडा माइनर, घोडीविडा माइनर, जनता माइनर, घणोली माइनर, बजारा माइनर, नामरी माइनर, बाईं मुख्य नहर, टेल माइनर जीर्ण-शीर्ण हैं। बांध की ज्यादातर मुख्य नहर/माइनर कच्ची होने के कारण बांध का पानी इधर-उधर व्यर्थ बहता रहता है तथा खड़ी फसलों को नुकसान होता है।

उदयसागर बांध की मुख्य नहर/माइनर जीर्ण-शीर्ण, कच्ची नहरों से सीपेज की समस्या बहुत लम्बे समय से है और निरन्तर बढ़ती जा रही है। दलदल की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि कई बीघा जमीन बिना बोई, बंजर पड़ी हुई है। इसका निस्तारण होना अत्यन्त आवश्यक है।

उदयसागर बांध की दायीं मुख्य नहर, बायीं मुख्य नहर, करगेट माइनर, परपडा माइनर, घोडीविडा माइनर, जनता माइनर, घणोली माइनर, बजारा माइनर, नामरी माइनर, बाईं मुख्य नहर, टेल माइनर की क्षतिग्रस्त नहरों का मरम्मत कार्य व कच्ची नहरों को पक्की की जायें, जिससे कि सिंचाई हेतु माइनर के अन्तिम छोर तक पानी सुगमता से पहुंच सकेगा एवं जल का अपव्यय भी रुकेगा।

सिंचाई सुविधा से वंचित मेरे विधानसभा क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों, राजस्व गांवों को जोड़ने की, कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने की मांग किसानों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। किसानों की मांग को देखते हुए वंचित गांवों को उक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ने की कृपा कराएं।

मैं, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयसागर बांध की दायीं बायीं मुख्य नहर/माइनर का सुदृढ़ीकरण, मरम्मत कार्यों, कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने की स्वीकृति जारी करने का श्रम कराएं।

दलीचन्द डांगी

(मावली)

मेड़ता सिटी के बाहर रिंग रोड का निर्माण

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता का मेड़ता शहर बहुत ही बड़ा शहर है। लगभग 100-200 गांवों से जुडा हुआ है। मेड़ता शहर से लगभग 90 किमी अजमेर है और मेड़ता शहर से लगभग 80-90 किमी नागोर है, वहीं 140 किमी जोधपुर है। मेड़ता सिटी शहर से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग व 4 राज्य मार्ग निकलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 निंबीजोधा से डेगाना लाम्पोलाई-मेड़ता सिटी जसनगर होते हुए जैतारण की ओर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 अजमेर से मेड़ता सिटी होते हुए बीकानेर जाता है। राजमार्ग संख्या 21 दांतेवाड़ा से बोरूंदा, बीटण ईदावड़ होते हुए मेड़ता में एन.एच. 89 में मिलता है। राजमार्ग संख्या 86 मेड़ता सिटी में लाम्बा जाटान गोटन होते हुए आसोप जाता है। राजमार्ग संख्या 39 मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड रूण खजवाणा होते हुए मूंडवा जाता है और राजमार्ग 84 मेड़ता सिटी से मोरेरा धांधलास होते हुए बग्गड़ में एन.एच. 458 में मिलता है। इन सभी सड़कों से हजारों भारी वाहन मेड़ता शहर के अन्दर से गुजरते हैं जिससे रोजाना मेड़ता शहर के अन्दर यातायात जाम व प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके समाधान के लिए मेरा अनुरोध है कि मेड़ता शहर के बाहर रिंग रोड बनाई जाये। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 458 व राष्ट्रीय राजमार्ग 89 हेतु जासनगर व मेड़ता बाईपास जो राजमार्ग 84 को जोड़ता है, का निर्माण तो करा दिया है। इसके लिए मंत्रीजी को धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है कि मेड़ता के बाहर एक ऐसा बाईपास बनाया जोय जो राष्ट्रीय राजमार्ग 458 मेड़ता सिटी जसनगर सड़क से प्रारम्भ होकर मेड़ता बोरूंदा सड़क-मेड़ता गोटण आसोप सड़क मेड़ता सिटी मेड़ता रोड सड़क को आपस में जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 मेड़ता सिटी रेण सड़क मिले।

अत: निवेदन है कि इस बाईपास के निर्माण हो जाने से मेड़ता शहर के बाहर एक रिंग रोड का निर्माण होगा जो भविष्य में यातायात की दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा। निवेदन है कि मेड़ता से गोटन जाने वाले राजमार्ग संख्या 86 की भी हालत जर्जर है। इसको भी नये सिरे से निर्माण करवाया जाये ताकि इस सड़क के लगते 70-80 गांवों को आवागमन में आसानी हो।

सादर।

सुखाराम

(मेड़ता)

प्रदेश के स्कूली व्याख्याताओं की वेतन विसंगति का निराकरण

विषय : राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अनतर्गत "विद्यालयी व्याख्याताओं की वेतन एवं पदोन्नति संबंधी विसंगति निराकरण करवाने" के संबंध में विशेष उल्लेख।

बड़ी विडम्बना का विषय है कि आरपीएससी के माध्यम से चयनित दो शिक्षा अधिकारी संवर्ग (प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता स्कूल शिक्षा) जिनका पदोन्नति के पश्चात् एक ही पद प्रधानाचार्य में ही विलय हो जाता है, के वेतनमान व पदोन्नति प्रक्रिया में असंतुलन होने की वजह से राज्य का बहुसंख्यक स्कूल व्याख्याता वर्ग स्वयं को उपेक्षित व ठगा-सा महसूस कर रहा है। न्यूनतम अर्हता बीए बीएड योग्यताधारी प्रधानाध्यापक सातवें वेतन आयोग अनुसार प्रारमभिक वेतन 56100 रुपये पाता है और महज प्रोबेशन काल पूरा करते ही प्रधानाचार्य बन जाता है जबकि जिनकी न्यूनतम अर्हता एमए बीएड होने के बावजूद वो स्कूल व्याख्याता प्रारम्भिक वेतन 44300 रुपये का हकदार है और 10-12 साल पूर्ण करने के बाद भी प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तरसता है। सीधी भर्ती के अतिरिक्त अगर पदोन्नति की बात की जाये तो जिन वरिष्ठ अध्यापकों के पास एमए की अतिरिक्त योग्यता होती है वही पदोन्नति से व्याख्याता बन पाते हैं जबकि बिना एमए वाले वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक बनते हैं। यदि प्रशासनिक कुशलता का पैमाना दसवीं स्कूल के संचालन से ही जुड़ा है तो प्रधानाध्यापक को बारहवीं स्कूल के प्रधानाचार्य के बजाय अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ही क्यों नहीं पदोन्नति दी जाती है और अनावश्यक ही समान स्तर के अधिकारियों में भेदभाव करते हुए दोनों में वैमनस्य व विवाद की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। एम.ए. की अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद व्याख्याता वेतन व पदोन्नति के अवसरों में प्रधानाध्यापक से कहीं दूर पीछे है। इसका मतलब ज्यादा शैक्षिक योग्यता अर्जित करना किसी गलती के समान है और चुपचाप कम वेतन में गुजारा करते हुए पदोन्नति की आस छोड़ देना ही उसका दंड है।

इस संबंध में लोकतांत्रिक सरकार की समानता की न्यायिक अवधारणा को प्रबलता देने के लिए इन दोनों पदों की साम्यता व समान पद पर पदोन्नति के आधार पर समान वेतनमान निर्धारण करवाने एवं पदोन्नति हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाने हतु सदन एवं सरकार दोनों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

तरुण राय कागा

(चौहटन)

पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति को बकाया अनुदान का भुगतान

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई की पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीपलू जिला टोंक द्वारा संचालित चारा डिपो को बकाया चारा परिवहन अनुदान के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

समिति द्वारा आदेश क्रमांक सहायता/चारा/आपु/दिनांक 6.11.2009 के तहत जुलाई 2010 तक अन्य जिलों व राज्य के बाहर (मध्य प्रदेश) से चारा लाकर तहसील क्षेत्र पीपलू में काश्तकारों को वितरित किया गया था। समिति द्वारा कुल 32 ट्रक चारा लगाया गया था, जिसकी कुल अनुदान राशि 6,25,460/- रुपये थी, जिसमें समिति को 14 ट्रकों की अनुदान राशि 2,51,736/- रुपये प्राप्त हो चुकी है। शेष 18 ट्रकों की अनुदान राशि 3,73,724/- रुपये बकाया है। सहायता विभाग के आदेशानुसार बिल्टियों व तोल पर्चियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक द्वारा प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक को निवेदन किया जा चुका है, लेकिन आज तक शेष भुगतान नहीं किया गया है।

अत: प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है कि पीपलू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीपलू जिला टोंक को चारा परिवहन अनुदान का अविलम्ब भुगतान कराने का कष्ट करें।

सादर।

हीरालाल

(निवाई)

अटरू उपखण्ड क्षेत्र में शेरगढ़ पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति

विषय :- विधान सभा की कार्यवाही संचालन नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में वर्षो से अटरू उपखण्ड मुख्यालय सहित अन्य गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या थी। उसके लिए तो मा. मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शेरगढ़ पेयजल परियोजना के लिए 89 करोड़ रुपये की स्वीकृति कर अटरू सहित 36 गांवों में

पेयजल का पानी पहुंचाया परन्तु जहां तक पेयजल परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक समस्या से निजात दिलवाने के लिए समस्याग्रस्त गांवों में गहरे नलकूप खुदवाने व टैंकर लगवाने का आदेश करवायें।

साथ ही शेरगढ़ पेयजल परियोजना में चारण खेडी, व्यास खेडी, मूंडला बरलां, लोला हेडी, भखरावदा, सींदणी, फत्तूखेडी, हानीहेडा, सोडलहेडी, आमापुरा, पटना, गोविन्दपुरा, गन्दोलियां, मेरमाचाह, बेडक्या, केरवालिया, महाराजपुरा, महेशपुरा को भी जोड़ा जाए। साथ ही हीकड पेयजल लाइन से मंडोला व पाठेडा गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने सहित बारां जिला मुख्यालय में किसान कालोनी चरीघाट नगर परिषद में सम्मिलित 11 गांवों सहित समस्त कच्ची बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करवाने का आदेश कर आमजन को राहत प्रदान करें।

सधन्यवाद।

रामपाल

(बारां-अटरू)

मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व के वनवासियों की समस्या का निराकरण

विषय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मुकन्दरा टाइगर रिजर्व, कोटा में बसे वनवासी ग्रामीणों को नगर निगम के वार्ड संख्या 04 या 05 में स्थित वन विभाग की भूमि पर विस्थापित करने एवं पैकेज में संशोधन कर नये भूमि अधिग्रहण कानून के अनुरूप मुआवजा हेतु विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा में स्थित मुकुन्दराव टाइगर रिजर्व, कोटा में बसे गरीब वनवासी ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा विस्थापित किया जाना हैं जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रारूप मुख्य/संवेदनशील बाघ वासस्थलों से ग्राम पुन:स्थापना योजना में भारत सरकार के द्वारा मिलने वाले पैकेज वर्तमान समय के अनुसार काफी कम है। यदि भारत सरकार के साथ-साथ राजस्थान सरकार की उक्त पैकेज में ग्रामीण लोगों की सहायता करती है तो ग्रामीण वासी उक्त विस्थापत को सहमत हैं। गांव में आजादी के पूर्व से भील समाज एवं परम्परागत वनवासी बसे हुए थे एवं वर्ष 1962-63 में राणा प्रताप सागर व गांधी सागर बांध बनने के कारण काफी परिवारों को ग्राम गिरधरपुरा में बसाया गया था, अर्थात् यह पूर्व से विस्थापित हैं एवं दुबारा से विस्थापन किया जाना है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्रधिकरण के पैकेज के अतिरिक्त निम्न पैकेज की मांग निम्न प्रकार है :

1. खातेदार, कृषकों को कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि अन्यत्र स्थान पर दी जाएं एवं भूमिहीन परिवारों को भी भूमि दी जाएं।

2. मुआवजा राशि प्रत्येक परिवार के प्रति 18 वर्ष के सदस्य को 10 लाख दिये जाएं।

3. यदि भूमि नहीं मिले तो परिवार के एक सदस्य के सरकारी नौकरी जैसे पूर्व में फैरात व गार्ड बना दिया जाता था, उस प्रकार की नौकरी मिलें।

4. क्षेत्र में आये 1600 परिवारों को विस्थापन करने हेतु वन विभाग की कोटा के निकट रामगंजमण्डी के निगम वार्ड सं. 4 व 5 में स्थित वन विभाग की भूमि पर मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व आवासीय कालोनी का नामकरण कर प्लाट काट उसमें प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री व आवासीय योजना, श्रम योजना एवं विभाग के पैकेज को सम्मिलित कर सम्पूर्ण सुविधायुक्त कर बसाया जाए।

5. ग्रामीणों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा व सुविधाएं मिलें।

अत: उक्त समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निदान कर मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने की कृपा करें।

चन्द्रकांता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा मारपीट

दिनांक 01 जुलाई, 2017 को आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता श्री नन्दलाल व्यास आर.टी.आई. आवेदन देने हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पहुंचे तब वहां के कर्मचारियों ने आर.टी.आई. आवेदन लेने से इनकार करते हुए, कुलपति के कहने पर उनके साथ मारपीट कर बंधक बना लिया। इस संबंध में मण्डोर थाना पुलिस को फोन करने पर वहां पहुंचकर पुलिस ने उनको छुड़ाया और श्री व्यास पुलिस के साथ मण्डोर थाने गये और मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसे पुलिस ने जांच में रखा। इसके बाद कुलपति व अन्य के कहने से कृषि विश्वविद्यालय को कार्मिक खीमानाथ ने थाने पहुंचकर श्री व्यास के विरुद्ध एस.टी.एस.सी. का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इसका विरोध करने पर भी व्यास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कृषि विश्वविद्यालय की

वीडियो रिकार्डिंग से श्री नन्दलाल व्यास की इस शिकायत के सारे तथ्य प्रमाणित होते हैं और खीमानाथ की एफ.आई.आर. की झूठी साबित हो रही है।

खीमानाथ के फर्जी एस.सी. जाति प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना कोतवाली पाली में दर्ज है। इसके फर्जी सर्टिफिकेट को निरस्त करने हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति पाली को एक शिकायत दे रखी है, जिसकी सुनवाई 07 फरवरी, 2018 को हो चुकी है और जांच अभी तक लम्बित है।

इस संबंध में गृह मंत्री राजस्थान सरकार को शिकायतें करने पर उन्होंने जांच करवाकर मण्डोर थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2017 व 157/2017 तथा कोतवाली थाना पाली की एफ.आई.आर. 456/2017 की जांच बदलकर सी.आई.डी.सी.बी. को देने एवं इन तीनों मुकदमों से संबंधित फाइलें जयपुर मुख्यालय भिजवाने के संबंध में 08 फरवरी, 2018 को आदेश जारी हो चुके थे। 17.02.2018 को आपराधिक षड्यंत्र रचकर अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19-मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) के कानोड़ में रेस्ट हाउस निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) के मेणार डाक बंगले की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड कार्यालय बालेसर एवं तहसील कार्यालय बालेसर में भवन निर्माण पूर्व में बनी ड्राइंग के अनुरूप पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बालेसर के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शेरगढ़ मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. उपखण्ड शेरगढ़ एवं बालेसर के डाक बंगले का नवीनीकरण एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला में नवीन डाक बंगले का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरगढ़) :

8. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय वीर कालीबाई कन्या

महाविद्यालय में लाइब्रेरी हाल एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस थाना कोतवाली में पुलिसकर्मियों के 10 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. रिजर्व पुलिस लाइन डूंगरपुर में अनुपयोगी एवं नाकारा 80 पुलिसकर्मी आवासीय क्वार्टरों का नवनिर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस चौकी मेवाड़ा एवं पुलिस चौकी देवला के भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

13. उपखण्ड कार्यालय लूणी जिला जोधपुर में अधिवक्ताओं, आवेदकों, मुव्वकिलों व जनता के लिए बैठने की व्यवस्था हेतु चैम्बर एवं भवन निर्माण करवाने, तहसील लूणी, उप तहसील झंवर व कुड़ी भगतासनी जिला जोधपुर के कार्यालयों के भवनों व रहवासीय क्वार्टस का निर्माण करवाने, उपखण्ड मुख्यालय लूणी में डाक बंगले का निर्माण करवाने एवं आई.टी.आई. लूणी के भवन के विस्तार व रिपेयर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाने, जर्जर व छत से पानी टपक रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत करवाने, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण व मरम्मत, नवीन पशु उप केन्द्रों एवं नवीन पशु चिकित्सालय मोगड़ा कलां के भवनों का निर्माण करवाने व पूर्व के पशु उप केन्द्रों इत्यादि भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र लूणी की तहसील लूणी व जोधपुर के क्षेत्र में स्थित भवन विहीन पटवार घरों के भवनों के निर्माण, पटवार सर्किल पाल, के भवनों की मरम्मत/नये भवनों का निर्माण एवं सभी पटवार घरों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, आई.सी.टी. कम्प्यूटर लैब व अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वितीय जोधपुर के अधीन उपखण्ड लूणी, धवा, गुड़ा विश्नोईयान, मण्डोर कार्यालय जोधपुर शहर में भूमि आबंटन कर उनके भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) :

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा एवं पीपाड़ स्थित डाक बंगला एवं रेस्ट हाउस की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एनएच-112 बर-बिलाड़ा जोधपुर में डाक बंगले का नया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में चल रहे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय (कैम्प कोर्ट) के भवन निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा के अधूरे पड़े भवन को पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में माडल विद्यालय के अधूरे पड़े भवन को पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना एवं सिणधरी डाक बंगलों का नवीनीकरण एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नवीन तहसील कार्यालय समदड़ी एवं पंचायत समिति कार्यालय समदड़ी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के स्वीकृत A.E.N. (PWD) समदड़ी एवं A.E.N. (बिजली) के कार्यालय भवनों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नव सृजित पटवार मण्डल कार्यालयों के

भवन निर्माण एवं भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्थान रोडवेज (पथ परिवहन) का बस स्टैण्ड निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास) :

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में उपखण्ड कोटकासिम में PWD डाक बंगला एवं उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम में तहसील, थाना, PWD, सिंचाई, पीएचईडी, कोष कार्यालय आदि कार्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

29. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मारवाड़ जंक्शन के डाक बंगले का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डाक बंगला सलूम्बर का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सराड़ा का कार्यालय भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सेमारी में कार्यालय भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डाक बंगला चावण्ड का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड जयसमन्द के कार्यालय भवन के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

35. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्टेट हाईवेज 25 चिकानी-अलवर में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में मालाखेड़ा जिला अलवर में डाक बंगला बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

37. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबू रोड रेवदर, अनादरा के डाक बंगलों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

38. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांदीकुई में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

39. विधान सभा क्षेत्र जायल के जायल (नागौर) में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र जायल के जायल (नागौर) में बस स्टैण्ड का सौन्दर्यकरण/यात्री प्रतीक्षालय/बुकिंग खिड़की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

41. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में बांसवाड़ा जिला के गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर चिकित्सालय भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल में कोर्ट कार्यालय के पास उप कारागृह भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जिला प्रतापगढ़ के तहसील पीपलखूंट मुख्यालय पर विश्राम गृह का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

44. किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर नवसृजित सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय हेतु आवश्यक नवीन भवन निर्माण की सक्षम बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नवीन विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

46. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी के जर्जर नगरपालिका कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जर्जर न्यायालय भवन का बाड़ी कृषि उपज मण्डी में नये भवन बनाये जाने एवं न्यायालय के न्यायाधीशों के नये आवास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जर्जर एसडीएम कार्यालय एवं आवास नवीन कृषि उपज मण्डी में बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में तहसील, प्रशासनिक कार्यालय एवं आवास नवीन कृषि उपज मण्डी में बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बसई नवाब उप तहसील कार्यालय को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

51. फतेहपुर (सीकर) कस्बे में स्थित डाक बंगले की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ आवासों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में डाक बंगले की सुविधा चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) में भवन विहीन कार्यालयों के भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

55. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ तहसील में स्थित जर्जर लोक निर्माण विभाग के भवन व कार्यालय की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में नगरपालिका राजगढ़ द्वारा बस स्टैण्ड पर तोड़े गये कमरे के संबंध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ में रैस्ट हाउस की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ तहसील में नये विभागीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

59. विधान सभा क्षेत्र बामनवास पट्टीकलां तहसील मुख्यालय स्थित क्षतिग्रस्त एफसीआई गोदाम का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

60. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवंतपुरा उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

61. सुजानगढ़ डाक बंगला में A.C. लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. सुजानगढ़ डाक बंगला में अतिरिक्त पांच कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. सालासर जिला चूरू में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

64. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम राजपुर में मिडिल स्कूल विद्यालय की चारदीवारी एवं नवीन भवन के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम सुन्दरपुरा के मिडिल स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम डांडा में नवीन विद्यालय भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

67. सार्वजनिक डाक बंगला बाड़मेर एवं जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

69. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत में न्यायाधीश आवास बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत में उपखण्ड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक का निवास भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की तहसील मुख्यालय बज्जू में विश्राम गृह बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में स्वयं का पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन बनाने के बावजूद अन्य भवन में चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

74. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी गैस्ट हाउस बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में तहसील का नया भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

76. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पंचायत मुख्यालय में बने पटवारघर, अध्यापक आवास एवं क्रमोन्नत स्कूलों के कक्षा-कक्ष निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आई पुलिस चौकियां एवं पुलिस थानों में कार्यालय एवं सिपाहियों के आवासों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. जैसलमेर में पुराने तालाबों पर बने घाट, हवेली एवं पुराने मन्दिरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में जैसलमेर कर्मचारियों के नये आवास एवं पूर्व में बनी हैरिटेज इमारतों का पुन: जैसलमेर शैली में निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों में पुराने कोट एवं बुर्ज की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

81. पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय गिडा (बाड़मेर) में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

82. नादौती व टोडाभीम मुख्यालय पर सार्वजनिक विश्रान्ति गृह का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. टोडाभीम में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. उपखण्ड मुख्यालय टोडाभीम व नादौती में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उपखण्ड मुख्यालय टोडाभीम व नादौती में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

86. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार के आवास हेतु भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में डाक बंगला नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

88. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पांच प्राचीन महाराजा गंगासिंह जी के समय के मुख्य द्वार हैं कोटगेट, जस्सुसर गेट, शीतला गेट, नत्थुसर गेट और गोगा गेट, इन मुख्य द्वारा को पुन: सुसज्जित कर इनकी मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

89. घड़साना में उपखण्ड स्तर पर सर्किट हाउस खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. अनूपगढ़ स्थित सार्वजनिक विश्राम गृह की मरम्मत कराने व सुविधाओं के विस्तार करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

91. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति कैम्पस की रिक्त पड़ी भूमि पर महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग का ब्लाकस्तरीय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर एसडीओ तथा एसीएम के निवास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक कलक्टर कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तथा कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालयों पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तथा कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालयों पर बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

96. सूरतगढ़ में सर्किट हाउस निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

97. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगरपालिका विजयनगर में राजकीय बस अड्डा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में मसूदा उपखण्ड स्तर पर विश्राम गृह (डाक बंगला) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

100. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. कोटपूतली एलबीएस सरकारी कालेज का नवीनीकरण एवं नये छात्र कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. कोटपूतली बीडीएम अस्पताल में नये कमरों एवं प्रतीक्षालय का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. कोटपूतली में PWD सर्किट हाउस का नवीनीकरण एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

104. खींवसर क्षेत्र में स्मार्ट विलेज योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में एससी/एसटी बस्तियों में सामुदायिक भवन व सार्वजनिक शौचालय बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के प्रत्येक गांव में आम रास्तों पर व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम के लिए पक्के नालों के निर्माण कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईटी केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यो हेतु एक-एक अतिरिक्त हाल व कमरे के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के प्रत्येक गांव में बस स्टैण्ड पर आमजन/राहगीरों हेतु सार्वजनिक विश्राम गृह, धर्मशाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. खींवसर मुख्यालय पर विश्राम गृह (डाक बंगला) निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

109. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पावटा पंचायत समिति में PWD सर्किट हाउस का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

110. जिला मुख्यालय झुंझुनूं में भवन रहित विभिन्न कार्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. जिला मुख्यालय झुंझुनूं में स्थित राजकीय आवास गृहों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

112. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कनवास उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय सांगोद में अधिशासी अभियन्ता के लिये आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कनवास उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित राजकीय आवासों एवं कार्यालय की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

116. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर कस्बे में निर्मित सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की मरम्मत एवं नये कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे में सामुदायिक भवनों व विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के धार्मिक स्थल छुआरी धाम पर धर्मशाला, सामुदायिक भवन एवं जन सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम सुल्तानपुर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. कोटा जिले में स्थित नजूल सम्पत्तियों की देखरेख एवं रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

121. विधान सभा क्षेत्र दौसा में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग लवाण का कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र दौसा में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सैंथल के कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र दौसा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दौसा शहर एवं ग्रामीण सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. दौसा थाना कोतवाली भवन एवं आवास का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र दौसा में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग दौसा शहर का कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

126. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पब्लिक पार्क क्षेत्र में सेन्ट्रलाइज्ड मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

128. विधान सभा क्षेत्र मावली के सरकारी विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण एवं मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

129. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कार्यालय निवाई में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

130. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ.) में सार्वजनिक विश्राम गृह (डाक बंगला) झाड़ौल व कोटड़ा के जीर्णोद्धार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ.) की पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया पर P.W.D. कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ.) में विभिन्न सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ.) के अन्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया पर सार्वजनिक विश्राम गृह (डाक बंगला) की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

134. शहर पुलिस लाइन कोटा में 02 अतिरिक्त बैरक का निर्माण, आवासों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

135. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में उपखण्ड मुख्यालय डूगला में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ चौराहा पंचायत समिति डूगला जिला चितौड़गढ़ पर डाक बंगला निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

137. विधान सभा क्षेत्र आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

138. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में रेजिडेन्सी PAC का निर्माण कार्य एवं महात्मा गांधी अस्पताल में ठेकेदार द्वारा किये अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

139. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर तहसील कार्यालय का भवन एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) :

140. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजनौता का मरम्मत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पापडा सैकण्डरी स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में लोक निर्माण विश्राम गृह पावटा का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

143. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में छबड़ा व छीपाबड़ौद कस्बे से गुजर रही सड़कों के दोनों तरफ नालियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

144. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में डाक बंगला की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में न्यायालय भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बस आगार की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. पुलिस थाना खेतड़ी की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

148. देवगढ़, भीम डाक बंगले की मरम्मत एवं रख-रखाव कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी सरकारी भवनों की मरम्मत एवं रंग-रोगन कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

150. उपखण्ड भीम (चन्दावर) के अपूर्ण पड़े भवन को पूर्ण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. भीम में आर.टी.ओ. कार्यालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

152. गंगापुरसिटी डाक बंगले का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (मांडलगढ़) :

153. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के DMFT द्वारा स्वीकृत सभी लोक निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ से कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्रांति गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

156. उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगले का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. बायतू-कानोड़-फलसूंड-पोकरण-रामदेवरा तक के सभी कस्बों में रामदेवरा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक विश्राम गृहों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर एवं फुलेरा के डाक बंगले का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21-मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में मायदा से धावड़िया तक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में भटेवर बांसी रोड का पुन: पेवरीकरण एवं NH में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

3. आर्थिक कोरीडोर/भारतमाता योजना/अन्य योजना के अन्तर्गत खींवसर (एन.एच.-62) से ओसियां-चामूं-चाबा-फलसूण्ड-शिव (एन.एच.-68) सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के गोतावरराय चामुण्डा माताजी, बस्तवा माताजी, आईनाथ माताजी, सुवालिया, आवड़माता शेरगढ़, केसरिया कंवरजी का स्थान बारनाऊ, आवड़माता, बेलवा राणाजी, बाबा रामदेवजी, बाबा की निम्बड़ी केतू कला, गंगा भारतीजी का मंदिर देवीगढ़ आदि धार्मिक स्थलों के लिए डामर सड़क स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में डामर सड़क से वंचित रहे 250 की जनसंख्या से ऊपर वाले राजस्व गांवों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के पेचवर्क एवं नोन-पेचेबल सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रामीण गौरव पथ से वंचित ग्राम पंचायतों में मिसिंग लिंक/डामर सड़क की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

8. जोधपुर-सालावास-सर-फीच-दुन्दाड़ा-घाणा-विश्नगढ़-जालौर के मध्य चलने वाले ओडीआर-69 को नया राज्य मार्ग घोषित करने व एम.डी.आर. झालामण्ड-लालकी को क्रमोन्नत कर राज्य मार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित राज्य मार्ग संख्या 58, 61 एंव 68 की चौड़ाई बढ़ाने, सुदृढ़ीकरण करने एवं नवीनीकरण करने तथा एम.डी.आर. झालामण्ड-लालकी की भी चौड़ाई बढ़ाने, सुदृढ़ीकरण करने व इसका नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा लूणी में वीआर धवा-दुन्दाड़ा, वीआर उत्तेसर से भाचरना, वीआर-सतलाना-माधोपुरा-रेदड़ी, भाकरी, वीआर सालावास के शिकारपुरा, वीर-भाण्डू-फीच, एआर बासनी सिलावटा, तनावड़ा से मोगड़ा, वीआर धवा-परिहारों की ढाणी, एआर कैरू से सालोड़ी, एआर से कराणी एवं बनाड़ से उचियाड़ा सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ओडीआर 69 सर-दुन्दाड़ा पर सालवास स्थित जोजरी नदी पर पुलिया (क्लर्वट) निर्माण, व्यास कालेज-गुड़ा जाने वाली सड़क पर जोजरी नदी पर पुलिया (क्लर्वट), शिकारगढ़-बी.आर.ओ. बाईपास जाने वाली सड़क पर उचियारड़ा में जोजरी नदी पर पुलिया निर्माण, गुड़ा-कांकाणी सड़क से राजपुरिमा जाने वाली सड़क पर जोजरी नदी पर पुलिया निर्माण, झंवर गांव में पटेलावास से राजाराम बगेची के रास्ते से गुजरने वाली नदी पर पुलिया निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम कैरू के ग्राम सालाड़ी, ग्राम सिनली से रोहिचा खुर्द, धवा से कालीजाल, कालीजाल से फीच, लूणी धांधिया, ग्राम पन्नेसिंह नगर से रोहिचा खुर्द, सरेचा खेड़ा से शिकारपुरा, खाराबेरा भीमावन्ता से कलाली सरहद तक, बड़लिया से रोहिचा कला की सरहद, कालीजाल से पीपरली, चिचड़ली से परिहारों की ढ़ांणी, कड़वड़ से उजलिया सरहद, डोली से देवल होते हुए बासनी सिलावटा, नारनाड़ी से डेडानाड़ा, ग्राम मणाई रोढ़ से खोखरी तक, माणकलाव रोड से कच्छवाहों की ढाणी तक, धवा से धवेचा नगर, झंवर में नवी नाडी से खुडाला

बालाजी, सिनली से चाली, बैरू से महादेव नगर, इत्यादि सड़कों का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

13. विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी (जिला हनुमानगढ़) से ददरेवा (जिला-चूरू) तक सीधी सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभिन्न नोन-पेचेबल सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-नोहर रोड से भादरा-साहवा रोड होते हुए भादरा-राजगढ़ रोड तक बाईपास बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भभादरा-झांसल सड़क का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र भादरा में हनुमानगढ़-सादुलपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के उपरांत भादरा शहर में रेलवे लाइन के सी-64 पर आर.यू.बी. स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

18. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में काली मोरी फाटक संख्या 116 पर अण्डरपास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अलवर शहर के बगड तिराहा जाने वाली सड़क पर अत्यधिक वाहन भार होने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए हल्के वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग निकाले जाने के संबंध में चर्चा के लिए ।

20. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के रेलवे फाटक संख्या 114 दाउदपुर पर अण्डरपास बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) :

21. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राज्य राजमार्ग-21 दांतीवाड़ा से परबतसर वाया पीपाड़सीटी, बोरूंदा, मेड़तासिटी के किमी. 0/0 से 59/0 (नोन पेचेबल पोर्शन) की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में डांगियावास से गुड़ा कांकाणी (एस.एच. 68) के नोन पेचेबल पोर्शन की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एस.एच. 61 के नोन पेचेबल पोर्शन विनायकिया से लोलावास वाया काकेलाव, मोरटूंका, मियासनी,पीथासनी, फिटकासनी की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एम.डी.आर.-90 भावी से खींवसर वाया पीपाड़ शहर के किमी. 0/0 से 20/0 (नोन मोटरेबल) भाग की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. बर-बिलाड़ा-जोधपुर के किमी. 0/0 से 125/0 के किमी. 47-48 के बीच इमरजेंसी Landing airstreeps विकसित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की मुख्य सड़क स्टेट हाईवे 66 सिवाना-समदड़ी कल्याणपुर 51 किमी. 7 मीटर चौड़ी, लूनी नदी खारानाला पर पुलिया सहित निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बरसात के समय टूटी हुई पुलियें (सी.डी. कार्य) जिनपुर नाला खरूटीपा करेडी, मंजल ढीढस नाला सहित क्षेत्र के सभी सी.डी. कार्यों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की मुख्य सड़क स्टेट हाईवे 66 समदड़ी, सिवाना कल्याणपुर के रेलवे स्टेशन समदड़ी पर मैन फाटक पर ओवर ब्रिज (पुल) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के धार्मिक स्थल अन्नपूर्णा माता, कालेर हनुमान जी, पीपलिया महादेव एवं महाकालेश्वर अजीत, अमरनाथ महादेव डण्डाली, खेतलाजी स्थान सांवरड़ा पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सिवाना को सीधा जयपुर से जोड़ने हेतु पाली फोर लेन जोधपुर रोड से भाद्राजून ढाणी वाया रूपावास होते हुए रामा, खण्डप राखी मोकलसर नेशनल हाईवे संख्या 325 में मिलाने हेतु डबल लेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

31. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की तहसील फागी में ग्राम पंचायत चितौड़ा से खिजूरिया तक नवीन सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा की पीपला बाई की ढ़ाणी ग्राम धोराला में ढूंढ नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की तहसील फागी ग्राम गोपालपुरा से पीपला तक बनी सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र चाकसू मुख्यालय से गुजर रहे हाईवे नं. 12 के निमोडिया मोड़ व गरूड़वासी मोड़ पर ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास) :

35. खैरथल-भगेरी कलां-बीकीरानी मौकर टपूकड़ा, सिहालीकलां-बाबा कुन्दनदास मंदिर-मथुरादास मंदिर-गुरगचका मोड़, भगेरीकला गोटड़ा-गहणक एवं भिण्डूसी सड़क का एम.डी.आर. कर चौड़ाईकरण का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

36. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा स्टेट हाईवे नम्बर 61 बाता पाचेठिया सड़क के लिए अलग से बजट देकर घोषणा को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कन्टालीया मुख्य सड़क से संगावतों की ढाणी तक 3 किमी. सड़क डामर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में दिल्ली मुम्बई फ्रंट कोरीडोर के मारवाड़ जंक्शन में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज (आरओबी) स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रानी की विवेकानन्द माडल स्कूल को 3 किमी. डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बाता नदी पर अतिवृष्टि के कारण रपट टूट जाने से नदी पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

41. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संगतडा से ढाकरडा सड़क गरगल नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में करोडीया से बस्सी जोयरा सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में धावडीया से सर्सिया सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में केजड से बण्डोली सड़क एवं पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराडी से गिंगला सड़क पर गोमती नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

46. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में उचकी से लेम्बडिया फला मिसिंग लिंक, पिथापुर मुख्य सड़क से डामोर फला सड़क एवं नया गांव फराश से कानुपर महादेव मिसिंग लिंक पर पुलों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रोहनवाडा से कोलरा तक 4 किमी. एवं पालपादर से बिजूड़ा तक 3 किमी. तथा गुन्दी कुआ से छापी तक 3 किमी. नई सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुनरावाडा से सेमलिया तक 3 किमी. उचकी से पिपलादा तक 3 किमी एवं गंगेश्वर से नकुरीफला तक 3 किमी. नई सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में खजूरी से पाण्डोर फला 5 किमी, पालवडा से बिलिया फला तक 3 किमी. एवं तलैया सीमा से पुनरावाडा सीमा तक 5 किमी. नई सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुवालिया दरा उपला से बलीचा तक 3 किमी., पावडा घाटी से बरोठी तक 3 किमी. एवं पिथापुर से सैगाल महुडी तक 3 किमी. नई सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

51. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम रहीका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में सड़क एवं पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम रूपबास तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में सड़क एवं पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम बलदेवपुरा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में स्टेट हाईवे नं. 44 ग्राम परसा का बास अलवर में पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम नावली तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में नदी पर पुल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

56. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अत्यधिक बरसात से टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अतिवृष्टि से बहे पुल रपट को पुन: बनवाने आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

59. बांदीकुई में आगरा फाटक पर अण्डरपास बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. बांदीकुई में समेल से कैलाई तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. बांदीकुई में ठिगारिया टप्पा कोलेश्वर से समेल बैरवा स्कूल तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

62. विधान सभा क्षेत्र जायल में धार्मिक सड़क रोटू से टोकीधोरा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र जायल में धाननी से घारियाद- 6 किमी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र जायल में सोनेली से रांतगा- 6 किमी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

65. विधान सभा क्षेत्र घाटोल (जिला प्रतापगढ़) की ग्राम पंचायत छरी व ठेसला के बीच बहने वाली इराव नदी पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र घाटोल (जिला प्रतापगढ़) में पंचायत समिति पीपलखूंट के पंचायत रोहनीया व पंचायत पृथ्वीपुरा के बीच भुडवाई नदी पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

67. किशनगढ़-जयपुर हाईवे सं. 8 पर स्थित बांदर सिंदरी ग्राम के मुख्य चौराहे पर आवागमन हेतु एक नवीन ओवरब्रिज का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति, किशनगढ़ द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण पश्चात् मरम्मतीकरण एवं रखरखाव कराने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी मुख्यालय पर स्थित नवीन बस स्टैण्ड से अजमेर रोड स्थित पुराने बस स्टैण्ड तक के मुख्य सड़क मार्ग (पुराना एन.एच. 8) पर मरम्मतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लगभग 490 लाख की बजट राशि अविलम्ब स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नेशनल हाईवे 8 पर स्थित बड़गाव से सिरोंज, गोली होते हुए जयपुर जिले की सीमा तक सड़क मार्ग को ओ.डी.आर. से एम.डी.आर. में क्रमोन्नत कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) तक के 70 किमी. मार्ग पर मेगा हाईवे निर्माण की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

72. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी सैपऊ मार्ग पर बहने वाली पार्वती नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सरमथुरा रोड से बसेडी रोड, धनोरा रोड एवं धौलपुर रोड को जोड़ते हुए रिंग रोड का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैपऊ में यातायात की व्यवस्था सुधार हेतु सैपऊ में रिंग रोड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बसई नवाव में बाईपास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बसई नवाव सड़क उत्तर प्रदेश सीमा तक नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

77. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में आवश्यकतानुसार सड़क का निर्माण/ मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की बकाया मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए

79. फतेहपुर व रामगढ़ शहर में यातायात दबाव को देखते हुए रिंग रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. फतेहपुर कस्बे से निकलने वाली नेशनल हाईवे संख्या 52 पर सर्विस रोड नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

81. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ से पिलानी एन.एच. 709 पर सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में मिसिंग लिंक सड़क राजगढ़ तहसील में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जर्जर सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ तहसील में जगमाल की ढाणी में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में काधराण से रड़वा, एन.एच. 65 से लूटाणा सदासुख, लसेड़ी, किप्ताण, बेवड से भोजाण रेलवे लाइन पर अण्डरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

86. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मोरोली के राजस्व ग्राम नंगला माना की भूमि अधिग्रहण कर सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. भरतपुर अछनेरा सड़क की बची हुई 5 किमी. की सड़क का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

88. विधान सभा क्षेत्र धोद में रैवासा से खूड़ व भानीपुरा सीधी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र धोद के राजस्व गांव खूड़ से विजयपुरा, सबलपुरा से ढाका की ढाणी, सामोलाई से ओला की ढाणी एवं भीमा से बुरड़कों की ढाणी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र धोद के काशी का बास से पुरा बड़ी, कदमा से खोरी, छीगढ़बड़ी से चैलानी जोहड़ी एवं भूकरो का बास से भढ़ाढर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र धोद में गोठड़ा भूकरान से जेर, कासली से पुरा छोटी, कासली से जोधा स्टैण्ड, सामी से पैवा एवं नागवा से पैवा सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र धोद में सरवडी से जस्सुपुरा बिंजासी एवं अनोरकु से बिंजासी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) :

93. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में सुरोठ से बिजपुरा वजना हिण्डौन एम.डी.आर. रोड को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में एम.डी.आर. रोड 18-19 को बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

95. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम कोडियाई से गाड़द तक क्षतिग्रस्त

सड़क का डामरीकरण/नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास मैन रोड पर स्थित नाले पर पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील मुख्यालय बौंली से हिण्डौन होते हुए कुशलपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण/डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम मित्रपुरा से लाखनपुर वाया भपोई डूंगरी, जलापुरा होते हुए निवाई रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुन:निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

100. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की सम्पूर्ण टूटी हुई सड़कों की मरम्मत/दुरस्तीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के उपखण्ड देवली में बीसलपुर डूब क्षेत्र की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित करवाकर मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की सम्पूर्ण मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नेगडिया पुलिया से रायथला तक सड़क निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. एन.एच. 12 भरनी से धुवाकलां धन्ना भगत तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

105. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में एस.एच. 11, एस.एच. 31, एम.डी.आर. 17 में जैतपुरा नदी, कोडी नदी, वणधर नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया और रपट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सांचौर-रानीवाड़ा भण्डार, भीनमाल-

रानीवाड़ा एवं मालवाड़ा-जसवंतपुरा मुख्य सड़क पर हाईब्रिज पुलिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की डी.एल. सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रेलवे फाटक (सांचौर) सी.एल. 109 पर ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

110. विधान सभा क्षेत्र टोंक की टोंक-लहन-पालडा रोड को माइनिंग रोड़ स्वीकृत करने एवं उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का सी.सी.रोड/पुनर्निर्माण/मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र टोंक में घांस से बिशनपुरा सड़क पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र टोंक में झांची से मण्डावर रोड को माइनिंग रोड स्वीकृत कर सी.सी. सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र टोंक में बावड़ी से गोपालपुरा रोड व हमीरपुर से कल्याणपुरा वाया काचरिया तक रोड स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र टोंक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

115. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सुजानगढ़ शहर के बोबासर प्याऊ तक सड़क की मरम्मत एवं (एन.एच. 65) बाईपास से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सुजानगढ़/छापर मेगा हाईवे से एन.एच. 65 की बाईपास सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सी-21 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

118. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम काकर से हरियाणा बॉर्डर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सोडावास से अजरका हरियाणा बोर्डर स्टेट तक के हाईवे को 7.5 मीटर चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

120. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम आंरेणी से मदनपुर एवं मेवला से डाढा तक नवीन सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम सकरघटा से ताली एवं ताली से नवलापुरा पीपल खेड़ला तक क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/ डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र करौली की इंदिरा कालोनी से भुडार के मध्य पांचना बांध पर पुल निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम राजपुर से करौली तक आने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

124. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की क्षतिग्रस्त सड़क पूनियों की हौद से भूरटिया, मंगला रोड से सरकापार, रूगोणियों की ढाणी भाडखा सुरा से समों की ढाणी को रिपेयर कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चौहटन रोड रेलवे फाटक पर अण्डरब्रिज स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मिसिंग लिंक एवं एप्रोच सड़कें पिण्डियों का तला से बालेरा, मुरटाला गाला से एन.एच. 15, गुडीसर से लुणु, रोहिली से भाडखा, डूडियों का तला से खेमा बाबा मंदिर एवं बलाऊ से राणीगांव तक सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. बाड़मेर-सिणधरी-जालौर सड़क निर्माण में किसानों की जमीन का

मुआवजा दिये बिना सड़क को चौड़ी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

128. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के छोटी उन्दरी से खरपीणा जाने वाली सड़क वाया शहीद रतनलाल मीणा के गांव के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में रामपुरा उदयपुर से उबेश्वर होते हुए झाड़ौल जाने वाले रोड पर पुलियाओं को ऊंचा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में चांदनी से तोरण तालाब होते हुए रवा जावर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के पडूणा से चणावदा को जोड़ने वाली रोड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जाबला से नला फला तक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

133. कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. बीकानेर से नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आर.ओ.बी. बनाने व अधूरे राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत दियातरा, नोखड़ा सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की पेचेबल सड़कों का पेचवर्क का कार्य कर सड़कें सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की नोन-पेचेबल सड़कों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

138. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम पंचायत नारायणपुर की मैन सड़क से मालोडी से आगे चतरपुरा रोड तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम पंचायत रामपुर में खारी का बास में पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पंचायत बानसूर-अलवर सड़क मार्ग से लालावाली डाणी बोडी कोठी होता हुआ मालियों की ढाणी एवं यादवों की ढाणी से अलवर रोड तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम पंचायत नालावास के उधोका बास से नई ढाणी, कुरिया की ढाणी, मीणा की ढाणी, यादवों की ढाणी, ठाकरों की ढाणी से ग्राम टोडिया का बास तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्राम पंचायत नारायणपुर से ज्ञानसिंह की ढाणी से स्कूल का कुण्ड तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

143. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में इंदिरा नहर में (आई.एन.जी.पी.) चक आबादी गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

144. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में (डी.एन.पी.) डैजर्ट नेशनल पार्क में आई हुई ग्राम पंचायतों के मुख्यालय एवं उनमें आये हुए गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की आवश्यतता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में (बी.ए.डी.पी.) के द्वारा निर्मित सड़कों को पूर्ण करने एवं उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. जैसलमेर नहरी क्षेत्र में नहरों के ऊपर बने हुए पुलों की रिपेयरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आई हुई स्टेट हाईवे का नवीनीकरण एवं उनको चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

148. विधान सभा क्षेत्र बायतू में भाडखा-भीमड़ा-बाराडू-कानोड-गिडा-पाटोदी-जोधपुर तक राज्य मार्ग की घोषणा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. बायतू से कवास तक चार अण्डरपास की स्वीकृति के बाद कार्य को गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. बायतू से चवा सड़क को डबल लेन सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

151. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मिरजापुर से करेरी मिसिंग लिंक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मोहनपुरा से भीलापाड़ा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ल्हावद से कुजेला मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. टोडाभीम से गुढ़ाचन्द्रजी मैन रोड की चौड़ाई एवं ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

155. विधान सभा क्षेत्र करौली के करौली शहर स्थित धन्ना काछी की बगीची से वीर हनुमान मंदिर होते हुए हाथ घटा हाईवे तक की क्षतिग्रस्त लिंक रोड का सुदृढ़ीकरण/डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

156. जैसलमेर जिले की आई.जी.एन.पी. के प्रोजेक्ट की सड़कों की रिपेयरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

157. विधान सभा क्षेत्र मावली के सड़कों से वंचित 30 राजस्व गांवों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत डबोक में ओडी पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने एवं ग्राम पंचायत चगेड़ी में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र मावली में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

160. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की एन.एच.-11 से सिगोदड़ा तक तथा गनेड़ी में बनाये जा रहे बाईपास के लिए काश्तकारों की अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा कानून अनुसार नहीं देकर कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. लक्ष्मणगढ़ शहर जिला सीकर की बडका बालाजी से मोदी कॉलेज तक सड़क का नवीनीकरण/सड़क बनाये जाने में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की 175 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के भिलूण्डा से कल्यानी, करेवा से भोपासर वडवा जाखया से चारण की ढाणी, नेछवा से बालाजी की ढाणी, जेवली से ढाणी कृपाराम, दीनवा जाटान से एन.एच. 11, रिगु से दिसनाऊ, राजपुरा से अफसर, खीरवा से फदनपुरा, गुडवा से पनलावा, रहनावा से वीदामर-लक्ष्मणगढ़ सड़क तक खेडीराडपन से भाजुमीजमा का बास भोजासर छोटी से सांवलोदा आदि नवीन सड़कें नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. सीकर में नवलगढ़ रोड एवं पिपराली रोड की पुलियाओं को चौड़ा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

165. श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर से कूपली और कूपली चौराहा से कूपली गांव तक 8 किलोमीटर सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ ब्रांच पर 8 एस.टी.बी. से 5 एस.टी.बी. को जोड़ने हेतु पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर-पश्चिम) :

167. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के चोखटीपुल के दोनों तरफ सर्विस रोड को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के पूगल फांटे चौराहे से बजरंग धोरा मंदिर तक सड़क को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

169. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रावली-खाजूवाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रामसिंहपुर-कूपली-घड़साना सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. घड़साना से बीकानेर सड़क के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. अनूपगढ़ शाखा पर स्थित सभी पुराने पुलों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. अनूपगढ़ शाखा में गांव 2 एल.एम. व 8 ए, में सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए नवीन पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

174. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नागदी नदी में एन.एच. 148 डी की पुलिया के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभाग द्वारा वर्ष 2014 से अब तक नरेगा योजना में निर्मित सड़कों के संबंध में चर्चा के लिए।

176. भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर बाईपास रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में घाटाराणी से आडियाखेड़ा, अभयपुरा से बागुदार बनास नदी पर तथा ग्राम घेवरिया से कांटी के मध्य पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में किशनगढ़ से अथरणा, शक्करगढ़ से बरौदा तथा बैंरी से रौपां के मध्य सड़क का नवीनीकरण/ डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

179. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सूरतगढ़ से भोजेवाला एवं सूरतगढ़ से पदमपुर तक सड़क को निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ से 11 एस.आर.डी. के बीच में घग्घर बहाव पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) :

181. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बनास नदी पर क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में Submersible Broidge A/R मेवाडों के मठ (बिलिया नदी) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 250 में 349 आबादी की वंचित पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

184. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत रामगढ़ से मसूदा की सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की खरवा से मसूदा, मसूदा से बान्दनबाड़ा, बान्दनबाड़ा से भिनाय सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगरपालिका स्थित 27 मील चौराहा पर ओवरब्रिज या अण्डरपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा एन.एच. 8 पर ओवरब्रिज या अण्डरपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगरपालिका विजयनगर से केकड़ी को जोड़ने वाली सड़क का बजट आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

189. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम ललाना मोड़ से ककराना एवं ग्राम पिचाणी से आड़ा पथ तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के एन.एच. 8 पर बानसूर मोड़, बी.डी.एम. अस्पताल के पास, खेड़की वीरभान, कावरपुर, शेखपुर एवं रघुनाथपुरा पर अण्डरपास/पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सभी सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के चकतीर्थ नाहरेड़ा रोड से भौणावास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

193. अजमेर से नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों के विपरीत अवैध टोल वसूली को तत्काल रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. नागौर जिला मुख्यालय पर मानासर चौराहे पर स्थित रेलवे क्रोसिंग (जोधपुर रोड) पर पुल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सड़कों के लिए जिला स्तर से राज्य स्तर पर वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रस्तावों के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में राज्य राजमार्ग 63 की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नोखा चांदवाता से रोल चांदवाता तथा थवण्डा से बेरावास तक पक्की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

198. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की झड़ाया से पापड़ा वाया पंचलजंगी सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की टोडी दुडिया से इन्द्रपुरा वाया जैतपुरा की जीर्णशीर्ण सड़क का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ताल मंडावरा से माणकसास वाया जहाज मावता सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की नवलगढ़ सीमा से गुढ़ा होते हुए वाया चंवरा चौफूल्या खेतड़ी सीमा तक जीर्णशीर्ण सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में गुढ़ागौड़जी का बाईपास निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण) :

203. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में छायण से बाऊ दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क की लम्बाई 14 कि.मी. के निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में नेडान से घनाना नाड़ा सड़क के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

205. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एन.एच. 8 (गोर्बधनपुरा) से घीसा लम्बरदार की ढाणी होते हुए पाथरेड़ी तक एवं ग्राम चिमनपुरा बनेठी रोड वाया हरिजन बस्ती होते हुए कायमपुरा बास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

206. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में मिसिंग लिंक सड़कें एवं नवीन सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में हमीरवास सं घुमनशट खुई जर्जर सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. जिला झुंझुनूं के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 का कार्य शीघ्र शुरु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र झुंझुंनू की टूटी हुई सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. झुंझुनूं शहर में स्थित समपार सीकर रोड एवं गुढ़ा रोड पर आर.ओ.बी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

211. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में राष्ट्रीय राज मार्ग 27 के निर्माण समय लेफ्ट आउट सड़क पोलई-सीमल्या-गडेकान-चीसा में एन.एच.ए.आई द्वारा वन टाइम सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में राष्ट्रीय राजमार्ग कैथून-सांगोद-देवली-बपावर में बाईपास निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दीगोद तहसील में रेलगांव-सदेडी-रामडी एवं बालाजी की थाक के मध्य आर.सी.सी. पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सांगोद तहसील में उजाड़ नदी पर किशनपुरा-घोटोलिया-कुन्दनपुरा के मध्य केन्द्रीय सड़क निधि योजना अन्तर्गत उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. सांगोद तहसील में बालाजी की थाक एवं गुड़ला के मध्य कालीसिंध नदी पर केन्द्रीय सड़क निधि योजना अन्तर्गत उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

216. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विजयनगर मैन रोड से 10 सरकारी व 11 जोइया की ओर जाने के लिए घग्घर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 90 जी.बी. ग्राम घग्घर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

218. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पेचवर्क कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर कस्बे को पाटून्दा (बारां) से जोड़ने के बांक्या ग्राम में कालीसिंध नदी पर हाई लेवल पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

220. विधान सभा क्षेत्र दौसा में खुर्री से सीतापुरा वाया बालाजी की ढाणी सड़क का मरम्मतीकरण एवं नवीनीकरण एवं सीतापुरा से मालपुरिया तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. नगर परिषद दौसा में से गुजर रही सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें बाजाजी की छावनी से लालसोट बाईपास, लालसोट रोड से गेटोलाव एवं हास्पिटल से रलावता रोड होते हुए गणेशपुरा तक सड़कों के मरम्मतीकरण/नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र में काबलेश्वर आई.टी. केन्द्र से सैंथल रोड त्रिमूर्ति तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र में भण्डाना खाट्या मौहल्ला से मलारना रोड तक

वाया भैरूंजी की तलाई सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र में लवाण से पूरणवास वाया बीनावाली बावड़ी तक सड़क का मरम्मतीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिंदल (गंगानगर) :

225. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में 2 एल.एल. धालेवाला से 5 एस.एल. (श्रीगंगानगर) की ओर सडक निर्माण की आवश्ययकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में सूरतगढ़ रोड (एन.एच. 62) से सिंहाग नर्सिंग कालेज के पास से होते हुए 5 एम.एल. तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में सूरतगढ़-हनुमानगढ़ बाईपास रोड से नोजमे स्कूल होते हुए हनुमानगढ़ रोड तक लम्बाई 1.5 किमी. के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में 5 जी छोटी से 9 ए. तक सड़क निर्माण लम्बाई 2.5 कि.मी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में हिन्दूमल कोट मुख्य रोड से । जेड़ वाटरवर्क्स रोड तक लम्बाई 1.25 कि.मी. सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

230. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू में नानेर से गहलोद तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू में झिराना से नानेर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र निवाई में चुदाझा से जैतपुर टोंक जिले की अंतिम सीमा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र निवाई में नला से सिरस के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू में गहलोद के तीनों रपटों पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

235. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) के सड़क से वांछित विभिन्न राजस्व गांवों में सड़क व पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) के बहुप्रतीक्षित एन.एच. 58 (ई) का कार्य यथाशीघ्र शुरु नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) की क्षतिग्रस्त व खस्ताहाल सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 'गौरव पथ' निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

239. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा टू-लेन सड़क के बीच में चिकारडा गांव में स्वीकृत बाईपास के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ से सरिपिपसी से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कजली खेड़ा से कनगटी ग्राम पंचायत बरडीया पंचायत समिति प्रतापगढ़ के बीच रेतम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला पंचायत समिति डूगला से बोहेड़ा पंचायत समिति बड़ी सादड़ी तक टू-लेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

243. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में भावरी नदी एवं पंचदेवलत कोजरा नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

244. विधान सभा क्षेत्र आहोर में साण्डेराव मोकलसर एन.डी.आर रोड को जोड़ चौराहा से मोकलसर, बाड़मेर सीमा तक का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. आहोर के मुख्य सड़क से भैसवाड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़क से सुकड़ी का चौभैंसवाग डायवर्जन नाला पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. जालौर खण्ड के देवाड़ा से कवीणी माता धार्मिक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

247. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में मण्डावा से ढिगाल 17 कि.मी. डबल लेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

248. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में नवीन सड़कें बनाने एवं टूटी हुई सड़कों का पुन: नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) :

249. विराटनगर बस स्टैण्ड पर बने पानी निकासी नाले पर बने पुल को आवश्यकता अनुरूप चौड़ा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

250. एम.डी.आर. सड़क विराटनगर से हरियाणा सीमा तक विराटनगर मूल स्थान से निर्माण कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

251. एन.एच. आतेला से खाचरियावास (सीकर) के लिए स्वीकृत स्टेट हाईवे को स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

252. प्रागपुरा एन.एच. 8 से पाछूडाला सड़क की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

253. विराटनगर शहरी सीमा में किले पर पानी निकासी पुल के संकरा होने के कारण पुल का पुन: निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

254. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की काकरिया गुढ़ा से घाटियाला तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की एस.एच. 13 से जालपाला सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में दूधवा से ढोसी वाया ठाठड़ी संघ में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

257. विधान सभा क्षेत्र भीम में खरपेडीया सम्पर्क सड़क पर तत्काल पुलिया निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र भीम में अधूरे पड़े एन.एच. 8 फोरलेन कार्य को प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़कों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

260. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में धोली से कलमण्डा रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

261. मालपुरा-लाम्बा हरिसिंह सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

262. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में खेड़ा बाढ़ रामगढ़ से नारायणपुर स्टेशन तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़) :

263. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में मेनाली नदी पर त्रिवेणी से जोजवा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया तथा बनास नदी पर आकोला खड़वाड़ा, गेन्दलिया, सोपुरा के क्षतिग्रस्त पुलों व सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के मिसिंग लिंक सड़कों के विचाराधीन प्रस्तावों के संबंध में चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में सवालिया से कास्या तक खनन क्षेत्रों में जर्जर सड़कों की रिपेयरिंग व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में डी.एम.एफ.टी. में स्वीकृत सभी सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 5 वर्ष पुरानी निर्मित सभी सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

268. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में ओ.ब. फाटक नं. 295 पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

269. बीकानेर जिले के ग्राम महाजन से सूई व सूई से ग्राम बखूसर होते हुए पल्लू से सरदारशहर रोड तक की सड़क को एम.डी.आर. का दर्जा प्रदान करने व उसके निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. एन.एच. 15 के ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिये जाने से उक्त सड़क पर स्थित ग्राम बामणवाली पर तुरन्त पुल (फ्लाईओवर) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

271. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम कुंथाड़ा खुर्द में रेतडया चौराहे से निम्बोला वाली तलाई तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में फालयावास ग्राम से रतननाथ जी मंदिर तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से बोरई वाया जटवाड़ा, बड़वा और पड़ासौली तक सड़क की विशेष मरम्मत/नवीनीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में टहटड़ा से नांगल बोहरा तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

275. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में पंचायत बरून्धन पंचायत समिति तालेड़ा के बैरवा बस्ती के पास घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में ग्राम गुढ़ा पंचायत राजपुरा पंचायत समिति तालेड़ा के ऐरू नदी पर टूटी हुई पुलिया का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

277. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में ग्राम अलकोदिया पंचायत गुमानपुरा पंचायत समिति बूंदी के घोड़ा पछाड़ नदी पर टूटी हुई पुलिया के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

278. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल-दांतारामगढ़ बाईपास का चौड़ाईकरण एवं डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के मौखमपुरा सड़क से आकोदा-फुलेरा होते हुए सांभर तक सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नारियासर मोड़ से आदरपुरा तक वाया जावलिया हवसपुरा की सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में करणसर व हरसोली-बाधावास से लूनियावास तक सड़क का पुन:निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

282. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बंधे के बालाजी से फुलेरा तक सड़क का नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

283. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कुहाड़ बास से माण्डी तक टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

284. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बस्सी अनाज मण्डी से नई नाथ धाम वाया चारणवास तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

285. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पंचायत डाबरी से ग्राम मुबारकपुर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अलवर-भरतपुर से सेमली के सामने गहणकर से बीदूका सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।